सप्तम माला 20 मार्च, 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दूसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51(7)1
Date 22.7.80.

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 9, गुरुवार, 20 मार्च, 1980/30 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
श्नों के मौखिक उत्तर :	1–18
*तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 144 से 150	1–19
श्नों के लिखित उत्तर :	19–161
तारांकित प्रश्न संख्या :143 और 151 से 162	19–26
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1167 से 1263 और 1263 से 1346	26–161
ल पर रखे गये पत्र	161–168
गव के बारे में	168–176
से संदेश	176–177
ीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना	1ध7–185
र परमाणु बिजली घर के लिये संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा णु ईंधन की सप्लाई	177
एम० राम गोपाल रेड्डी	177
० वी० नरसिंह राव	178-181
र्ज फर्नान्डीस	182-184
ा समिति	185–197
प्रतिवेदन	
ामा रेलवे पर बारक वैली एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के वक्तव्य	198
श्री सी० के० जाफर शरीफ	198
377 के अधीन मामले	198–201

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक कि उस प्रश्न को सभा में उसी स पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(एक) पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस और छात्र परिषद् द्वारा कथित आन्दोलन जिससे आसाम को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई है	
—श्री समर मुखर्जी	198–199
(दो) बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाले विनाश को रोकने के उपाय	
—श्री राम स्वरूप राम	199
(तीन) केरल में रेल सवारी डिब्बा बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करना	
—श्री के० ए० राजन	199–200
(चार) कोयम्बटूर स्थित केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के बन्द किये जाने का समाचार	
—श्री ईरा मोहन	200–201
(पांच) चार समाचार ऐजेन्सियों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का समाचार	
—श्री एडुआर्डो फैलीरो	201
अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें प्रतिवेदन पर चर्चा-जारी	202–262
श्री गिरिधर गोमांगो	202-204
श्री आर० आर० भोले	204-206
श्री सी० टी० दण्डपाणि	206-217
श्री ए० सी० दास	217
श्री हरिकेश बहादुर	217-220
श्री एन० ई० होरो	200-221
श्री राम लाल राही	222-223
श्री हरीश रावत	224-226
श्री जगपाल सिंह	226-229
श्री राम प्यारे पनिका	ठ29-232
श्री हीरालाल आर० परमार	232-234
श्री पीयूष तिरकी	234-237

विषय	पृष्ठ
श्री उत्तम सिंह राठौर	237-239
श्रीमती सहोदराबाई राय	239-243
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	243-246
श्री दलबीर सिंह	346.249
श्री महावीर प्रसाद	249-252
श्री भीखाभाई	352-254
श्री शिबु सोरेन	252-255
श्री रणजीत सिंह	155-267
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	257-259
श्री मगनभाई बारोट	259-262

लोक सभा

गुरुवार, 20 मार्च, 1980/30 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भाड़े की सामान दरों की मांग।

*†142 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न इंडिया के इन्जीनियरी उत्पाद के निर्यात कर्ता देश में विभिन्न निर्यात केन्द्रों के बीच भाड़े की समान दरों की मांग कर रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकर्ताओं के बीच विषमता दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्ता प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : देश में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में अनेक कारणों से निर्यात के स्थानों से भाड़े की दरों में कुछ न कुछ अन्तर रहना अनिवार्य है जिसका असर जहाजी कम्पनियों को भाड़े की दर निश्चित करने और दूरी तय करने में पड़ता है। भारत सरकार द्वारा नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में भाड़ा और जहाजी सेवाओं के बारे में गठित स्थायी परामर्शदायी समिति कलकत्ता और बम्बई के पत्तनों से पश्चिमी एशिया की खाड़ी के पत्तनों तक की भाड़ा दरों पर नजर रखे हुए है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : विवरण में बताया गया है कि कुछ अन्तर रहना अनिवार्य है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इस प्रकार के अनिवार्य अन्तर को समाप्त किया जा

सकता है ? उदाहरणतया, इस्पात के मामले में रेल भाड़ों को समान किया गया है और इस्पात के मूल्यों को समान बनाया गया है। इस हानि के कारण पूर्वी क्षेत्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा हैं। इन्जीनियरी उद्योग के मामले में पूर्वी क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। अनिवार्य अन्तर क्यों रहना चाहिए ? क्या रेलों तथा नौवहन दोनो में इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जा सकती ?

श्री ए० पी० शर्मा : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस सम्बन्ध में एक स्थायी परामर्शदायी समिति है जिसके अध्यक्ष महानिदेशक नौवहन है और अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रलाय, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय उसके सदस्य हैं। यह स्थायी परामर्शदायी समिति भाड़ा–दर के इस प्रश्न पर निगरानी रखती है और समय-समय पर वह स्थति की समीक्षा करती है। दर को समान बनाना सम्भव नहीं है, क्यों कि इस सम्बन्ध में दूरी मुख्य बात है। कलकत्ता से खाड़ी के देशों तक की दूरी और बम्बई से खाड़ी के देशों तक की दूरी लगभग दो गुनी है। अत: जैसाकि मैंने पहले बताया कि यह सम्भव नहीं है, यह अन्तर रहना अनिवार्य है। परन्तु जैसाकि मैंने बताया कि यह स्थायी समिति समय समय पर समूचे प्रश्न पर विचार करती है। इसके फलस्वरुप मैं यह कह सकता हूं कि कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में भाड़ा-दर कम की गई है। परन्तु अन्तर को पूरी तरह समाप्त करना सम्भव नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि कुछ वस्तुओं के भाड़े में कमी की जा सकती है, तो पूर्वी भारत के लिए इंजीनियरी सामान के मामले में इसे कम क्यों नहीं किया जा सकता ? इसके अभाव में पूर्वी भारत में समूचा इंजीनियरी उद्योग नुकसान उठा रहा है और इस से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए है।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय महिला सदस्य को इंजीनियरी सामान के बारे में विशेष रुचि है। सी० आई० पाइप, फिटिंग, वायरनेल, कास्ट मेनहोल ढक्कन, नट और बोल्ट, रस्सी, बाईसिकलों और उनके कल पुर्जों जैसी कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही की गई है और भाड़ा दर में कुछ कटौती की गयीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जब रेलों में भाड़े की समान दरों की प्रणाली है जिसके परिणामस्वरुप पश्चिम भारत में उत्पादों को कुछ लाभ दिये गये हैं, तो पूर्वी भारत में उत्पादों को इस प्रकार की दरों का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ? जब भारत सरकार वर्षों से रेलों में भाड़े की समान दरों की प्रणाली अपना रही है, तो जहाजरानी में भाड़े की समान दरों की प्रणाली क्यों नहीं अपनाई जा सकती ?

श्री ए० पी शर्मा : जैसाकि मैंने पहले बताया कि समीकरण के इस प्रश्न पर एक स्थायी परामर्शदायी समिति द्वारा विचार किया गया है और इसने वह कारण भी बताया गया है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता ; और मुख्य प्रश्न दूरी का है, हम दूरी कम नहीं कर सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जब कोई सरकार रेलों के बारे में कोई विशेष प्रणाली अपना रही है, तो अन्य मामलों में उसे क्यों नहीं अपनाया जा सकता ? किसी विशेष प्रतिवेदन का उल्लेख करने का क्या लाभ है ? हम इस प्रतिवेदन का क्या करेंगे ?

श्री ए० पी० शर्मा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह रेलों और परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के बीच तुलना का प्रश्न नहीं है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि हम इस दूरी को कम नहीं कर सकते और यह अन्तर दूरी के कारण है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि भाड़े की समान दरों के प्रश्न के बारे में वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों की राय भिन्न-भिन्न हैं और क्या वाणिज्य मंत्रालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए स्थायी परामर्शदायी समिति भाड़े की समान दरों की समस्या के बारे में अपना रवैया बदलेगी ?

श्री ए० पी० शर्मा : मुझे यह पता लगाना है कि क्या दोनों के बीच कोई मतभेद है; और यदि कोई मतभेद है, तो मेरा विचार है कि परामर्शदायी समिति इस पर विचार करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

पारादीप में शिप बिल्डिंग यार्ड

*144. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में एक शिप बिल्डिंग यार्ड बनाने का निर्णय अंतिम रूप से कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसका निमार्ण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अनेक मामलों में नकारात्मक उत्तर सकारात्मक में समाप्त होता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी तकनीकी आर्थिक कार्यकारी दल ने कोई रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के बाद इन विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए सलाहकार नियुक्ति किए गए थे और सलाहाकारों ने यह सिफारिश है कि शिपयार्ड के लिए सबसे उत्तम स्थान पारादीप है। उसके पश्चात विश्व व्यापी टैंडर अमंत्रित किए गये। जबकि ये सब चीजें हो रही हैं ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अगर अभी निर्माण शुरू नहीं हो सकता तो वह कब शुरू होगा ? मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में कोई निर्णय किया जा चुका है।

श्री ए० पी० शर्मा : यह सच है कि मंत्रालय द्वारा मई 1973 में एक तकनीकी-आर्थिक कार्यकारी दल नियुक्ति किया गया था जिसको विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताविक स्थलों

का तकनीकी तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया था। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुछ स्थलों का सुझाव दिया गया था और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जिन स्थलों का सुझाव दिया था उनमें से एक पारादीप भी था। यह भी सच है कि मैसर्ज ए. एण्ड. पी. अपोलो रोड, लन्दन द्वारा की गई पड़ताल के अनुसार माडल एक और माडल है दोनों ही तरह के शिप यार्डों के लिए पारादीप सबसे उत्तम स्थल था। जब मुख्य प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में मैंने कहा कि इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रश्न को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया गया है। विदेशी सलाहकारों की सिफारिशों के आधार पर कोई निर्णय करना होगा और फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि यह निर्णय कब तक लिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए धन की उपलभ्यता का ध्यान रखना होगा और यह भी कि इस प्रयोजनार्थ कोई धन नहीं रखा गया है; और इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे खुशी है 'नहीं' से बात 'हां' पर तो आई। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या टोकन बजट समाप्त होने के बाद अब 1980-81 का पूर्ण बजट रखा जायेगा, उस समय इस संबंध में की गई सिफारिशों को देखते हुए इसको उसमें सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : जैसा की मैंने पहले कहा, यह प्रश्न सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सामने है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट मिलेगी, उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा। इसके संबंध में मैं काई निश्चित समय नहीं बता सकता।

श्री मनोरंजन भक्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशाखापतनम शिपयार्ड की प्रति वर्ष 4·5 पोतों की क्षमता है, किन्तु हमने यह पाया है कि वहां 1·7 पोत का ही निर्माण किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड में तो लम्बे अरसे के बाद 75,000 मीटर टन के एक ही पोत का निर्माण किया जा सका है। मजगाँव गोदी में कुछ सेवाओं संबंधी कार्य ही हो रहा है तथा कलमआस्थित गार्डन रीच वर्कशाप में कुछ और काम किये जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त हमारे देश में कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या सरकार नया शिपयार्ड स्थापित करने की बजाय वर्तमान शिपयार्डों में उत्पादन स्थिति में सुधार लाने पर विचार कर रही है ?

श्री ए० पी० शर्मा : वर्तमान प्रश्न से यह प्रश्न पैदा नहीं होता। किन्तु माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि अन्य पत्तनों की क्षमता में कोई वृद्धि पारादीप जैसे किसी नये पमन की संस्थापना के विरूद्ध नहीं है।

हल्दिया में शिपयार्ड

***† 145. श्री चित्त बसु :**

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से हल्दिया में एक शिपयार्ड बनाने का पहले अनुरोध किया था,

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को व्यवहार्यता की जांच की है, और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के बारे में सरकार का अंतिम निर्णय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इस संबंध में विभिन्न राज्यों की सरकारों से अनेक स्थलों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए थे । इन स्थलों में हल्दिया भी है । इन स्थलों का तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल गठित किया था । इस दल की रिर्पोट के आधार पर परामर्शकों से परियोजना को प्रारम्भिक रिर्पोट तैयार करने के लिए कहा गया था । परामर्शकों ने शिपयार्ड बनाने के लिए हल्दिया को एक सर्वोत्तम स्थल नहीं समझा । इसलिए शिपयार्ड बनाने के लिए जिन स्थलों के बारे में अब विचार हो रहा है, उनमें हल्दिया नहीं है ।

श्री चित्त बसु : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से उन विशेष कारणों के बारे में जान सकता हूं जिनके आधार पर सलाहकारों के 'पैनल' ने तकनीकी-आर्थिक समिति की, जो कि हल्दिया पत्तन व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु गठित की गई थी, सिफारिशों को नामंजूर कर दिया ।

श्री ए० पी० शर्मा : इसका पहला कारण एक ऐसे इम्पाउंडेड बेसिन (अवरुद्ध बन्दरगाह) की परम आवश्यकता है । जिसके प्रवेश द्वार पर ताला लगा हो ताकि लहरों और गाद के प्रभावों से बचाया जा सके । (ख) जमीन की अत्यंत खराब स्थिति जिससे सिविल इंजीनियरी का कार्य कठिन हो जायेगा, (ग) वार्षिक भारी वर्षा और दोनों मानसूनों के दौरान उसका जमाव जिससे काफी कुछ हद तक बाहर का कार्य प्रभावित होगा ।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसके चार कारण हैं और चौथा कारण उच्च पूंजी तथा प्रचालन लागत है ।

श्री चित्त बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान हल्दिया पत्तन के बारे में संसद की प्राक्कलन समिति व 67वें प्रनिवेदन में की गई सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया है । यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसके संगत अंश को पढ़कर सुनाऊं जो इस प्रकार है :

"अतः हल्दिया में गोदी व्यवस्था की स्थापना को पूर्वी भारत के विकास का अत्यावश्यक और अभिन्न अंग माना जाना चाहिए । हल्दिया गोदी के बिना भारत का अन्तर्राष्ट्रीय तथा तटीय व्यापार तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी ।" इसक अलावा और सिफारिशें भी हैं । क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार हल्दिया पत्तन के स्थान के प्रश्न पर फिर से विचार करेगी ?

मेरा अन्य छोटा सा अनुपूरक प्रश्न यह है :

क्या हल्दिया में एक पोत मरम्मत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह प्रस्तावित परियोजना विशेष किस अवस्था पर है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक समय में एक ही प्रश्न करें ।

श्री ए० पी० शर्मा : जब मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने प्रश्न किया तो मैं स्वयं भी यह सोच रहा था कि क्या शिपयार्ड तथा ड्राई डाक अथवा पोत मरम्मत यार्ड इन दो चीजों में वह भ्रम पैदा कर रहे हैं। जहां तक हल्दिया में एक शिपयार्ड स्थापित करने का संबंध है, मैंने अभी-अभी कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है । किन्तु जहाँ तक ड्राई डाक अथवा एक पोत मरम्मत यार्ड का संबंध है, इस पर रक्षा उत्पादन मंत्रालय विचार कर रहा है और इस बारे में गार्डन वीच वर्कशाप से परामर्श किया जा रहा है ।

श्री चित्त वसु : प्राक्कलन समिति के 67वें प्रतिवेदन के बारे में कोई उल्लेख नहीं कया गया ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि मेरे पुराने मित्र श्री ए० पी० शर्मा ने यह अच्छी तरह जानते हुए सदन को गुमराह किया है कि वह सदन को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत सरकार द्वारा नौवहन क्षौर परिवहन मंत्रालय के श्री जी० सी० बावेजा को अध्यक्ष के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त नौ अन्य सदस्यों को लेकर गठित की गई बावेजा समिति की रिपोर्ट मालूम है । उस रिपोर्ट में यह कहा गया है :

" कार्यकारी दल ने इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है कि हल्दिया अथवा उसके आस पास का क्षेत्र शिपयार्ड बनाने के लिए तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है अथवा नहीं ।"

उसका उत्तर 'हाँ' में है और उसके निम्नलिखित कारण है :

1. यह उचित दूरी पर है, विशेषकर अब तक निर्मित समस्त इस्पात मिलों के । इनमें टिस्को, इस्को, दुर्गापुर, राउरकेला भिलाई शामिल हैं । इस बात को देखते हुए कि जमशेदपुर तथा राँची तक कलकत्ता में ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारी, मध्यम तथा हल्के उद्योग हैं जो कि पूर्ण रूप से स्थापित हैं। हल्दिया पत्तन में सैटेलाइट डीप वाटर पोर्ट (उपग्रह गहन समुद्र पत्तन) एक प्रमुख.........के रूप में विकसित किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें । यह आपका काम नहीं है । श्री पाण्डेय, कृपया ऐसा न करें ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय वसु : इस बात को देखते हुए कि रिपोर्ट में कुछ कहा गया है.........मैं केएल पूछ रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें : यह आपका काम नहीं है। यह मेरा काम हैं। (व्यवधान) श्री वसु, कृपया प्रश्न कीजिये, श्री बसु।

श्री भागवत झा आज़ाद : आप उनसे पूरी रिपोर्ट न पढ़ने को कहकर अपना कार्य पूरा कीजिये। यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका फैसला आपको नहीं करना है। मैं यह............

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आज़ाद : वह ऐसे किस तरह चल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु : कृपया मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर न करें। मैं तो बात साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार की बावेजा समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 32 (अंग्रेजी) पर शिप्यार्ड के लिए हल्दिया की उपयुक्तता की जोरदार सिफारिश की है, क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर हमको यह बतायेंगे कि उस रिर्पोर्ट को क्यों दबाया गया है उसको सभापटल पर क्यों नहीं रखा गया है ? यदि आप चाहें तो मैं उस रिर्पोर्ट की हजार प्रतियाँ तैयार कराकर आपको उपहार स्वरूप दे सकता हूं। इस परियोजना तथा हल्दिया शिपयार्ड को दबाने के पीछे किन लोगों की साज़िश है ?

आपकी अनुमति से इस प्रतिवेदन को मैं सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे मुझे दे दीजिए ; मैं इसका अध्ययन करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रक्रिया यह है कि मैं प्रतिवेदन को वास्तविक प्रतिवेदन के रूप में प्रमाणीकृत करूँगा और उसे सभा पटल पर रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उसे मुझे दे दीजिए। मैं यह नहीं चाहता कि प्रश्न काल के समय को इस प्रकार बरबाद किया जाये।

श्री ए० पी० शर्मा : यह सच है कि श्री बसु मेरे एक पुराने दोस्त हैं। यही वजह है कि वह कभी-कभी --में यह नहीं कहूंगा कि वह सदन को गुमराह करते हैं—मुद्दों को उलझाने का प्रयास करते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने हल्दिया में शिपयार्ड की सम्भाव्यता सम्बन्धी नवीनतम प्रतिवेदन के बारे में बताया है। मैंने बताया है कि यह नवीनतम प्रतिवेदन है मैं नहीं समझता कि मुझे सिवाय इसके कुछ और कहना है कि चार कारणों की वजह से हल्दिया शिपयार्ड के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि बावेजा समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 32 पर हल्दिया में शिपयार्ड बनाने की उपयुक्तता के बारे में जोरदार सिफारिश की है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, क्या आपको बावेजा समिति के प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना है ? ... (व्यवधान) कृपया उत्तर तो सुनिए।

श्री ए० पी० शर्मा : जैसा कि मैंने कहा, इस बारे में अनेक प्रतिवेदन हो सकते हैं। मैंने नवीनतम प्रतिवेदन के बारे में चर्चा की है कि जिसके अनुसार हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष मोहदय : कृपया बैठ जाइए ।

श्री भागवत झा आजाद : कृपया उनसे बैठ जाने के लिए कहिए। जब तक वह नहीं बैठेंगे हम नहीं बैठेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष मोदय : मुझे प्रत्येक बात के बारे में निणर्य करना है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मेरे स्पष्ट प्रश्न का उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । यह एक निश्चित प्रश्न है। वह बावेजा समिति के प्रतिवेदन के बारे में पूछ रहें हैं । क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : जिस समिति के बारे में वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। मैंने अभी–अभी कहा है कि मैं नवीनतम प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा हूं और नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार वहां शिपयार्ड की स्थापना करना सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैं उनसे कह रहा हूं। मुझे उन्हें उत्तर देना है, आपको नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : कृपया उनसे कहिए। हम आपकी सहायता कर रहे हैं कि आप उनसे बैंठ जाने के लिए कहिए। (व्यवधान)

कृपया उनसे कहिए। (व्यवधान) आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आप उन पर नहीं चिल्लाते, बल्कि हम पर चिल्लाते हैं। (व्यवधान) आप नियन्त्रण नहीं कर पाते। आप उधर के लोगों से कहिए, इधर के लोगों से नहीं। उनसे कहिए मुझ से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह निणर्य करूंगा कि वह इधर का पक्ष है या उधर का पक्ष है। नहीं। आजाद जी, आप यह नहीं कर सकते।

श्री भागवत झा आजाद : यह तरीका नहीं है। (व्यवधान) आपने उन्हें चिल्लाने का लाइसेन्स दे रखा है। वह हमारे ऊपर नियन्त्रण नहीं कर सकते। आप उन्हें इस बात की अनुमति दे रहे हैं कि वह हमारे लिए और सारे सदन के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही काम करूंगा, जो ठीक है ।

श्री भगवत झा आजाद : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही करूंगा ।

श्री भागवत झा आजाद : आप ऐसा नहीं कर सकते । आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा । मैं अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते । आपको सदन के नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष मोहदय : मैं नियमों के अनुसार कार्यवाही करूँगा ।

श्री भागवत झा आजाद : आपको नियमों के अनुसार चलना होगा और आप मन मर्जी से कार्य नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी मुताविक कार्य नहीं कर सकता । सदन में प्रत्येक कार्य नियमों के अनुसार होना है । अगर नियम स्वकृति देते हैं तो वह सब ठीक है, अन्यथा न आप और न हम कोई ठीक नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : उन पर नियमों को लागू कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी से आदेश प्राप्त नहीं करने जा रहा । मैं पूणीत: नियमों के अनुसार कार्यवाही करूँगा ।

श्री झारखण्डे राय : मैं मन्त्री जी से यह बात जानना चाहता हूं कि दो परस्पर विरोधी रिपोर्टों की सिफारिशों की वातें जानकर वे कौन से मुख्य आधार होते हैं जिनके कि आधार पर सरकार किसी शिपयार्ड के लिए स्थान उचित समझती है ? क्योंकि स्वयं सरकार के सामने दो परस्पर विरोधी रिपोर्टें हैं । सरकार के जरिये से ही ये रिपोर्टें आयी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है । उन्होंने नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की है ।

श्री नीरेन घोस : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वावेजा समिति ने यह कहा है कि बड़े जहाजों सहित सभी किस्मों के जहाजों के शिपयार्ड के लिए हाल्दिया एक आदर्श स्थल है और क्या कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्वों या 'प्रेशर लावी' का निर्माण हो रहा है । वे इसके विरूद्ध संगठित हो रहे हैं और सरकार पर दबाब डाल रहे हैं जिससे वे रिपोर्ट को दबा दें और हल्दिया में किसी भी प्रकार का शिपयार्ड बनाने के विचार को ही समाप्त कर दें ?

श्री ए० पी० शर्मा : किसी भी रिपोर्ट को दबाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है कि मेरे मित्र अनावश्यक रूप से उत्तेजित हैं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह रिपोर्ट वर्ष, 1973 में प्रस्तुत की गई थी । उसके बाद मैं आपको सही बात बता देता हूं – शिपयार्ड की स्थापना करने के लिए हल्दिया के निकट स्थल को प्राथमिकता न देने के कारणों का परामर्शदाताओं अर्थात ए० एण्ड पी०, एपलडोर यू० के० और उल्जानिक, युगोस्लाविया द्वारा अपने प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था । प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए गठित कार्यकारी दल द्वारा इन कारणों का मूल्यांकन किया था । प्रतिवेदन में चार कारण दिये गये थे । जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह नवीनतम जाँच है और इस जाँच के अनुसार, हल्दिया एक उपयुक्त स्थल नहीं है ।

श्री एम०रामगोपाल रेड्डी : इस सदन में इस शोर द्वारा सी० पी० एम० और अन्य सदस्य यह धारण का पैदा का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही एक मात्र ऐसे सदस्य हैं जो हल्दिया में रूचि रखते हैं। हम हल्दिया में उनसे भी अधिक रुचि रखते है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन प्रतिवेदनों पर पुनःविचार करेंगे।

श्री ए० पी० शर्मा : मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि सर्व प्रथम, धनराशि के प्रावधान का भी प्रश्न है। सभी बातों पर धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार किया गया था। और मेरे मित्र का यह सुझाव हैं कि किसी परामर्शदाता या किसी विशेषज्ञ द्वारा एक बार फिर से जाँच की जाय तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं, परन्तु ऐसा अन्य मामलों में नहीं किया गया है, क्योंकि एक बार जब परामर्शदता का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाता है, तो वह अन्तिम होता है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत अधिकारी का वक्तव्य

*146. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के अधिकारी ने हाल ही में न्यूयार्क में एक वक्तव्य दिया है कि भारत सरकार पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के मामले में अमरीका के आश्वा-.सनों पर विश्वास नहीं करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका से स्पष्ट आश्वासन लेने का कोई प्रयास किया है कि पाकिस्तान उन हथियारों को भारत के विरुद्ध काम में नहीं लायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) विदेश मंत्रालय में सचिव श्री ऐरिक गोन्साल्वेज ने संयुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भारत के लिए पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका की ईमानदारी पर संदेह करने का कोई कारण तो नहीं है लेकिन विगत अनुभव ने हमें यह दिखाया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल हमेशा ही भारत के विरुद्ध हुआ है। भारतीय अखबारों में भी इसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया है।

(ख) ऐसे मामलों में अपने पिछले अनुभव को देखते हुए तथा ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कारणों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अमरीकी सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान को भारी मात्रा में थियारों की सप्लाई न करे।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान अमरीका से और अधिक हथियारों की मांग कर रहा है? क्या इन हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग न करने के पाकिस्तान के आश्वासन के बावजूद भी इससे भारत की सुरक्षा को और खतरा उत्पन्न नहीं हो जायेगा ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हम इसीलिये अमरीका से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई न की जाये।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान को अमरीका से हथियारों की सप्लाई और रूसी सेना का अफगानिस्तान भर निरन्तर कब्जा, दोनों से इस क्षेत्र की शान्ति और सुरक्षा को खतरा है और यदि हां, तो सरकार स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री पी. वी नरसिंह राव : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक अलग प्रश्न है···(व्यवधान)। यह प्रश्न हमारे सचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित है। अफगानिस्तान से सम्बन्धित प्रश्न का अलग से उत्तर दिया जायेगा। यह प्रश्न पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और हमारे सचिव के वक्तव्य तक ही सीमित है। मूल प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मैं अफगानिस्तान का मामला नहीं लाना चाहता। यह बहुत सीमित सा प्रश्न है। यदि अन्य प्रश्न पूछे जायें और समय दिया जाये तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

श्री माधव राव सिन्धिया : दिनांक 1 मार्च के इस्लामाबाद से प्रकाशित होने वाले एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया बताया गया है कि उन्हें भारत से "अप्रत्यक्ष संकेत" प्राप्त हुये हैं कि भारत पाकिस्तान द्वारा सैनिक सहायता प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं है बशर्ते कि मत बहुत बड़ी मात्रा में न हो और उनके विचार से यह एक "रोचक घटनाक्रम" है। मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस व्यक्तव्य के समाचार पर मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमने ऐसे कोई संकेत नहीं दिये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मन्त्री महोदय ने कहा है कि भारत सरकार ने अमरीका से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई न किए जायें। आपके इस अनुरोध पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ? दूसरे, अमरीका पाकिस्तान को किस प्रकार के हथियार देना चाहता है ? इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कोई बातचीत करने का प्रयास किया है। कि वह इस तरह से हथियार न जुटाये ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जब हमारे विदेश सचिव इस्लामाबाद गये तब उन्होंने पाकिस्तान सरकार के नेताओं के साथ विस्तार से बात-चीत की और उन्होंने उनसे इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार से हथियार एकत्र करना उनके लिये ठीक नहीं है क्योंकि इस से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा और किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके साथ चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपके अनुरोध पर अमरीका की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अमरीका ने बताया है कि अमरीका का विचार पाकिस्तान को विपुल मात्रा में हथियार सप्लाई करने का नहीं है। यह सामान्य ढंग की सप्लाई है और किसी भी प्रकार इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं होगा। हमने उन्हें बताया है कि इससे पहले भी ऐसा आश्वासन बार-बार दिया जा चुका है और बार-बार उसका उल्लंघन किया गया है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान को सप्लाई किये जाने वाले हथियारों के पूर्ण व्यौरे के बारे में अमरीका ने भारत को कोई जानकारी दी है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमें केवल यही जानकारी है कि पाकिस्तान को 40 करोड़ डालर मूल्य के हथियार दिये जाने का प्रस्ताव है। हमें बताया गया है कि पहले जिन हथियारों की शीघ्र सप्लाई की जा रही है उनका मूल्य 15 करोड़ डालर है और बाद में हमें 40 करोड़ डालर मूल्य के हथियारों की सप्लाई का पता चला।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा भी व्यक्त की गयी चिन्ता पर आधारित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान को इन हथियारों की सप्लाई सीधी न की जाकर सऊदी अरब के माध्यम से किये जाने की संभावना है ? मैं यह बात भी जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें पता है कि पाकिस्तान 'मिराज' विमान की सप्लाई के लिये फिर फ्रांस सरकार से बात-चीत कर रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अमरीका से ऐसी औपचारिक पहल करने के अतिरिक्त यह बात सुनिश्चित कराने के लिये भारत सरकार क्या कदम उठायेगी कि इस तरह विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी से हथियारों की सप्लाई न की जाये ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमें इन सभी बातों का पता है और हम सम्बन्धित सरकारों से सम्पर्क बनाये हुये हैं। हम उन पर हथियारों की सप्लाई न करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

श्री मगनभाई बरोट : क्या मंत्री महोदय का ध्यान हाल ही में कलकत्ता में राजदूत श्री गोहेन द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें अमरीका सरकार तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई के बीच मैन्त्रीपूर्ण सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है ? चूंकि मंत्री महोदय अभी अमरीका से वापस आये हैं इसलिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विशेष कारण ज्ञात हुये हैं और क्या वे सम्बन्ध अभी भी बने हुये हैं अथवा उन्हें विस्तृत कर दिया गया है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : न तो मुझे किसी विशेष मैत्री की ही जानकारी है और न दूसरे कारणों की।

श्री मगनभाई बरोट : श्रीमान, उन्होंने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं सरकार की ओर से ही उत्तर दे रहा हूं। हमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की जानकारी नहीं है।

श्री एम. सत्यनारायण राव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अभी अमरीका तथा अन्य देशों की यात्रा करके लौटे हैं। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में अमरीकी अधिकारियों तथा नेताओं से उनकी कोई बात-चीत हुई थी

और क्या उन्होंने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की थी और क्या उन्होंने उनसे यह भी कहा था कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण कदम समझा जायेगा।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह प्रश्न किसी भी चर्चा में नहीं आया। मैं 77 देशों के ग्रुप की वैठक में भाग लेने गया था। बैंठक के बाद वापस चला आया हूं।

गंगा पर पुल

* 147. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में धनबाद और गिरिडीह कोयला क्षेत्र को बेलहर और कटोरिया के मार्ग से नेपाल सीमा से जोड़ने के महत्व की जानकारी है,

(ख) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को पूरा करने हेतु गंगा पर एक पुल की आवश्यकता होगी, और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) : धनबाद और गिरिडीह से भारत-नेपाल सीमा तक पहले से ही राज्य का एक राजमार्ग जाता है। माननीय सदस्य का शायद यह आशय है कि यह मार्ग और इस मार्ग में गंगानदी का पुल राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाय। वित्तीय कठिनाइयों और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समय मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य किसी सड़क को राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय, उत्तर बिहार में कोयला पहुंचाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण बिहार राज्य में गंगा के ऊपर सड़क पर केवल एक पुल है, और सुल्तानगंज में सड़क पर एक अन्य पुल का निर्माण करने की आवश्कता है, क्या मंत्री महोदय पूरे मामले पर पुर्नविचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री ए०पी० शर्मा: मैंने उसकी आवश्यकता से इन्कार नहीं कियाहै। वहां वास्तव में इसकी आवश्यकता है। हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास धन की कमी है और जैसे ही धन की व्यवस्था हो जाती है हम निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार छटी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल किए जाने की संभावनाओं पर विचार करेगी।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, परन्तु इस समय हम मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई नई सड़क जोड़ने नहीं जा रहे हैं और ऐसा धन की कमी की वजह से है और जैसे ही धन की व्यवस्था हो जायेगी हम निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : बक्सर और पटना से समान दूरी पर गंगा नदी पर एक पुल, बनाने के सरकार के इस निर्णय की, सुल्तान गंज या भागलपुर में पुल के लिए धन की व्यवस्था न करके अवज्ञा की जा रही है। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का पिछली विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए०पी०शर्मा : मैं बता चुका हूं कि इसकी आवश्यकता है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। स्थान भी उपयुक्त है। एकमात्र कठिनाई धन की कमी कमी है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि जैसे ही धन की व्यवस्था हो जायेगी इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मैं समझता हूं दस साल बाद नहीं लेकिन जल्दी ही इस पर विचार किया जायेगा।

श्री ए. पी. शर्मा : अगली पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार करना संभव होगा।

श्री डी. पी. यादव : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि 1972 में ही तत्कालीन परिवहन मंत्री, श्री राज बहादुर, ने लिखित रूप से स्वीकार किया था कि यह ब्रिज सुल्तानगंज में ही औरनेशनल हाईवे उसपर पास हो; अगर हां, तो 1972 से लेकर आज तक इस बारे में क्या कार्यवाही हुई है ? रेल इंडिया लिमिटिड ने सरकार को जो रिपोर्ट सबमिट की है, क्या उसने उसमें इस बात की महत्ता दर्शाई है कि सुल्तानगंज पर इस ब्रिज का निर्माण किये बिना उस क्षेत्र का आर्थिक विकास बिगड़ता जा रहा है, इसलिए उसका निर्माण जल्दी होना चाहिए ?

श्री ए. पी. शर्मा : चाहे श्री राज बहादुर ने एशुरेंस दिया हो या न दिया हो ...

श्री डी. पी. यादव : दिया है।

श्री ए. पी. शर्मा : माननीय सदस्य मेरा उत्तर सुनें। मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, इसलिए मैंने कहा है कि श्री राज बहादुर ने आश्वासन दिया हो या न दिया हो, इसके औचित्य से सरकार इन्कार नहीं करती है।

माननीय सदस्य मुझे चैलेंज कर रहे थे। मेरे पास खबर आई है कि श्री राज बहादुर ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। (व्यवधान) मैंने कहा है कि श्री राज बहादुर ने कोई आश्वासन दिया है या नहीं दिया है, यह बात जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि इस ब्रिज की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति हीनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता है और जैसे ही हमें फंड्ज ऐवेलेबल होंगे, हम इस आश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह एक वास्तविकता है कि नेपाल सीमा सहित उत्तरी बिहार को छोटा नागपुर कोयला क्षेत्रों से कोयला ले जाने की सुविधाएं अत्यंत ही अपर्याप्त हैं और उन कारणों में यह एक है कि तीन करोड़ लोगों की आबादी वाला क्षेत्र अविकसित क्यों रहा है ?

श्री ए० पी ० शर्मा : माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वहां इसकी आवश्यकता है और सरकार इस आवश्यकता पर विचार करेगी।

श्री कमल नाथ झा : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि फंड्ज की कमी की वजह से किसी

राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण करना अभी सरकार की नीति नहीं है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के हित के लिए यह अत्याधिक महत्वपूर्ण सड़क है।

हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाने के लिए 40 किलोमीटर नेपाल हो कर जाना पड़ता है। भारत की पलटन जब भारत से भारत में जाती हैं या पुलिस जाती है तो उसके हथियार रख लिये जाते हैं और नैपाली झंडे के नीचे निरस्त्र हो कर भारतीय पुलिस और सेना को जाना पड़ता है। शायद दुनिया के किसी और राष्ट्र में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां राष्ट्रीय परिवहन और यातायात के लिए इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वहां के लिए क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि फंड मुहैया करे और सड़क का निर्माण करे?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है इस प्रश्न से नहीं उठता है। लेकिन मैं इसको एक सुझाव मानता हूं और इस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या कठिनाई है।

श्रीमती कृष्णा साही : अभी मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को पूरा करने में पॉसिटी आफ फंड्स की वजह से असमर्थता बताई। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस योजना के लिए सरकार ने कोई एस्टीमेंट बनाया है कि कितने रुपये की राशि इस पर व्यय होगी जिसके कारण वह इस योजना को पूरा करने में असमर्थ हैं?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि हमारे पास पैसा है ही नहीं इस योजना के लिए या किसी भी और योजना के लिए, इसीलिए हम राष्ट्रीय मार्ग के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं और खास तौर से यह जो सवाल था इस के सम्बन्ध में मैंने कहा कि जैसे ही पैसा हम लोगों के पास अवेलेबल होगा हम उस पर विचार करेंगे।

बम्बई–औरंगा बाद रेल लाइन

* 148. **श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से औरंगाबाद की बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए रेल प्राधिकारियों ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उस पर कब काम शुरू करवाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) बम्बई और ओरंगाबाद ब० ला०/मी० ला०रेलवे लाइन द्वारा मनमाड के रास्ते पहले से ही सम्बद्ध हैं। मनमाड से औरंगाबाद तक मीटर लाइन के परिवर्तन का काम प्रथम चरण में प्रगतिशील है। इन स्थानों को छोटे संपर्क से सम्बद्ध करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकृष्ण मोरे : जहां तक मेरी जानकारी है, 1976 में रेलवे अधिकारियों द्वारा

आने मालशेज हिल्स अहमदनगर से गुजरने वाली रेल लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

आदिवासियों और विकासशील क्षेत्रों के लोगों के लिए यह लाइन अत्याधिक लाभकारी होगी। क्या इस कार्य को शुरू करके सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों के आदिवासियों के साथ न्याय करेगी ?

श्री सी० के० जाफर शारीफ : आदिवासियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बम्बई-मनमांड बड़ी लाइन है और मनमांड-औरंगाबाद मीटर लाइन है। कुछ दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। मनमांड और औरंगाबाद के बीच 16 करोड़ रुपए की लागत की 112 कि० मी० लम्बी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में पहले चरण पर कार्य शुरू किया जा चुका है और चालू वर्ष में 25 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 1980-81 के लिए लगभग 50 लाख रुपए निर्धारित किए जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर है।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मनमांड और औरंगाबाद के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को, जो दो वर्ष पहले शुरू किया गया था, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है यह बम्बई और औरंगाबाद के बीच एक कड़ी है। अब भुसावल की अपेक्षा औरंगाबाद से बम्बई पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, यद्यपि दोनों जगहों से दूरी बराबर है। मेरी जानकारी के अनुसार मनमांड औरंगाबाद लाइन को बदलने का कार्य रोक दिया गया था और मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस कार्य को पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। कार्य का प्रथम चरण चल रहा है और चालू वर्ष में 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और वर्ष 1980-81 में 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्य प्रगति पर है। कार्य को रोके जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि मनमांड और बम्बई के बीच घाट सेक्शन पर भारी दबाव है और यही कारण है कि पारले वैजेना को वरास्ता अहमदनगर-कल्याण से जोड़ने से पूर्व एक वैकल्पिक घाट सेक्शन की खोज की गई थी, यदि हाँ, तो अब इस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे पास इस बारे में ब्यौरा नहीं हैं। यदि अलग से कोई सवाल रखा जाता है, तो मैं जानकारी दूंगा।

खलीला बाद-बलरामपुर रेल लाइन

* 149 **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समय से खलीलाबाद-बलरामपुर रेल लाइन बनाने की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रायय में राज्य मन्त्री (श्री० सी० के० जाफर शरीफ) (क) और (ख) : जी हां।

(ग) : सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी। अतएव, राष्ट्रीय परिवहन नीति-निर्धारण समिति की रिपोर्ट मिलने तक लाइन के निर्माण के संबंध में निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन पिछड़े क्षेत्रों आदि में नयी लाइनों के निर्माण के संबंध में भविष्य में अपनायी जाने वाली नीति की सिफारिश करने के लिए किया गया है।

• **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्र नायक प० जवाहरलाल नेहरू ने पटेल आयोग बनाया था जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारी योजनायें मंजूर की थी तथा आयोग ने यातायात सुविधाओं पर विशेष बल दिया था ? इसी के साथ-साथ क्या यह भी सच नहीं है कि वर्तमान रेल मन्त्री जी ने 1976-77 में मेंहदावल, जिला वस्ती की जनसभा में यह घोषणा की थी कि मेंहदावल-बलरामपुर रेल लाइन का निर्माण जल्दी से जल्दी प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : खलीलाबाद से बलरामपुर तक एक नई रेल लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति रेल मंत्रालल द्वारा 1978 में दी गई थी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, के दो प्रमुख नगरों खलीलाबाद तथा बलरामपुर के वीच जो उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ डिवीजन में स्थित है सीधा रेल सम्पर्क स्थापित होनी है तथा इससे एक नया क्षेत्र में रेल सेवा होनी है इस समय पिछड़ा तथा प्रधानत : कृषि प्रधान क्षेत्र है। यह एक बड़ी लाईन है। यह लगभग 145 कि० मी० लम्बी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16.17 करोड़ रु० है। यातायात के गामान्य विकास के आधार पर इससे 4.8 प्रतिशत आय की सम्भावना है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। हम इसकी जाँच-पड़ताल करेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम भविष्य में अपनायी जाने वाली नीति तथा इस निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति-निर्धारण समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खलीलाबाद-वाराबंकी रेल लाइन की मांग बहुत दिनों से चल रही है। इसके साथ-साथ यह रेल लाइन इस नाते भी बहुत आवश्यक हो गई है कि उत्तरी बार्डर पर नैपाल है और उसके उत्तर में चीन गरज रहा है अत: सुरक्षा की दृष्टि से भी यह रेल लाइन महत्वपूर्ण है। बाराबंकी-समस्तीपुर रेल लाइन को ब्राडगेज किया जा रहा है उसके साथ ही अगर इस बाराबंकी–बलरामपुर रेल लाइन का काम भी प्रारम्भ कर दिया जाए तो उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन समाप्त होगा तथा रेल विभाग को बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही साथ मैं रेल मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि देश में बड़ी-बड़ीरेल लाइनों को ले लिया गया लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसके लिए पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने पटेल आयोग की स्थापना की थी इस विषय को भी हम सदन

में लाने वाले हैं । और उस आयोग ने रेक्मेंड भी किया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा और कब तक यह कार्य समाप्त हो जायेगा ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि मैं स्वयं एक पिछड़े क्षेत्र से आया हूं। किन्तु जैसा कि पहले ही बताया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद या अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिए जाने तथा सरकार द्वारा उन पर विचार किये जाने तक माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

माल डिब्बों से माल का उतारा जाना

*150. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों के आने जाने में विलम्ब होने का कारण यह है कि बड़ी संख्या में व्यापारियों ने माल डिब्बों से माल उतारने से इन्कार किया है ;

(ख) क्या विभिन्न माल शेडों पर रेल अधिकारियों ने विलम्ब शुल्क के लिये नोटिस जारी करने के लिए उनके आदेशों को लागू करने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) यद्यपि पिछले 3 महीने में व्यापारियों द्वारा माल डिब्बे खाली करने से इन्कार करने का कोई मामला नहीं हुआ, परन्तु माल डिब्बे खाली किये जाने में देरी होती रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० के० महालगी : क्या यह सच है कि कुछ व्यापारियों ने मन्दी के दौरान, माल डिब्बों से माल उतारने से इन्कार कर दिया था, ताकि कृत्रिम अभाव पैदा किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई; यदि हां, तो कितने मामलों में रेलवे को निवारक उपाय के रूप में माल को नीलाम करना पड़ा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि मैंने बताया, माल डिब्बों को खाली करने से इन्कार करने का कोई मामला नहीं है, किन्तु मैंने यह भी कहा है कि माल डिब्बों से माल उतारने में विलम्ब हुआ । माल डिब्बों से माल उतारने में यह विलम्ब कभी-कभी इस कारण होता है कि गोदाम भरे रहते हैं और गोदामों में जगह नहीं होती । अतः जब गोदाम नहीं होते, तो डिब्बों से माल उतारने में कठिनाई होती है ।

किंतु, माननीय सदस्य की आशंका को दूर करने के लिए जुर्माने तथा स्थान शुल्क में वृद्धि कर दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जोर से बोलिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वास्त में ये बातें नहीं होने दी जाती। यदि प्रेंषिति माल की सुपुर्दगी लेने अथवा डिब्बे से माल को नहीं उतारते, तो उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं जिसमें उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर रेल परिसरों से माल को हटाने के लिये कहा जाता है। यदि प्रेंपिति उन्हें जारी किए नोटिसों के अनुसार माल की सुपुर्दगी नहीं लेते, तो बिना दावेदार वाले इस माल के निपटान के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। अतः इस प्रकार की व्यवस्था तो है, किंतु अब तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।

श्री आर० के० महालगी : मैं इस सिलसिले में एक मामला बता रहा हूं। कुछ समय पूर्व सिलीगुडी से व्यापारियों ने माल डिब्बों से माल उतारने से इन्कार कर दिया किंतु रेल अधिकारियों ने बढ़े हुए जुर्माने के नोटिस के संबंध में आदेशों को लागू नहीं किया। क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ? जिसकी जानकारी मैंने सभा को दी है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारी जानकारी में, ऐसा कोई मामला नहीं है। यदि माननीय सदस्य जानकारी देते हैं तो हम जांच करेंगे।

श्री आर० के० महालगी : मैंने सभा में इसके बारे में जानकारी दी है। क्या आप मामले की जांच करेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यदि जानकारी प्राप्त हुई तो हम अवश्य जांच करेंगे।

श्री आर० के० महालगी : मैं सभा में जानकारी दे चुका हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

——

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कलकत्ता सरक्यूलर रेलवे

*143. **श्री चित्त महाटा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में सरक्यूलर रेलवे के क्रियान्वयन के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 1969 में योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय विसर्जन लाइन बनाये जाने की सिफारिश की थी। कभी-कभी बोल-चाल में सर्कुलर रेलवे के रूप में भी इसका उल्लेख किया जाता है। इस उपनगरीय विसर्जन लाइन से यह लाभ होने का दावा किया गया था कि कलकत्ता के उत्तरी उपनगरों से दैनिक यात्री बिना गाड़ी बदले सैंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकते थे।

महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन, कलकत्ता के रूसी परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तावित उपनगरीय विसर्जन लाइन की जांच की गयी थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह

न तो व्यवहारिक ही था और न वांछित ही। उन्होंने महसूस किया कि यह लाइन अन्तःनगरीय दैनिक यात्रियों के लिए सहायक नहीं होगी जो यातायात का अधिकांश भाग है। इसके अतिरिक्त इससे सैंट्रल विजनेस डिस्ट्रिक्ट में अधिक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव 1971 में छोड़ दिया गया था।

मलेरिया के मामलों में चिन्ताजनक वृद्धि

* 151. **डाक्टर सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में मलेरिया के मामलों में हो रही चिन्ताजनक वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी का उन्मूलन करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं। वस्तु-स्थिति यह है तक अब कि कुछ दिनों से मलेरिया की घटनाओं में काफी कमी आने लगी है।

इस रोग पर कारगर ढंग से काबू पाने के लिए एक संशोधित कार्य योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य अन्ततोगत्वा इस रोग का उन्मूलन करना है।

कृषि और खान श्रमिकों केलिए न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करना.

* 152 **श्री के० ए० राजन** :

श्री के० एम० मधुकर : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मंजूरीं अधिनियम के अंतर्गत कृषि श्रमिकों और खान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बहुत-सी राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान न्यूनतम मंजूरी अधिनियम भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री श्री० जे० बी० पटनायक) (क) जी हां। कृषि श्रमिकों (केन्द्रीय क्षेत्र) और खान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन करने के प्रस्तावों को अधिसूचित किया गया है।

(ख) प्रस्तावित दरें इस प्रकार हैं :

क्रमांक	रोजगार	प्रतिदिन मजदूरी दर			
		अकुशल	अर्धकुशल	कुशल/लिपिक	उच्च कुशलता प्राप्त
1–	खान	6.65	8.35	10.00	—
2–	कृषि	5.10 से 7.50	6.40 से 9.35	8.20 से 11.95	10.25 से 14-95

(क्षेत्रों के अनुसार)

(ग) और (घ) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वियन न करने के बारे में शिकायतें की गई हैं और केन्द्रीय सरकार सर्वेक्षण के माध्यम से इस मामले की जांच करने के लिये कार्यवाही कर रही है । इस सम्पूर्ण मामले पर शीघ्र बुलाए जाने वाले त्रिपक्षीय सम्मेलन में भी विचार किया जाएगा ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में चिकित्सा औषधालयों का बंद किया जाना

* 153. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान प्रशासन ने वर्ष 1979-80 के दौरान संघ क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में कुछ चिकित्सा औषधालयों को बंद कर दिया और यदि हां, तो किन स्थानों पर बंद किया गया है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बंद किये गये औषधालय निकोबारी जनजाति क्षेत्र में हैं और जनजातियों के प्रमुखों ने चिकित्सा औषधालयों को बंद करने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है तथा आंन्दोलन किया है और यदि हां, तो इन औषधालयों को खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सफेद बालू, टेरेसा द्वीप में औषधालय कब खोला गया था और उससे कितने गांवों की आवश्यकता पूरी होती है और दूसरे स्थान पर स्थित चिकित्सा सहायता केन्द्र से इसकी दूरी कितनी है और टेरेसा द्वीप से अन्य औषधालय/अस्पताल जाने के लिए परिवहन का ब्यौरा क्या है और परिवहन कितनी-कितनी देर में उपलब्ध होता है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) : जी नहीं । सफेद बालू स्थित एक औषधालय को फरवरी, 1980 में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किया गया था, क्योंकि जिस अहाते में यह खुला हुआ था वह गिरने को था और अब उसकी लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत की जा रही है । जनजाति के प्रमुख को इसकी सूचना दे दी गई है । मरम्मत का कार्य पूरा हो जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई बतलाई गई है ।

(ग) सफेद बालू स्थित यह औषधालय 1956 में खोला गया था । बंगाली (टेरेसा द्वीप) औषधालय जो सफेद बालू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, निकटतम औषधालय है ।

टेरेसा द्वीप से अन्य औषधालयों और अस्पतालों में जाने के लिए नाव ही एक मात्र साधन है जो महीने में दो बार उपलब्ध होता है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में आडरों की स्थिति ।

* 154. **श्री समर मुखर्जी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखा पत्तनम को कितने आर्डर मिले हुए हैं.

(ख) क्या शिपयार्ड अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहा है अथवा पर्याप्त आर्डरों के अभाव का सामना कर रहा है, और

(ग) क्या यह सच है कि जहाज मालिक ऐसे जहाजों के लिए विदेशी जहाज निर्माता कम्पनियों को आर्डर दे रहे हैं जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाये जा सकते हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड को इस समय पांच जहाजों के लिए आर्डर मिले हैं इनमें से पायनियर किस्म के प्रत्येक 21,400 डी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज और बहु-प्रयोजन वाले प्रत्येक 13,700 डी० डब्लयू० टी० के तीन मालवाही जहाज हैं ।

(ख) नये जहाजों के लिए आर्डर नही मिलने और बिजली की कटौती आदि अन्य करणों के करण शिपयार्ड की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है

(ग) अभी हाल के पिछडे दिनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

नई दिल्ली ग्वालियार लाइन का विद्युतीकरण

* 155. **श्री बाबूलाल सोलंकी : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली ग्वालियर रेल लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ट्रंक लाइन का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसका कब तक विद्युतीकरण किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : जी हां दिल्ली-मथुरा-झांसी खंड (444 कि०मी०) के विद्युतीकरण के भाग के रूप में नयी दिल्ली-ग्वालियर खंड को विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। इस परि-योजना पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और आशा है कि यह काम 1984-85 तक पूरा हो जाएगा ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य एशियाई देशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति

***156. श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य एशियाई देशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन किया है;

(ख) क्या ठेकेदारों द्वारा भारतीय श्रमिकों के साथ बुरा व्यवहार करने तथा उनके शोषण के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

बिदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) खाड़ी और मध्यपूर्व के देशों में भारतीय श्रमिकों से संवद्ध प्रश्नों और समस्याओं की, इस क्षेत्र में स्थित अपने राजदूतावासों और मिशनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है। सरकार ने समय-समय पर भारतीय श्रमिकों की परिस्थितियों का और उनके कल्याण से सम्वद्ध अन्य बातों का मौके पर अध्ययन करने के लिए इन देशों में मंत्री-स्तर के और अधिकारियों के स्तर के प्रतिनिधिमंडल भी भेजे हैं।

(ख) श्रमिकों से समय-समय पर काम की खराब परिस्थितियों के बारे में, संविदा की शर्तें पूरी न किए जाने के बारे में और ऐसी ही दूसरी वातों के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं। हमारे राजदूतावास और मिशन ऐसी शिकायतों की छानबीन करते हैं और उन्हें नियोजक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं।

(ग) भारत में भर्ती ऐजेन्टों को उत्प्रवासन की अनुमति से पहले उत्प्रवासी संरक्षक के पास एक सुरक्षा-राशि जमा करानी होती है। अगर किसी शिकायत पर छानबीन के बाद इस बात की पुष्टि हो जाय कि नियोजन संविदा की शर्तें लागू नहीं की गयीं हैं, तो ऐसी सभी जमा राशियों को जब्त किया जा सकता है। सरकार उत्प्रवासन के सम्बन्ध में एक नया कानून लागू करने पर विचार कर रही है ताकि सरकार को भर्ती करने वाली एजेंसियों को नियंत्रित रहने का अधिकार प्राप्त हो जाय, जिससे कि सरकार भारतीय श्रमिकों के वैध हितों की रक्षा कर सके।

"भारतीय रक्त कोष अवैज्ञानिक और बेकार" शीर्षक से समाचार

*** 157. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री जर्नादन पुजारी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च 1980 के स्थानीय दैनिक में "भारतीय रक्त कोष अवैज्ञानिक और बेकार" (इंडियन ब्लड बैंक अनसाइन्टिफिक एण्ड वैस्टफुल) शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस समाचार में निहित विचारों से सहमत नहीं है क्योंकि इसमें जो सुझाव दिए गये वे हमारे देश में पचलित परिस्थितियों के बिलकुल अनुरूप नहीं हैं।

कोयले की कमी के कारण दिल्ली में कपड़ा मिलों का बन्द होना

*158. **श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कपड़ा मिलों के लिए अक्तूबर, 1979 से अद्यतन आवंटित कोयले के कोटे को उन्हें अब तक नहीं दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप कपड़ा मिलों के बन्द होने की नौबत आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रांलय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) :

दिसम्बर, 1979 और मार्च, 1980 के बीच दिल्ली की कपड़ा मिलों को कोयले के 186 माल-डिब्बे प्रति माह आवंटित किये गये थे, जबकि पिछले दो महीनों के दौरान प्रति माह 150 माल-डिब्बे आवंटित किये गये थे।

हल्दिया पत्तन का विकास

*159. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : उर्वरक को चढ़ाने उतारने के संयंत्र कां छोड़कर हल्दिया गोदी पर काम शुरू हो गया है। इस संयंत्र के वर्ष 1981 में चालू हो जाने की संभावना है।

वाणिज्यिक प्रशिक्षार्थी

* 160. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वोर्ड ने 50 प्रतिशत नियमित रिक्त पदों पर वाणिज्यिक प्रशिक्षार्थियों को खपाने का आदेश जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदेश के तहत वे इंजीनियरिंग स्नातक तथा डिप्लोमाधारी आते हैं जिन्होंने रेलवे द्वारा आयोजित 'अप्रैंटिसशिप' में भाग लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या रेल विभाग इंजीनियरिंग प्रशिक्षार्थियों को नियमित रिक्त पदों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) से (घ) : प्रशिक्षु अधि-

नियम, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया था, के अधीन प्रशिक्षुओं को उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार देना अनिवार्य नहीं है।

लिपिकों की कोटि (ग्रेड 260-400 रुपये) में रिक्तियों के 66·2/3%, (लेखा विभाग में 75%) तक रेल सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है और शेष रिक्तियां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। 27. 4. 77 को एक अन्य आदेश जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 31. 3. 1979 तक सीधी भर्ती के लिए लिपिकों के जो स्थान रिक्त हों उनमें से आधे स्थान प्रशिक्षित लिपिकीय प्रशिक्षुओं में से भरे जाने चाहिए। प्रशिक्षण-प्राप्त प्रशिक्षुओं को संबंधित रेल सेवा आयोग द्वारा चुना जाना अपेक्षित था।

इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि तकनीकी कोटियो में प्रशिक्षण-प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षुओं को भरने के लिए रिक्त स्थानों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, यह अनुरोध विचाराधीन है।

आप्ता-रोहा रेल लाइन के लिये भूमि का मुआवजा

* 161. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के कोलावा जिले में आप्टा से रोहा के बीच रेल लाइन का निर्माण करने के लिये अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भूस्वामियों को अदा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अविलम्ब मुआवजा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र राज्य के कोलावा जिले में आप्ता-रोहा रेल परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपने खर्च पर भूमि अधिगृहीत की है। अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूस्वामियों को अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। कोलावा जिले के कलक्टर से मुआवजे के भुगतान की अविलम्ब व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के साथ भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

भविष्य निधि कार्यालय को नेहरू प्लेस स्थानांतरित करना

* 162. **श्री के० लकप्पा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि कार्यालय को एक दूरस्थ स्थान (नेहरू प्लेस) स्थानांतरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कर्मचारियों एवं अंशदाताओं दोनों को ही असुविधा हो रही है ;

(ग) भविष्य निधि कार्यालय ने अपना यह कार्यालय केन्द्रीय स्थान से हटाकर दूरस्थ स्थान पर किन कारणों से स्थानांतरित किया है ; और

(घ) क्या इस कार्यालय को पुनः केन्द्रीय स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है ताकि अंशदाताओं को असुविधा न हो ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली का कार्यालय साधु बासवानी मार्ग से नेहरू प्लेस में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ख) यह कार्यालय रिहायशी कालोनी और ओखला औद्योगिक इस्टेट के नजदीक है और शहर के विभिन्न भागों से बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय पहले रिहायशी एरिया में स्थित था, जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गंभीर आपत्ति उठाई। अतः इस कार्यालय को व्यापारिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ा।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली

1167 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए कुल कितनी परिक्षायें की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष अलग-अलग कुल कितने पद रिक्त हुए थे और इन रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्रीं (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जून/जुलाई, 1977 में एक परीक्षा आयोजित की गयी थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई रिक्तियों और इन रिक्तियों में पदोन्नत किये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों कीं संख्या नीचे दिखायी गयी है :—

वर्ष	रिक्तियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी से केवल 25% पद भरे जाने थे)	पदोन्नत किये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या
1977	15	8
1978	16	1
1979	17	कोई नहीं

एक अदालती मामले में स्थगन आदेश जारी होने के कारण 1978 और 1979 के दौरान कोई प्रवरण नहीं किया जा सका।

जम्मू-तवी-कन्या-कुमारी रेल मार्ग पर तेज चलने वाली गाड़ियां

1168. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979 में कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेल मार्ग के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की गई थी कि 2 अक्तूबर, 1979 से जम्मू–तवी–कन्या–कुमारी रेल मार्ग पर तेज चलने वाली गाड़ियों का चलाया जाना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस नयी रेल के प्रारम्भ किये जाने को रद्द क्यों कर दिया गया है ; और

(ग) क्या पहले की गई घोषणा के अनुसार रेल को प्रारम्भ किये जाने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इसकी गहराई से जांच की गयी थी । जम्मू तवी से कन्या कुमारी तक बिल्कुल नयी गाड़ी चालू करना खंडीय क्षमता और टर्मिनल कठिनाइयों के कारण अभी व्यवहारिक नहीं पाया गया है । यहां तक कि वर्तमान एक गाड़ी को जम्मू तवी/कन्याकुमारी तक बढ़ाना अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं और वर्तमान उपयोगकर्ताओं को होने वाली सम्भावित असुविधा के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

बल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट, दिल्ली के रोगियों के खतरनाक रसायन का इन्जेक्शन लगाया जाना

1169. **डा० सरदीश राय : श्री मधु दंडवते : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के अतिथि प्रोफेसर द्वारा बल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली के 18 रोगियों के "फैनी–डाइग्वेनेडाइन" नामक खतरनाक रसायन का इन्जेक्शन लगाया गया था जैसा कि 10 फरवरी, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह रसायन, जो चूहों और कीड़ों पर प्रयोग करने के लिये था, का इन्जेक्शन इस संस्थान के औषध प्रभावविदों द्वारा जोरदार विरोध किये जाने के बावजूद रोगियों के लगाया गया ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीं निहार रंजन लस्कर : (क) और (ख) : जी नहीं । फेफड़े के रोगों में सांस फूलने की स्थिति में टाइप जे. लंग रिसेप्टर्स की भूमिका का पता लगाने के लिए भारतीय डाक्टरों द्वारा 5 मरीजों कों फैनिल–डिगुआनाइड के इन्जेक्शन लगाए गए थे । ये अनुसंधान अध्ययन 1970 में किए गए थे तथा संस्थान के अनुसार उस समय संस्थान के औषधविज्ञानियों द्वारा किसी भी आधार पर (वैज्ञानिक अथवा नैतिक)आपत्ति नहीं उठाई गई थी ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मनकापुर-कटोरा रेल लाइन

1170. **श्री आनन्द सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनकापुर–कटारा रेल लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) को, जो अयोध्या की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये वहुत सुविधाजनक है, उखाड़ने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) समस्तीपुर-बारावंकी ट्रंक मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने के फलस्वरूप मनकापुर–कटारा शाखा लाइन की समस्या के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है ।

बसों के लिए डीजल के कोटे में कटौती

1171. **श्री एन. ई. होरो ।** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने हाल में दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट और मिनी वसों तथा भारी और हल्के वाहनों के लिए डीजल के कोटे में कटौती करने की घोपणा की है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गयी है और उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए. पी. शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन, नियत किये गये परमिटों की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए एच. एस. डी. तेल की सप्लाई का कोटा निर्धारित कर रहा है । अभी हाल में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एच. एस. डी. तेल की मात्रा में कमी करने के कारण दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए कोटे में कमी कर दी है । दिल्ली प्रशासन के तारीख 14 मार्च, 1980 के आदेश से आवश्यक उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें परिवहन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए 17-3-80 से प्रभावी कोटा दिखाया गया है ।

विवरण

परिवहन क्षेत्र में गाड़ियों को एच. एस. डी. तेल देना

1. दिल्ली में रजिस्टर्ड सवारी गाड़ियां	दैनिक कोटा और साप्ताहिक कोटा
(क) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन प्राईवेट बसें ।	प्रतिदिन 75 लीटर वशर्ते कि प्रति सप्ताह यह मात्रा 450 ली० से अधिक न हो ।
(ख) दिल्ली में चलने वाली मिनि वसें जिनका कोई वीकली आफ नहीं होता ।	प्रतिदित 75 लीटर वशर्ते कि यह मात्रा प्रति सप्ताह 525 ली० से अधिक न हो ।
(ग) दिल्ली में बिना किसी वीकली आफ के नियमित रूप से चलने वाली प्राईवेट सवारी बसें (दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राईवेट वसों और मिनि बसों को छोड़कर)	प्रतिदिन 80 लीटर वशर्ते कि प्रति सप्ताह 550 ली० से अधिक न हो ।

(घ) दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले रूटों पर और दिल्ली राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित रूट परमिटों पर चलने वाली सवारी बसें ।	प्रति दिन 80 ली० वशर्ते कि प्रति सप्ताह 400 ली० से अधिक न हो ।
(ङ) छात्रों को लाने ले जाने के लिए स्कूल और कालेजों की वसें ।	प्रति दिन 30 ली० वशर्ते कि प्रति सप्ताह 180 ली० से अधिक न हो ।
(च) छात्रों को लाने ले जाने के लिए स्कूलों की मैटाडोर वसों सहित स्कूली गाड़ियां	प्रति दिन 20 ली. वशर्ते कि प्रति सप्ताह 120 ली० से अधिक न हो ।
(छ) ठेके पर चलने वाली बसें	प्रति दिन 50 ली० वशर्ते कि प्रति सप्ताह 350 ली० से अधिक न हो ।

ठेके पर चलने वाली बातानुकूलित बसों के लिए 17-3-80 और 15-11-80 के बीच प्रतिदिन अतिरिक्त 15 ली० एच० एस० डी० तेल का कोटा जारी किया जाएगा ।

खुदरा तेल वेचने वाले सभी पम्प उपरोक्त सरकारी गाड़ियों को, जब वे वहा पहुंचें तो एच० एस० डी० तेल की सप्लाई के लिए (जहां तक संभव हो प्राथमिकता देंगे) इन पम्पों पर जहां तेल डालने की एक से अधिक पम्पों की व्यवस्था हो, ऐसी गाड़ियों के लिए अलग लाईन बनाने की अनुमति दी जा सकती हैं ।

2. दिल्ली में रजिस्टर्ड सवारी गाड़ियों को छोड़ अन्य गाड़ियां

(क) भारी परिवहन गाड़ियां	प्रतिदिन 50 ली० वशर्ते कि प्रति सप्ताह 300 ली० से अधिक न हो ।
मीडियम परिवहन गाड़ियां इनमें योंगा, निसान, टैम्पो, मैटाडोर गाड़ियां शामिल हैं । जो माल ढोने के लिए रजिस्टर्ड हैं ।	प्रतिदिन 20 ली० वशर्ते कि प्रति सप्ताह 120 ली० से अधिक न हो ।
हल्की परिवहन गाड़ियां	प्रतिदिन 10 ली० बशर्त कि प्रति सप्ताह 50 ली० से अधिक न हो ।

(ख) हलकी गाड़ियां अपना साप्ताहिक कोटा एक ही बार ले सकती हैं ।

(ग) भारी और मीडियम किस्म की गाड़ियां दो दिनों का तेल का कोटा एक ही बार में प्राप्त कर सकती हैं वशर्ते कि गाड़ी के ईंधन टैंक को छोड़ डीजल अलग कन्टेनर में सप्लाई नहीं किया जाएगा ।

(घ) दिल्ली में रजिस्टर्ड और नियमित राष्ट्रीय जोनल परमिटों वाली लदी हुई भारी गाड़ियों को, जब उन्होंने 300 कि० मी० से अधिक दूरी की यात्रा करनी हो, एक ही बार उनका साप्ताहिक कोटा दिया जा सकता है ।

(ङ) राष्ट्रीय/जोनल परमिट वाली भारी गाड़ियों को, यदि 300 कि० मी० की दूरी के बाद उन्हें खाली ही जाना हैं, एक ही बार प्रति सप्ताह 200 ली० तेल दिया जा सकता है।

3. दिल्ली में और दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां जो दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में दूध, एल० पी० जी० जैसे सिलैन्डर्ज और पेट्रोलियम के अन्य पदार्थ लाती हैं।

उपरोक्त वस्तुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में इन आवश्यक वस्तुओं को लाने वाली भारी और मीडियम गाड़ियों को निम्नलिखित मात्रा में एच. एस. डी. तेल सप्लाई किया जाएगा :

(क) भारी परिवहन गाड़ी	प्रतिदिन 75 ली० बशर्ते कि प्रति सप्ताह 500 लीटर से अधिक न हो।
मीडियम परिवहन गाड़ी	प्रतिदिन 35 ली० बशर्ते की प्रति सप्ताह 230 ली० से अधिक न हो।

(ख) इन गाड़ियों को उपरोक्त निर्धारित मात्रा में एच. एस. डी. तेल केवल तभी दिया जाएगा जब वे गाडियां दूध ढोने और पेट्रोलियम पदार्थ ढोने के लिए टैंकर के रूप में रजिस्टर्ड हुई हों।

4. दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां

दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड और उपरोक्त गाड़ियों को छोड़ सभी गाड़ियों को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं पर राजमार्ग यातायात के लिए नियत खुदरा पम्पों से निम्नलिखित मात्रा में एच. एस. डी. तेल दिया जाएगा :–

(क) भारी परिवहन गाड़ी	50 लीटर
मीडियम परिवहन गाड़ी	20 लीटर
लाईट परिवहन गाड़ी	10 लीटर

(ख) दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों को, हलकी परिवहन गाड़ियों और सवारी गाड़ियों को छोड़ एच. एस. डी. तेल तभी दिया जाएगा जब वे लदी हुई हों।

(ग) दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ी को जब एक बार एच. एस. डी. तेल दे दिया जाए, तो उसे अगले दो दिनों में एच. एस. डी. तेल न दिया जाए।

(घ) हल्की परिवहन गाड़ियों को छोड़ इन सभी गाड़ियों का पेट्रोल पम्पों से संबंध विच्छेद किया जाता है जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं, परन्तु इस कारण से दिल्ली में पेट्रोल पम्पों के साथ संबंध बनाए रखने दिया गया है कि गाड़ियों के मालिक स्थायी तौर से दिल्ली में रह रहे हैं और 1-1-79 से पहले के राशन कार्ड उनके पास हैं। इन गाडियों को इस प्रयोजन के लिए राजमार्ग के निर्धारित पेट्रोल पम्पों से एच. एस. डी. तेल दिया जाएगा।

7. विशेष परमिट जारी करना

आयुक्त (खाद्यान्न और संभरण) और उपायुक्त (फ्यूल) के अतिरिक्त तेल कम्पनियों के अधिकारी, जो जिला मैजिस्टेट के रैंक से नीचे के अधिकारी न हों निम्नलिखित मामलों में एच. एस. डी. तेल की नीचे दी गई मात्रा के लिए विशेष परमिट जारी कर सकते हैं :–

(क) राजनयिक दूतावासों की गाड़ियां

(ख) विदेशी पर्यटक गाड़ियां

(ग) केन्द्रीय/राज्य मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों. संसद सदस्यों और कार्यकारी पार्षदों की गाड़ियां ।

(घ) तेल कम्पनियों की गाड़ियां यदि वे दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पम्प से पहले संबद्ध/पंजीकृत नहीं हैं ।

एच. एस. डी. तेल दिए जाने की मात्रा

भारी परिवहन गाड़ी	100 लीटर
मीडियम परिवहन गाड़ी	50 लीटर
लाईट परिवहन गाड़ी	25 लीटर

कोई भी तेल कम्पनी एक महीने में 500 लीटर से अधिक एच. एस. डी. तेल नहीं देगी । प्रत्येक तेल कम्पनी दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों को एच. एस. डी. तेल देने के लिए विहित तरीके से रजिस्टर रखेगी ।

यह आदेश 17-3-80 से लागू होगा ।

समुद्री जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई

1172 **श्री सी० टी० दण्डपाणि** । क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री जहाजों द्वारा कोयला क्षेत्रों के दक्षिणी राज्यों को, जिन पर कोयला वेगनों के समय पर न पहुंचने से अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, कोयला पहुंचाने की कोई योजना बनाई है ।

(ख) क्या इस योजना से होने वाले लाभ-हानि का अनुमान लगा लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का कोयला मूल्य समकरण निधि, जैसी किसी व्यवस्था को शुरू करने का विचार है जिससे कि समुद्री जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई के कारण उसकी कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) कोयला पहले ही तटीय जहाजों द्वारा कलकत्ता और हल्दिया से भारत के दक्षिणी और पश्चिमी पत्तनों को लाया-ले जाया जा रहा है ।

(ग) रेल द्वारा कोयले की ढुलाई करने और रेल एवं समुद्री जहाजों द्वारा ढुलाई करने के कारण परिवहन लागत में जो अन्तर आया, उसकी पूर्ति उत्पाद-शुल्क द्वारा की गई जो 30-9-1979 तक कोयले पर लगाया गया। इस सहायता योजना को 30-9-1979 से आगे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

उड़ीसा में कुष्ठ रोगी

1173. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में तीन लाख से अधिक कुष्ट रोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य से कुष्ट रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या 2.37 लाख है।

(ख) कुष्ठ एक प्राचीन रोग है और यह कैसे हो जाता है इस का कोई निश्चित कारण बता पाना कठिन है।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग की रोकथाम के लिए कुष्ठरोगियों का शीघ्र पता लगाने तथा उनका नियमित इलाज करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उड़ीसा समेत उन सभी राज्यों में चलाया जा रहा हैं जिनमें कुष्ठरोग स्थानीय रूप से होता है।

भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया 'एशियन हैल्थ चार्टर

1174. **श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा हाल ही में जिस 'एशियन हैल्थ चार्टर' पर हस्ताक्षर किये गये हैं उसमें निर्धारित किये गये उद्देश्य, विचार और लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) यदि कोई वित्तीय बाधायें हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) भारत को इससे कितनी सहायता मिलेगी और किस-किस क्षेत्र के लिए मिलेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) दक्षिण पूर्व एशिया में स्वास्थ्य विकास के घोषणा पत्र की एक प्रति संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 593/80) इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके उद्देश्य, इसमें निहित सकल्पनायें और उनकी प्राप्ति के मार्ग दिए हुए हैं।

(ख) और (ग) अपने व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य की उन्नति को उच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य की पूर्ति करने और इस प्रयोजन के लिए अधिक संसाधन निर्धारित करने तथा इन

निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श और सहयोग बढ़ाने की दिशा में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की सरकारें क्या-क्या करने के लिए प्रतिबद्ध हैं मौटे तौर पर ये सारी बातें इस स्वास्थ्य घोषणा पत्र में बतलाई गई हैं। इसमें निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काफी संसाधन खर्च करने पड़ेंगे लेकिन घोषणा पत्र की दीर्घकालीन योजनाओं को देखते हुए इनकी मात्रा अभी तय नहीं हुई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र के सभी उपलब्ध और सम्भावित राष्ट्रीय संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य के लिए अधिकतम सम्भव संसाधन निर्धारित करेंगे। राष्ट्रीय प्रयासों की कमी को बाह्य सहायता से पूरा किया जा सकता है और स्वास्थ्य के लिए जो द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन उपलब्ध हों उन्हें प्राथमिकता के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ये देश इस घोषणा पत्र का उपयोग करेंगे।

रात्रि बस सेवा रूट सं० 082.

1175. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** रात्री बस सेवा रूट संख्या 082 के बारे में 22 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा,

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर भी 'हां' में हो, तो इस मामले में आगे क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है, और

(ग) क्या सरकार तीनों रूट संख्या 720, 730 और 740 में से प्रत्येक पर, मौजूदा अंतिम ट्रिप के बाद, दो या तीन अतिरिक्त ट्रिपों की व्यवस्था करके केन्द्रीय सचिवालय से अंतिम ट्रिप अर्ध रात्रि तक बढ़ाने की योजना की जांच कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री श्री ए० पी० शर्मा : (क) और (ख) : जी, हां। भार के बारे में कई सर्वेक्षण किए गए जिनसे पता चलता है कि इस समय जो व्यवस्था है वह पर्याप्त है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली के लिए समेकित जन परिवहन व्यवस्था

1176. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि परिक्रमा रेलवे और दिल्ली परिवहन निगम को सम्बद्ध करके एक समेकित जन परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो जाये ताकि दिल्ली में जनता को परिवहन का आसान और सस्ता तरीका उपलब्ध हो सके ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): योजना आयोग ने 21.61 करोड़ रुपये के खर्च वाली शकूर बस्ती और तुगलकाबाद तक स्पर लाइनों सहित रिंग रेलवे लाइन के साथ-साथ विद्युतीकृत दैनिक यात्री गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव को अभी स्वीकृति नहीं दी है।

इस संबंध में 4 जनवरी, 1980 को योजना आयोग में सचिवों के स्तर पर एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिये गये थे :–

(i) प्रस्तावित दैनिक-यात्री सेवाओं के किराये दिल्ली परिवहन निगम के किरायों के स्तर पर अथवा उससे अधिक रखने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा रेल मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जाये ।

(ii) इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पहले उपनगरीय यातायात के संबंध में रेल दर जांच समिति की, सिफारिशों पर विचार किया जाये ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए रेलों द्वारा इस परियोजना को तभी शुरु किया जा सकता है जब योजना आयोग द्वारा इसकी स्कीकृति दे दी जायेगी और मंत्रिमंडल द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जायेगा ।

छत्तापत्थर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल

1177. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में छत्तापत्थर रेलवे क्रासिंग पर एक उपरी पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हा, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी . के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्व रेलवे के छत्तापत्थर रेलवे स्टेशन पर समपार सं० 129 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का काम उक्त रेंलवे के 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है । चूंकि इस कार्य के लिए वित्त का प्रबंध तथा निष्पादन रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रुप से किया जाना है, अत: रेलवे को पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत अनुदान की स्वीकृति मिलते ही इसका निष्पादन आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

1178. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण निकट भविष्य में शुरु किये जाने वाला है, और

(ख) यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : जी, हां । वर्ष 1980-81 में इस कार्य के शुरू किए जाने को संभावना है ।

दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1179. **श्री भगवान देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम हाथ में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस को पुरा करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह लाइन कितने समय तक बड़ी लाइन के रुप में कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) से (ग) दिल्ली-अहमदाबाद (934 कि० मी०) का बड़े आमान में परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है जिस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत आयेगी। यातायात संबंधी आवश्यकताओं और धन उपलब्ध होने पर इस परियोजना को विभिन्न चरणों में आरम्भ किया जाना है। प्रथम चरण के रुप में बड़ी लाइन की उपसंरचना सहित फुलेरा-किशनगढ़ खंड (50.97 कि० मी०) में दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, मालवीय नगर, नई दिल्ली के लिए जगह

1180. **श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालवीय नगर, नई दिल्ली के निवासियों से वहां के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को दी गई काम चलाऊ तथा अपर्याप्त जगह के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मालवीय नगर स्थिति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों को भी अपना कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके लिये उचित स्थान न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस औषधालय को जगह देने के लिये कुछ डी. डी. ए. फ्लेट निर्धारित किये गये थे लेकिन वे इस औषधालय को आवंटित नहीं किये गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये फ्लैट इस औषधालय के लिये कब तक दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर : (क) से (ग) : मालवीय नगर के रेजिडेन्ट एसोसिएशनों से मिले अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है । इस समय मालवीय नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय एक प्राइवेट किराये के मकान में चल रहा है। यह स्थान हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कम पड़ता है। इसी कारण डाक्टर और अन्य कर्मचारी भी अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। सभी तरह के प्रयासों, जिनमें कई बार स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना शामिल है, के बावजूद भी मालवीय नगर में इस औषधालय के लिये वैकल्पिक स्थान नहीं मिल सका है।

(घ) जी नहीं ।

सराय रोहिल्ला पर ऊपरी पुल

1181. **श्री आश करण शंखवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सराय रोहिल्ला, दिल्ली में रेलवे लाइन ऊपरी पुल पर सीढ़ियां न होने से उस क्षेत्र के निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पटेल नगर स्टेशन, स्थिति रेलवे लाइन ऊपरी पुलों पर सीढ़ियां हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सराय रोहिल्ला स्थिति पुल पर सीढ़ियों की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) सराय रोहिल्ला के ऊपरी पुल पर सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं की गयी है और न हीं दिल्ली नगर निगम द्वारा इस प्रकार की मांग की गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यदि दिल्ली नगर निगम की ओर से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है और वे इसकी लागत वहन करने को तैयार हों तो रेलवे इस प्रश्न की जांच करेगी ।

भारतीय विदेश सेवा नियमों में संशोधन

1182. **श्री के० राममूर्ति : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय विदेश सेवा (अनुभाग ख) भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति संबंधी नियमों, 1964 में किये गये संशोधन के संबंध में प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष के दौरान प्रथम क्षेणी के कितने अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा संवर्ग में नियमित रूप से लिया गया है ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारत को अमरीका से हथियारों की पेशकश

1183. **श्री बापू साहिब परुलेवर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को इलैक्ट्रोनिक्स, नौचालन उपकरण और 'रयूअर्ट बम' सहित अधुनातन हथियार बेचने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है अमरीका की इस पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) . (क) अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को बताया हैं कि वह सैन्य उपस्कर के संबंध में, जिसमें ऐसें उपस्कर भी शामिल है जिनके लिए

अधुनातन प्रौद्योगिकी अपेक्षित है, भारत के अनुरोध पर और अधिक सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने को तैयार है ।

(ख) : इस संबंध में, भारत सरकार की नीति बराबर यही रही है कि भारत को जब जिन हथियारों की जरुरत होगी वह उन्हें यथावश्यकता विदेशों से ले लेगा जिसमें अमरीका भी शामिल है ।

गाड़ियों में डाली गई डकैतियों से प्रभावित हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

1184. **श्री अर्जून सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलती गाड़ियों में डाली जाने वाली डकैतियों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : रेलों पर कानून और व्यवस्था जिसमें अपराध भी शामिल हैं, राज्य का विषय है । इसलिए ऐसे मामलों में रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान नहीं किया जाता है ।

गैंगमैन (सी. पी. सी.) की चिकित्सा-जांच

1185. **श्री ए. के. राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में एम. एम. आर. और एक्सरे की व्यवस्था न होने के कारण काफी संख्या में गैंगमैनों (सी. पी. सी.) और अन्य लोगों कि चिकित्सा जांच के लिए रेलवे चिकित्सालय धनवाद में काफी समय के लिये रोक लिया जाता है ;

(ख) रेलवे चिकित्सालय धनबाद में एम. एम. आर. और एक्सरे मशीनों के क्रय और पहुंच की तिथियां क्या हैं ; और

(ग) इन मशीनों को लगाये जाने में विलम्ब के कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) यह सच है कि धनबाद में एम. एम एक्सरे मशीन न होने के कारण, चिकित्सा जांच के काम में कुछ रुकावट आयी है । लेकिन, इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि जब तक यह मशीन नहीं लग जाती, तब तक बड़े एक्सरे किए जायें ।

(ख) एम. एम. एक्सरे मशीन के लिए 16.9.1978 को एक विदेशी फर्म को आर्डर दिया गया था । इस मशीन का प्रमुख भाग जून 1979 में प्राप्त हो गया था और शेष भागों के 2-3 महीने में प्राप्त हो जाने की आशा है ।

(ग) एक्सरे मशीन लगाने में विलम्ब, उस मशीन के अन्य भागों के प्राप्त न होने तथा आयात संबंधी प्रक्रिया के कारण हुआ ।

आँध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रैस रेल गाड़ी की विशाखापत्तनम तक चलाया जाना

1186. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रैस रेलगाड़ी विशाखापत्तनम तक चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) जी नहीं। परन्तु 123/124 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेंस में नयी दिल्ली वाल्तेरु सवारी डिब्बों को जोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) 123/124 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस एक अत्यन्त लोकप्रिय अंतर्नगरीय गाड़ी है जो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी को केन्द्र की राजधानी से जोड़ती है। इसका वाल्तेरु तक बढ़ाया जाना वांछनीय नहीं है क्योंकि ऐसा किये जाने से वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका प्रतिरोध किया जायेगा। इस गाड़ी में वाल्तेरु और नयी दिल्ली के बीच एक सीधा डिब्बा चलाया जाना भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह गाड़ी पहले से ही अधिकतम भार के साथ चल रही है।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा दक्षिणी एटलांटिक में परमाणु परीक्षण

1187. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने विगत सितम्बर के दौरान दक्षिणी एटलांटिक में सफलतापूर्वक एक परमाणु परीक्षण किया है जैसा कि 21 फरवरी, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री श्री पी. वी नरसिंह राव : (क) : 22-9-1979 को जी. एम. टी. समय के अनुसार 0052 बजे एक अमरीकी वेला उपग्रह को प्राप्त संकेत से यह लगा कि दक्षिण अफ्रीका ने सम्भवत : परमाणु विस्फोट किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव दक्षिण अफ्रीका के कथित परमाणु विस्फोट के संबंध में जांच कर रहे हैं।

(ख) : संयुक्त राष्ट्र महासभा के (26-11-1979 को पारित) संकल्प का भारत सरकार द्वारा समर्थन किये जाने से ही उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट हो गई थी जिसमें कथित विस्फोट की निन्दा की गई थी और सुरक्षा परिषद से कहा गया था कि वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा परमाणु हथियारों की प्राप्ति से अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को और खतरे में डालने की कार्रवाई को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करे।

वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थानों में हड़तालें

1188· **श्री नीरेन घोष** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन किन-किन

वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थानों में इस समय हड़तालें अथवा आन्दोलन चल रहे हैं ; और

(ख) उन्हें निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के पास केन्द्रीय सरकार के अधीन वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं के सम्बन्ध में अलग से सूचना नहीं है। यह सूचना एकत्र की जाएगी और सदन की मेज पर रख दी जाएगी । तथापि विज्ञान और प्रौधोगिकी विभाग के अनुसार वैज्ञनिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की किसी भी प्रयोगशाला में कोई भी हड़ताल या आन्दोलन नहीं है ।

कर्नाटक में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय को आरम्भ किये जाने का अनुरोध

1189. **श्री टी. आर. शमन्ना : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य ने कृषि विश्वविद्यालय की ही भांति राज्य में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रारम्भ किये जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस दिशा में शीघ्र कदम उटाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) **और** (ख) कर्नाटक सरकार ने राज्य में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने के बारे में 1975 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । इस मामले पर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श करके विस्तार से ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का जो प्रमुख बिषय मालूम पड़ा वह था चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार करना। साथ ही इसे जो कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव था उनमें से एक कार्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक समान स्तर तय करना तथा उसमें तालमेल रखना था । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चिकित्सा शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने की जिम्मेवारी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की है, यह विराम भारत के संविधान की संघीय सूची की प्रविष्टि 66 के अन्तर्गत आता है, इसलिए ऐसे विश्वविद्यालय को स्थापित करना राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर था । अतः उस समय राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को छोडने का अनुरोध किया गया था ।

राज्य सरकार ने 27 से 30 अगस्त, 1979 को नई दिल्ली में हुए आयुर्विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए अपना पहले प्रस्ताव को हाल ही में फिर दोहराया है । इस सम्मेलन की शिफारिशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । अत : इन परिस्थितियों में इस विषय में कोई अंतिम निर्णय लेना असामयिक है ।

भविष्य निधि की बकाया राशि

1190. **श्री वसंत कुमार पंडित :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि की कुल बकाया राशि में गत दो वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो वर्ष 1978 तथा 1979 के लिए भविष्य निधि की बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन पार्टियों के क्या नाम हैं जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1979 तक पांच लाख रुपये से अधिक की भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी नहीं की है; और

(ग) भविष्य निधि की उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के संबंध में भविष्य निधि की बकाया राशि में वृद्धि हुई है। 31-12-1978 और 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार राज्यवार बकाया राशि अनुबंध–1 में दिए गए विवरण में दर्शायी गयी हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 594/80)

(ख) और (ग) उन पार्टियों के नामों को, जिन्होंने 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार पांच लाख रुपये से अधिक की भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी नहीं की है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही अनुबंध–2 में दिए गए विवरण में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 594/80)

बिहार को सितमगढ़ी-सिओहर सड़क

1191. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागमती परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान बिहार को सितमगढ़ी सैक्टर रोड, जो पूरे साल उपयोग में आने वाली सड़क थी, की वर्ष के अधिकतर दिनों में उपयोग में लाना असम्भव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सितमगढ़ी-सिओहर सड़क पर गाड़ियों के यातायात के परिचलन में सुगमता के लिए बागमती पर दोनों किनारों को जोड़ने वाले पुल के निर्माण के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए. पी. शर्मा) : (क) और (ख) सीतमगढ़ी-सिओहर सड़क एक राज्य सड़क है जिसमें बागमती का पुल भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्यौरे से यह पता चलता है कि बागमती के तटबंध के अन्दर की सड़क का भाग वर्ष के अधिकांश समय के लिए बंद रहता है, परन्तु दिसम्बर, 1979 में राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि क्षतिग्रस्त सड़क और पुल के पुनर्निर्माण के लिए तीन वर्षों की अवधि में, जब तक कि परियोजना के पूरा हो जाने की संभावना है आवश्यक धनराशि राज्य सरकार के योजना परिव्यय से उपलब्ध की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अनधिकृत फर्मों से औषधियों की खरीद

1192. **श्री राम लाल राही** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या क्या है जहां बजट से पूर्व अनधिकृत फर्मों से लाखों रुपये की औषधियां खरीदी गई थीं जब कि अधिकृत फर्मों की दरें बोगस फर्मों की तुलना में कम थीं और इस बारे में विस्तृत सूचना क्या है; और

(ख) क्या सीतापुर जिला भी ऐसे जिलों में से एक है; यदि हां, तो औषधियों की खरीद पर कितनी राशि खर्च की गई थी और उन फर्मों के नाम क्या हैं जहां से ये औषधियां खरीदी गई थीं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बेरोजगार इन्जीनियर

1193. **श्रीज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1979 के अन्त में डिग्री और डिप्लोमा धारी इंजीनियरों की प्रत्येक श्रेणी में कुल संख्या कितनी थी;

(ख) इन डिग्री और डिप्लोमा धारी इन्जीनियरों में से, श्रेणीवार अब तक कितने इन्जीनियरों को उत्पादन कार्य में से समाविष्ट किया जा चुका है;

(ग) कितने इन्जीनियर पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से बेरोजगार हैं; और

(घ) इन्जीनियरों में बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पट्टनायक) : (ग) से (घ) 1977-78 से संबंधित (क) डिग्री और डिप्लोमा स्तर के इन्जीनियरों की संख्या, (ख) आर्थिक रूप से सक्रिय इंजीनियरों की संख्या, (ग) नियोजित इन्जीनियरों की संख्या और (घ) बेरोजगार इन्जीनियरों की संख्या के उपलब्ध अनुमान विवरण एक में दिए गए हैं।

31-12-1978 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विभिन्न विशिष्टता वाले रोजगार चाहने वाले इन्जीनियरों (जिनमें सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या विवरण दो में दी गई है।

(घ) इन्जीनियरी शिक्षा की सुविधाएं अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर की परियोजना के आधार पर तैयार की गई हैं और इन्जीनियरों में बेरोजगारी सामान्यतः क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में परिकल्पित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की प्राप्त दर की कमी के कारण है।

विवरण–एक

वर्ष 1977-78 में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार इंजीनियरों की कुल संख्या

आंकड़े हजारों में

	इंजीनियर	
	डिग्रीधारी	डिप्लोमाधारी
(1)	(2)	(3)
कुल संख्या	244.6	350.8
आर्थिक रूप से सक्रिय	243.0	348.5
रोजगार प्राप्त	224.9	278.0
बेरोजगार	18.1	70.5

विवरण–दो

31 दिसम्बर, 1978 को इन्जीनियरी–शाखा के अनुसार वर्गीकृत रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले इन्जीनियरों की कुल संख्या।

इन्जीनियरी शाखा	स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित)	डिप्लोमाधारी	योग
सिविल (ओवर सियरों सहित)	5,096	26,718	31,814
मैकेनिकल	6,386	28,609	34,995
इलैक्ट्रिकल	6,055	27,294	33,349
कैमिकल	881	601	1,482
मेटर्लाजिकल	495	967	1,462
माइनिंग	73	128	201
अन्य	1,181	—	1,181
योग	20,167	84,317	1,04,484

नौट : दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को रोका जाना

1194. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामूसी करने के एक झूठे आरोप के संबंध में पूछ-ताछ करने

के लिए एक भारतीय राजनयिक को 5 दिसम्बर, 1979 को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पुलिस द्वारा कई घंटे तक रोके रखा गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी पुलिस ने पूछ-ताछ के दौरान थर्ड-डिग्री के तरीकों का इस्तेमाल किया; और

(ग) पाकिस्तानी अधिकारियों से उनकी इस अनुचित कार्यवाही और भारतीय राजनयिक से दुर्व्यहार के लिए उचित उपचारात्मक कार्यवाही की मांग के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी.नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस अधिकारी के साथ पूछताछ के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था हालांकि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इसे मानने से इन्कार किया है।

(ग) भारत सरकार ने इस घटना पर इस्लामाबाद में और दिल्ली में भी पाकिस्तान की सरकार के साथ बहुत सख्त विरोध प्रकट किया है और इस कार्रवाई पर अपनी गंभीर चिन्ता उन्हें जता दी है।

रोजगार ढूंढने वालों की एजेंसियों द्वारा धोखा दिया जाना

1195. **श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ एजेंसियों द्वारा खाड़ी के क्षेत्रों में रोजगार ढूंढने वालों को धोखा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यदि किन्हीं ऐसी एजेंसियों का पता लगा है जो खाड़ी क्षेत्रों में रोजगार ढूंढने वालों को धोखा दे रही हैं, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यह स्थिति दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) समय-समय पर भर्ती एजेंसियों अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं जिनमें यह आरोप रहता है कि वे रोजगार की तालाश करने वाले लोगों को खाड़ी के देशों में रोजगार दिलाने का वायदा करके उन्हें धोखा देते हैं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर उपयुक्त प्राधिकारियों से यह कहा जाता है कि वे मामले की छानबीन करके कार्रवाई करें। प्राप्त समाचारों के अनुसार निम्नलिखित एजेंसियों के खिलाफ दर्ज मामलों में सजाएं दी गई हैं :

(1) सर्वश्री नागिन प्रा० लि०

(2) ,, ट्रैवलिंग सर्विस

(3) ,, इन्टरनेशनल ट्रैवलिंग सर्विस।

(4) ,, एप्वाइन्टमेंट एड्स सर्विस।

(5) ,, शिवा इन्टरनेशनल।

(6) सर्वश्री आई. डी. सी. ऑफ इण्डिया।

(7) ,, पापुलर ट्रैवल एजेंसी।

(8) ,, किंग्स ट्रैवल्स, चेरूकोल, मावेलीकारा।

इनके अतिरिक्त 120 व्यक्तियों के लिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हुए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

(ग) नौकरी की तलाश करने वाले भारतीयों को धोखा दिए जाने की सभी शिकायतें छानबीन और कार्रवाई के लिए समुचित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दी जाती हैं। इन देशों में जहां रोजगार पाने के लिए हमारे भारतीय श्रमिकों का भारी संख्या में आकर्षण होता हैं, हमारे राजनयिक मिशन बेइमान भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध इस प्रकार के मामलों की रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं। सरकार अप्रवासियों के सम्बन्ध में कानून बनाने पर भी विचार कर रही है जिससे कि सरकार को भर्ती एजेंसियों को नियंत्रण में रखने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

भविष्य निधि कार्यालय, नई दिल्ली

1196. **श्री के० लकप्पा :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय ने नेहरू प्लेस में अपने कार्यालय के लिए 3 रुपये 20 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से स्थान किराये पर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले भविष्य निधि अधिकारियों ने नेहरू प्लेस में 2 रु० 65 पै० प्रति वर्ग फुट की दर से कार्यालय का स्थान लेने से इंकार कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो बढ़ी हुई दरों पर नेहरू प्लेस में स्थान लेने क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां। क्षेत्रीय भविष्यि निधि आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय के लिए पहली फरवरी, 1980 से 3 रुपये 20 पैसे से 3 रुपये 25 पैसे तक प्रति वर्ग फुट की दर से लगभग 16,258 वर्ग फुट स्थान किराये पर लिया गया है।

(ख) पहले प्रस्ताव यह था कि 60, नेहरू प्लेस में स्थित भवन के विभिन्न मंजिलों में लगभग 32,000 वर्ग फुट स्थान किराये पर लिया जाए जिसमें न केवल क्षेत्रीय कार्यालय परन्तु मयूर भवन और श्री रामकला तथा संस्कृति केन्द्र में स्थित केन्द्रीय कार्यालय भी हों। सभी कार्यालयों को स्थानान्तरित वांछनीय नहीं समझा गया।

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली का कार्यालय पहले रिहायशी क्षेत्र में स्थित था जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गंभीर आपत्ति उठाई। अतः इस कार्यालय को उस क्षेत्र में प्रचलित किराये के अनुसार व्यापारिक एरिया में स्थानान्तरित करना पड़ा।

(घ) इस कार्यालय के परिसर को 11/10, साधु वासवानी मार्ग, नई दिल्ली से 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थानान्तरित करने के लिए कोई विशेष अधिकारी या प्राधिकारी

जिम्मेदार नहीं है क्योंकि यह स्थानान्तरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण आवश्यक था।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर चेट्टुवई पुल।

1197. **श्री ई० के० इम्बिचिबाबा :**

श्री सी० एभ० बनातवाला : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर चेट्टुवई पुल तथा उसके पहुंच-मार्गों के लिए अनुमानित लागत पर तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ख) उक्त मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा) : (क) और (ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 में चेट्टुवई (चेट्टूरवई नहीं) पुल और उस पर दोनों से पहुचने वाली सड़कों के निर्माण की अनुमानित लागत के 156.00 लाख रुपये होने के कारण इस परियोजना को मंजूर करने से पहले योजना आयोग, व्यय वित्त समिति और वित्त मंत्रालय का अनुमोदन जरूरी है। योजना आयोग और व्यय वित्त समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा ज्योंही इस संबंध में तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति दे दी जाएगी।

टिहरी गढ़वाल में रेल लाइन

1198. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वाधीनता के बाद टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में कोई रेल लाइन नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिजोरम, मेघालय तथा देश के अन्य पूर्वी भागों में रेल लाइनें डाली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अंग्रेजों के शासन काल में सर्वेक्षण किया गया था, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में रेल लाइनें डालने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एकता और नवगठित पहाड़ी राज्यों के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्वी आंचल में छः नयी रेल लाइनों के निर्माण के काम को 1978-79 के दौरान अनुमोदित कर दिया गया है। इन रेल लाइनों के निर्माण का काम शीघ्र शुरू करने के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(घ) धन की सीमित उपलब्धता के कारण इस रेल लाइन के निर्माण पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है। नयी रेल लाइनों, जिनमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित लाइनें और अलाभप्रद लाइनें भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में युक्तिसंगत मानदंड निर्धारित करने और इनके लिए धन जुटाने के लिए योजना आयोग ने राष्ट्रीय परिवहन समिति की नियुक्ति की है। इस समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। इस क्षेत्र में रेल लाइन के निर्माण के प्रश्न पर इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखकर यथोचित विचारकिया जायेगा।

क्विलोन-वरकला तटीय सड़क परियोजना

1199. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्विलोन-वरकला सड़क परियोजना के लिए के केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था,

(ग) क्या तट के साथ-साथ केरल में प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन केन्द्र वरकला को क्विलोन से जोड़ने वाली इस सड़क परियोजना की स्वीकृति दे दी गयी है, और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (घ) : क्विलोन-वरकल सड़क राज्य का राजमार्ग है। इसलिए इसके निर्माण की जिम्मेदारी केरल सरकार को है। जुलाई 1978 में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सड़क आरक्षित (सामान्य) निधि से चार परियोजनाओं को पूरी करने का प्रस्ताव किया था। उपलब्ध धनराशि से इनमें से दो परियोजनाओं को ही अनुमोदित किया जा सका। इस परियोजना पर धन के अभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका। यह स्थिति राज्य सरकार को अगस्त, 1979 में सूचित कर दी गई थी और उससे इस परियोजना को राज्य की योजना में उपलब्ध संसाधनों से पूरा करने के बारे में विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था।

रांची में मनोरोगों के लिए अनुसंधान केन्द्र का खोला जाना

1200. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रांची में मनोरोगों के लिये एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार है चूंकि रांची की जलवायु इस प्रकार के अनुसंधान के लिये बहुत उपयुक्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) रांची में एक संस्थान पहले ही है जो मानसिक रोगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण, शिक्षण सेवा तथा अनुसंधान सम्बन्धी कार्य कर रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में औषधियों के वितरण की योजना

1201. **श्री मूल चन्द डागा : स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने एक योजना आरम्भ की थी जिसके अन्तर्गत गांवों में औषधियां वितरित की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान उस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) क्या उक्त योजना लाभप्रद सिद्ध हुई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना को बन्द करेगी अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगी और यदि हां, तो उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना देश में 2 अक्तूबर, 1977 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य के निवारक और संवर्द्धक पहलुओं की जानकारी कराना भी है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक गांव अथवा समुदाय जिसकी आबादी एक हजार हो एक प्रतिनिधि चुन सकता है, जो समाज की सेवा करने को उद्यत हो और जो लोगों का विश्वास पात्र हो। इस व्यक्ति को बुनियादी स्वास्थ्य के सरल पहलुओं का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन जन स्वास्थ्य रक्षकों को तीस वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और उसकी औपचारिक शिक्षा छठी कक्षा तक होनी चाहिए। लोग इन जन स्वास्थ्य रक्षकों के काम की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकार की जिम्मेदारी उन्हें प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन देने की है। प्रशिक्षण के दौरान जन स्वास्थ्य रक्षक को 200 रुपये प्रति मास का वजीफा दिया जाता है और उसके बाद उसे एक किट दी जाती है जिसमें साधारण रोगों का इलाज करने के लिये आम दवाइयां होती है। प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को एक मैनुअल भी दिया जाता है जिसमें स्वास्थ्य, छोटी-छोटी बीमारियों के उपचार और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। जन स्वास्थ्य रक्षक पूर्णकालिक स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं होते हैं और उनसे अपने निजी काम के अलावा प्रतिदिन लगभग 2-3 घंटों तक अपने फालतू समय में समाज का स्वास्थ्य कार्य करने की आशा की जाती है। एक बार काम शुरू करने पर जन स्वास्थ्य रक्षकों को लोगों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिये 50/रुपए प्रति मास का मानदेय मिलता है और साथ ही दवाइयों के स्टाक की पूर्ति के लिए उसे प्रति मास 50/- रुपए मूल्य की दवाइयां दी जाती हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक से ये काम अपेक्षित है : नवजात और छोटे बच्चों को रोग के टीके आदि लगाने में मदद करना, पौष्टिक आहार को बांटना, मलेरिया का उपचार करना तथा रक्त के नमूनों को इकट्ठा करना, और लोगों की उपचार संबंधी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को देखने के साथ-साथ छोटे परिवार के सिद्धान्तों का प्रचार करना इसका समग्र दर्शन यह है कि स्वास्थ्य का काम जो अब तक अधिकतर सरकार द्वारा देखा जाया

करता था पहली बार उसे लोगों के हाथों में सौंपा जायेगा । इस योजना पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

	(रुपये लाखों में)
1977-78	420.96
1978-79	1704.76

(ग) योजना आयोग की सिफारिशों पर 1978-79 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा देश के छ: अन्य संस्थानों के साथ मिलकर किया गया । इन मूल्यांकनों की रिपोर्टों के अनुसार इस योजना का स्वागत किया है। इस योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस योजना को इसके काम काज में समुचित सुधारों के साथ उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है जो इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये सहमत हो गये हैं।

बीड़ी श्रमिकों की कल्याण निधि

1202. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों की एक कल्याण निधि स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने उक्त निधि किस वर्ष स्थापित की;

(ग) इस निधि के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने (वर्ष-वार तथा राज्य-वार) कितना-कितना अंशदान दिया; और

(घ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो बीड़ी श्रमिकों के लिये उक्त निधि की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन और श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) और (ख) : बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना केन्द्रीय अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 15 फरवरी, 1977 से की गई थी । बीड़ी निर्मित करने वाले सभी राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कल्याण सुविधाओं के लिए केन्द्रीय निधि में से वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(ग) 28 फरवरी, 1979 तक इस निधि के लिये धन की व्यवस्था केवल बीड़ियों के निर्माण के लिए गोदाम से दिए गए तम्बाकू पर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर लगा कर की गई । वित्त अधिनियम, 1979 में अनिर्मित तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करने के कारण पहली मार्च, 1979 से इस उपकर को एकत्र नहीं किया गया है । केन्द्रीय या राज्य सरकारों ने इस निधि में कोई अन्य अंशदान नहीं दिया है ।

(घ) किसी भी राज्य में बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए अलग-अलग निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे

1203. **श्री एदुआर्डो फलीरो :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : पश्चिमी तट कोंकण रेलवे की केवल आप्ता-रोहा लाइन (62 कि० मी०) के निर्माण की अभी तक स्वीकृति प्रदान की गयी है । यह काम प्रगति पर है । आप्ता से पेन तक का खंड 1980 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है तथा पेन से रोहा तक शेष भाग के एक वर्ष बाद पूरा होने की संभावना है ।

रलवे में पदों का दर्जा बढ़ाना

1204. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल मन्त्री यह** वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ पदों का दर्जा बढ़ाने अथवा इनके वेतनमानों में वृद्धि करने के लिए निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से किन-किन पदों का दर्जा बढ़ाया गया है अथवा वेतनमानों में वृद्धि की गई है ; और

(ग) इस कारण सरकार को कुल कितना वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) (i) राजपत्रित संवर्ग में : भारतीय रेलों में 250 रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन सहित अपर महाप्रबन्धकों के रूप में पुन: पदनामित किये गये वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के 18 पदों के अतिरिक्त किसी प्रकार का नया वेतनमान ऊंचा या बढ़ाया नहीं गया है । लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि रेलों के समस्त संगठन और प्रवन्ध संरचना का संरचनात्मक अन्तराल पूरा करने के लिए समग्र रूप से सिंहावलोकन किया गया है ताकि इसका प्रणाली में आवश्यक प्रशासनिक सुधार और कार्य कुशलता लागू की जा सके । इस प्रयोजन के लिए कोई नये वेंतनमान नहीं बनाये गये हैं लेकिन तीसरे वेतन आयोग द्वारा यथा अनुशासित और सरकार द्वारा स्वीकृत संवर्गों की त्रैवार्षिक समीक्षा को अन्तिम रूप दे दिया गया है । केवल वर्तमान वेतनमानों के अन्तर्गत वरिष्ठ स्तरों में वर्ग 'ग' से वर्ग 'ख' से वर्ग 'क' तक पदों की संख्या में वृद्धि की गयी है । लेकिन पदों की कुल संख्या में वृद्धि नहीं की गई है । यह अनिवार्य विकेन्द्रीकरण करने और फील्ड स्तर में अधिक अधिकारों की व्यवस्था करने के लिए है । वरिष्ठ स्तर में बढ़ाये गये ऐसे पदों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ग 'ग' से वर्ग 'ख' – 874
वर्ग 'ख' से वर्ग 'क' –672

इसके फलस्वरुप वर्ग 'ग' में लगभग 1500 कर्मचारियों की पदोन्नति होगी।

(ii) अराजपत्रित संवर्ग में :

चालू वित्त वर्ष के दौरान वाणिज्य/कार्यालय/तुला चौकी/गाड़ी क्लर्क, टेलीफोन आपरेटर/ शंटिंग जमादार/मास्टर, कल्याण कर्मचारियों/कार्य घंटा विनियम निरीक्षक, स्टाफ नर्स; टाइपिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, गाड़ी निरीक्षक/सवारी और माल डिब्बा निरीक्षक, स्टेशन मास्टर और मध्य रेलवे के बिजली घर में परिचालन/अनुरक्षण कर्मचारियों के लगभग 5100 पदों को ऊंचा किया गया है और उन्हें उच्चतर वेतनमानों में रखा गया है।

(ग) (·) राजपत्रित संवर्ग में :

प्रति वर्ष 62 लाख रुपये।

(ii) अराजपत्रित संवर्ग में :

प्रति वर्ष लगभग 1.80 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय व्यय

1205. **श्री० के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर प्रति व्यक्ति कितना राष्ट्रीय व्यय हुआ और इस संबंध में सरकार को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता मिली;

(ख) प्रति हजार व्यक्तियों के लिए अर्हताप्राप्त चिकित्सकों और परा-मेडिकल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) प्रति हजार व्यक्तियों के लिए अस्पतालों में अनुमानतः कितने बिस्तरे है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) अनुमान है कि 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के वर्षों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर क्रमशः प्रति व्यक्ति 10.55 रुपये, 11.93 रुपये तथा 14.38 रुपये खर्च हुए। सरकार देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास कर रही है।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान प्रति हजार लोगों के लिए अर्हताप्राप्त एलोपेथिक चिकित्सा कार्मिकों तथा पराचिकित्सा कार्मिकों (नर्सों) की संख्या क्रमशः 0.27 और 0.17 थी।

(ग) पहली जनवरी, 1979 की स्थिति के अनुसार अस्पतालों में प्रतिहजार लोगों के लिए 0.71 पलंग थे।

1947 के बाद पंजाब में रेल लाइन

1206. **श्री एल० एस० तुर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 के बाद देश में कुल कितने मील लम्बी नई रेल लाइनें बिछाई गई ; और

(ख) इनमें से कितनी मील लम्बी रेल लाइनें पंजाब में बिछाई गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) मार्च 1979 के अन्त तक 7,992. 395 किलोमीटर।

(ख) 135·75 किलोमीटर।

विहार में दानापुर–नौबतपुर सड़क।

1207. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जिला (विहार) में दानापुर–नौबतपुर सड़क बहुत ही टूटी-फूटी हालत में है,

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से इस सड़क की मरमम्त कभी नहीं की गयी,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार ने इस सड़क के पुनः निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन श्रौर परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा : (क) से (घ) : सविधान के अनुसार, केन्द्रीय सरकार उन्हीं सड़कों के लिए जिम्मेदार है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। विचाराधीन सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और यह जिला बोर्ड की सड़क है। राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1979 में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस सड़क के खगौल–नौबतपुर खंड में सुधार–कार्य करने के लिए 55 लाख रुपये को प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इस सड़क में विचाराधीन सड़क का लगभग आधा हिस्सा आ जाता है। सड़क के शेष भाग में मरम्मत इत्यादि करने के लिए अभी इसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है।

बीड़ी श्रमिकों को बोनस

1208. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की भांति बीड़ी श्रमिकों को बोनस देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन श्रौर नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) से (ग): बोनस संदाय अधिनियम. 1965 ऐसे प्रत्येक कारखाने और प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जिसमें किसी लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। सबंधित सरकार को अधिकार है कि वह राजपत्र में दो मास का नोटिस देकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम को लागू कर सकती है जिसमें 20 से कम परन्तु 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों। ऐमा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने किसी प्रतिष्ठान में वर्ष में कम से कम तीस कार्य दिन काम

किया है, अधिनियम के अधीन ग्राह्य बोनस का हकदार है। पतिष्ठानों में नियोजित ऐसे बीड़ी कर्मकार, जो उक्त मानदंडों को पूरा करेते हैं, अधिनियम के अधीन योसेस के हकदार हैं।

अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों। संघ राज्य क्षेत्रों की है, जो बीड़ी कारखानों। प्रतिष्ठानों के संबंध में संबंधित सरकार है।

गुजरात में कुष्ठरोग से ग्रस्त भिखारी तथा कुष्ठ रोगी

1209. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में कुष्ठरोग से ग्रस्त भिखारियों की तथा अन्य कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है ;

(ख) गुजरात राज्य में उन केन्द्रों का ब्योरा क्या है जहाँ कुष्ठ रोग के लिए उपचार सुविधा उपलब्ध है ;

(ग) प्रत्येक केन्द्र में कितने रोगी हैं ; और

(घ) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) गुजरात राज्य में कुष्ठरोग से पीड़ित भिखारियों तथा अन्य कुष्ठ रोगियों की वास्तिविक संख्या ज्ञात नहीं है। अनुमान है कि लगभग 2500 भिखारी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। गुजरात में उपचार के लिए 56,838 कुष्ठ रोगियों के नाम दर्ज किए गये हैं।

(ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठरोगियों का आरम्भ में पता लगाने तथा उनका नियमित उपचार करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इस रोग पर काबू पाया जा सके। यह कार्यक्रम गुजरात सहित उन सभी राज्यों में चलाया जा रहा है जिनमें यह रोग स्थानीय रूप से फैला हुआ है।

विवरण

31 जनबरी. 1980 को प्रत्येक केन्द्र में दर्ज कुष्ठ रोगियों की संख्या

क्रम सं०	जिला	संस्थाएं/यूनिट/केन्द्र		रोगियों की कुल संख्या अंतरंग रोगी	बाह्य रोगी	योग
1	2	3		4	5	6
1.	वलसाद	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	2	—	5727	5727
		सर्वेक्षण, शिक्ष और उपचार यूनिट	53	—	2553	2553
		नगरीय कुष्ठ केन्द्र	5	—	1798	1798
		जोड़		—	10,078	10,078

1	2	3		4	5	6
2.	सूरत	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	2	—	4913	4913
		सर्वेक्षण,शिक्षा और उपचार यूनिट	37	—	2684	2684
		नगरीय कुष्ट केन्द्र	5	—	1285	1285
		स्वैच्छिक संस्थाएं		—	2034	2034
		पार्वती कुष्ठ अस्पताल, सूरत		178	2530	2708
		जोड़		178	13,446	13,624
3.	बड़ौच	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	1	—	2726	2726
		सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	48	—	3831	3831
		नगरीय कुष्ठ केन्द्र	3	—	623	623
		स्वैच्छिक संस्थाएं	1	—	248	248
		जोड़		—	7428	7428
4.	वड़ोदरा	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	1	—	3406	3406
		सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	61	—	3412	3412
		नगरीय कुष्ट केन्द्र	2	—	1563	1563
		स्वैच्छिक संस्थाएं	1	—	384	384
		अनसुइया कुष्ठ अस्पताल		74	1327	1401
		जोड़		74	10,092	10,166
5.	पंचमहल	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	1	—	2382	2382
		सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	58	—	3695	3695
		नगरीय कुष्ट केन्द्र	2	—	377	377
		जोड़		—	6454	6454
6.	अहमदाबाद	कुष्ठ नियंत्रय यूनिट नगरीय कुष्ठ केन्द्र	1	—	1378	1378
		कागरापीठ कुष्ठ अस्पताल		133	602	735
		जोड़		133	1980	2113

1	2	3		4	5	6
7.	भावनगर	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	13	—	263	263
		एम० पी० शाह कुष्ठ अस्पताल, भावनगर		176	301	477
		जोड़		176	564	740
8.	जूनागढ़	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट	1	—	1336	1336
		नगरीय कुष्ठ केन्द्र	2	—	417	417
		कुष्ठ अस्पताल, जूनागढ़		63	445	508
		जोड़		63	2198	2261
9.	गांधी नगर	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	1	—	24	24
		जोड़		—	24	24
10.	बांसकंठा	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	16	—	347	347
		जोड़		—	347	347
11.	सावरकंठा	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	15	—	703	703
		जोड़		—	703	703
12.	मेहसाना	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	11	—	236	236
		जोड़		—	236	236
13.	जामनगर	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट	12	—	481	481
		जोड़		—	481	481
14.	राजकोट यूनिट	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार	4	—	282	282
		जोड़		—	282	282

1	2	3	4	5	6
15	अमरेली	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट 1	—	8	8
		जोड़	—	8	8
16.	खेड़ा	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार यूनिट 12	—	1316	1316
		जोड़	—	1316	1316
17.	डंग्स	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार 12	—	577	577
		कुल जोड़	624	56214	56838

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी और उसमें वृद्धि की मांग

1210. **श्री अमर सिंह वी- राठवा :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेतिहर मजदूरों के लिए, राज्यवार कितनी न्यूनतम मजूरी नियत की गयी है; और

(ख) क्या गुजरात राज्य में इसकी वृद्धि के लिए कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां तो मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी-दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात राज्य सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है, जो कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों का पुनरीक्षण करेगी ।

कृषि में राज्यवार मजदूरी-दरों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम (1)	लागू होने की तारीख (2)	मजदूरी-दरें (3)
केन्द्रीय सरकार	18 सितम्बर, 1976	*क्षेत्रों के अनुसार 4.45 रु० से 6.50 रु०

*न्यूनतम मजदूरी का 5.10 रु. से 7.50 रु० (अकुशल श्रमिकों के लिए) तक सशोधन करने के लिए टिप्पणी हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है ।

(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	2 दिसम्बर, 1975	क्षेत्रों के अनुसार 3.00 रु० से 5.0 रु० प्रतिदिन ।
असम	अक्तूबर, 1974	व्यवसाय के अनुसार 5.00 रु० से 6.00 रु० प्रतिदिन बगैर भोजन के व 4.50 रु० से 5.50 रु. प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ ।
बिहार	जुलाई, 1975	* गैर-सिंचाई वाले क्षेत्रों में 4.50 रु० से 5.00 रु० प्रतिदिन व एक समय का खाना/नाश्ता और सिंचाई वाले क्षेत्रों में 5 रु० और एक समय का खाना/नाश्ता ।
गुजरात	5 जनवरी, 1976	5.50 रु० प्रतिदिन ।
हरियाणा	21 दिसम्बर, 1979	व्यवसाय के अनुसार 7.50 रु० से 10 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 9.00 रु० से 12.00 रु० प्रतिदिन ।
हिमाचल प्रदेश	1 अक्तूबर, 1977	5.25 रु. प्रतिदिन ।
जम्मू तथा कश्मीर	अभी तक कोई न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं।	
कर्नाटक	2 अक्तूबर, 1975	संक्रिया की श्रेणी और भूमि के प्रकार के अनुसार 3.25 रु. से 5.50 रुपये प्रतिदिन ।
केरल	15 सितम्बर, 1975	आसान कार्य के लिए 6.50 रु० प्रतिदिन और कठिन कार्य के लिए 8.00 रुपये प्रतिदिन ।
मध्य-प्रदेश	5.5.1979	5.00 रु. परम्परागत परिलब्धियों के साथ यदि कोई हो ।
महाराष्ट्र	1 नवम्बर, 1978	क्षेत्रों के अनुसार 4.00 रु० से 5.50 रु० प्रतिदिन ।
मणिपुर	1.3.1977	6.50 प्रतिदिन ।

*बिहार में न्यूनतम मजदूरी भूमि के प्रकार और क्षेत्रों के अनुसार जिसमें निर्धारित की गई है, जहां मजदूरी नकद दी जाती है वह उपर्युक्त दर से कम नहीं होनी चाहिए।

1	2	3
मेघालय	2 सितम्बर, 1975	(क) एक समय के भोजन के साथ 4.50 रु. प्रतिदिन या 5.00 रु. प्रतिदिन संक्रियाओं के अनुसार । (ख) एक समय के भोजन के साथ 5.50 रु. या 6.00 रु० प्रतिदिन संक्रियाओं के अनुसार ।
नागालैंड	31 जनवरी, 1978	8.00 रु० प्रतिदिन ।
उड़ीसा	1 जनवरी, 1976	4.00 रु० प्रतिदिन ।
पंजाव	1.1.1979	*कैंदी 8.70 रु० प्रतिदित या 6.70 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ । * अन्य क्षेत्र–9.70 रु० प्रतिदिन या 7.70 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ ।
राजस्थान	1-1-1980	क्षेत्रों के अनुसार 6.25 रु० से 8.00 रु.
सिक्किम		इस राज्य में न्यूनतम-मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया है ।
तमिलनाडु	15-9-1979	5.00 रु. से 7.00 रु० संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार पूर्वी थंजावर को छोड़कर जहां मजदूरी दरें तमिलनाडू कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम, 1969 के अनुसार निर्धारित की गई है ।
त्रिपुरा	1-12-1979	7.00 रु. प्रतिदिन ।
उत्तर प्रदेश	23 अक्तूबर, 1975	जोनों के अनुसार 5.00 रु. से 6.50 रु. प्रतिदिन ।
पश्चिम बंगाल	30-9-1974	दैनिक-दर मूल / मंहगाई भत्ता / कुल व्यस्क 5.60 / 2.31 / 7.91 प्रतिदिन बालक 4.00 / 1.68 / 5.68 ,, (नवम्बर, 1979 से मंहगाई भत्ता)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1-6-1976	5.50 रु. प्रतिदिन ।

*—कृषि रोजगार में न्यूंनतम मजदूरी-दरें श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध रखती हैं ।

अरुणाचल प्रदेश		न्यूनतम मजदूरी का नियतन विचाराधीन है।
चण्डीगढ़	28-4-1979	7.70 रु० से 9.00 रु. प्रतिदिन भोजन के साथ या 9.70 रु. से 11.00 रु. प्रतिदिन कार्य की प्रकृति के अनुसार 5.50 रु० प्रतिदिन।
दादरा और नागर हवेली	15-4-1976	5.50 रु. प्रतिदिन।
दिल्ली	1-1-1980	9.25 रु. प्रतिदिन।
गोवा, दमन और दीव,	25-2-1976	कार्य की श्रेणी के अनुसार 4.00 रु. से 5.00 रु. प्रतिदिन।
मिजोरम		कृषि में न्यूनतम मजदूरी का नियतन विचाराधीन है।
पाँण्डिचेरी	1-5-1976	क्षेत्रों और कार्य की प्रकृति के अनुसार 3.50 रु० 9.00 रु. प्रतिदिन।
लक्षद्वीप		संघ शासित क्षेत्र में कोई भी कृषि श्रमिक नहीं है।

आयुर्वेदिक डिग्री धारकों और बी० ए० एम० एण्ड एस० स्नातकों का दर्जा

1211. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक डिग्री धारकों और बी० ए० एम० एण्ड एस० स्नातकों का दर्जा बराबर करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बी० ए० एम० एण्ड एस० स्नातकों पर यह प्रतिबन्ध लगाने का है कि केवल आयुर्वेदिक औषधियों को ही निर्धारित करें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और बी० ए० एम० एण्ड एस स्नातकों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल सभी बी० ए० एम० एस० अर्हताएं एक आयुर्वेदिक डिग्री के बराबर हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये समझौता

1212. **श्री अमरराय प्रधान : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ एम्प्लाइज का एक शिष्टमण्डल इस फरवरी के अन्त में उनसे मिला था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये इसने एक द्वि-वर्षीय समझौते का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिष्टमण्डल ने अन्य क्या सुझाव तथा माँगें रखी थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री० जे० बी० पट्टनायक) : (क) आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ एम्प्लायर्स के एक शिष्टमंडल ने यह सुझाव दिया था।

(ख) अन्य सुझाव न्यूनतम बोनस के भुगतान, मजदूर संघों को मान्यता देने, स्वतंत्र औद्योगिक संबद्ध आयोगों की स्थापना करने तथा विवादों के निपटान हेतु स्वैच्छिक विवाचन को बढ़ावा देने के बारे में थे।

(ग) इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

जिम्बाब्वे का चुनाव

1213. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीका में 'फ्रंट लाइन' राज्यों ने यह आलोचना की है कि जिम्बाब्वे में हाल के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं उसके बारे में सरकार को विदेशों में स्थिक अपने प्रतिनिधियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इन 'अंग्रेजी राज्यों' ने ब्रिटिश गवर्नर के कुछ निर्णयों की आलोचना की थी परन्तु इन्होंने जिम्बाब्वे के चुनाव परिणाम का स्वागत किया है।

(ख) और (ग) : हमें अपने प्रतिनिधियों से जो सूचना प्राप्त हुई है उससे राष्ट्रमंडल के प्रेक्षक दल के निष्कर्षों की मोटे तौर पर पुष्टि होती है। इस दल ने, जिसके अध्यक्ष श्री राजेश्वर दयाल थे, बहुत-सी कमियां देखी थीं लेकिन वह सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 'मतदान की समाप्ति तक चुनावों को इस हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जा सकता है कि चुनावों से, एक लोकतांत्रिक ढंग से, लोगों की भावनायें जानने का एक समुचित और स्वीकार्य माध्यम मिल सका है।

गंगा नदी पर रेलवे पुल

1214. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में गंगा नदी पर रेलवे पुल के निर्माण के प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस रेलवे पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्तमान प्रस्ताव गंडक के पश्चिम में पटना को सोनपुर के साथ मिलाने के लिए है लेकिन, योजना पर विचार करने से पहले, नमूना प्रयोगों आदि के द्वारा इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है ताकि पटना सिटी की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पहलू पर केन्द्रीय जल एवं बिजली अनुसंधान स्टेशन, पुणे द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) उक्त तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने तथा धन उपलब्ध होने पर ही इस संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

आयातित माल की निकासी

1215. **श्री फारुक अब्दुल्ला** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेडों से आयातित माल की धीमी निकासी से नौवहन विभाग को चिन्ता हो रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें शेडों से निर्यात किए जाने वाले माल को सुचारु रूप से भेजने के मार्ग में रुकावट आ रही है,

(ग) यदि हां, तो क्या इससे माल के लदान की गति धीमी पड़ जाती है और जहाजों को अधिक समय तक घाट पर ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ता है,

(घ) यदि हां, तो क्या आयातित माल की निकासी की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने कोई कठोर कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) आयात किए गए माल के कुछ एक बड़े पत्तनों पर धीमी गति से क्लियर होने के कारण वहां कभी-कभी माल जमा हो जाता है। परन्तु, यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती और अलग-अलग पत्तन की स्थिति अलग-अलग होती है।

(ख) और (ग) : निर्यात किए जाने वाले माल के ट्राजिट शैडों में स्थान उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और बम्बई, कोचीन और परादीप पत्तनों को छोड़ आयात किए माल के धीमी गति से क्लियर होने के कारण निर्यात किए जाने वाले माल के बारे में अन्य किसी भी पत्तन पर प्रायः कोई असर नहीं पड़ता है।

(घ) और (ङ) : पत्तनों से माल को शीघ्र से शीघ्र क्लियर करने के लिए पत्तन अधिकारियों और सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। आयात किए माल के धीमी गति से क्लियर होने की यह समस्या कुछ खास दिनों में कुछ एक बड़े पत्तनों पर ही पैदा होती है, सभी बड़े पत्तनों पर नहीं।

भाड़ा दरों में वृद्धि ।

1216. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 29 फरवरी, 1980 के इकोनौमिक टाइम्स (नई दिल्ली संस्करण) में ए० आई० एस० सी० 'नो, टुफ्रेट हाइक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो नौवहन उद्योग को बनाने के लिए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भाड़ों और जहाज सेवाओं के संबंध में गठित की गई स्थायी परामर्शदात्री समिति ने भारत-पाकिस्तान-बांगलादेश-यू० के० कांटीनेंट कार्फ्रेंस/की सदस्य भारतीय जहाज कम्पनियों और जहाज व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे उपरोक्त विषय पर एक बार फिर विचार-विमर्श/बातचीत करें ताकि जहाज सेवा में सुधार करने और उन्हें चलाने के बारे में संतोषजनक रूप से कोई परस्पर-सम्मत समझौता हो सके । कान्फ्रेंस के सेक्रेटरो से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय जहाज-व्यापारियों के उपरोक्त विचारों को कान्फ्रेंस के लंदन स्थित मुख्यालय के पास भेज दें । उपरोक्त स्थायी समिति दोनों पक्षों की आपसी बातचीत में उनकी सहायता करती रहेगी ।

अनुभवहीन बेरोजगार स्नातकों को रोजगार

1217. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से अनुभवहीन बेरोजगार स्नातकों ने अपने नाम देश के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत करवाए हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब इन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उनके प्रमाणपत्रों की जांच करने के बाद भी अनुभव के अभाव में अधिकारीगण उन्हें रोजगार प्रदान नहीं करते; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मामले पर विचार करेगी और नियमों में संशोधन करेगी, ताकि इन स्नातकों को रोजगार मिल सके ?

पर्यटन और नागर विमानन श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) जी हां ।

(ख) नियोजकों द्वारा भेजे गए मांग पत्रों में निर्दिष्ट योग्यताओं और अनुभव के अनुसार ही रोजगार कार्यालय अधिसूचित रिक्तियों के लिए सम्प्रेषण करते हैं । पदों की भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव भर्ती नियमों में निर्धारित किए जाते हैं । जहां कहीं नियमों में अनुभव का होना भर्ती के लिए आवश्यक शर्त के रूप में होता है, वहां यह जरूरी होता है कि सम्प्रेषित किए गए उम्मीदवार ऐसी शर्त पूरी करते हों ।

(ग) भर्ती के लिए आवश्यक समझी गई योग्यताएं और अनुभव, प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, नियमों में निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में नियमों में सामान्य संशोधन करना कठिन होगा।

रेल फाटक

1218. **श्री हनान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खड़गपुर मण्डल के अन्तर्गत लुडलो से मिल के द्वार तथा चिंगेल स्टेशन को उक्त द्वार से मिलाने वाली 1/4 कि॰ मी॰ सड़क पर रेल फाटक के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है; और

(ख) इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कितनी समय-सीमा रखी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) हवड़ा-खड़ागपुर खंड पर चिंगेल और फुलेश्वर स्टेशनों के बीच कि॰ मी॰ 28/30 पर एक समपार की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जून 1976 में रेलवे को सीधे एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) ऐसे समपार के लिए राज्य सरकार (सड़क प्राधिकरण) द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित करना अपेक्षित होता है और इस कार्य की पूर्ण लागत वहन करने का आश्वासन भी देना होता है चूंकि उन्होंने अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नही किया है, अतः इस समय यह कहना संभव नहीं है कि समपार की व्यवस्था कब दीं जायेगी। जनता के इस्तेमाल के लिए कि॰ मी॰ 29/6 पर पहले ही एक समपार मौजूद है।

कम्पूचिया को मान्यता देना

1219. **श्री पी॰ के॰ कोडियन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हेंग सामरीन के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक आफ कम्पूचिया को राजनयिक मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव) : (क) और (ख) : मामला सरकार के विचाराधीन है।

जाली रेलवे टिकटों की बिक्री

1220. **श्री तारिक अनवर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे डिवीजनों में कार्य कर रहे रेल कर्मचारियों द्वारा नकली तथा जाली रेलवे टिकटें और रेलवे वारन्ट बेचे जाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और गत एक वर्ष में इस सम्बन्ध में यदि कोई रेल कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) अन्य रेलवे डिवीजनों में ऐसे मामले रोकने और उनकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) (क) जी हां ।

(ख) 1-3-79 से 29-2-80 तक की पिछले एक वर्ष की अवधि में जिसमें, रेल कर्मचारियों द्वारा नकली एवं जाली रेलवे टिकटों और रेलवे वारंटो की बिक्री के मामले क्षेत्रीय रेलों के नोटिस में आये हैं, पकड़े गये मामलों और गिरफ्तार किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

(1) 7-7-1979 को बक्सर स्टेशन पर सतर्कता विभाग द्वारा मारे गये एक छापे के दौरान दूसरे दर्जे के पांच प्रयुक्त रेलवे टिकट बरामद हुए । सहायक बुकिंग क्लर्क के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गयी है :

(2) 8-7-1979 को पटना जंक्शन की टिकट खिड़की पर रेलवे के प्रयुक्त टिकट बरामद हुए । राजकीय रेलवे पुलिस, पटना ने 8-7-79 को भारतीय दंड संहिता की धारा 109,120 (ख), 420, 409, 467, 446 और 471 के अन्तर्गत मुकदमा मामला सं० 5 दर्ज कर लिया है ।

(3) 29-9-1979 को, एक सहायक कोचिंग क्लर्क से सूचना प्राप्त होने पर सूरत स्टेशन पर एक बाहरी व्यक्ति को उस समय पकड़ा गया जब वह एक क्लर्क को रेलवे के 47 प्रयुक्त टिकट दे रहा था । पूछताछ से पता चला कि ये प्रयुक्त टिकट रिश्वत देकर बम्बई सेंट्रल के एक टिकट कलक्टर से प्राप्त किये गये थे । अगले दिन टिकट कलक्टर को भी बाहरी व्यक्ति से 20 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया । टिकट कलक्टर को निलम्बित कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में आगे की आवश्यक कार्रवाई जांच-पड़ताल के बाद की जायेगी ।

(4) पूर्व रेलवे के पटना स्टेशन पर की गयी दो अचानक जांचों के दौरान, जिनमें से एक जांच 4-11-1979 को दानापुर मंडल के वाणिज्यक अधिकारियों द्वारा और दूसरी अचानक आंच 26-12-79 को सतर्कता विभाग द्वारा की गयी थी, बुकिंग काउंटर पर टिकट ट्यूबों में प्रयुक्त/जाली छपे हुए कार्ड टिकट बरामद हुए थे । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने 28-12-79 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख), 420, 414 और 468 तथा रेल सम्पत्ति (विधि-विरूद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 तथा भारतीय दंड संहिता अधिनियम की धारा 5 (1) (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 5 (2) के अन्तर्गत एक नियमित मामला आर० सी० नं० 24/79 दर्ज किया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रेल कर्मचारियों के कब्जे से जाली रेलवे वारंट भी बरामद किये थे' जो टिकट खिड़की से भुनाये गये थे । तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया । इन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है । केन्द्रीय जांच ब्युरो द्वारा इस मामले की आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(5) 17-2-1980 को जमालपुर टिकट घर पर पूर्व रलवे की सतर्कता शाखा द्वारा मा गए एक छापे के दौरान टिकट खिड़की से बड़ी संख्या में टिकट बरामद हुए थे । इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही हैं ।

(6) फरवरी 1980 में पूर्वोत्तर रेलवे के सादात रेलवे स्टेशन से दादर और श्रीरामपुर के लिए जाली टिकटों की बिक्री के मामले, पूर्वोत्तर रेलवे के नोटिस में आये । सादात स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर को, जिसे इसके लिए जिम्मेदार पाया गया, सादात से स्थानान्तरित करके निलम्बित कर दिया गया । पुलिस प्राधिकारियों को सूचित किया गया लेकिन किसी भी रेल कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया गया । रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

(7) उत्तर रेलवे की सतर्कता शाखा को रेल कर्मचारियों द्वारा टिकटों को फिर से बिक्री करने के सम्बन्ध में की गयी तीन शिकायतें प्राप्त हुई थी एक शिकायत के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल में कोई तथ्य नही पाया गया । अन्य दो शिकायतों की जांच की जा रही है ।

(ग) जाली रेलवे टिकटों, वारंटो आदि पर अनियमित रूप से यात्रा करने के मामलों को पकड़ने के लिए सतर्कता शाखा और वाणिज्यिक शाखा के टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा आरक्षण और टिकट खिड़कियों पर तथा गाड़ियों में प्रायः अचानक जांच की जाती है इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए वाणिज्यक विभाग के धोखाधड़ी विरोधी दस्तों और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिलकर सतर्कता संगठन द्वारा विशेष छापे भी मारे जाते हैं ।

बीड़ी उद्योग के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी

1221. **श्री बी० बालानन्दन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी उद्योग के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन और श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) : ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुऐ प्रश्न नहीं उठता ।

रेल मंत्रालय में पदों का उन्नयन

1222. **श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मंत्री** रेल मंत्रालय में पदों के उन्नयन के बारे में 19 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7729 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 से पूर्व और इस समय श्रेणी-वार पदों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च श्रेणी के पदों को बनाने के लिए निम्न श्रेणी के पदों

को समाप्त कर दिया जाता है तथा 'क' और 'ख' ग्रुप के पदों को बनाने के लिए 'ग' वर्ग के 90 पदों और 'घ' वर्ग के 4 पदों को कम करने के क्या कारण हैं; और

(ग) अतिरिक्त सदस्यों के 8 पदों को कम करके और उनके स्थान पर 5 नये पदों को बना कर किफायत किस प्रकार से की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। यह केवल अत्याधिक प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण किया गया है। इस समय राजपत्रित पदों के सृजन के लिए अराजपत्रित पदों का अभ्यार्पण बंद हैं। ग्रेड 'ग' और ग्रेड 'घ' के पदों की संख्या में कमी निम्नलिखित कारणों से है :

(i) कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा किए गए अध्ययन।

(ii) सरकार की नीति के अनुपालन में डेस्क अधिकारी प्रणाली को लागू करना।

(iii) कर्मचारियों की निम्न कोटियों की पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार लाने के लिए वर्ग 'घ' के पदों को ऊंचा करके वर्ग 'ग' का करना।

(ग) पदों की संख्या में कमी करने से रेलों ने प्रति वर्ष 1,19,700 की बचत की है।

विवरण

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	
		1.1.73 से पूर्व ऊंचे किए गए	आज तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्ग 'क'		
1.	सदस्य	5	5
2.	अपर सदस्य	8*	—
3.	सलाहकार	—	3
4.	निदेशक और समकक्ष	21	26
5.	अपर निदेशक और समकक्ष	4	25
6.	संयुक्त निदेशक और समकक्ष	55	82
7.	उपनिदेशक और समकक्ष	115	111
	वर्ग 'ख'		
8.	अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	157	173

* इसमें निदेशक, स्वास्थ्य का एक पद शामिल है जिसे 31-3-75 से अपर सदस्य (स्वास्थ्य) के रूप में पुनः पद-नामित किया गया था।

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	ग्रेड 'ए' स्टेनोग्राफर	13	14
10.	ग्रेड 'बी' स्टेनोग्राफर	11	36
	वर्ग 'ग'		
11.	सहायक	507	467
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	160	134
13.	निम्न श्रणी लिपिक	304	292
14.	स्टैनो ग्रेड 'सी'	204	180
15.	स्टैनो ग्रेड 'डी'	131	142
16.	विविध	408	409
	वर्ग 'घ'		
17.	रिकार्ड सार्टर	9	16
18.	दफ्तरी	82	75
19.	जमादार	27	27
20.	प्रवरण ग्रेड चपरासी	—	23
21.	चपरासी	238	215
22.	मेट-क्लीनर	6	6
23.	प्रवरण ग्रेड क्लीनर	—	10
24.	क्लीनर	52	42
25.	जमादार स्वीपर	2	2
26.	प्रवरण ग्रेड स्वीपर	—	4
27.	स्वीपर	22	18
28.	प्रवरण ग्रेड फराश	—	7
29.	फराश	36	29
30.	पानी वाला	4	4
31.	प्रधान माली	2	2
32	माली	4	4
33.	बागवानी खलासी	9	9
34.	प्रधान रक्षक	6	6
35.	वरिष्ठ रक्षक	4	4
36.	रक्षक	10	10
37.	सिपाही	18	18
38.	टेलीफोन खलासी	2	—

39.	फैरोप्रिंटर	1	1
40.	स्पंजमैन	1	1
41.	प्रेस खलासी	1	—
42.	टेप स्पलायर	4	4
43.	सहायक वाचर (आसूचना निदेशालय)	1	—
44.	चपरासी (स्वास्थ्य परिवार योजना नियोजन)	2	2

परिवार नियोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य

1223. **श्री रासबिहारी बेहेरा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1979-80 के परिवार नियोजन कार्यक्रम का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : एक विवरण जिसमें परिवार नियोजन के बिभिन्न तरीकों के राज्यवार लक्ष्य दिखाए गये हैं और दूसरा विवरण जिसमें परिवार कल्याण कार्य क्रम को कार्यान्वित करने के लिग राज्यों को राज्यवार अवंटित राशि सूचित की गई थी, विवरण एक और दो पर है ।

विवरण —एक

1979-80 के लिए परिवार नियोजन लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नसबन्दी आपरेशन	लूप निवेशन	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	गर्भ निरोधक गोलियों के सेवनकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	248,000	57,000	102,000	32,700
2.	आसाम	67,000	18,000	32,200	10,300
3.	बिहार	280,000	84,000	150,200	48,200
4.	गुजरात	188,000	57,000	196,000	21,600
5.	हरियाणा	38,000	26,000	123,000	6,500
6.	हिमाचल प्रदेश	18,000	7,000	11,000	2,700
7.	जम्मू और कशमीर	26,000	12,000	14,100	4,500
8.	कर्नाटक	166,000	67,000	79,400	25,500
9.	केरल	117,000	32,000	55,900	18,000
10.	मध्य प्रदेश	191,000	58,000	102,200	32,800
11.	महाराष्ट्र	246,000	66,000	128,000	37,700

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	6,000	2,600	3,100	1,000
13.	मेघालय	6,000	1,800	3,300	1,000
14.	नागालैंड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	133,000	40,000	48,000	15,300
16.	पंजाब	65,000	44,000	122,000	11,100
17.	राजस्थान	138,000	62,000	79,000	23,800
18.	सिक्कम	250	—	—	—
19.	तमिलनाडु	282,000	85,000	101,200	32,300
20.	त्रिपुरा	8,000	2,500	4,400	1,400
21.	उत्तर प्रदेश	472,000	318,000	295,000	81,100
22.	पश्चिमी बंगाल	221,000	67,000	118,300	38,000
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	900	500	500	100
24.	अरुणाचल प्रदेश	2,500	300	1,400	400
25.	चण्डीगढ़	2,000	1,800	7,000	500
26.	दादर-नगर हवेली	500	100	500	100
27.	दिल्ली	25,000	23,000	135,000	5,900
28.	गोआ, दमन व दीव	6,000	1,400	2,700	900
29.	लक्षद्वीप	200	100	300	—
30.	मिजोरम	1,600	1,000	1,100	400
31.	पांडिचेरी	3,100	1,300	1,300	400
32.	रक्षा मंत्रालय	20,000	5,000	41,000	10,300
33.	रेल मंत्रालय	35,000	7,000	142,000	35,000
34.	वाणिज्यिक वितरण	—	—	2,900,000	—
	अखिल भारत	3,054,050	8,148,900	5,003,100	500,000

विवरण—दो

1979-80 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सूचित की गई आवंटित राशि

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजन्सी	कुल* आवंटन (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	838.22

* ये आवंटन परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं दोनों के लिए है ।

1	2	3
2.	असम	210.02
3.	बिहार	719.34
4.	गुजरात	628.57
5.	हरियाणा	200.23
6.	हिमाचल प्रदेश	112.35
7.	जम्मू व कश्मीर	111.18
8.	कर्नाटक	620.75
9.	केरल	429.55
10.	मध्य प्रदेश	699.66
11.	महाराष्ट्र	720.90
12.	मणिपुर	27.86
13.	मेघालय	23.73
14.	नागलैण्ड	6.00
15.	उड़ीसा	498.95
16.	पंजाब	281.63
17.	राजस्थान	406.11
18.	सिक्किम	10.54
19.	तमिलनाडु	610.33
20.	त्रिपुरा	21.95
21.	उत्तर प्रदेश	1435.31
22.	पश्चिम बंगाल	532.90
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	6.16
24.	अरुणाचल प्रदेश	3.33
25.	चंडीगढ़	11.37
26.	दादरा नागर हवेली	2.05
27.	दिल्ली	37.15
28.	गोवा, दमन द्वीव	21.46
29.	लक्षद्वीप	0.97
30.	मिजोरम	10.10
31.	पांडीचेरी	14.78

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

1224. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए 1978-79 के दौरान कुल कितनी राशि मंजूर की गयी,

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई-आगरा मार्ग, विशेषकर भोपाल-इन्दौर के बीच के मार्ग की भारी मरम्मत किया जाना आवश्यक है, और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में राजपथों की दशा सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) 556 लाख रुपए।

(ख) और (ग) : बम्बई-आगरा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3) मध्य प्रदेश में इन्दौर, देवास, ब्यावरा, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर होती हुई जाती है। यह सच नहीं है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मरम्मत की जरूरत है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर साधारण रूप से मरम्मत वगैरह के बारे में पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उत्तरदायी है। छठी योजना की अवधि में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर 8 करोड़ रुपये खर्च करने के अलावा लगभग 22 करोड़ रुपयों की लागत के नये विकास कार्यों को मंजूर किये जाने का प्रस्ताव है।

फारबीसगंज और बरौनी के बीच रेलगाड़ियों का चलाना पुनः आरम्भ करना।

1225. **श्री डी० एल० बेठा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोतर सीमांत रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे की कौन सी रेलगाड़ियां वर्ष 1976 तक फारबीसगंज स्टेशन से बरौनी जंकशन तक चला करती थीं;

(ख) इनमें से कितनी रेलगाड़ियां अभी भी चलती हैं और कितनी रेलगाड़ियों का चलना बन्द हो गया है तथा उनके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बन्द रेल गाड़ियों को पुनः चलाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इनको कब से चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 1976 में और उसके बाद सहरसा के रास्ते फारबिसगंज और बरौनी के बीच दो जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 67/68 कोसी एक्सप्रेस और 401/402 सवारी गाड़ियां तथा कटिहार के रास्ते अन्य दो जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 37/38 प्रयाग एक्सप्रेस और 35/36 सवारी गाड़ियां चल रही थीं।

(ख) से (घ) : विगत में कोयले की कमी के कारण 67/68 कोसी एक्सप्रेंस, 35/36 और 401/402 सवारी गाड़ियों को समय-समय पर रद्द करना पड़ा था। इन्हें फिर से चालू किया जा चुका है।

ऊपरी पुलों के निमाण का मानदण्ड

1226. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यधिक यातायात वाले मार्गो पर ऊपरी पुल के निर्माण के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे पर बीरमगाम में 'मील रेलवे क्रासिंग, पर ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस मार्ग पर ऊपरी पुल के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड से कितनी बार और कब-कब मांग की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) इसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि रेलवे की नीति यह है कि राज्य सरकार (सड़क प्राधिकरण) के साथ, परवर्ती द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार, लागत-बाँट के आधार पर व्यस्त समपारों का ऊपरी/निचले सड़क पुलों में बदलाव कर दिया जाये ।

(ख) राज्य सरकार से नित्की समपार सं 42 को ऊपरी सड़क पुल में बदलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ग) उपर्युक्त समपार को ऊपरी सड़क पुल में बदलने के लिए दो बार मांग की गयी है ।

गुजरात को कोयले की ढुलाई

1227. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात, विशेषकर अहमदाबाद में औद्योगिक एककों की कोयले को ढुलाई की स्थिति 'बहुत ही खराब' है;

(ख) क्या यह सच है कि अहमदाबाद नगर में औद्योगिक खपत के लिए कोयले के 72 रेकों का जो मासिक कोटा नियत किया गया था, उसके मुकाबले रेल विभाग ने जनवरी, 1980 में केवल 28 रेक आबंटित किये और फरवरी 1980 के दौरान केवल 11 रेक ही वहां पहुंचे;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कोयले की कमी के कारण कुछ औद्योगिक एककों के बन्द हो जाने का खतरा है जबकि अन्य बहुत से एककों के पास नाम-मात्र का ही स्टाक है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि डीजल की कमी के कारण, सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई की स्थिति 'बहुत ही नाजुक' हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो गुजरात के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की ढुलाई के लिए अधिकतम रेक आबंटित करने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) गुजरात के लिए कोयले की कुल ढुलाई जनवरी 1980 के प्रति दिन 624 माल डिब्बों से बढ़कर फरवरी 1980 में

प्रति दिन 662 माल डिब्बे हो गयी यद्यपि अहमदाबाद क्षेत्र के लिये पिछले महीनों की तुलना में फरवरी में कम ढुलाई हुई ।

(ख) जनवरी 1980 में, अहमदाबाद के लिए 69 रेकों के कार्यक्रम की तुलना में 30.5 रेक आवंटित किये गये थे । बिजली घरों को कोयले की ढुलाई करने में वरीयता देने के लिए फरवरी 1980 में 71 रेकों के कार्यक्रम की तुलना में 1.7 रेक आवंटित किये गये थे ।

(ग) गुजरात तथा अन्य राज्यों से भी कोयले की कमी के सम्बन्ध में यदाकदा रिपोर्ट प्राप्त होती है ।

(घ) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से इसी प्रकार की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं ।

(ङ) गुजरात राज्य तथा अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को इस समय समग्र रूप से कोयले की वेहतर ढुलाई के अन्तर्गत कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने की कारंवाई की गयी है ।

पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्षयरोग के उपचार के लिए राष्ट्रीय योजना

1228. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां क्षयरोग के मामले बहुत होते हैं इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षयरोग रोकने एवं उसके उन्मूलन के वर्तमान प्रयास नगरों तक सीमित हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान केन्द्रीय योजनाएं क्या हैं जो इन क्षेत्रों में विशेष रूप से राजस्थान में चल रही हैं और राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्र भी शामिल हैं । इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन क्षेत्रों में क्षयरोग वहुत फैला हुआ है ।

(ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण सुविधाओं को देश के देहाती इलाकों तक पहुंचाना है ।

(ग) नन्हें बच्चों के बचाव के लिए बी. सी. जी. वेक्सीन पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के खर्च पर उपलब्ध कराई जाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक निकायों को टी. बी. क्लिनिक चलाने के लिए टी. वी. की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं ।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यकम के अधीन, जिस की लागत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच आधी-आधी बांटी जाती है, 1979-80 के दौरान राजस्थान को निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :

		(लाखों में)
1.	राज्य टी. बी. केन्द्रों को टी. बी. की दवाइयों की सप्लाई	4.50 रुपये
2.	अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सामग्री और उपकरणों की सप्लाई	0.20 रुपये
	जोड़	4.70 रुपए

राजस्थान के सारे 26 जिलों में पूरी तरह से सुसज्जित टी. बी. क्लिनिक हैं।

विदेशी मिशनों को अपने मकान किराए पर देने वाले विदेशी मंत्रालय के अधिकारी

1229. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने अपने अथवा अपने आश्रितों के मकान विदेशी मिशनों अथवा उनके अधिकारियों को किराए पर दिये हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों की सूची संकलित की जाती है जिसमें उनके किराएदारों के नाम एवं पदनाम तथा प्राप्त किराया दिखाया गया हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन अधिकारियों को सरकारी आवास मिले हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

वैगन मरम्मत वर्कशाप

1230. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेणिगुन्टा में एक वेगन मरम्मत वर्कशाप खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेणिगुण्टा में माल डिब्बा मरम्मत कारखाना खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, दक्षिण मध्य रेलवे पर तिरुपति (रेणिगुण्टा के निकट) में एक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित करने की एक योजना की मंजूरी दे दी गयी है और इसे रेलवे के 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कारखाने के निर्माण के संबंध में प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है।

हंगरी के विदेश मंत्री की यात्रा

1231. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के विदेश मंत्री ने फरवरी, 1980 में भारत की यात्रा की थी और विभिन्न विषयों पर बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान हंगरी के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से भेंट की और विदेश मंत्री के साथ आधिकारिक बातचीत की। उन्होंने वाणिज्य, ऊर्जा और वित्त मंत्रियों से भी भेंट की। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा हुई। हंगरी के विदेश मंत्री ने तनाव-शैथिल्य पर पड़ने वाले वर्तमान दबाव का उल्लेख किया और तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया को निरन्तर सुदृढ करने में अपने देश की रुचि व्यक्ति की।

नई दिल्ली-अटारसी और अटारसी दादर मार्गों पर तेज रेलगाड़ियां

1232. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1950, 1 जनवरी, 1960, 1 जनवरी, 1970 और 1 जनवरी, 1980 को नई दिल्ली-अटारसी और अटारसी-दादर मार्गों पर नम्बर तथा नामों सहित यदि कोई हों, कौन-कौन सी तेज रेलगाड़ियां चलती थीं; और

(ख) समय क्षमता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित और उपरोक्त तारीखों पर यह कितनी थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) विवरण सं० एक संलग्न है।

(ख) डाक, एक्सप्रेस, सवारी और माल गाड़ियों की खंडीय क्षमता मार्गों के आलेखन द्वारा एक मास्टर चार्ट पर रेलपथों की वास्तविक घोषणा करके निकाली जाती है। उपर्युक्त (क) में उल्लिखित विभिन्न खंडों पर ट्रंक मार्गों की उपलब्ध लाइन-क्षमता, बम्बई-कल्याण को छोड़कर, जो कि एक उपनगरीय क्षेत्र है, संलगन विवरण दो में बतायी गयी है।

विवरण एक

(क) 1 जनवरी, 1950, 1 जनवरी 1960, 1 जनवरी, 1970 और 1 जनवरी 1980 को नयी दिल्ली-इटारसी और इटारसी दादर मार्गों पर तेज गति की निम्नलिखित गाड़ियां थीं :

	नयी दिल्ली–इटारसी मार्ग	इटारसी–दादर मार्ग
1 जनवरी, 50	1. 5/6 पंजाब मेल	5/6 पंजाब मेल
	2. 197/198 अमृतसर एक्सप्रेस	197/198 अमृतसर एक्सप्रेस
	3. 49/50 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस	7/8 कलकत्ता मेल
	4. 3/4 फ्रंटियर मेल	27/28 इलाहबाद एक्सप्रेस
	5. 19/20 बी. बी. एंड सी. आई एक्सप्रेस	29/30 नागपुर एक्सप्रेस /1/2कलकत्ता मेल

1 जनवरी, 60	1. 5/6 पंजाब मेल	5/6 पंजाब मेल
	2. 57/58 पठानकोट एक्सप्रेस	57/58 पठानकोट एक्सप्रेस
	3. 15/16 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस	7/8 कलकत्ता मेल
	4. 21/22 दक्षिण एक्सप्रेस	27/28 काशी एक्सप्रेस
	5. 17/18 मद्रास-दिल्ली जनता	1/2 कलकत्ता मेल
	6. 3/4 फ्रंटियर मेल	29/30 हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस वरास्ता नागपुर
	7. 63/64 तूफान एक्सप्रेस	
	8. 23/24 दिल्ली-बम्बई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस	
	9. 27/26 नयी दिल्ली-बम्बई सेंट्रल सप्ताह में दो बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस (ए० सी० एक्स०)	
	10. 19/20 देहरादून एक्सप्रेस	
	11. 33/34 इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस	
1 जनवरी, 70	1. 5/6 पंजाब मेल	5/6 पंजाब मेल
	2. 57/58 अमृतसर एक्सप्रेस	57/58 अमृतसर एक्सप्रेस
	3. 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस	7/8 कलकत्ता मेल
	4. 21/22 दक्षिण एक्सप्रेस	27/28 वाराणसी एक्सप्रेस
	5. 17/18 मद्रास-दिल्ली जनता	41/42 बम्बई-इलाहबाद हवड़ा एक्सप्रेस
	6. 3/4 फ्रंटियर मेल	1/2 कलकत्ता मेल
	7. 63/64 तूफान एक्सप्रेस	39/40 दादर-नागपूर एक्सप्रेस
	8. 79/80 ताज एक्सप्रेस	29/30 हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस
	9. 77/78 उत्कल एक्सप्रेस	
	10. 23/24 दिल्ली-बम्बई जनता एक्स०	
	11. 25/26 ए० सी० पश्चिम एक्स०	
	12. 19/20 देहरादून एक्सप्रेस	
	13. 35/36 बिलासपूर-भोपाल एक्स०	
1 जनवरी, 80	1. 5/6 पंजाब मेल	5/6 पंजाब मेल
	2. 57/58 अमृतसर एक्सप्रेस	57/58 अमृतसर एक्सप्रेस
	3. 121/122 टी० एन० एक्सप्रेस	27/28 वाराणसी एक्सप्रेस

4. 123/124 ए० पी० एक्सप्रेस	41-170/42-169 बम्बई-हावड़ा-भागलपुर एक्सप्रेस
5. 125/126 के० के० एक्सप्रेस	115/116 बम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस
6. 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस	4/3 बम्बई-हावड़ा मेल
7. 17/18 जनता एक्सप्रेस	177/178 झेलम एक्सप्रेस
8. 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	83/84 महाराष्ट्रा एक्सप्रेस
9. 131/132 ह० निजामुद्दीन-मेंगलूर जे०जे० एक्सप्रेस	145/146 अहमदाबाद-मद्रास साप्ताहिक एक्सप्रेस
10. 177/178 पुणे-जम्मूतवी झेलम एक्सप्रेस	133/134 हावड़ा-अहमदाबाद एक्स (सप्ताह में चार बार)
11. 21/22 नयी दिल्ली-हैदराबाद एक्सप्रेस	39/40 दादर-नागपुर एक्सप्रेस
12. 3/4 फ्रंटियर मेल	59/60 गीतांजली एक्सप्रेस
13. 7/8 तूफान एक्सप्रेस	1/2 कलकत्ता बम्बई मेल बरास्ता इलाहबाद
14. 79/80 ताज एक्सप्रेस	201/202 पंचवटी एक्सप्रेस
15. 25/26 ए० सी०/पश्चिम एक्स०	29/30 हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस
16. 23/24 फिरोजपुर-बम्बई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस	
17. 181/182 सर्वोदय एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)	
18. 151/152 राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)	
19. 19/20 देहरादून एक्सप्रेस	
20. 171/172 जम्मूतवी-बम्बई सेंट्रल एक्स०	
21. 143/144 कलिंग एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	
22. 77/78 उत्कल एक्सप्रेस (सप्ताह में चार बार)	
23. 149/150 कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस	
24. 165/166 साबरमती एक्सप्रेस	
25. 33/34 इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस	
26. 35/36 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस	
27. 115/116 लखनऊ-बम्बई एक्सप्रेस	

विवरण—दो

इटारसी के रास्ते बम्बई—नयी दिल्ली ट्रंक मार्ग की आलेखित क्षमता

खंड	1-1-50 को	1-1-60 को	1-1-70 को	1-1-80 को
कल्याण-इगतपुरी	31	34.5	32	35
इगतपुरी-मनमाड	27	32	35	35
मनमाड-नन्दगांव	—	31.5	43	45
नन्दगांव-जलगांव	27	34	41	41
जलगांव-भुसावल	—	40	54	54
भुसावल-इटारसी	23	26	35	37
इटारसी-भोपाल	15.5	18.5	27	34
भोपाल-बीना	16	20.5	36	41
बीना-झांसी	14.5	18	21	41
झांसी-आगरा	13.5	17.5	19	36
आगरा-मथुरा	16.5	20.5	26	44
मथुरा-पलवल	18.5	34	39	48
पलवल-तुगलकाबाद	18.5	34	39	58
तुगलकाबाद-निजामुद्दीन	उपलब्ध नहीं	39	48	50
निजामुद्दीन-तिलक ब्रिज	उपलब्ध नहीं	39	48	57
तिलक ब्रिज-नयी दिल्ली	उपलब्ध नहीं	39	63	78

रानीगंज क्षेत्र में रेल उपभोक्ता

1233. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी 1980 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रानीगंज में रेलों द्वारा भाप-कोयला मंगाने वाले उपभोक्ताओं को उनका जनवरी, 1979 का कोयला अब मिल रहा है और इसलिए उनका साल का अधिकांश बकाया रह गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेक द्वारा कोयला मंगाने वाले उपभोक्ताओं को जो शेष को आगे ले जाने की सुविधा दी हुई थी उसे भी वापस ले लिया गया है ; और यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति के विषय में क्या तथ्य बताये गये हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। लेकिन भाप-कोयला मंगाने वाले विभिन्न उद्योगों/उपभोक्ताओं से प्राप्त महीने-वार कार्यक्रमों की स्वीकृति देना और आबंटन किये जाने तक भाप कोयला कार्यक्रमों को निलम्बित रखना केवल मात्र प्रक्रिया सम्बन्धी मामले हैं, जिनका दिन-प्रति-दिन के कोयले के वास्तविक संचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जी० टी० रोड पर मुगलसराय और वाराणसी में यातायात की भीड़

1234. **श्री ज़ैनुल बशर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जी० टी० रोड पर मुगलसराय और वाराणसी होकर गुजरने वाले भारी वाहनों के यातायात की भारी भीड़ के परिणामस्वरूप कई-कई घंटे तक यातायात रुका रहता है और दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और

(ख) क्या इन शहरों के बाहर से होकर यातायात को निकालने की कोई योजना है तथा इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : वाराणसी और मुगलसराय नगरों के, जहां भारी यातायात रहता है, बाहर से होकर यातायात के लिए एक बाईपास सड़क के निर्माण कार्य को जिसमें गंगा नदी पर पुल का निर्माण भी शामिल है, वर्ष 1978-83 की योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए प्रस्तावित नए निर्माण कार्यों में शामिल कर लिया गया है । इस सारी परियोजना के लिए जांच और सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है जिससे राज्य सरकार परियोजना का तख्मीना तैयार कर सके । जब परियोजना पर खर्च के तख्मीने मिल जायंगे तब अन्य कार्यों की आवश्यकता और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर पूंजी लगाने के बारे में निर्णय लिया जायगा ।

जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के बीच नई एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाया जाना

1235. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर और जयपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के लिये, जो जोधपुर से प्रातः 6 बजे चलकर दोपहर एक बजे जयपुर पहुंचेगी और जो पुनः जयपुर से दोपहर ढाई बजे चलकर रात्रि के 9.30 बजे जोधपुर पहुंचेगी, उत्तर रेलवे द्वारा एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) जनता की इस माँग को पूरा करने के लिये उपरोक्त रेलगाड़ी कब तक शुरू की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : जयपुर और जोधपुर के बीच एक अन्तःनगरीय गाड़ी चलाये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के परामर्श से इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा यथा-व्यावहारिक कार्रवाई की जायेगी ।

अफगानिस्तान समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के सम्बन्ध में विदेशों को भेजे गये अधिकारियों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

1236. **श्री निहाल सिंह : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने अफगानिस्तान की समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के सम्बन्ध में 25 फरवरी, 1980 तक विभिन्न देशों को कितने अधिकारी भेजे थे और इन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक देश में उनके दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : समीक्षाधीन अवधि में भारत सरकार के अधिकारियों ने विशेष रूप से अफ़गानिस्तान में हुई हाल की घटनाओं पर बातचीत करने के लिए विदेशों की निम्नलिखित यात्रायें की :

(1) श्री आर. भंडारी सचिव (ई आर)	—कुवैत और ईरान (तेहरान) (23-2-80 से 28-2-80 तक)
(2) श्री ई० गोन्साल्वेज़ सचिव (पूर्व)	—संयुक्त राज्य अमरीका (वाशिंगटन, न्यूयार्क) कनाडा (ओटावा) और यूनाइटेड किंगडम (लंदन) 23-2-80 से 4-3-80 तक)
(3) श्री एस० के० सिंह अपर सचिव (प्रशासन)	—अफगानिस्तान (काबुल) (6-2-80 से 11-2-80 तक)

इनके अतिरिक्त, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपसी हित के मामलों पर सावधिक द्विपक्षीय परामर्श करने के संबंध में समीक्षाधीन अवधि में कुछ अन्य देशों की भी यात्रा की। इस विचार विनिमय के दौरान अफ्गानिस्तान की घटनाओं पर भी चर्चा हुई। ये यात्राएं थीं :

(1) श्री आर० डी० साठे, विदेश सचिव (उनके साथ श्री पी० जोहरी, संयुक्त सचिव, श्री जे० एन० दीक्षित, संयुक्त सचिव और श्रीमती लक्ष्मी पुरी, अवर सचिव भी गए)	—पाकिस्तान (इस्लामाबाद) (4-2-80 से 7-2-80 तक)
(2) श्री आर. डी. साठे, विदेश सचिव (उनके साथ श्री ए० एन० राम, संयुक्त सचिव गए)	— नेपाल (काटमांडू) (18-2-80 से 19-3-80 तक)

(3) श्री ई० गोन्सल्बेज़ सचिव (पूर्व) (उनकी बंगलादेश की यात्रा में उनके साथ श्रीमती मीरा शंकर, अवर सचिव भी गयीं)	— श्री लंका (कोलम्वो) और बंगलादेश (ढाका) (कमश: 8-2-80 से 10-2-80 तक और 12-2-80 से 14-2-80 तक)
(4) श्री आर. भंडारी सचिव (ई आर)	— सऊदी अरब (जेद्दा) और संयुक्त अरब अमीरात (आबूधाबी और दुबई) (कमश: 16-2-80 से 19-2-80 तक और 20-2-80 से 23-2-80 तक)

संलग्न विवरण में इन यात्राओं पर विदेशी मुद्रा में हुए व्यय का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है ।

विवरण

विदेशी मुद्रा में खर्च दिया गया है

क्रम संख्या	प्रतिनियुक्त अधिकारियों के नाम एंव पदनाम	देश/स्थान जिनकी यात्रा की	खर्च हुई विदेशी मुद्रा की राशि (रुपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	श्री आर० डी० साठे विदेश सचिव		रु० 953.69	श्रीमती मंजु सिंह जो श्री एस. के. सिंह के साथ काबुल गई थीं, पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई।
2.	श्री पी० जोहरी, संयुक्त सचिव	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	रु० 953.67	
3.	श्री जे० एन० दीक्षित, संयुक्त सचिव	(4-2-1980 से 7-2-1980 तक)	रु० 953.67	
4.	श्रीमती लक्ष्मी पुरी, अवर सचिव		रु० 953.67	
5.	श्री एस० के० सिंह, अपर सचिव	काबुल (अफगानिस्तान) (6-2-80 से 11-2-80 तक)	रु० 1026.88	
6.	श्री एरिक गोन्साल्वेज, सचिव	कोलोम्बो (श्री लंका) (8-2-1980 से 10-2-1980 तक)	रु० 1472.74	
7.	श्री एरिक गोन्सावेल्ज, सचिव	ढाका (बंगलादेश) (12-2-1980 से 14-2-1980 तक)	रु० 224.63	

1	2	3	4	5
8.	श्रीमती मीरा शंकर, अवर सचिव	ढाका (बंगलादेश) (12-2-1980 से 14-2-1980 तक)	रु० 224.62	
9.	श्री आर० डी० साठे, विदेश सचिव	काठमांडू (नेपाल) (18-2-1980 से 19-2-1980 तक)	रु० 154.58	
10.	श्री ए० एन० राम, संयुक्त सचिव		रु० 154.57	
			रु० 7072.72	
11.	श्रीं रोमेश भंडारी, सचिव	जेद्दा (सऊदी अरब) अग्रेनीत	रु० 7072.72	
		(16-2-80 से 19-2-80 तक) —	रु० 7228.35	
		आबूधाबी एवं दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) — (20-2-80 से 23-2-80 तक)	रु० 2217.07	
		कुवैत — (23-2-80 से 25-2-80 तक)	रु० 3041.20	

1	2	3	4	5
		तेहरान (ईरान) (25-2-80 से 28-2-80 तक) —	रु० 5442.56	
12.	श्री एरिक गोन्साल्वेज सचिव	वाशिंगटन और न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमरीका)	रु० 7320.00	
		(23-2-80 से 27-2-80 तक और 1-3-80)	रु० 2907.20	
		ओटावा (कनाडा) (28-2-80 से 29-2-80 तक) —	रु० 2512.54	
		लंदन (यूनाइटेड किंगडम) (3-3-80) —	रु० 1884.13	
		कुल जोड़	रु० 39,625.77	

घोंरावाडी स्टेशन के नाम में परिवर्तन

1237. **श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अध्यक्ष, तालेगांव दाभड़े नगर परिषद, तालेगांव दाभड़े, जिला पुणे (महाराष्ट्र) से अप्रैल, 1979 के अंतिम सप्ताह अथवा मई, 1979 के प्रथम सप्ताह में कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें सरकार से 'घोरावाड़ी' (जो पुणे-बम्बई लाइन पर है) का नाम बदलकर 'यशवन्त नगर' रखने का अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, अहमदनगर से अभ्यावेदन

1238. **श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1979 में स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, अहमदनगर शाखा (शोलापुर डिविजन) महाराष्ट्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मांग दोंड-मनमाड खंड के स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है जिसे 2–10–1966 को भुसावल मंडल के साथ मिला दिया गया था और अब 2–10–1977 को शोलापुर मंडल के साथ मिला दिया गया है ।

(ग) और (घ) प्रचलित नियमों /आदेशों के अनुसार मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा इस मांग पर विचार किया गया है तथा स्थिति के बारे में मंडल रेल प्रबन्धक शोलापुर के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित भी किया जा रहा है ।

अर्हताहीन वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति

1239. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एस० ए० ओ०) विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे दिल्ली द्वारा 'उपयुक्तता परीक्षा' लेने में विलम्ब के कारण 24 प्रतिशत कोटे के विरुद्ध अर्हताहीन वरिष्ठ कर्मचारियों को 28 सितम्बर, 1979 से क्लर्क ग्रेड 1 के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और उन वास्तविक तारीखों से कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिनके स्थान रिक्त हुए थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि ये पदोन्नतियां संवर्गों की समीक्षा के कारण होने वाली रिक्तियों जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका था, के संबंध में की गयी थीं, इसलिए रिक्तियों की संख्या का पता लग जाने के बाद ही चयन किया जा सका। चूंकि पदोन्नतियां चयन के बाद ही की जा सकती थीं, इसलिए इसको पूर्व प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अन्तर्गत बसें

1240. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधीन तहसील-वार कितनी बसें हैं और उनमें से तहसील-वार कितनी बसें चल रही हैं, और

(ख) बसों के लिए अतिरिक्त पुर्जे खरीदने के लिए गत 3 वर्षों के दौरान कुल कितना व्यय किया गया है और इस अवधि के दौरान नई बसें लेने में कितनी लागत आई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए. पी. शर्मा) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में राज्य परिवहन अधिकरण के अधीन बसों और इनकी तहसीलवार चल रही बसों की संख्या नीचे दी जा रही है :

	तहसील का नाम	बसों की संख्या	चालू बसों की संख्या
1.	दक्षिणी अण्डमान	59	23
2.	रंगट	6	5
3.	बड़टंग	1	1
4.	मायाबन्दर	2	2
5.	दिगलीपुर	1	1
6.	छोटा अण्डमान	1	1
7.	कार निकोबार	2	2
8.	कटचल	1	1
9.	कैम्पवेल वे	2	2
	कुल	75*	38

* (इनमें 13 बसें बेकार घोषित हैं और नहीं चल रहीं हैं और 24 बसों की मरम्मत की जा रही है)।

(ख) अण्डमान और निकोवार प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों में वसों के स्पेयर पुर्जे और नई वसों के खरीदने पर जो धनराशि खर्च की है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	स्पेयर पुर्जों की लागत	नई बसों की लागत
1976-77	रुपए 5,52,000	रुपए 15,93,567
1977-78	रुपए 5,40,000	रुपए 16,35,000
1978-79	रुपए 6,74,774	रुपए 16,06,364

अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान

1241. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान तथा निकोवार द्वीप समूह में चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के मुकाबले कम वेतन-मान मिल रहा है;

(घ) क्या अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने भारत सरकार को इस बारे में कई वार लिखा है कि इनके वेतनमानों में संशोधन करके उनके वेतनमानों को शिक्षा विभाग में काम करने वाले लोगों को दिए जा रहे वेतनमान के वराबर कर दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह प्रशासन से जो प्रस्ताव मिला था उसकी वित्त मंत्रालय से परामर्श लेकर जांच की गई थी लेकिन उसे माना नहीं जा सका ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में चिकित्सा सुविधाओं में कमी

1242. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पर्याप्त विशेषज्ञों, औषधियों, अस्पतालों और औषधालयों आदि के अभाव के कारण पूरे अण्डमान और निकोवार द्वीप समूहों में व्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस सुदूरवर्ती केन्द्र शासित क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उस क्षेत्र के लिए चलते फिरते औषधालयों, जो कि वहां के लोगों की बहुत पहले से की गई मांग है, की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) यद्यपि बसे हुए लगभग सभी द्वीप समूहों में अस्पताल/औषधालय चल रहे हैं फिर भी विभिन्न द्वीपसमूहों में संचार की कठिनाइयों, बिखरी हुई आबादी तथा चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण

ऐसा मालूम होता है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं को और बढ़ाने की गुंजाइश है । तीन चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जल्दी ही कार्यभार संभालने की संभावना है । अभी तक द्वीप समूह के किसी भी स्थल से दवाइयों के अभाव की सूचना नहीं मिली है । संघ क्षेत्र प्रशासन ने दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने तथा वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए छठी योजना में प्रावधान किया है ।

(ग) छठी योजना में कटचेल (निकोबार जनाजतीय क्षेत्र) में चलता-फिरता औषधालय उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ।

चीन भारत सम्बन्ध

1243. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को चीनी हथियारों के आश्वासन को देखते हुए चीन के साथ आम हित के विषयों पर द्वि-पक्षीय बातचीत करने का है ;

(ख) क्या सरकार का भारत चीन सम्बन्धों को और सामान्य बनाने के लिए सद्‌भावना शिष्ट मण्डल चीन भेजने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रीं (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पाकिस्तान को चीन द्वारा हथियारों की सप्लाई में वृद्धि करने के बारे में हाल की खबरों को देखते हुए 2 जनवरी 1980 को चीन के कार्यकारी दूत से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी सरकार को हमारी इस चिन्ता और दृढ़ विचार से अवगत करा दें कि इस प्रकार की कार्रवाई से इस क्षेत्र में निश्चित रूप से तनाव बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ जाएगी । इसके उत्तर में चीन सरकार ने बताया है कि उनके द्वारा पाकिस्तान को दी गयी सहायता भारत के विरुद्ध नहीं है और उन्हें आशा है कि भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंध सुधरेंगे ।

(ख) और (ग) : सरकार भारत के सिद्धान्तों और हितों के आधार पर चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के समुचित उपायों की निरन्तर समीक्षा करती रहती है ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब,
संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और
ईरान का दौरा

1244. **श्री मती मोहसिना किदवई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी ठोस प्रस्तावों के बारे में गहन विचार-विमर्श के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान के दौरे पर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में इन चार देशों में क्या सफलता मिली;

(ग) क्या उक्त विचार-विकर्श में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा हुई ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) **और** (ख) विदेश मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने, जिसमें भारत-सऊदी आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग के लिए अन्तर-मंत्रालयी टास्क फोर्स के सदस्य थे, 16 से 20 फरवरी, 1980 तक सउदी अरब की यात्रा की ; इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के बहुत से ठोस प्रस्तावों पर गहराई से विचार-विमर्श करना था। इस प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोग और इस क्षेत्र की घटनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान की यात्रा की।

उर्वरक और रसायन का उत्पादन करने के लिए, स्पंज लौह-संयन्त्र का निर्माण करने के लिए, तेल शोधक कारखानों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने और भारत में सऊदी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, सऊदी अरब के विकास की योजनाओं के लिए भारत द्वारा जनशक्ति उपलब्ध करने की संभावनाओं से संबंधित अनेक प्रस्तावों पर सऊदी अरब के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श हुआ।

संयुक्त अरब अमीरात में, दूसरे विषयों के अतिरिक्त इस समय वहां काम करने वाले/रहने वाले भारतीयों पर संयुक्त अरब अमीरात के हाल के विनियमों के प्रभाव के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ।

तेहरान की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने, भारतीय संस्थानों में ईरानी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने पर तथा ईरान की औद्योगिक तथा विकास परियोजनाओं में भारत के शामिल होने की संभावनाओं के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में इन देशों की सरकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ विचार-विमर्श हुआ। स्थिति को सामान्य बनाने और अन्ततः इसके शांतिपूर्ण समाधान खोजने के संबंध में भारत का दृष्टिकोण उन्हे समझाया गया और इस विचार-विमर्श से भारत की नीति और उनके दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझा गया है।

दिल्ली परिवहन निगम के शिकायत केन्द्र

1245. **श्री के० ए० राजन** . क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1980 के 'पैट्रियट' में दिल्ली परिवहन निगम के केन्द्रों के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की हमेशा यह कोशिश रही है कि वह बस यात्रियों को

अच्छी से अच्छी बस सेवा प्रदान करे ताकि वे उससे संतुष्ट रहें। इसी क्रम में, निगम ने 1-2-80 से 10-2-80 तक एक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सभी प्रमुख स्थानों पर सुबह और शाम अधिकतम यातायात के समय निगम के अधिकारियों और सुपरवाइजरी कर्मचारियों को तैनात किया गया ताकि वे यातायात का सुचारू रूप से संचालन कर सकें और जो भी कार्रवाई वे जरूरी समझें, उसे करें ताकि यात्रियों की शिकायतों पर तत्काल मौके पर ध्यान दिया जा सके और उन शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित उपाय किए जा सकें। इस अभियान का बाकायदा प्रचार किया गया था। इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी ताकि बस-यात्री इस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, बस-समस्याओं पर अपनी सलाह और सुझाव दे सकें और अपनी वाजिब शिकायतों को दूर करवा सकें।

उपरोक्त अभियान को सफल बनाने के लिए, संबंधित अधिकारी अभियान के दौरान टाइम बताने वाले निर्धारित बूथों पर तैनात थे। यात्रियों द्वारा जो-जो शिकायतें उनकी जानकारी में लाई गईं, उन पर उन्होंने पूरा-पूरा ध्यान दिया। जिन बूथों का उल्लेख प्रेस विज्ञप्ति में किया गया था, वे आम जनता से भली-भांति परिचित थे और कोई भी बस-यात्री जिसे बस संबंधी कोई शिकायत हो, बड़ी आसानी के साथ संबंधित बूथ पर जाकर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से बातचीत कर सकता था। इस तथ्य से कि टाइम बताने वाले बूथों पर तैनात अधिकारियों को बस-यात्रियों से अनेक लिखित शिकायतें मिली हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई इस व्यवस्था का दिल्ली के यात्रियों ने पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

अभियान के दौरान शाहदरा टर्मिनल पर तैनात किए गए अधिकारियों से जो पूछ-ताछ की गई, उससे पता चलता है कि 8 फरवरी की सुबह को पेट्रियाट के एक संवाददाता ने शाहदरा टर्मिनल के टाइम-बूथ पर तैनात अधिकारी से संपर्क स्थापित किया और उनसे उन्होंने प्रबंध-व्यवस्था और बस-यात्रियों द्वारा शिकायतें दर्ज कराने की क्रियापद्धति के बारे में मौखिक पूछ-ताछ की। विशेष ड्यूटी अधिकारी ने उन सवालों का भली प्रकार से जवाब दिया।

जैसा कि समाचार-पत्र में आरोप लगया गया है, हमें किसी भी लड़की या यंग कालेज गर्ल से कोई शिकायत नहीं मिली क्योंकि जो अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे, उनके पास ऐसी कोई युवती शिकायत लेकर नहीं पहुंची। उक्त समाचार से यह भी पता चलता है कि वह समाचार किसी अज्ञात और गैर-जिम्मेदार व्यक्ति ने शिकायत करने वाले को देकर उसे गुमराह किया है।

स्टेन्डर्ड फ्लोर एन्ड आईल मिल (प्रा०) लिमिटेड, विदिशा, मध्य प्रदेश का बन्द होना

1246. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल तथा आटा मिल मजदूर सभा गंजबसोडा, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से दिनांक 18 फरवरी 1980 का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि स्टैण्डर्ड फ्लोर एण्ड आइल मिल (प्रा०) लिमिटेड का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और वह गत तीन महीने से बन्द है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने कार्य की परिस्थितियों, रोजगार आदि से सम्बन्धित सभी श्रमिक नियमों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जांच की जायेगी और कदम उठाये जायेंगे ताकि मिल द्वारा कार्य आरम्भ किया जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) स्टेन्डर्ड फ्लोर एंड आयल मिल (प्रा०) लिमिटेड (मध्य प्रदेश) के बारे में औद्योगिक संबंध राज्य क्षेत्र में आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं; जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन इस मामले में संबंधित सरकार है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह मिल किसी भी समय बन्द नहीं हुई। यद्यपि जनवरी, 1980 में कुछ श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई थी। लेकिन इस मिल में 17 फरवरी, 1980 से पूरी कार्यक्षमता से काम करना शुरू कर दिया है।

हालांकि श्रमिक नियमों के उल्लंघन के संबंध में आयल एण्ड फ्लोर मिल मजदूर सभा द्वारा लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में राज्य सरकार जांच का आदेश जारी कर रही है, तो भी राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यह फैक्टरी बोनस और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित मजदूरी-दरों का पहले से ही भुगतान कर रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियों की कमी

1247. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियों की लगातार कमी रहती है और लाभ पाने वालों को लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा के बिना औषधियां खुले बाजार में खरीदनी पड़ती हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए और औषधियों के भंडार में उपलब्ध न होने पर उनको स्थानीय रूप से खरीदने की सुविधा का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) जी नहीं! केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई दवाई अस्थायी रूप से खत्म हो जाती है तो लाभार्थियों को उस दवा के स्थान पर एवजी (सबस्टीट्यूट) दवा दे दी जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाईयां यदि आयुर्वेदिक औषधालयों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक भण्डार में उपलब्ध नहीं होती हैं तो वे निश्चित रूप से स्थानीय बाजार से खरीद ली जाती हैं और लाभार्थियों को दे दी जाती हैं। रोगियों को ये दवाईयां बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती हैं।

दिल्ली परिक्रमा रेलवे

1248. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में परिक्रमा रेलवे लाइन को दोहरा बनाने के लिए कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस हद तक कार्यान्वित की गई है और पूरी परिक्रमा लाइन को कब तक दोहरा कर दिया जाएगा; और

(ग) परिक्रमा रेलवे के शेष हिस्से के निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) माल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाजपतनगर और बरार स्क्वायर के बीच के खंड पर दोहरी लाइन बिछा दी गयी है। बरार स्क्वायर और दयावस्ती तथा लाजपतनगर व ओखला के बीच दोहरी लाइन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को पानीपत और अम्वाला के बीच दोहरी लाइन बिछाने के प्रथम चरण के रूप में 1980-81 के बजट में अनुमोदित कर दिया गया है परन्तु यह धन की उपलब्धता और दोहरी लाइन बिछाने के विभिन्न कार्यों की तुलनात्मक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। दिल्ली परिहार्य लाइन के भागों पर दोहरी लाइन बिछाने का काम 2 वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

धनबाद मंडल में एवजियों की नियुक्ति

1249. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में एवजियों की नियुक्ति के संबंध में क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) धनबाद मंडल में वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान प्रत्येक विभाग में नियुक्त किये गये एवजियों की कुल संख्या कितनी है और इस प्रकार की नियुक्तियां किये जाने के क्या आधार हैं;

(ग) धनबाद मंडल में उपरोक्त अवधि के दौरान गैंगमैन, की मैन और पेठों की सेवा-निवृत्ति के आधार पर उनके पुत्रों की की गई नियुक्ति का ब्योरा क्या है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जहां मौजूदा छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों से पदों का भरा जाना संभव नहीं होता है, वहां श्रैणी III और II/की रिक्तियों के लिए नियमित वेतन-मानों और भत्तों पर एवजियों को तैनात किया जाता है। जहां तक सम्भव होता है, एवजियों को श्रैणी III और II/के पदों के लिए चुने गये उपयुक्त उम्मीदवारों के पैनल में से लिया जाता है। श्रेणी II में नियमित रूप से समाहित करने के लिए एवजियों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

काकिंनाडा बन्दरगाह

1250. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार काकीनाडा बन्दरगाह को एक प्रमुख बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार को काकीनाडा बन्दरगाह से जाने वाले परिवहन में भारी वृद्धि होने के बारे में जानकारी हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा : (क) काकीनाडा पत्तन को बड़ा पत्तन घोषित करने के बारे में कोई भी सुझाव विचाराधीन नहीं है।

(ख) पत्तन पर यातायात के बढ़ जाने के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। काकीनाडा एक छोटा पत्तन है। इसलिए इसका विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औधधियों की कमी

1251. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण भारत में सरकारी अस्पतालों को जीवन रक्षक औषधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) कुछेक उन दवाइयों की जिनकी बाजार में आमतौर पर कम सप्लाई हो, सीमित अवधि के लिए कभी-कभार कमी हो जाने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जब कभी दवाइयों की कमी की रिपोर्ट मिलती है तो यह मामला उपयुक्त उपचारी कार्यवाही के लिए निर्माणकर्ताओं के साथ उठाया जाता है।

भारत के साथ बढ़ते तकनीकी, आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग में सोवियत रूस का नया योगदान

1252. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस के उप-प्रधान मंत्री ने हाल की अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ बढ़ते तकनीकी, आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग में सोवियत रूस का नया योगदान देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधियों के साथ हुई विस्तृत बातचीत के परिणाम स्वरूप सहयोग की जो रूपरेखा बनाई गई है, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत के लिए ऐसा सहयोग कहां तक लाभप्रद होगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उप प्रधान मंत्री तथा आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के सह अध्यक्ष श्री आर्खिपोव की हाल की यात्रा प्रमुखतः भारत-सोवियत आर्थिक सहयोग की 25 वीं वर्षगांठ मनाने से संबंधित समारोहों में भाग लेने के प्रयोजन से की गई एक सदभावना यात्रा थी। भारत में उनकी इस उपस्थिति से लाभ उठाकर भारत सोवियत संयुक्त आयोग द्वारा विविध क्षेत्रों में शुरू किये गए कार्यों की व्यापक रूप से समीक्षा की गई जिसके दौरान सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उप प्रधानमंत्री ने भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच व्यापारकि, आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने में अपने देश की सहायता की पेशकश की थी। इन विचार विमर्शों के दौरान सहयोग के किसी विशिष्ट क्षेत्र की ओर संकेत नहीं किया गया ओर न ऐसा करने का कोई इरादा ही था।

भविष्य निधि अंशदान की बढ़ी हुई दरें

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि में अंशदान की वर्तमान 6.25 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत और 8 नेतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक कर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) आल इण्डिया आर्गेनाजेशन आफ एम्प्लाईज ने उक्त वृद्धि का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रय मंत्री (श्री जे. बी. पटनयक) :

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियोजकों के कुछ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें यह अनुरोध किया गया था कि अंशदान की दरों में वृद्धि न की जाए।

(घ) जैसा कि ऊपर (क) में वताया गया है इस समय दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा बेरोजगारी भत्ता

1254. **श्री चित्त बसु :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने बेरोजगारों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इन राज्यों ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) जो राज्य सरकारें वैरोजगारी लाभ योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं उन से सबंधित उपलब्ध सूचना तथा ऐसी योजनाओं के उपलब्ध ब्यौरे विवरण के रूप में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) : पंजाव सरकार ने जनवरी, 1979 में अपनी बैरोजगारी भत्ता योजना पर होने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक का आर्थिक सहायता की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था।

विवरण

राज्य सरकारों की बेरोजगारी लाभ योजनएं

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 18 से 58 वर्ष की आयु के बेरोजगार व्यक्तियों, जो पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से पंजीकृत हैं और जिनकी पारिवारिक आय 500/रु० प्रति मास से अधिक नहीं है, को 50/रु० प्रति मास की बेरोजगारी सहायता दी जाती है जो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करते है उनके यह अपेक्षित होगा कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी कार्य । कार्यक्रम योजना में भाग लें ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के कार्यों में भाग लेने के लिए 200 रु० प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त प्रारिश्रमिक दिया जायगा।

पंजाब

पंजाब में, 1 अप्रैल 1978 को या उसके उपरान्त रोजगार कार्यालयों के पास 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से पंजीकृत शिक्षित वेरीजगार व्यक्तियों को वेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जवकि मैट्रिकुलेट्स को 40 रु० प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है, स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को 50 रु० प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी, 1979 में शिक्षित वेरोजगारों को वित्तीय सहायता देने संबंधी एक योजना शुरू की। योजना के अन्तर्गत (क) वेरोजगार स्नातक तथा एस. एस. सी. डिप्लोमाधारियों, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्थित संस्थानों से एस. एस. सी. तथा उच्चतर परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं तथा जो 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से महाराष्ट्र में वेरोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत हैं (4 वर्ष ऐसे व्यक्तियों के लिए जो. अ. जा, आ ज. जा., खानाबदोश कबीले या विमुक्ता जातियों से संबंक्षित है) को ऐसी अवधि तथा ऐसे प्रकार का अंशकालिक काम दिया जाता है जिससे वे 100 रुपए प्रतिमाह कमा सकें। (ख) वेरोजगार एस. एस. सी. धारी जो

21 से 30 वर्ष की आयु सीमा के हैं तथा जिन्होंने महाराष्ट्र में किसी स्कूल से परीक्षा पास की है तथा जो महाराष्ट्र में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 3 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से पंजीकृत है (2 वर्ष ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो अ. जा०/अ. ज. जा., खाना-वदोश कवीले या विमुक्ता जातियों से संबंधित है) को प्रतिवर्ष 100 रुपए दिए जाते हैं ताकि वे रोजगार प्राप्त करने के दौरान होने वाले खर्च के व्यय के एक भाग को वहन कर सकें।

राज्य सरकार एक रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य में ऐसे वयस्क व्यक्तियों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वेच्छा से अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है रोजगार की गारंटी द्वारा "कार्य का अधिकार" उपलब्ध कराने संबंधी प्रभावी व्यवस्था करना है। योजना में किसी भी व्यक्ति को रोजगार की मांग करने के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ऐसे व्यक्तियों को काम न दिलवा सकने की दशा में, योजना में वेरोजगारी भत्ता देने की परिकल्पना की गई है। योजना को हाल ही में सांविधिक रूप दे दिया गया है।

गुजरात

गुजरात सरकार रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत ऐसे शिक्षित वेरोजगार व्यक्तियों को, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों, अभिरक्षण भत्ता देती है।

(i) आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 4800 रुपए से कम होनी चाहिए।

(ii) आवेदक ने अवश्य ही गुजरात राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एस०एस० सी./डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर/परीक्षा उतीर्ण की हो।

(iii) आवेदक अब यहीं गुजरात राज्य में रह रहा हो।

(iv) आवेदक शपथ पत्र दायर करते समय अवश्य ही 20-30 वर्ष की आयु सीमा के बीच होना चाहिए।

(v) आवेदक 30-11-1978 को 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से लगातार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर होना चाहिए।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पूर्णकालिक और अंशकालिक विद्यार्थी, किसी भी स्रोत से 600/-रु. और उससे अधिक की वार्षिक इमदाद और सहायता पाने वाले आवेदक, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अन्य † प्रतिष्ठानों के पेंशनर, राज्य/केन्द्रीय सरकार से पदच्युत किए गए व्यक्ति और नैतिक भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त अपराध के रूप में दंडित व्यक्ति प्रतिरक्षण भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं।

इस योजना के अधीन आने वाले लाभानुभोगियों को अंशकालिक कार्य/प्रशिक्षण दिया जाता है और निम्नानुसार प्रतिरक्षण भत्ता दिया जाएगा :

क्रमांक योग्यताएं	प्रतिदिन के निर्धारित न्यूनतम कार्य घण्टे	प्रतिमास भत्ते की दर
1. एस. एस. सी.	1 घण्टा	रु. 50/—
2. तकनीकी डिप्लोमाधारी और (कला, वाणिज्य, विज्ञान, अध्यापन एवं विधि स्नातक)	1½ घण्टे	रु. 75/—
3. तकनीकी और व्यावसायिक स्नातक और स्नातकोत्तर।	2 घण्टे	रु. 100/—

तमिलनाडु

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना ऐसे शिक्षित और अनपढ़ बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए है जो राज्य में पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे एस एफ डी ए; डी पी ए पी, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य अवसर या लाभ नहीं पा सके। इस योजना में 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बेरोजगार ग्रामीणों को कार्य प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो योजना के अधीन रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाते हैं। कुछ चावल और गेहूं के अलावा तीन रुपए प्रतिदिन की दर से उत्पादन के आधार पर गिनी गई साप्ताहिक मजदूरी परिकल्पित है। जिन दिनों सरकार कोई काम नहीं दे सकती उन दिनों के लिए इस योजना के अन्तर्गत रु. 1/—प्रति दिन के भुगतान या समकक्ष मूल्य के चावल/गेहूं के दिए जाने की परिकल्पना भी है।

अन्य बेरोजगारी लाभ योजनाएं :

कर्नाटक :

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर्नाटक "रोजगार अनुमोदन योजना" का उद्देश्य वर्ष में 100 दिन सभी ऐसे वयस्कों को शारीरिक कार्य में रोजगार प्रदान करना है जो शारीरिक कार्य करने को तैयार हैं परन्तु वर्तमान कार्यकलापों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में मन्दे समय के दौरान कार्य नहीं पा सके। यह योजना राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होती है और इस प्रक्रिया में इस में उत्पादक परिसम्पत्ति के सृजन तथा ग्रामीण वातावरण के सुधार की परिकल्पना की गई है। यह योजना, जो मार्च, 1979 में आरम्भ हुई, शुरूआत में 45 तालुकों में कार्यान्वित की जाएगी और योजना के अन्त तक सभी तालुकों पर लागू की जाएगी। तथापि, इस योजना में किसी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की परिकल्पना नहीं की गई है।

केरल :

केरल सरकार ने 1978-79 के दौरान एक बेरोजगारी राहत योजना आरम्भ की है जिस के अधीन रोजगार कार्यालयों के पास 5 वर्ष या उससे अधिक समय से पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को 400 रुपए प्रति वर्ष का बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, बशर्ते कि सभी स्रोतों से बेरोजगार व्यक्ति की पारिवारिक आय 4000/—प्रति वर्ष से अधिक न हो।

केरल सरकार ने उपर्युक्त योजना को 1979-80 में रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में संशोधित करने का निर्णय किया जिसमें रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया गया चाहे वह अस्थायी या आंशिक आधार पर ही क्यों न हो।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है :

(क) सामुदायिक विकास कार्यों का निष्पादन;

(ख) बेरोजगारी और आवास सर्वेक्षण;

(ग) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए खुदरा निर्गम स्थान खोलना;

(घ) केरल खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले ग्रामीण उद्योग ; और

(ङ) परिवार कल्याण अभिवर्धकों के संवर्ग का निर्माण।

रेल टिकट धोखाधड़ी का भंडाफोड़

1255. श्री **एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में फरवरी, 1980 में रेल टिकट बेचने वालों का एक गिरोह पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने आदमियों का हाथ था और उनकी हैसियत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, किन्तु पिछले वाणिज्यिक और सतर्कता छापों के आधार पर ऐसे एक षड़यंत्र का दिसम्बर, 79 में पता लगा था।

(ख) अब तक दानापुर मंडल के 3 अराजपत्रित वाणिज्यिक कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये हैं और अब इस मामले की विस्तृत जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

पारादीप पत्तन का विकास

1256. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के विकास के लिए 1979-80 में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है,

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी, और

(ग) खर्च की गई राशि और किए गए सुधार का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए. पी. शर्मा) : (क) और (ख) : वार्षिक योजना में वर्ष 1979-80 में परादीप पत्तान के लिए 517.00 लाख रुपये रखे गये थे।

(ग) 31.12.79 तक 102.97 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस समय कच्ची धातु चढ़ाने-

उतारने के संयंत्र, एक और जनरल कारगो बर्थ, पनकट दीवार का निर्माण ट्रांजिट शेडों, रेलवे परमानेंट वे, वेट बेसिन आदि पर काम हो रहा है।

पत्तनों का आधुनिकीकरण और विस्तार

1257. **श्री चित्त बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तान सुविधायें पर्याप्त नहीं है,

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तानों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है, और

(घ) प्रत्येक परियोजना में क्या प्रगति हुई है ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) जहां तक बड़े पत्तानों पर तेल और कच्ची धातु को उतारने-चढ़ाने की सुविधाओं का संबंध है, इसके लिए देश में मौजूद सुविधाएं पर्याप्त हैं। बम्बई और टूटीकोरन में तेल के लिए कुछ और सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। जनरल कारगो और फर्टिलाइजर आदि कुछ बल्क कारगो को उतारने-चढ़ाने के मामले में हमारे बड़े पत्तानों में से कुछ पत्तान अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं।

(ख) से (घ) : पत्तनों पर नई मशीनें लगाना और इनका विकास करना निरन्तर किए जाने वाला कार्य है। वर्ष 1951 से लेकर पांचवी योजना तक जो 31.3.1978 को पूरी हुई, देश के 10 बड़े पत्तानों के विकास पर 957 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 1978-83 की योजना के प्रथम दो वर्षों में सन् 1978-79 में 58 करोड़ रुपए खर्च किये गये। अनुमान है कि सन् 1979-80 में लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस समय अनेक स्कीमों पर काम हो रहा है जिससे पत्तान पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी और पुराने जलयानों और उपकारणों को बदला जा सकेगा। वर्ष 1980-81 को योजना अवधि में फिलहाल 99.00 करोड़ रुपए रखे गये हैं।

जिन निर्माण कार्यों को इस समय पूरा किया जा रहा है उनके संबंध में विवरण संलग्न है

विवरण

(क) बड़े पत्तनों पर चालू महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति

पत्तन विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो हाल ही में स्वीकृत हुई हैं और जिन पर अब कार्यवाही चल रही है, इस प्रकार हैं :-

1—बम्बई (i) बुचर द्वीप पर चौथे तेल घाट का निर्माण चल रहा है। समझौते की शर्तों के अनुसार काम पूरा होने की निर्धारित तारीख सितंबर 1982 है।

2—पराद्वीप (i) दूसरे साधारण माल घाट का निर्माण कार्य चालू है। समझौते के अनुसार कार्य पूरा होने की तारीख मार्च, 1983 है।

(ii) कच्ची धातु लाने-ले जाने वाले पलांट में सुधार कार्य अभी चल रहे हैं।

3–टूटीकोरिन: (i) टूटीकोरिन स्थित ताप बिजली संयंत्र के उपयोग के लिए कोयला घाट का निर्माण शुरू किया गया है वर्तमान प्रगति के अनुसार, उक्त कार्य मार्च, 1981 तक पूरा हो जाएगा।

(ii) एक तेल जैट्टी का निर्माण भी हो रहा है। आशा है कि वह काम अप्रैल, 1981 तक पूरा हो जाएगा।

4–कांडला (i) सलाया में समुद्र से परे बनाये गए तेल टर्मिनल पर सिंगल बोया मूरिंग फैसीलिटी 1978 में चालू की गई थी। अन्य बुनियादी सुविधाएं भी चालू कर दी गई हैं।

5–भुरगांव(i) भुरगांव पत्तन की विकास परियोजना का अधिकांश काम पूरा हो गया है और तेज चलने वाली मशीनों द्वारा कच्ची धातु लाने ले-जाने जाले प्लांट को भी चालू कर दिया गया है।

6–मद्रास (i) मद्रास में भारतीय गोदी में एक आउटर आर्म का निर्माण कार्य चल रहा है। समझौते के अनुसार यह काम 1981 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

7–विशाखापत्तनम : तीसरे वेगन–टिनलर को स्थापित करने का काम भी चालू है।

8–न्यूमंगलौर : कुद्रेमुख से कच्चे लोहे का निर्यात करने के लिए पत्तन में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और निर्माण–कार्य चालू है।

(ख) माल उतारने–चढ़ाने वाले उपकरण :

विभिन्न पोर्ट फोर्क लिफ्ट ट्रक और क्रेन जैसे माल उतारने–चढ़ाने वाले उपकरण खरीदने के लिए कदम उठा रहे हैं जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

1–बंबई : अलग–अलग क्षमता वाले 80 फोर्कलिफ्ट ट्रक और मोबाइल टावर क्रेने।

2–मद्रास : साधारण माल रखने–उठाने के लिए मोबाइल क्रेन, ग्रेबिंग क्रेन और फोर्कलिफ्ट ट्रक।

3–कलकत्ता : 3 टन क्षमता वाली 8 वार्फ एवं यार्ड क्रेंन और 6 टन क्षमता वाली 7 और 10 टन क्षमता वाली 2 मोबाइल क्रेन।

4–न्यू मंगलौर : 7 1/2 टन और 16 टन क्षमता वाली मोबाइल क्रेन।

(ग) कंटेनर को लाने-ले जाने वाला उपकरण :

कंटेनरों के प्रति मौजूदा झुकाव को देखते हुए, सरकार बंबई, मद्रास और कोचीन पत्तनों पर कंटेनरी को लाने ले जाने वाली सुविधाओं की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है हल्दिया में, इस प्रकार की पर्याप्त सुविधाएं पहले ही जुटा दी गई हैं। इस संबंध में तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मद्रास और कोचीन पत्तन में क्रमशः 4.22 करोड़ रुपये के उपरोक्त उपकरण तथा बंबई पत्तन के लिए 7.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए ऐसे ही उपकरण खरीदने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) **तिरते जलयान**

1. **बंबई :** पिछले साल मैसर्स मंजगांव डाक्स को एक फलोटिंग क्रेन की खरीद के लिए आर्डर दिया गया था और इस पर काम हो रहा है।

2. **टूटीकोरिन :** एक हाई पावर टग के निर्माण के लिए मैसर्स गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स के आर्डर दे दिए गए हैं और इस संवंध में काम चालू है।

3. **कांडला :** (i) एक तिरती शुष्क मोदी का निर्माण करने के लिए मैंसर्स हुगली डाकिंग को आर्डर दे दिए गए हैं और इस संवंध में काम जारी है।

(ii) एक हाई पावर टग का निर्माण करने के लिए मैसर्स हुगली डाकिंग को आर्डर दे दिए गए हैं और इस संवंध में काम चालू है।

(ङ) इस समय जिन महत्वपूर्ण परियोजनओं पर विचार हो रहा है, वे इस प्रकार हैं :

(i) **कोचिन पत्तन में समेकित विकास परियोजना :**

कोचिन पत्तन में पी० ओ० एल० और उर्वरक लाने ले जाने के लिए बनाई गई समेकित परियोजना में एर्नाकुलम चैनल में एक तेल घाट का निर्माण करने का उल्लेख है।

(ii) **मद्रास पत्तन में बोट बेसिन का माडल फिर से तैयार करना**

मौजूदा बोट वेसिन में पर्याप्त बेसिन क्षेत्र और किनारे की दीवारों के साथ पर्याप्त गहराई उपलब्ध नहीं है। इसके लिए प्रस्ताव है कि बोट बेसिन की किनारे की दीवारों को फिर से बनाया जाए ताकि पोर्ट के किनारे पर आने वाले जलयानों को पर्याप्त गहराई वाले घाट मिल सकें।

(iii) **न्हावा शेवा**

बंबई के पास न्हावा-शेवा में पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय किया गया है।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में श्री टाटा का ज्ञापन

1258. **श्री चित्त वसु :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित मामलों में श्री टाटा का ज्ञापन इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की आवश्यक बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जे. बी. पट्नायक) : (क) और (ख) : सरकार को एम्पलायर्स फैडरेशन आफ इंडिया से औद्योगिक संबंधों के मुख्य विषयों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन में निर्दिष्ट मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :

(1) सही प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा सुव्यवस्थित और अर्थपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देना।

(2) उन श्रम न्यायालयों, अधिकरणों द्वारा विवादों का शीघ्र निपटारा करना, जो यथार्थ रूप से राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के परे हैं और जब कभी दोनों पक्ष राजी हों तब न्यायनिर्णय की अपेक्षा ऐच्छिक मध्यस्थता को बढ़ावा देना।

(3) हिंसा को कारगर ढंग से रोकना और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना।

(4) उचित मजदूरी नीति, जिसमें निर्वाह व्यय में उतार-चढ़ाव का समुचित सूचीकरण हो और केवल लाभकारित पर आधारिता पर निश्चित तथा सुस्पष्ट बोनस नीति।

(ग) सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके औद्योगिक संबंधों के बारे में कानूनों में परिवर्तन करते समय उपर्युक्त सुझावों पर उचित ध्यान देगी।

जसीडीह और रामपुर के बीच रेल सम्पर्क

1259. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में सन्थल परगना केवल एक ऐसा जिला है, जिसका मुख्यालय से बिल्कुल कोई भी सम्पर्क नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह जिला, जिसमें अधिकतर सन्थल रहते हैं खनिज सम्पत्ति में समृद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो जसीडीह जंकशन और रामपुर हाल्ट के बीच रेल सम्पर्क की स्थापना के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : जी हां। दुमका, जो सन्थाल परगना का जिला मुख्यालय है, तक रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए 1975 में टोह सर्वेक्षण किये गये थे जिनसे पता चला था कि ये लाइनें वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं है। लेकिन, योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1978 में नियुक्त की गयी राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति फिलहाल नयी रेल लाइनों जिनमें अलाभप्रद लाइनें और देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित रेल लाइनें भी शामिल हैं, के निर्माण के लिए एक युक्तसंगत नीति तैयार करने की आवश्यकता और उनके लिए धन जुटाने के ढंग के बारे में विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। दुमका के रास्ते जसीडीह को रामपुर हाट से मिलाने वाली रेल लाइन के निर्माण के लिए रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही यथोचित विचार किया जायेगा।

चारबाग रेलवे स्टेशन पर बमों का पकड़ा जाना

1260. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर दस बिना फटे हुए बम पकड़े गये थे और क्या रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी तभी हुई जब एक कुत्ते द्वारा एक बम को सूंघने के

कारण उसके फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है और बम रखने वाले दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और

(ग) यदि सभी बम इकट्ठे फट जाते तो कितना नुकसान होता ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां । यह सच है कि 29-2-1980 को लगभग 11 20 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 और 2 के बीच रेलपथ के निकट लगभग 1-1/2 इंच व्यास की भूरे रंग की दस गोलियां मिली थीं, जिन पर पशुओं की चर्बी चढ़ी हुई थी और जिनके बारे में विस्फोटक होने का संदेह था । यह भी सच है कि यह घटना उस समय प्रकाश में आयी जब एक आवारा कुत्ते ने एक गोली खाने की कोशिश की और वह गोली विस्फोटित हो गयी जिससे कुत्ते की उसी समय मृत्यु हो गयी ।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस, लखनऊ ने भारतीय विस्फोटक की धारा 5/8 के अन्तर्गत 29-2-1980 को अपराध संख्या 157 पर मामला दर्ज कर लिया है । राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है । इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

(ग) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर, सेना और गुप्तचर विभाग के विस्फोटक विशेषज्ञों के अनुसार ये गोलियां शिकारियों द्वारा पशुओं को मारने के लिए थीं । इसके अलावा, ये गोलियां निर्धारित समय पर विस्फोटित होने वाली नहीं थीं और इसलिए उनके एक साथ विस्फोटित होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाराबंकी-समस्तीपुर रेल लाइन

1261. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराबंकी-समस्तीपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य रुक गया है क्योंकि न तो रेल उपलब्ध है और न ही स्लीपर उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : जी नहीं । यह सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत आमान परिवर्तन का काम 1980-81 तक समाप्त हो जाये, सभी समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं ।

मंगलौर-हसन परियोजना

1262. **श्री के० ए० राजन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर-हसन परियोजना का काम पूरा हो जाने पर कितने श्रमिकों के फालतू हो जाने की संभावना है ;

(ख) उनका नियमित रेल सेवा में खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) उसमें से कितने श्रमिकों को नियमित सेवा में खपाया जायेगा ; और

(घ) शेष श्रमिकों का क्या होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) : 1-3-80 को इस परियोजना में नियोजित 3100 नैमित्तिक श्रमिकों में से 1680 की छंटनी कर दी गयी है क्योंकि वे आवश्यकता से ज्यादा थे। 309 वरिष्ठ श्रमिकों का पहले ही एक पैनल बना लिया गया है और उन्हें मंगलौर-हसन लाइन के अनुरक्षण के लिए समाहित कर लिया गया है शीघ्र ही, अन्य 150 का एक दूसरा पैनल बनाया जायेगा। और उन्हें समाहित कर लिया जायेगा। शेष को अवशिष्ट कार्यों के लिए रोक लिया गया है और सम्भावना है कि उनमें से भी अधिकांश फालतू हो जायेंगे।

आरक्षण में कदाचार

1263. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई महानगरों में संगठित गैंग आरक्षणों में रुकावट डालने, यात्रियों को अधिक धन देने के लिये मजबूर करने और अवैध तरीके से आरक्षण प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इस संगठित कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास की राजधानियों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आरक्षण स्थान प्राप्त करने और उन्हें गुप्तरूप से इच्छुक व्यक्तियों को अधिक मूल्य में वेचने की कुछ रिपोर्ट ध्यान में आयी हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में हाल ही में किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) मांग और पूर्ति के बीच का अन्तराल कम करने के लिए नयी गाड़ियां चालू की गई हैं। वर्तमान गाड़ियों के डिब्बे की संख्या में वृद्धि की गई है। गाड़ियों की चालन दूरी का विस्तार किया गया है तथा विशेष गाड़ियां चलायी गयी हैं।

(ii) महत्वपूर्ण स्टेशनों/ आरक्षण केन्द्रों में आरक्षण प्रक्रिया कारगर बनायी जा रही है।

(iii) रद्द होने वाली शायिकाओं/सीटों का निश्चित आरक्षण करना।

(iv) सतर्कता जांचों को तेज करना तथा विशेष पुलिस स्थापना के साथ संयुक्त जांच करना।

आरक्षित टिकटों का रद्द किया जाना

1265. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 में (एक) हावड़ा-दिल्ली (दो) बम्बई-दिल्ली और (तीन) मद्रास-दिल्ली

के बीच यात्रा और दिल्ली से हावड़ा, बम्बई और मद्रास के लिये शायिकाओं का आरक्षण करवाने के लिये आवेदन करने वाले यात्रियों की श्रेणीवार संख्या क्या है ;

(ख) कितनों को आरक्षण दिया जा सका और कितनों के आवेदन ठुकरा दिये गये और रद्द कर दिये गये ; और

(ग) आरक्षित टिकटों को रद्द करवाये जाने के कारण कितनी धन राशि की वसूली हुई थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : आरक्षण का रिकार्ड केवल एक वर्ष के लिए रखा जाता हैं । इसलिए 1978-79 की सूचना उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, वर्ष 1979-80 की अपेक्षित सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बिजली की कटौती

1266. **श्री समर मुखर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की अवधि में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में बिजली की कटौती की गई है,

(ख) यदि हां, तो कितनी,

(ग) क्या विक्षाखापत्तनम में सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों में बिजली की कटौती की गई है, और यदि हां, तो कितनी,

(घ) क्या बिजली की कटौती के कारण इस शिपयार्ड में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और

(ड.) यदि हां, तो कितना ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 6 सितम्बर, 1979 से बिजली की अधिकतम मांग और खपत दोनों में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी । 18 दिसम्बर, 1979 के बाद, केवल रोशनी के लिए ही आवश्यक बिजली का प्रयोग करने की अनुमति देते हुए 1700 बजे और 2200 बजे के बीच बिजली का अधिकतम लोड लेने पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विशाखा-पत्तनम में सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में तेल शोधक कारखाने को छोड़कर बिजली की कटौती नहीं की गई है, बिजली की कटौती कर दी गई है ।

(घ) जी हां ।

(ड.) बिजली में कटौती कर देने के कारण, शिपयार्ड के लिए काम करने की दो नियमित पारियों का जारी रखना संभव नहीं है ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरठ शटल के पहुंचने के समय में परिवर्तन

1267. **श्री बाबूलाल सोलंकी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मेरठ शटल के नई दिल्ली पहुंचने के समय को प्रात : 9.40 से बदलकर प्रातः 10.02 कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप हजारों सरकारी कर्मचारियों को देर हो जाती है और वे अपने कार्यालयों में देर से पहुंचते हैं;

(ख) क्या मेरठ शटल के नई दिल्ली पहुंचने के समय को फिर से प्रात: 9.40 या प्रात: 9.35 कर दिया जायेगा ताकि सरकारी कर्मचारी ठीक समय पर कार्यालय पहुंच सके;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है, विशेषतः जबकि मेरठ शटल के पहुंचने का समय लगभग 20 वर्षों से प्रात: 9.40 रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) : 1978 में परिचालनिक कठिनाइयों के कारण 2 एन० एम० मेरठ सिटी-नयी दिल्ली शटल के नयी दिल्ली पहुंचने के समय को 9.51 बजे से बदल कर 10.02 बजे कर दिया गया था। लेकिन, 2 एन० एम० का तिलक ब्रिज पहुंचने का समय 9.41 बजे है, जहां अधिकांश दैनिक यात्री इस गाड़ी से उतरते हैं। इस समय 2 एन० एम० का नयी दिल्ली इससे पूर्व पहुंचना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन बसें

1268. **श्री बाबू लाल सोलंकी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन कुल कितनी (सरकारी और गैर-सरकारी अलग-अलग) बसें हैं,

(ख) आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग पर कितनी बसें चल रही हैं,

(ग) क्या सभी बसें कचौराघाट तक नहीं जातीं जिसके कारण सवारियों को वहां में ठहरना पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो बसों की संख्या बढ़ाने तथा आगरा से कचौराघाट तक अधिक जल्दी-जल्दी बसें चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन कुल 6465 बसें हैं जिनमें से 692 बसें प्रायवेट बसें हैं। ये बसें निगम न किराये पर ली हुई हैं।

(ख) 19

(ग) और (घ) : इन 19 बसों में से 12 बसें कचौराघाट तक जाती हैं और बाकी 7

बसें आगरा और बाह के बीच चलती हैं। बाह और कचौराघाट के बीच बसों के लिए पर्याप्त संख्या में मुसाफिर नहीं हैं। मौजूदा बसों की संख्या यातायात की आवश्यकता को पूरी करती है। इसलिए आगरा और कचौराघाट के बीच बसों की संख्या में या उनकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करने के बारे में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का कोई इरादा नहीं है।

मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन बसें

1269. **श्री बाबू लाल सोलंकी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन (सरकारी और गैर-सरकारी पृथक-पृथक) कुल कितनी बसें हैं,

(ख) वर्कशापों में मरम्मत आदि के लिए कितनी बसें बेकार पड़ी हुई हैं, और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन बसों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधीन कुल 2535 बसें हैं जिनमें 22 बसें प्रायवेट चालकों की हैं।

(ख) इस समय वर्कशाप में 314 बसें मरम्मत वगैरह के लिए खड़ी हैं।

(ग) वर्ष 1980-81 में 405 नई बसें खरीदने का सुझाव है। इनमें से पुरानी बसों को बदलने के लिए 155 बसें ली जाएंगी और 250 बसें नई हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विदेश कार्य सलाहकार द्वारा दिया गया वक्तव्य

1270. **श्री के मालन्ना : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक समाचार के अनुसार पाकिस्तानी विदेशी कार्य सलाहकार श्री आगाशाही द्वारा दिए गए वक्तव्य का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि उनके देश को चीन द्वारा जो सैन्य सामग्री सप्लाई की जा रही है वह कम से कम वर्तमान स्तर पर तो जारी ही रहेगी और यदि साधन उपलब्ध होंगे तो इसमें वृद्धि की भी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि पिछले दशक के दौरान चीन ने पाकिस्तान को जो सहायता दी है, वह उसे छोटे अस्त्र-शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चीन सरकार अब भी पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह लैस करने के उसके दृष्टिकोण का समर्थन कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने श्री आगाशाही के इस बक्तव्य की खबरें देखी हैं। इस वक्तव्य के निहितार्थ का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार अपनी स्थिति के संबंध में अभी कुछ नहीं कहना चाहेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं कि चीन लोक गणराज्य की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वह इस क्षेत्र में उसकी मदद करेगी।

आयुर्वेदिक औषधालयों में विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियों की स्थानीय खरीद

1271. **श्री के मालन्ना : क्या स्वास्थ्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक औषधालयों, विशेषतः गोल मार्केट, नई दिल्ली में विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पेटेन्ट औषधियों के दिए जाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई कुछ औषधियाँ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पास उपलब्ध नहीं हैं और उनकी स्थानीय खरीद की भी कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एलोपैथिक औषधालयों के विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयां स्टोर में उपलब्ध न होने पर भी स्थानीय खरीद द्वारा रोगियों को दी जाती हैं जबकि आयुर्वेदिक औषधियों के मामले में यह पद्धति नहीं अपनाई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ यदि कोई पेटेंट दवाइयां लिखते हैं तो ऐसी दवाइयां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक औषधालय, गोल मार्केट सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक औषधालयों द्वारा उचित व्यवस्थानुसार दी जाती हैं।

(ख) और (ग) : जी नहीं। लाभार्थियों के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयां यदि आयुर्वेदिक औषधालयों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक भंडार में उपलब्ध न हों तो ऐसी दवाइयां आयुर्वेदिक औषधालय द्वारा भेजे गए मांगपत्र (इन्डेंट) पर स्थानीय मार्केट से खरीद ली जाती हैं और संबंधित लाभार्थी को दे दी जाती हैं। एलोपैथिक औषधालयों में विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयों के संबंध में भी यही पद्धति अपनाई जाती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

न्यू कटनी में रेल कर्मचारियों के साथ दुर्घटना

1272. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 फरवरी, 1980 को नये कटनी जंकशन पर चार्जमैन के कार्यालय में एक खड़े हुए इंजन के घुस जाने के कारण कुल कितने रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवाई है; और

(घ) हताहतों के परिवारों को मुआवजे के रूप में क्या दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी . के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 10-2-80 को लगभग 06.15 बजे, एक शरारती व्यक्ति ने नयी कटनी जंकशन के डीजल रेल इंजन शेड के अन्दर एक डीजल इंजन को तेज रफ्तार से एक लाइन से दूसरी लाइन पर चलाया और उससे कूद पड़ा। इंजन दो निचले ढांचों को टक्कर मारने और बालू घर में घुसने के बाद, चार्जमैन के कार्यालय में घुस गया, जिसके फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और एक व्यक्ति को मामूली चोट पहुंची।

(ग) जी हां। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा इसकी आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत तीन मृतक रेल-कर्मचारियों के आश्रितों को देय क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है।

काम में लाये जा रहे दोषयुक्त इंजन

1273. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक प्रकार के दोषों वाले कितने इंजन इस समय काम में लाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या इन दोषों के कारण (एक) दुर्घटनाएं (दो) इंजन-कर्मचारियों को उनका ध्यान हटने से असुविधा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) ऐसे रेल इंजनों को, जिनमें कोई विशिष्ट दोष पाया जाता है, काम में नहीं लाया जाता है। रेल इंजनों के शेड में पहुंचने के समय तथा गाड़ियों में लगाने के लिये ले जाते समय सक्षम तकनीकी कर्मचारियों और ड्राइवरों द्वारा सभी रेल इंजनों की यथोचित रूप से परीक्षण और जांच की जाती है। इन जांचों के दौरान पायी जाने वाली खराबियों पर, यदि कोई हों, तो सदा ध्यान दिया जाता है और रेल इंजन को काम में लाये जाने के लिए भेजने से पहले इन खराबियों को ठीक कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मारमुगांव पत्तन में नये व्यक्तियों का लगाया जाना

1274. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारमुगांव पत्तन के प्रयोक्ता पत्तन के अंदर कार्य करने हेतु नये व्यक्तियों को लगा रहे हैं जबकि फालतू घोषित किये गये बहुत से पत्तन श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया जा रहा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में पत्तन तथा गोदी श्रमिक फेडरेशन से प्राप्त अभ्यावेदन सरकार के पास पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) मशीनों से कच्ची धातु चढ़ाने

और उतारने के संयंत्र के चालू हो जाने से मारमुगांव पत्तन में 950 रजिस्टर्ड डाक श्रमिक इस समय फालतू हैं। इस पत्तन के प्रयोक्ता नौभरण का काम रजिस्टर्ड डाक श्रमिकों को काम पर लगा कर पूरा करवा रहे हैं और तट पर के काम के लिए या तो पत्तन के श्रमिकों या इस काम को जो लोग पहले से करते चले जा आ रहे हैं उनको काम पर लगा कर पूरा करवा रहे हैं। इन फालतू श्रमिकों को काम पर रखने के लिए मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट के उक्त संयंत्र में जहां भी खाली जगहें हैं वहां पर काम पर लगाने की पेशकश की गई है।

(ख) और (ग) वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया से मैसर्ज वी० एम० सलगावकर एण्ड ब्रदर प्रायवेट लिमिटेड के अधीन क्रेन आपरेटरों की जगहें डाक लेवर बोर्ड के फालतू विचमैनों में से भरने के बारे में दिनांक 26.10.79 को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिस पर मारमुगांव पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा फर्म से इस बारे में विचार करने का अनुरोध किया गया था। पता चला है कि इस मामले पर पत्तन के अधिकारियों के साथ फर्म अभी भी विचार वमर्श कर रही है।

बंगलादेश प्रतिनिधिमन्डल के साथ हुई बातचीत

1275. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बंगलादेश के बीच 1974 के भूमि सीमा समझौते को न मानने की बात को छोड़ कर बंगला देश प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में हाल में हुई बातचीत के दौरान अनेक ऐसे विषय उठाए, जिनसे भारत के लिए समस्या पैदा हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) पिछले नवम्बर-दिसम्बर के दौरात त्रिपुरा के वेलौरिया कस्दे के निकट महुरी नदी के गैर-सीमांकित क्षेत्र में बंगला देश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच हुई गोला वारी की घटना के बारे में 13 से 15 दिसम्बर, 1979 को नई दिल्ली में सचिव-स्तर की एक बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी इस इच्छा को पुनः दोहराया कि 1974 के भारत बंगलादेश भूमि सीमा समझौते को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

कालीकट में रलवे गेट पुल

1276. **श्री ई० के० इम्बीची बाबा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में तीसरे रेलवे गेट पुल के निर्माण की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस रेलवे गेट के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) समपार के स्थान पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे के 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ख) ऊपरी सड़क पुल विशेष का निर्माण रेलवे द्वारा किया जायेगा जबकि पुल के पहुंच-मार्गों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आशा है कि रेलवे इस काम को 1980-81 के दौरान शुरू कर देगी। पहुंच-मार्गों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने टैंडर आमंत्रित किए हैं।

पुड्ड़पोनानी पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17

1277. **श्री ई० के० इम्बीची बावा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 17 पर पुड्ड़पोनानी पुल के निर्माण में एक वर्ष तक बाधा रहने के क्या कारण हैं,

(ख) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) पुल का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन एवं परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 17 में पुड्ड़पोनानी पुल के निर्माण में देर होने का मुख्य कारण यह है कि इसके लिए टेंडर प्रायः नहीं के बराबर प्राप्त हुए।

(ख) इस संबंध में अनेक उपाय करने के बाद अब केवल सरकारी निर्माण कार्य निगमों और इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित फर्मों से टेंडर मंगाये गये हैं जिसकी आखिरी तारीख 15.3.1980 रखी गई है।

(ग) अगर इन निगमों और फर्मों से टेंडर प्राप्त हुए तब इन टेंडरों को तय करने और पुल का जल्दी से जल्दी निर्माण करने के लिए हर संभव कोशिश की जायगी।

चोरी के कारण रेलवे को हानि के बारे में समाचार

1278. **श्री शिव कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1980 के 'हिन्दुस्तान' टाइम्स में "लार्ज स्केल थेष्ट इन रेलवेज" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो होने वाली चोरियों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की डिवीजन वार कितनी वार्षिक हानि हुई है ;

(ग) क्या ये चोरियाँ रेलवे में सुरक्षा बल की मिली भगत से की जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन हानियों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) चोरी के कारण होने वाली हानि का ब्यौरा मंडल-वार नहीं रखा जाता। 1977-78 के दौरान, रेलों को सम्पूर्ण पैकेज और परेषणों (जिसमें चोरी और उठाईगीरी शामिल है)

के खोये जाने के कारण 9.9 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान करना पड़ा, जो अगले वर्ष घटकर 8.3 करोड़ रुपये रह गया। 1979-80 के आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं।

(ग) और (घ) : जी नहीं। प्रत्येक मामले में जिसमें रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सांठ-गांठ का पता चलता है, कड़ी कार्रवाई की जाती है।

बुर्हानपुर रेलवे स्टेशन का उपरि-पुल

1279. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुर्हानपुर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर के मकानों को मिलाने के लिए बुर्हानपुर रेलवे स्टेशन के वर्तमान उपरि-पुल के विस्तार करने की किसी योजना की हाल ही में स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, ऐसे ऊपरी पैदल पुल के लिए प्रस्ताव प्रायोजित करना तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त लागत वहन करने का उत्तरदायित्व लेना राज्य सरकार (स्थानीय प्राधिकारी) का काम है। लेकिन, विगत में उन्होंने इस मामले में लागत वहन करने की अपनी असमर्थता प्रकट की है।

बुरहानपुर रेलवे स्टेशन को वैगनों की सप्लाई

1280. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केले के लदान के लिए बुरहानपुर रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन कितनी वैगन सप्लाई की जाती हैं ;

(ख) क्या आवश्यकता की पूर्ति के लिये वैगनों की सप्लाई बिल्कुल अपर्याप्त है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये वैगनों की संख्या बढ़ाने के संबंध में बुरहानपुर से कोई प्रतिनिधि मंडल हाल ही में उनसे मिला था ; और

(घ) यदि हां, तो बुरहानपुर से अन्य गन्तव्य स्थानों को केले के शीघ्र परिवहन के लिए सप्लाई किए जाने वाले वैगनों की संख्या की वृद्धि के संबंध में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक की अवधि में बुरहानपुर में केलों के लदान के लिए औसतन 10

माल-डिब्बे प्रतिदिन सप्लाई किये गये थे। परन्तु, मार्च, 1980 के दौरान दैनिक मांग में वृद्धि हो गयी है और 15-3-80 तक 179 माल डिब्बों की मांग किये जाने पर 141 माल-डिब्बे सप्लाई किये गये थे।

(ग) जी हां।

(घ) माल-डिब्बों की सप्लाई में वृद्धि करने तथा केलों का त्वरित संचलन सुनिश्चित करने के लिए रेलों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय केन्सर केन्द्र के लिए केन्द्रीय सहायता

1281. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **स्वास्थ्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय केन्सर केन्द्र के लिये केन्द्रीय सहायतार्थ केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अनुरोध कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) मांगी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है और यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है, तो यह कब तक कर लिये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1976।

(ग) केरल सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए जो अनुरोध किया था उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. भवन	20.00 लाख रुपये
2. विकिरण चिकित्सा	19.16 लाख रुपये
3. रोग विज्ञान	1.62 लाख रुपये
4. सामाजिक आयुर्विज्ञान	4.00 लाख रुपये
5. जीव रसायन	4.41 लाख रुपये
6. कैंसर शल्य क्रिया	1.75 लाख रुपये
7. पुस्तकालय	3.00 लाख रुपये
8. मोबाइल वैन	0.50 लाख रुपये
9. फर्नीचर आदि	5.00 लाख रुपये
	59.44 लाख रुपये

(लगभग 60 लाख रुपये)

(घ) कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम के जिन विभिन्न पहलुओं को छठी योजना की शेष अवधि में केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किया जा सकता है, सरकार उनकी प्राथमिकता के अनुसार उन पर विचार कर रही है। इस विषय में योजना आयोग के परामर्श से वित्त वर्ष 1980-81 के शुरू में निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

टाटानगर-अमृतसर मेल एक्सप्रेस गाड़ी

1282. **कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टाटा नगर-अमृतसर मेल एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन चलाने का है चूंकि बड़े नगरों तथा औद्योगिक स्थानों को आपस में जोड़ने वाली यह एकमात्र गाड़ी है ;

(ख) क्या सरकार का इसके दिल्ली से प्रस्थान के समय में भी परिवर्तन करने का विचार है क्योंकि इसका प्रस्थान का समय बहुत ही असामान्य है जबकि बिहार के अधिकतर निर्धन व्यक्ति इस गाड़ी को लेने में असफल रहते हैं और उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : जी नहीं। इस समय लम्बी दूरी की इस गाड़ी के समय में बड़ा परिवर्तन करना संभव नहीं है। लेकिन, बोकारो, टाटानगर जैसे बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों की जनता के लिए 1-4-80 से गया, बोकारो और टाटानगर होकर नयी दिल्ली और पुरी के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली तेज गाड़ी चालू की जा रही है। मार्च 1980 से नयी दिल्ली, चोपन और बरकाकाना होकर चंडीगढ़ और रांची के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली दूसरी तेज गाड़ी चालू करने का भी प्रस्ताव है जो दिल्ली तक और दिल्ली से यात्रा करने के लिए दक्षिणी बिहार के पिछड़े क्षेत्रों को सेवित करेगी और दिल्ली में वह उचित समय पर पहुंचेगी।

स्वर्ण टाकीज से स्टेट्समैन और केन्द्रीय सचिवालय के रूटों पर बस

1283. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूट संख्या 320 पर भारी भीड़-भाड़ को कम करने और विश्वास नगर ब्लाक 31, 32 और 33 से शकरपुर के बीच रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए, जिन्हें भीड़-भाड़ वाले घंटों में बसें नहीं मिलती हैं, स्वर्ण टाकीज से स्टेट्समैन और केन्द्रीय सचिवालय के रूटों पर और बसें चलायेगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) : स्वर्ण टाकीज से केन्द्रीय सचिवालय तक पहले ही रूट नं० 320 की बस सेवा है जो हर बस मिनट पर चलती

है । इस रूट पर अधिकतम यातायात के समय एक स्पेशल ट्रिप सवेरे नौ बजकर पांच मिनट पर चलती है । स्टेट्समैन आने के लिए मुसाफिर बस बदलकर भी बस में आ सकते हैं । इसलिए स्वर्ण टाकीज से स्टेट्समैन और केन्द्रीय सचिवालय तक बस रूट चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आरा-सासाराम लाइट रेलवे

1284. **श्री चन्द्र प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरा-सासाराम लाइट रेलवे को बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार वहां एक बड़ी लाइन बिछाने का है ?

रेल मंत्रालव में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) यह एक प्राइवेट कम्पनी के स्वामित्व वाली रेलवे थी । केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने के बावजूद यह कम्पनी स्वेच्छा से परिसमाप्त हो गयी और इसने 15-2-78 से आरा-सासाराम लाइट रेलवे के परिचालन का काम छोड़ दिया ।

(ख) इस समय ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

अहमदाबाद-जयपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1285. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार का राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन के रास्ते अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदलने का इरादा है, उस पर कितना खर्च होगा और काम कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मारवाड़ के रास्ते अहमदाबाद-जयपुर खंड का आमान परिवर्तन, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच (934 कि०मी०) किये जाने वाले आमान परिवर्तन की वृहद् योजना का एक भाग है । इस योजना की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है जिसे यातायात की आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाना है । प्रथम चरण के रूप में, फुलेरा-किशनगढ़ खंड (50.97 कि०मी०) पर बड़ी लाइन उप-संरचना सहित दोहरी लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

घाटे में चल रही रेलगाड़ियाँ

1286. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी रेलगाड़ियां घाटे में चल रही हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त रेलगाड़ियों की एक सूची सरकार द्वारा सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन मार्गों पर चल रही रेलगाड़ियों को बन्द कर देने का

है जहां यात्री अपनी यात्रा के लिये आसानी से बसों का उपयोग कर सकते हैं ताकि और आगे हानि से बचा जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो और आगे हानि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) चूंकि आमदनी और लागत से सम्बन्धित आंकड़े गाड़ी-वार नहीं रखे जाते हैं इसलिए अलग-अलग गाड़ियों से होने वाले लाभ की गणना करना सम्भव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पाली से आरक्षित कोटे के अन्तर्गत आरक्षण

1287. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य का पाली जिला एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है जहां से व्यापारी रेल से अहमदाबाद आते और जाते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो पाली से आरक्षित कोटे की शायिकाऐं और बैठने के स्थान कितने हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आवश्यकता को देखते हुए सरकार का पाली से अहमदाबाद के लिए एक निर्धारित आरक्षण कोटे की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 209 अप रेवाड़ी-मारवाड़ सवारी गाड़ी/3 अप दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ियों में लगने वाले जोधपुर-अहमदावाद के बीच चलने वाले दूसरे दर्जे के दो टियर शयनयान में मारवाड़ पाली स्टेशन से अहमदाबाद के लिए दो शायिकाओं और छः सीटों का कोटा आवंटित किया गया है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को रोजगार दिलाने की योजना

1288. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने बेरोजगार एम० बी० बी० एस० डाक्टर हैं और क्या सरकार की उन्हें रोजगार दिलाने की कोई योजना है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) प्रति वर्ष कितने डाक्टर मेडिकल कालेजों से पास होकर निकलते हैं, आगामी तीन वर्षों में कितने डाक्टर उपलब्ध होंगे तथा क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके रोजगार की कोई योजना तैयार करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) 30 जून, 1979 को भारत के रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टरों में दर्ज चिकित्सा स्नातकों की संख्या

है। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह योजना चलाई जा रही है, उनमें एक और तीसरा डाक्टर नियुक्त करने की व्यवस्था है। यह तीसरा डाक्टर इलाके विशेष में प्रचलित चिकित्सा पद्धति का होगा। यह विकल्प संबंधित राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

(ख) देश की विभिन्न चिकित्सा कालेजों से हर वर्ष लगभग 12500 चिकित्सा स्नातक तैयार होकर निकलते हैं। स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और इसलिए राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो योजना आयोग के परामर्श से उपयुक्त रोजगार योजनाएं तैयार करने में सर्वथा सक्षम हैं।

पश्चिमी बंगाल में बीड़ी मजदूरों की कल्याण निधि का इस्तेमाल

1289. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बीड़ी मजदूरों की कल्याण निधि का इस्तेमाल बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना से लेकर अब तक किस प्रकार किया गया है;

(ख) इस निधि के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों द्वारा (वर्षवार और कार्य-वार) कितने बीड़ी मजदूरों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या ये अनुदान कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही केन्द्रित रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन लाभों को पूरे राज्य के बीड़ी मजदूरों तक पहुंचाने के लिए क्या नीति अपनाई गई है ?

पर्यटन और नगर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में, जहां बीड़ी श्रमिक हैं, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने, शैक्षणिक छात्रवृत्तियां देने, आवास निर्माण में सहायता देने, आदि के लिए किया जा रहा है।

(ख) 1978-79 के दौरान चिकित्सा सुविधाओं का प्रतिमाह औसतन 4500 श्रमिकों ने लाभ उठाया; वर्ष 1979-80 के दौरान ऐसे लाभानुभोगियों की संख्या लगभग 7800 प्रति माह होने की संभावना है। 1978-79 में, 117 बालकों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं। 1979-80 के दौरान लाभानुभोगियों की संख्या लगभग 500 होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1978-79 में राज्य सरकार को स्वीकृत योजना के अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु 4.95 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(ग) से (ङ) : विभिन्न क्षेत्रों में, जहां श्रमिक अधिक संख्या में हैं, सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ऐसे सभी क्षेत्रों में सुविधाओं का उत्तरोत्तर विस्तार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

कोयले की राख को उपलब्ध कराना

1290. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में कोयले के जलने के बाद बचने वाली राख की मात्रा सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की है ताकि इसे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों में वितरित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस कोयला-राख के निपटान के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जब कभी कोयले के राख की खरीद के लिए सहकारिता संस्थाने निविदा/नीलामी में भाग लेते हैं और कोट की गयी उच्चतम मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं तब रेलों द्वारा सहकारिता संस्थानों को अधिमान के आधार पर कोयले की राख दी जाती है ।

(ख) ऐसे खंड़ों में जहां सहकारिता समितियों से पर्याप्त मांग होती है, वहां रेल प्रशासन निविदाओं/नीलमियां के माध्यम से चालू दरों पर पहुंचने के बाद, अन्य निजी व्याष्टियों और फर्मों आदि के अधिमान में राष्ट्रीय निर्माण कार्य कलापों में लगी सहकारिता समितियों और संगठनों को, जब कभी ऐसी समितियां और संगठन निविदाओं/नीलामियों में भाग लेती हैं और कोट की गई उच्चतम मूल्य पर बिक्री का अनुरोध करती हैं, बिक्री के लिए कोयले की राख दी जाती है । एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के दौरान ये दरें मूल दरें समझी जाती हैं और अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार न्यायसंगत सीमा तक परिवर्तित होती रहती हैं ।

उन स्टेशनों पर जहां सहकारिता समितियों से किसी प्रकार की मांग नहीं होती वहां रेलें नीलामी या निविदा द्वारा जैसा वे उचित समझे व्यष्टियों या फर्मों को कोयले की राख का निपटान करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

पटना के जल्ला क्षेत्र में बेगमपुर-दौलतपुर-जल्ला रोड

1291. **श्री रामावतार शास्त्री** : **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पटना जिले के जल्ला क्षेत्र में बेगमपुर-दौलतपुर-जल्ला सड़क यातायात की दृष्टि से ऐक महत्वपूर्ण सड़क है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस डामर सड़क की हालत बहुत खराब है, और

(ग) यदि हा, तो इसके निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) : विचाराधीन सड़क एक राज्य सड़क है । राज्य सरकार द्वारा भेजे गए ब्यौरों से पता चलता है कि इस सड़क में सुधार करने के लिए इसे 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' में शामिल किया गया था और इसकी 5 किलोमीटर लंबाई

में सुधार-कार्य किया गया था । चूंकि, यह सड़क जल्ला क्षेत्र से होकर गुजरती है जो अक्सर जल से भरा रहता है, इसलिए इस सड़क को पुनपुन नदी की भंयकर बाढ़ों का प्रायः कोपभाजन बनना पड़ता है । यही कारण है कि 1976 की बाढ़ से यह सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी । 1978 में इस के कुछ हिस्से में मरम्मत की गई ।

अखिल-भारतीय सचेतक सम्मेलन

1292. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसदीय कार्यों पर चर्चा करने के लिये सचेतकों का एक सम्मेलन आयोजित किया करती थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सम्मेलन पिछले अनेक वर्षों से आयोजित नही हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करने का है; और यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : (क) जी हां

(ख) पिछला सचेतक सम्मेलन वर्ष 1972 में भोपाल में आयोजित किया गया था ।

(ग) अगले सचेतक सम्मेलन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

पटना जंकशन का विकास

1293. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री, स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने पूर्वी रेलवे के पटना जंकशन का विकास करने की 2.50 करोड़ रु० लागत की एक योजना मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्य आरम्भ किए गए हैं और भविष्य के लिए क्या कार्यक्रम हैं; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी की जानी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) से (ग) : पटना में 1.88 करोड़ रुपये की लागत से कोचिंग और टर्मिनल की व्यवस्था करने की एक योजना 1973 में बनायी गयी थी । इस योजना की गहराई से जांच की गयी थी और फरवरी 1976 में 78.68 लाख रुपये की लागत से एक संशोधित योजना स्वीकृत की गयी थी ।

निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं :

(i) पानी की सुविधाओं सहित दो प्लेटफार्म तथा टिकटघर सहित पक्के रास्ते और गया के यात्रियों के लिए ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था ।

(ii) गया से एक यात्री बाई-पास लाइन और उसे वर्तमान प्लेटफार्म नं 4 के साथ सम्बद्ध करना।

(iii) हार्डिंग पार्क क्षेत्र में निरीक्षण गर्त सहित एक अतिरिक्त धुलाई लाइन।

(iv) दक्षिणी पहुंच मार्ग में एक टिकटघर की व्यवस्था तथा ऊपरी पैदल पुल का टिकट-घर तक विस्तार।

निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे होने पर हैं :

(i) लम्बी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए प्लेटफार्म नं० 4 और 5 का विस्तार।

(ii) सिगनल कार्य में संशोधन करके प्लेटफार्म नं० 5 में अपर और डाउन दोनों गाड़ियों के आदान और प्रस्थान सुविधाओं की व्यवस्था।

(i.i) सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए उनकी अतिरिक्त धुलाई और उन्हें खड़ा करने की व्यवस्था।

यातायाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपर्युक्त कार्य फिलहाल पर्याप्त समझे जाते हैं। लेकिन यदि और कार्य अपेक्षित हों तो उन पर परवर्ती तारीख में विचार किया जायेगा बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

गैर-सरकारी बसों को लाइसेंस के लिए पुनरीक्षत मानदण्ड

1294. **श्री रामलाल राही** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्देशीय मार्गो पर चलने वाली गैर सरकारी बसों को लाइसेंस देने के लिए पुनरीक्षित मानदण्ड अपनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अध्याय IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार परिवहन की सभी गाड़ियों को जिनमें प्रायवेट बसें भी शामिल हैं किसी भी सार्वजनिक स्थान को जाने के लिए परमिट प्राप्त करना जरूरी है। इस अधिनियम की धारा 47 की व्यवस्था को जिसमें बसों को स्टेज कैरिज परमिट मंजूर किए जाने की शर्तें दी हुई हैं, संशोधित करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

बस रूट संख्या 20 के बारे में शिकायत

1295. **श्री रामलाल राही** : क्या **नौवहन और परिवन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय टर्मिनल और लाल किला के बीच डी० टी० सी० बस

रूट संख्या 20 से यात्रा करने वाले यात्रियों ने उपरोक्त मार्ग पर बसों के चलने के समय में लम्बे अन्तराल, अनियमित सेवा आदि के बारे में बहुत सी शिकायतें की थीं;

(ख) इस रूट पर निर्धारित समयों पर बस चलाने और सेवा में सुधार लाने के लिए अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) इस रूट के यात्रियों की शिकायतों को दूर करने और उनकी परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को मार्च के दूसरे सप्ताह में 20 नम्बर के रूट पर चलने वाली बस-सेवा के बारे में एक शिकायत मिली थी ।

(ख) और (ग) इस प्रतिवेदन के मिलने के बाद जांच करने पर पता चला कि बसों की मशीनरी के बिगड़ जाने और रास्ते में यातायात की गड़बड़ी के कारण कुछ एक बार बस नहीं चलीं । इस रूट पर नियमित रूप से और ठीक समय पर बसों के चलाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय आने वाले मुसाफिरों के लिए लालकिले होते हुए रूट ने 200 और 760 पर नियमित रूप से बसें चल रही हैं । इनकी फ्रीक्वेंसी क्रमश: 16/32 और 18/36 मिनट की है । इन नियमित रूटों के अलावा लालकिले और केन्द्रीय सचिवालय के बीच 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर रूट नं० 20 पर विशेष सर्विस चलती है । इन दोनों स्थानों के बीच इन तीन सर्विसों से मुसाफिरों की जरूरत भली भांति पूरी हो रही है ।

अजमेरी गेट से चितरंजन पार्क सीधी डी० टी० सी० बस सेवा

1296. **श्री रामलाल राही :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अजमेरी गेट से चितरंजन पार्क कोई सीधी डी० टी० सी० बस सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या चितरंजन पार्क के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का विचार रूट संख्या 541 का चलने का स्थान बदलकर रीगल से अजमेरी गेट करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या अजमेरी गेट से चितरंजन पार्क के बीच एक नई बस सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह नई सेवा कब से आरंभ हो जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । हर एक रिहायशी कालोनी से दूसरी कालोनियों/बाजारों तक सीधी

बस सेवा शुरू करना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) चितरंजन पार्क के निवासियों के लिए मौजूदा बस सर्विस पर्याप्त है जिसमें एक बस बदल कर दूसरी बस लेने की सुविधा मिली हुई है । इसलिए अजमेरी गेट से चितरंजन पार्क तक कोई नया बस रूट शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार में खेतिहर मजदूरों को मजदूरी

1297. **श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बिहार के मजदूरों को नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की मांग करने पर बिहार के हरिजन और अन्य खेतिहर मजदूरों पर निर्मम आक्रमण किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार के खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : सूचना एकत्र की जा रही है । इसे प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

बिहार में पुरुष और महिला बीड़ी श्रमिकों को समान मजूरी दिया जाना

1298. **श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने पुरुष और महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए मजूरी की समान दरें निर्धारित की हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार निर्धारित मजूरी बिहार राज्य के किसी भाग में तथा विशेषकर नालन्दा जिला में बिहार-शरीफ के नगरपालिका के क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों को नहीं दी जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त क्षेत्रों में महिला बीड़ी श्रमिकों को निर्धारित दर पर मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री० जे० बी० पट्टनायक) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने का मामला बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

रेलवे पुलिस बल को लाभ

1299. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस बल को और अधिक लाभ देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) (i) आर्थिक लाभों के साथ-साथ सेवा की शर्तों में सुधार।

(ii) रक्षकों के पदों को प्रवरण ग्रेड में करना/उनका ग्रेड बढ़ाना।

(iii) राजपत्रित संवर्ग की समीक्षा।

भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग

1300. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अल्जीरिया अपने बढ़ते हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) अल्जीरिया के विदेश मंत्री, महामान्य श्री मोहमद वेन याह्या की फरवरी, 1980 की भारत-यात्रा के दौरान दोनो देशों के बीच मंत्री स्तर के एक संयुक्त आयोग की स्थापना के बारे में भारत और अल्जीरिया के विदेश मंत्रियों ने एक समझौते पर आद्याक्षर किये थे। भारत-अल्जीरिया संयुक्त आयोग आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद सहयोग को संवर्धित करने के लिए सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श के लिए एक उपयुक्त मंच होगा। इससे दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न करारों तथा अभिसमयों के क्रियान्वयन में और अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय विशेषज्ञों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी। इस संयुक्त आयोग की बैठक हर दो वर्ष बाद होगी लेकिन किसी भी सरकार के अनुरोध पर इसकी बैठक पहले भी हो सकती है।

भारतीय श्रमिकों के निष्कासन के बारे में रिक्रूटिंग एजेंट एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव

1301. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी एशियाई देशों से भारतीय श्रमिकों के निष्कासन की समस्या हल करने के लिए रिक्रूटिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने कुछ कार्रवाई करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को ऐसे कोई सुझाव नहीं मिले हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम सांविधिक बोनस

1302. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ केन्द्र ने सरकार से पूरे श्रमिक वर्ग को 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम सांविधिक बोनस देने की बात मान लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : जी, हां।

(क) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन के बारे में सरकार को विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें न्यूनतम बोनस बढ़ाने का भी सुझाव है। सरकार इन सभी सुझावों पर दृष्टिकोण बनाकर बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए त्यौहारों के अगले मौसम से पहले संसद में एक व्यापक विधेयक पेश करने का विचार करती है।

सूरत-नागपुर राजमार्ग पर रेलवे फाटक

1303. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सूरत-नागपुर राजमार्ग पर जलगांव और भुसावल के बीच वर्तमान रेलवे फाटक के कारण यातायात और लोगों को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस फाटक से हर क्षण अनेक वाहनों का आना-जाना लगा रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने इस रेल फाटक पर एक ऊपरिपुल बनाने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां तो पुल इस्तेमाल के लिए कब तैयार हो जाएगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूरत-नागपुर राजमार्ग पर जलगांव और भुसावल के बीच समपार सं० 154 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार के परामर्श से इसकी जांच की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस योजना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय और अनुमोदन नहीं हुआ है।

भूटान नरेश के साथ संयुक्त आर्थिक योजनाओं पर चर्चा

1304. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत और भूटान के बीच यदि कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किये जाने हैं तो वे कौन-कौन से हैं; और

(ख) भूटान नरेश की हाल की यात्रा के दौरान किन-किन संयुक्त आर्थिक योजनाओं परमुख्य रूप से चर्चा हुई ?

विदेश मंत्रीं (श्री पी• वी• नरसिंह राव) : (क) अगले 5 वर्ष के लिए अब तक भारत और भूटान के बीच किसी संयुक्त उद्यम की स्थापना का प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) महामहिम भूटान नरेश की हाल की यात्रा के दौरान किसी भी संयुक्त आर्थिक योजना पर विचार विमर्श नहीं किया गया।

मेंसर्स विनोद एंड विमल टेक्सटाइल मिल, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि जमा कराया जाना

1305. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स विनोद एंड विमल टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन, मध्य प्रदेश ने गत तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंशदान की कितनी राशि जमा नहीं कराई है;

(ख) उक्त राशि को जमा करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इस मिल को यह राशि जमा कराने के लिए कितनी बार कहा गया है; और

(ग) इन मिलों के श्रमिकों को श्रम कल्याण कानूनों के लाभ नहीं दिये जा रहे हैं और यदि हां, तो इन मिलों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन और श्रम मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि ये छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है और यह कि उन्होंने 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राशि को, जो नियोजकों के अंशदानों के शेयर तथा निकासी की वापिसी के संबंध में है, न्यासी बोर्ड को हस्तान्तरित नहीं किया है। ये न्यासी बोर्ड उनके भविष्य निधियों का प्रशासन चाहते हैं :

		रु०
मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड, उज्जैन	—	55,67,513.41
मैसर्स विमल टैक्सटाइल मिल्स, लिमिटेड उज्जैन	—	7,23,324.37

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि का संबंध है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निम्नलिखित राशि; जो अंशदानों के संबंध में, दो मिलों के पास बकाया पड़ी है :

		रु०
मैसर्स विनोद मिल्स, लिमिटेड, उज्जैन	—	13,57,062.80
मैसर्स विमल टैक्सटाइल मिल्स, लिमिटेड, उज्जैन	—	3,89,365.65

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं।

(ग) ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है किन्तु यदि कोई शिकायत होगी तो मामले की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

न्यू केनिल वर्थ होटल, कलकत्ता की ओर भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

1306. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान न्यू केनिल वर्थ होटल प्राइवेट लिमिटेड, 182 लिटिल रसल स्ट्रीट कलकत्ता–7 ने भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा की तथा उसकी ओर कितनी धनराशि बकाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बताया है कि मैसर्स न्यू केनिल वर्थ होटल प्राइवेट लिमिटेड, 1 तथा 2, लिटिलरस्सल स्ट्रीट, कलकत्ता–7 ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के लिए निम्नलिखित धनराशि जमा की है।

अवधि	जमा की गई राशि	
फरवरी, 1977 से जनवरी, 1980	भविष्य निधि अंशदान	1,40,847.00 रुपये
	परिवार पेंशन निधि अंशदान	15,992.50 रुपये
	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा अंशदान	4,953.50 रुपये

सूचित किया गया है कि प्रतिष्ठान ने अद्यतन बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बताया है कि उक्त प्रतिष्ठान ने 24–11–79 की अंशदान अवधि तक पिछले तीन वर्षों के दौरान 40,669.65 रुपये का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि इस प्रतिष्ठान ने किया बकाया राशि का भुगतान नहीं करना है।

वन्धक श्रमिक प्रथा के जारी रहने का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

1307. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री के. पी. सिंह देव : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धक श्रमिक प्रथा को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को पता चला है कि उद्योग और घरों, दोनों में ही बंधक श्रमिक प्रथा तक भी विभिन्न रूपों में चल रही है;

(ग) यह पता लगाने के लिये, कि बंधक श्रमिक प्रथा किन-किन रूपों में और किस हद तक जारी है, क्या कोई अध्ययन किया गया है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के अध्ययन का काम किस संस्था को सौंपा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे.बी. पटनायक) : (क) से (घ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बंधित श्रम पद्धति को 25-10-1975 से सम्पूर्ण देश में समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन अपराध दन्डनीय उपबंधों के साथ प्रज्ञेय हैं, जिसमें कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है । राज्य सरकारों ने जो अधिनियम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, अब तक पता लगाए गए और मुक्त कराए गये श्रमिकों के 1,20,292 मामलों के बारे में सूचित किया है ।

बंधित श्रमिकों की विद्यमानता के संबंध में वर्ष 1977-78 में राष्ट्रव्यापी दो नमूना सर्वेक्षण किए गए । इनमें से गांधी शांति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सर्वेक्षण के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस पद्धति के अन्तर्गत विद्यमान बंधित श्रमिकों की संख्या लगभग 22.4 लाख बताई गई । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वें दौर के अन्तिम परिणामों से विद्यमान बंधित श्रमिकों की अनुमानित संख्या 3.4 लाख से ऊपर है । तथापि, ये केवल अनुमान है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संभाव्य क्षेत्रों में गहन स्थानीय सर्वेक्षणों सहित तात्कालिक और प्रभावी कार्यवाहियां करें, ताकि जहां कहीं बंधित श्रमिक हों उन्हें शीघ्र मुक्त कराना सुनिश्चित किया जा सके ।

1978-79 तक चालू योजनाओं के अन्तर्गत मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वासित किया जा रहा था । इस संबंध में शीघ्र प्रगति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1978-79 में केन्द्र द्वारा संचालित योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत मुक्त कराए गए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत की बराबर-बराबर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 12,142 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि 1979-80 तक पुनर्बासन के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 88831 है ।

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

बंधित श्रमिकों की संख्या अब तक पुनर्वासित किए गए

राज्य		गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा बंधित श्रमिकों की अनुमानित संख्या पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	अन्य चालू योजनाओं के अधीन	केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अधीन		योग (कालम 5 से 7)	पुनर्वासित किए जाने वाले शेष बंचित श्रमिक (कालम 4 से 8)
				1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत आने वाली योजना		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,25,000	12,504	2,662	2,920	1,586	7,168	5,336
2.	बिहार	1,11,00	4,218	952	388	309	1,649	2,569
3.	गुजरात	1,71,000	42	42	—	—	42	—
4.	कर्नाटक	1,93,000	62,689	39,960*	378	1,521	41,859	20,830
5.	केरल	—	700	138	110	—	248	452
6.	मध्य प्रदेश	4,67,000	1,531	—	121	—	121	1,410
7.	महाराष्ट्र	1,05,000	—	—	—	—	—	—
8.	उड़ीसा	—	311	—	308	—	308	3
9.	राजस्थान	67,000	6,000	4,256	700	700	5,656	344
10.	तमिलनाडु	2,50,000	27,828	27,311	—	—	27,311	517
11.	उत्तर प्रदेश	5,55,000	4,469	1,368**	495	2,606	4,469	—
	योग	22,44,000	1,20,292	76,689	5,420	6,722	88,831	31,461

*अस्थायी रोजगार में लगाए गए 30,557 बंधित श्रमिक शामिल हैं ?

**अस्थायी रोजगार में लगाए गए।

परिवार कल्याण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति

1308. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री राम बिहारी बेहरा : क्या स्वास्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परिवार कल्याण कार्यालयों की प्रगति का राज्य-बार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में सफलता के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी गई और ये प्रोत्साहन किस हद तक सफल सिद्ध हुये ; और

(ग) क्या इस संबंध में कुछ नए प्रोंत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) 1977-78, 1978-79 ओर 1979-80 की अपेक्षित सूचना अनुबंध एक और दो में दी गई है। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 595/80)

(ख) इस कार्यक्रम के सफलापूर्वक कार्यान्वयन के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं जुटाई गई हैं उनमें ये भी शामिल हैं :–

1. ग्रामिण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में अधिक परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना, अस्पतालों में अधिक प्रसवोत्तर केन्द्र खोलना तथा चुनिंदा सब-डिविजनल अस्पतालों और प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नसबन्दी की सुविधाओं ली व्यवस्था करना ।

2. सहायक नर्स-मिड वाइफों और स्वास्थ्य परिचारिकाओं के लिए अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोलना ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव की अधिक साफ-सुथरी सेवा प्रदान करने के लिए प्रसव करवाने वालो परम्परागत दाइयों की कुशलता को वढ़ाने के अभिप्राय से उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेज करना और प्रसवपूर्व और प्रसव के बाद की परिचर्या संबंधी जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कायक्रम में तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना ।

4. पोषण और विटामिन 'ए' की कमी से पैदा होने वाली अरक्तता जैसी बीमारियों के प्रतिरक्षण और उनकी रोकथाम के अधीन अधिकाधिक लोगों को जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम को तेज करना ।

5. लूप-पहनाने और खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोली कार्यक्रम में समुचित रूप से प्रशिक्षित किए गए पैरा-मैडिकल स्टाफ को लगाना ।

6. प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना । पुरुषों को नसबन्दी आपरेशन कराने के लिए 100/- रुपये की और महिलाओं को इसके लिए 120/- रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है जिसमें से 70/- रुपये नसबन्दी करवाने वाले को दिए जाते हैं। लूप पहनने के लिए मुआवजे की राशि 8/- रुपये है जिसमें से 6/- रुपये लूप पहनने वाली महिला को दिए जाते हैं। इनके अलावा भारत

सरकार ने प्रजनन–शील आयुवर्ग के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जो 2 या 3 जीवित बच्चों के बाद अपना नसबन्दी आपरेशन करवाते हैं, निम्नलिखित प्रोत्साहत देने की व्यवस्था की है :–

(i) एक अग्रिम वेतनवृद्धि जो वेतन भावी वृद्धियों में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यह 4.12.1979 को घोषित किया गया था।

(ii) मकान बनाने के लिए दी जाने वाली पेशगी पर लगने वाले ब्याज की दर में 1/2 प्रतिशत की कमी। यह प्रोत्साहन 1.9.1979 से दिया गया है।

(iii) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों के पोस्टल बीमें पर अतिरिक्त बोनस देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी नसबन्दी आपरेशन करवाना अथवा लूप पहनना स्वीकार करते हैं उन्हें विशेष आकस्मिक छुट्टी भी मंजूर की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा कुछेक राज्य सरकारों ने नसबन्दी आपरेशन स्वीकार करने वालों और उन्हें प्रेरणा देने वालों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। कुछेक राज्य सरकारों ने मेडिकल और;

मैडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की है।

जहां तक इन प्रोत्साहनों की सफलता का संबंध है यह बता दिया जाए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वीकार करना बहुत सी बातों पर निर्भर है जैसे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, छोटे परिवार के आर्दश और प्रोत्साहनों के लाभों को समझना तथा उनकी डेमोग्राफिक स्थिति आदि। इस संबंध में नीति यह है कि सरकार गर्भ-रोधन को स्वीकार करने वाले को उसकी मजदूरी की हानि और अन्य अनुषंगी खर्चों की पूर्ति के लिए उसे मुआवजा देगी। जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिसम्बर, 1979 में घोषित किए गए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की सफलता का संबंध है, उसका इस समय पता लगा पाना संभव नहीं है।

(ग) नए प्रोत्साहनों के बारे में इस समय और कोई प्रस्ताव नहीं है।

बरौनी-बाराबंकी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1309. **प्रोफेसर सत्यदेव सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बरौनी से बाराबंकी तक रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में हुई प्रगति सन्तोषजनक नहीं है : और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की गति तेज करने के लिए क्या उपाए करने का विचार है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) और (ख) बरौनी एक समानान्तरण बड़ी लाइन से समस्तीपुर के साथ पहले ही जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर से सोनपुर तक के खण्ड का आमान-परिवर्तन पहले ही किया जा चुका है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। सोनपुर से बरौनी तक के शेष खण्ड के बड़ी लाइन में

आमान परिवर्तन के कार्य को 1980-81 तक पूरा करने के लिए सभी प्रकार से संगठित प्रयास किये जा रहे हैं।

बिजली के संकट के कारण जबरी छुट्टी किये गए श्रमिक

1310. **डा० फारुक अब्दुल्ला** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में ही बिजली संकट के कारण लगभग 8 लाख श्रमिकों की जबरी छुट्टी कर दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों में ऐसी ही स्थिति होने का समाचार मिला है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे श्रमिकों में भारी असंतोष फैल गया है ;

(घ) ऐसे राज्य कौने-कौने से हैं जहां से इस प्रकार की स्थिति होने का समाचार मिला है ; और

(ड.) उनकी सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे.बी. पटनायक) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

वातानुकुलित प्रथम श्रेणी के लिये पास देने का मापदंड

1311. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वातानुकुलित प्रथम क्षेणी के लिए निःशुल्क पास जारी करने का क्या मापदण्ड अपनाया गया है ; और

(ख) गत छह महीनों में कितने व्यक्तियों को ऐसे "स्वर्ण पास" जारी किये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) मानार्थ कार्ड पास जारी करने के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

1. सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेल-कूद और शैक्षिक गतिविधियों में लगे संस्थानों और संगठन जिनका काम अखिल भारतीय स्तर का होता है।

2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों, महिलाओं नेत्रहीन और अपंग व्यक्तियों आदि के कल्याण के काम में लगे संगठन ।

3. राष्ट्रीय महत्व के काम में लगे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनके लिए उन्हें अक्सर यात्रा करनी पड़ती है।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान कोई नया स्वर्ण पास जारी नहीं किया गया है ।

वैगनों की कम सप्लाई

1312. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वैगनों की कम सप्लाई से देश की अर्थ–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी कमी दूर करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) यद्यपि पिछले कुछ महीनों में माल के लदान के लिए सप्लाई किये गये माल–डिब्बों की संख्या में कुछ कमी हुई है, तथापि कोयला, इस्पात, खाद्यान्न, उर्वरक, पैट्रोल–जन्य पदार्थ, निर्यात के लिए लौह अयस्क, आदि प्रथामिकता वाले क्षेत्रों को माल डिब्बों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सदा सावधानी बरती जाती है । गत दो महीनों में स्थिति में कुछ सुधार नजर आया है ।

(ख) गन्तव्य स्थलों पर माल–डिब्बों से माल उतारने में होने वाले विलम्ब, के कारण माल डिब्बे रुके रहने, सिविल आन्दोलन, बिजली की कटौती, पत्तनों और तेल-संस्थानों में हड़तालें और रेल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने आदि विभिन्न कारणों से माल-डिब्बों की उपलब्धता पर असर पड़ा ।

(ग) माल–डिब्बों के फेरों में सुधार करने के लिए, संचलन पर दैनिक आधार पर कड़ा नियंत्रण रखने के अलावा, अलग–अलग एजेंसियों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जाता है । कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए भी कार्रवाई की गयी है ।

निम्न स्तर के रक्त का उपयोग

1313. **श्री छीतू भाई गामित :**

श्री सतीश अग्रवाल क्या **स्वास्थय मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 2 मार्च, 1980 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "धंधे के रूप में रक्त देने वालों में यकृत विकार, मलेरिया उपदंश रोग के कीटाणुओं का खतरा रहता है" ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस " निम्नस्तर" के रक्त का उपयोग अपमिश्रित औषधि के समान हानिप्रद है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, लेकिन इसमें निहित खतरों की तुलना करना सम्भव नहीं ।

(ग) भारतीय भेषज संहिता के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों से लिया गया रक्त स्वस्थ नहीं होता है :–

(1) जो व्यक्ति सिफलिस से पीड़ित हो अथवा पीड़ित रहा हो :

(2) जिसके रक्त को सिफलिटिक संक्रमण का पता लगाने के बारे में जांच की गई हो ।

(3) जिसके रक्त की होमोग्लीरिन वेल्यू 85 प्रतिशत से कम हो, और

(4) जिस व्यक्ति के रक्त के बारे में किसी अर्हताप्राप्त डाक्टर ने निरीक्षण अथवा क्लिनिक जांच के उपरान्त और उसकी मैडिकल हिस्ट्री देख कर यह सुनिश्चित कर दिया हो कि उसके रक्त के आघात से रोग होने की आशंका है।

चूंकि व्यावसायिक रूप से रक्त देने वाले ही अधिकतर संदूषित रक्त के ोत स्रोत हैं इसलिए सरकार रोगियों को उत्तम क्वालिटी का रक्त उपलब्ध करने के लिए स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा दे रही है।

गैर-पंजीकत वेरोजगार युवक

1314. **श्रीहन्नान मोल्लाह : क्या श्रम मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-पंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या लगभग कितनी है ; और

(ख) क्या सभी बेरोजगार व्यक्तियों के नामों को पंजीकृत करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) देश में अपंजीकृत बेरोजगार युवको की संख्या के सम्बन्ध में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

उपलब्ध सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 32 वें दौर में (जुलाई 1977) जून 1978 आयोजित किये गये पंचवर्षीय सर्वेक्षण से प्राप्त किए गये परिणामों से सम्बन्धित है । इस सर्वेक्षण के अनुसार "दैनिक कार्यकलाप" और "साप्ताहिक कार्यकलाप" के आधार पर 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कमशः 16.9 मिलियन और 9.95 मिलियन थी ।

जहां तक पंजीकृत वेरोजगारों का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1979 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों (जिनमें से सभी अनिवार्यतः रोजगार नहीं है) की संख्या 14.3 मिलियन थी ।

(ख) जी नहीं ।

मैरीन ड्राइव भूमि का विवाद

1315. **श्री पी. के. कोडियन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास ने कोचीन के मैरीन ड्राइव क्षेत्र में एर्नाकुलम अंतर्जल को पाट कर बनाई गई भूमि का दावा किया है,

(ख) क्या पत्तन न्यास और वृहत् कोचीन विकास प्राधिकरण के बीच मैरीन ड्राइव जमीन के लिए विवाद उत्पन हो गया है,

(ग) क्या इस विवाद का क्षेत्र में मकान निर्माण परियोजना पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है

(घ) यदि हां, तो पत्तन न्यास का क्या दावा है और इस दावे का क्या आधार है ;

(ङ) क्या इस विवाद को केरल सरकार बृहत् कोचीन विकास प्राधिकरण तथा सम्बद्ध निकायों के बीच बातचीत द्वारा हल करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं, और

(च) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां, ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) से (च) : संविधान की धारा 295(1) (क) के तहत समुद्र के तट पर पानी हटा कर निकाले गए भू–क्षेत्र के बारे में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने उसे अपनी मिल्कियत होने का दावा किया है । इस बारे में केरल की सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

एल्लेपी-एर्नाकुलम रेलवे लाइन

1316. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्लेप्पी-एर्नाकुलम रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या निर्माण के विभिन्न चरणों के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) 30 कि० मी० के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और शेष लाइन के लिए काम चल रहा है ।

(ख) अभी तक 30 लाख रुपये व्यय किये गये है ।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए कोई लक्ष्य-तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है ।

आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं रहित गांव

1317. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी ऐसे बहुत से गांव है जिनमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक औषधालय हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन गांवों में समुचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) : उप-केन्द्रों/औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ग्रामीण अस्पतालों आदि का जाल बिछा कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 80-100 गांवों की 80 हजार से एक लाख आबादी की जरूरतों को पूरा करता है और एक उपकेन्द्र लगभग 10 गांवों की 10 हजार आवादी के पीछे खोलना होता है। इस समय देश में 5444 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 48571 उपकेन्द्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। योजना आयोग आदिवासी, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में 20 हजार की आवादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और तीन हजार की आवादी के पीछे एक उपकेन्द्र खोलने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है। 50-50 हजार की आवादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5-5 हजार की आबादी के पीछे एक एक उपकेन्द्र खोलने की भी योजना है। 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें 30-30 पलंगों वाले अस्पतालों में परिणत किया जाना है।

(ग) और (घ) : 31 मार्च, 1979 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार 5423 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 4710 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो या अधिक डाक्टर थे, 655 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल एक डाक्टर था और केवल 58 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे थे जिनमें कोई भी डाक्टर नहीं था।

(ङ) अक्तूबर, 1977 में देश के चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक योजना चलाई गई जिसका नाम जन स्वास्थ्य रक्षक योजना है। इसका अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-मोटी बीमारियों के लिए प्रथमोपचार की सुविधाएं प्रदान करना तथा स्वास्थ्य के निवारक और संवर्धक पहलुओं को बढ़ावा देना है। एक हजार की आबादी के पीछे एक जन स्वास्थ्य रक्षक दिया जाता है जो समाज द्वारा चुना हुआ होता है। उसे बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके वाद उसे एक किट दी जाती है जिसमें छोटी-छोटी बीमारियों के उपचार के लिए दवाइयां होती हैं। उसे अंशकालिक आधार पर समाज में कार्य करने के लिए हर महीने 50 रुपये का मानदेय दिया जाता है और हर वर्ष 600 रुपये के मूल्य की दवाइयां दी जाती है। 31.12.1979 तक 1,29,654 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। 1982-83 तक सारे देश को इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है।

ग्रामीण क्षेत्र में बाल-श्रमिक

1318. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री आनन्द पाठक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में काम पर लगे बच्चों की कार्य संबंधी शर्तें और पारिश्रमिक बहुत असंतोषजनक है;

(ग) क्या भारत में विद्यमान बाल सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के एक छोटे से वर्ग को ही संरक्षण प्राप्त है और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में काम पर लगे हैं वे इस कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं; और

(घ) यदि हां, तो कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में काम पर लगे बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु ग्रुप में काम कर रहे बाल श्रमिकों की ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित संख्या 146.8 लाख और शहरी क्षेत्रों में 15.7 लाख है।

(ख) से (घ) : बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए पिछले वर्ष सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अधिकांश बाल श्रमिक उन क्षेत्रों में नियोजित हैं, जहां उनका पारिश्रमिक और कार्य-दशाएं अनियमित हैं और कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में नियोजित बाल श्रमिक पर्याप्त रूप से वर्तमान कानूनी ढांचे के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें इस सम्बन्ध में भी की है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

1319. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने बीड़ी श्रमिकों के लिए सांविधिक रूप में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनयक) : उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन बीड़ी उद्योग के बारे में निम्नलिखित राज्यों द्वारा न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है :

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

मांगा गया विलम्ब शुल्क

1320. **श्री नीरेन घोष** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977-78 और 1978-79 के दौरान रेल विभाग द्वारा घाटशुल्क और विलम्ब शुल्क की कितनी राशि माफ की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 1977-78 और 1978-79 में शुल्क और विलम्ब शुल्क की निम्नलिखित राशि छोड़ दी गयी थी :

(लाख रुपयों में)

	स्थान शुल्क	विलम्ब शुल्क
1977-78	681.74	979.05
1978-79	755.95	769.42

सांविधिक निकायों का गठन

1321. **श्री नीरेन घोष** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सांविधिक निकायों के क्या नाम हैं जो अपना मूल कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं और उनके मूल कार्यकाल के समाप्त होने की तारीखें क्या-क्या हैं ; और

(ख) उनका पुनर्गठन करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रमांक	सांविधिक निकाय	समाप्ति की तारीख
	1	2
1.	न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (धारा 7)	मार्च, 1978
2.	न्यूनतम मजदूरी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (धारा 8)	जून, 1974
3.	पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों के लिए खनन बोर्ड	21-12-65
4.	बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रत्येक राज्य के लिए तीन खनन बोर्ड ।	21-12-65
5.	आन्ध्र प्रदेश के लिए खनन बोर्ड	25-3-66
6.	मैसूर और केरल के लिए खनन बोर्ड	14-4-1966
7.	पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए खनन बोर्ड	20-11-66
8.	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के लिए खनन बोर्ड	13-4-68
9.	तमिलनाडु के लिए खनन बोर्ड	29-6-74
10.	केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति ।	3-4-78
11.	कर्मचारी भविष्य योजना के पैरा 4 (1) के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय समिति :	
	आन्ध्र प्रदेश	11-1-78
	असम	23-1-1980
	बिहार	5-4-1978
	दिल्ली	14-3-1979
	गुजरात	16-8-1977
	हिमाचल प्रदेश	21-11-1979

1	2	3
	केरल	14-3-1979
	कर्नाटक	26-3-1980
	महाराष्ट्र	14-3-1979
	उड़ीसा	11-1-1978
	पंजाब	26-11-1979
	मध्य प्रदेश	19-5-1978
	राजस्थान	24-11-77
	हरियाणा	15-8-1979
	तमिल नाडु	21-11-1979
	उत्तर प्रदेश, और	24-2-1979
	पश्चिम बंगाल	11-1-1979
12.	चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और गोवा के राज्यों के लिए सलाहकार समितियां।	30-1-80
13.	केन्द्रीय शिक्षुता परिषद	21-2-78
14.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति, बिहार।	9-1-78
15.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति, कर्नाटक	30-7-78
16.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण तिथि सलाहकार समिति, आन्ध्र प्रदेश	6-12-79
17.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति, गोवा, दमन और दीव	17-8-79
18.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति, महाराष्ट्र	5-2-79
19.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति, उड़ीसा	20-5-79
20.	लोहा अयस्क खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति, मध्य प्रदेश	3-12-79
21.	अभ्रक खान श्रम कल्याण सलाहकार समिति, राजस्थान	3-12-76

1	2	3
22.	अभ्रक खान-श्रम कल्याण सलाहकार समिति, बिहार	25-11-77
23.	अभ्रक खान श्रम कल्याण सलाहकार समिति, आंध्र प्रदेश	15-1-77
24.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति	15-7-78
25.	केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड	मई, 1979
26.	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि	15 दिसम्बर, 1977

केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति (क्रमांक 10) के पुर्नगठन संबंधी अधिसूचना को शीघ्र जारी करने की आशा है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क्रमांक 24) की स्थायी समिति का पुर्नगठन निगम के पुर्नगठित होने के पश्चात किया जाएगा । निगम का पुर्नगठन अप्रैल 1980 में होना है । खनन बोर्डों (क्रमांक 3 से 9) को पुर्नगठित न करने का निर्णय 1971 में लिया गया था । केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड (क्रमांक 25) के पुर्नगठन करने के मामले पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है । केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (क्रमांक 13) को पुर्नगठित करने के संबंध में तत्कालीन श्रम मंत्री की स्वीकृति से अगस्त, 1978 में निर्णय लिया गया और इस मामले में संबंधित पक्षों को अपने प्रतिनिधि नामित करने के लिए लिखा गया है अन्य निकायों को पुर्नगठित करने के लिए कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

श्रमिकों की समस्याओं को हल करना

1322. **श्री नीरेन घोष : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणीवार संगठनों के संगठित बहुत से रेल कर्मचारी रेलवे के साथ सामूहिक रूप से अपनी मांगे मनवाने के लिये समझौते करवाने में असमर्थ हैं ; और

(ख) इन कर्मचारियों के पास अपनी समस्यायें पेश करने और उनको हल करवाने के लिये इस समय क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : क्षेत्रीय रेलों में सभी कोटियों के रेल कर्मचारी मान्यता प्राप्त दो फैडरेशनों और इनसे सम्बद्ध यूनियनों में से किसी एक के सदस्य बनने के पात्र हैं । विभिन्न ग्रेडों में सभी कोटियों के बड़ी संख्या में कर्मचारी इन दोनों मान्यता प्राप्त फैडरेशनों और इनसे सम्बद्ध यूनियनों के सदस्य हैं, अतः यह सच नहीं है कि बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी सामूहिक समझौते की प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं । स्थायी वार्ता तन्त्र योजना के अन्तर्गत इन दोनों मान्यता प्राप्त फैडरेशनों की बोर्ड स्तर पर और इनसे सम्बद्ध यूनियनों की क्षेत्रीय तथा मंडलीय स्तर पर नियमित रूप से बैठकें होती रहती

हैं और इन बैठकों में कर्मचारियों की मांगों तथा शिकायतों पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त परामर्श तन्त्र योजना के अन्तर्गत इन दोनों फेडरेशनों की रेलवे बोर्ड स्तर पर विभागीय परिषद की भी नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। कोटिवार यूनियनों को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना रेलों का उद्देश्य नहीं है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मांगे गये वैगन

1323. **श्री नीरेन घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न एककों द्वारा वर्ष 1979 के दौरान कितने वैगन मांगे गये ;

(ख) उन्हें कितने वैगन सप्लाई किये गये ; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड कितने वैगनों में समय पर माल नहीं लाद सका ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : रेलों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन विभिन्न कोयला कंपनियों के साथ-साथ कोयला धुलाई कारखानों और इस्पात संयत्रों (निर्गमित कोक के लदान के लिए) द्वारा प्रेषित मांग-पत्रों के समेकित आंकड़े रखे जाते हैं। मांग-पत्रों के इन आंकड़ों को बार-बार दोहराया जाता है। वर्ष 1979 के दौरान प्रतिदिन औसतन 10016 माल-डिब्बों के लिए मांग-पत्र प्रस्तुत किये गये थे, 8045 माल-डिब्बे प्रतिदिन सप्लाई किये गये, लेकिन कोयला खानों/ धुलाई कारखानों द्वारा 1226 माल-डिब्बों को सामान्य निशुल्क समय से अधिक समय तक रोक रखने के कारण और अधिक माल-डिब्बे सप्लाई करना कठिन हो गया। इन आंकड़ों में आयातित कोकिंग कोयले के मांग-पत्र तथा सिंगरणी कोयला खदानों, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के भाग नहीं हैं, से प्राप्त मांग-पत्र शामिल नहीं है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्यों को केंन्द्रीय सहायता

1324. **श्री रास बिहारी बेहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

पर्यटय और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : राज्यों में मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्र द्वारा संचालित योजना 1978-79 से लागू है, जिसके लिये धन की व्यवस्था संबंधित राज्यों को 50 प्रतिशत बराबर के अनुदान के रूप में की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 12302 भूतपूर्व बंधित श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ है।

संलग्न विवरण में राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य	केंद्रीय वित्तीय सहायता 1978-79			1979-80		
		राज्य सरकार को दी गई (रुपये लाखों में)	अब तक राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई	मुक्त कराए गए, ऐसे बंधित श्रमिकों की संख्या, जिन्हें इस सहायता द्वारा पुनर्वासित किया गया	राज्य सरकार को किया गया आवंटन (रुपये लाखों में)	अब तक राज्य सरकार को स्वीकृत राशि	मुक्त कराए गए ऐसे बंधित श्रमिकों की संख्या, जिन्हें इस सहायता द्वारा पुनर्वासित किए जाने की संभावना है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.00	18.01	2,920	20.00	19.72	1,586
2.	बिहार	14.28	2.69	388	15.00	6.03	309
3.	कर्नाटक	10.28	5.07	378	15.00	14.13	1,521
4.	केरल	1.65	1.65	110	2.00	0.60	60
5.	मध्य प्रदेश	17.00	2.37	121	10.00	**	—
6.	उड़ीसा	5.11	2.13	308	2.00	1.00	100
7.	राजस्थान	14.00	14.00	700	14.00	14.00	700
8.	तमिलनाडु	5.32	—	—	1.00	**	—
9.	उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	495	10.00	10.00	2,606
	जोड़	97.64	55.92	5,420	89.00	65.48	6,882

**राज्य सरकारों से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

टिकटों के स्टाकरहित स्टेंशन

1325. **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या सरकार को पता है कि सियालदह रेलवे के सियालदह डिवीजन पूर्वी रेलेवे में सियालदह साउथ सैक्शन के कुछ रेलवे स्टेशनों पर कई महीनों तक टिकट नहीं होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस प्रकार जिन स्टेशनों पर टिकटें नहीं होती हैं उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सियालदह डिवीजन के साउथ सैक्शन में कुछ बड़े स्टेशनों पर पूरी टिकटों के स्थान पर दो आधी (चाइल्ड) टिकटें दी जा रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ओर प्रत्येक स्टेशन पर ऐसा कब से हो रहा है ;

(ङ) क्या सरकार मांग के अनुसार टिकटें सप्लाई कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मन्त्रालय में रेल राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) से (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि श्रमिक और उनकी मजूरी

1326. **श्री छीतुभाई गामित : क्या श्रम मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और ऐसे वेरोजगार श्रमिकों की कुल संख्या में उनकी राज्यवार प्रतिशतता क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन श्रमिकों की न्यूनतम और अधिकतम दैनिक मजूरी क्या है और एक वर्ष में उन्हें कितने दिन मजूरी मिलती है ; और

(ग) क्या उन्हें स्थायी रोजगार दिलाने अथवा उनके उत्थान के लिए कोई स्थायी योजना बनाई गई है अथवा बनाये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नगर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ख) : विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) : कृषि श्रमिकों के रोजगार स्तर में वृद्धि करने के लिए छोटे किसानों के लिए विकास कार्यक्रम सुखा-उन्मुख एरिया कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामींण विकास कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम जैसे अनेक रोजगारोन्मुख/लाभोन्मुख कार्यक्रमों को कार्यन्वित किया जा रहा है । इसके साथ–साथ पिछले कुछ वर्षों में प्रारम्भ किए गए स्व: रोजगार प्रोत्साहन तथा उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों, जिसमें जिता केन्द्र योजना शामिल है, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रमों, आपरेशन बाढ़ II कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों, आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से रोजगार अवसर सृजित

हुए है और लगातार सृजित होते रहेंगे । बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को जिससे गरीबों, भूमिहीनों, शिल्पकारों, हथकरघा बुनकरों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य समाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचा था, पुन: तीव्र गति से कार्यान्वित किया जा रहा है कृषि तथा ग्रामीण विकास, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों को सहायता देने पर विशेष बल दिया गया है, को सरकार की ग्रामीण विकास सम्बन्धी नीति में प्राथमिकता मिलेगी ।

विवरण

(क) 1974-75 के दौरान की गई ग्रामीण श्रमिक जांच के अनुसार, देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या 224 लाख थी । उपलब्ध सूचना के आधार पर, 20 राज्य सरकारों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे कृषि श्रमिकों, जिनके पास 1974-75 के दौरान खेती योग्य भूमि नहीं थी, की अनुमानित संख्या संबंधी विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है । ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 595-क 180) 1977-78 के दौरान लिए गए अनुमानों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15-59 के आयु-वर्ग के ऐसे व्यक्तियों, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणके हाल ही के 32 वें दौर के प्रारम्भिक साप्ताहिक बेरोजगार थे, की संख्या 67.00 लाख थी, जबकि प्रतिदिन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 12४'00 लाख थी । चूंकि, ये आकड़े 1977-78 से संबंधित हैं, अत: इनकी तुलना 1974-75 की ग्रामीण श्रमिक जांच के आंकड़ों से नहीं की जा सकती ।

(ख) कृषि में अकुशल श्रमिकों की उपलब्ध राज्य–वार न्यूनतम दर संबंधी विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०, 595-क /80) 20 राज्य सरकारों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों से ग्रामीण श्रमिक जांच द्वारा एकत्र की गई सूचना संबंधी एक और विवरण परिशिष्ट-III में दिया गया है, जो ऐसे कृषि श्रमिकों को, जिनके पास 1974-75 के दौराउ "खेती योग्य भूमि नहीं" थी, मजदूरी देने वाले रोजगार के दिनों की औमतन वार्षिक संख्या के बारे में है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–595-क/80)

'पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना' के अन्तर्गत बनाई गई सड़कें

1327. **श्री डी० एल० बैथा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना' के अन्तर्गत देश में कितनी सड़कें बनाई जा चुकी हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये सड़के बनाई गई हैं और वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां ऐसी सड़कों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है,

(ख) उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) बरेली-पीलीभीत-लखीमपुर -बहराइच-बस्ती-गोरखपुर - कसिया-पिपराकोठी–मुजफ्फरपुर–बरौनी–पूर्णिया–अररिया—ठाकुरगंज

–चलसा–हाशीमारा–काछूगांव–अमीनगांव रास्ते पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों में जिस सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था वह बन चुकी है। इसके अलावा तीन लिंक सड़कें भी अर्थात बेतिया सगौली खंड, मुजफ्फरपुर–दरभंगा खंड और अररिया–फोर्बेसगंज खंड जो बिहार में पड़ती है, पाश्ववर्ती सड़क परियोजना के अन्तर्गत साथ–साथ बनाकर तैयार की गई।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं होता।

बरौनी-कटिहार रेल लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

श्री डी.एल. बैथा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी-कटिहार मोटर-गंज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमति कब दी गई थी, अब तक कितनी प्रगति की गई है और उसके लिए कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस संबन्ध में भूतपूर्व रेल मंत्री से पटना में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था और उसने बड़ी लाइन में बदलने के इस कार्य को कटिहार से भी आगे जोगवानी स्टेशन, ओ कि नेपाल की सीमा पर सीमान्त रेल का आखिरी स्टेशन है, तक बढ़ाये जाने का सुझाव दिया था और क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया धा कि उनके सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा;

(घ) क्या जोगवानी तक की मोटर-गंज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए नेपाल की जनता और सरकार द्वारा बार-बार मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो कार्य को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। बरौनी-कटिहार मोटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन के कार्य का, 1978-79 के बजट में 20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, शामिल किया गया था। मार्च, 1980 के अन्त तक, इस कार्य पर 1·81 करोड़ का खर्च होने की आशा है। 1980-81 के दौरान इस कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : जी हां। किन्तु कटिहार-जोगबनी मोटर लाइन खण्ड की वर्तमान क्षमता यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इसके आमान-परिवर्तन के बारे में तभी विचार किया जा सकता है यदि यातायात में वृद्धि हो जाने के कारण इसका बनता हो।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें

1329. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर अब तक रेल-लाइनों का निर्माण हो चुका है;

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर अउ तक रेल लाइनों का निर्माण नहीं हुआ है; और

(ग) उन क्षेत्रों में रेल-लाइनों के शीघ्र निर्माण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों में अब तक बिछाई गई रेल लाइनें

क्रम सं०	रेल लाइनों का विवरण	रेलवे	लम्बाई (कि० मी० में)
1.	चम्पानेर रोड–गोधरा	पश्चिमी रेलवे	36
2.	सिवालिया–गोधरा	,,	27
3.	गोधरा–रतलाम	,,	185
4.	बम्बई–विलिमोरा	,,	70
5.	उधना–जलगांव	,,	125
6.	बम्बई–मनमाड	,,	90
7.	कल्याण–नेरल	,,	30
8.	गोधरा–लूनावाडा	,,	41
9.	चंपानेर–रोड–पानी माइन्स	,,	49
10.	पोपलोद–देवगढ़ बारिया	,,	15
11.	झगड़िया–नेत्रंग	,,	27
12.	अंकलेश्वर–राजपिपला	,,	50
13.	अंकलेश्वर–बड़ोदरा	,,	10
14.	उदयपुर–हिम्मतनगर	,,	210
15.	हिम्मतनगर–खेड ब्रह्मा	,,	55
16.	पठानकोट–जोगिन्दर नगर	उ० रे०	25
17.	लीडो–लेखपानी	पू० सी०	9
18.	लमडिंग–बदरपुर	,,	185
19.	लमडिंग–चापर मुख	,,	50
20.	धर्मनगर–कलकलीपाट	,,	30

21.	गोमो–आसनसोल	पू० रे०	40
22.	सीतारामपुर–मधुपुर	,,	40
23.	खड़गपुर–झारसुगडा	द० पू० रे०	320
24.	राउरकेला–रांची	,,	165
25.	राउरकेल–बरमुआ	,,	75
26.	टाटानगर–बादामपहाड़	,,	89
27.	राजखरसवा–गुआ–बोलानी	,,	122
28.	राउरकेला वोरमित्रपुर	,,	27
29.	पादापाड़–बांसपानी	,,	29
30.	रुपसा–बांगरी पोसी	,,	10
31.	बिमलगढ़–किरिवुरु	,,	41
32.	नवगांव–पूर्णपानी	,,	10
33.	बोरीडांड–बिश्रामपुर	,,	99
34.	अनूपपुर–कटनी	,,	130
35.	बिलासपुर–चंपा	,,	55
36.	विलासपुर–रायपुर	,,	35
37.	बिलासपुर–अनूपुर	,,	50
38.	नैनपुर–सिडनी	,,	75
39.	जबलपुर–गोंदिया	,,	90
40.	नैनपुर–माण्डला	,,	43
41.	आमला–इटारसी	मध्य रे०	40
42.	आमला–परासिया	,,	25
43.	खण्डवा–भुसावल	,,	40
44.	खण्डवा–अकोला	,,	80
45.	भिलाई–ढल्ली राजहरा	द० पू० रे०	25
46.	विजयनगरम–टिटलागढ़	,,	125
47.	नौपाडा–गुणपुर	,,	25
48.	कोट्टबलासा–किरन्दुल	,,	420
49.	काजीपेट–वल्हारशाह	द० म०	85
50.	मुडखेड–आदिलाबाद	प० म०	45
51.	मेट्टुपलायम–उटकमंड	द० रे०	6

टिप्पणी—विवरण में दिखाए गए कि० मी० रेलों के विभिन्न खंडों में पिछड़े क्षेत्रों की रेल लाइनों को दर्शाते हैं।

II. पिछड़े क्षेत्रों में पड़ने वाली निम्नलिखित रेल लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

			कि० मी०
1.	आप्ता–रोहा	म० रे०	62.00
2.	वानी–वनाका (पिपंल कोठी तक)	,,	63.00
3.	रामपुर–न्यू हलद्वानी	पूर्वी	78.4
4.	हसनपुर–सकरी	,,	74.90
5.	छितौनी–बगाहा	,,	28.41
6.	जखापुर–दैतारी	द० पू०	33.5
7.	नडियाद–कपड़बंज–मोडासा	प० रे०	105.14
8.	गुवाहठी–र्वानिहाट	पू० सी०	28.21
9.	धरमनगर–कुमार घाट	,,	33.51
10.	बालीपारा–भालुकमांग	,,	33.45
11.	सिलचर–जोरी वाम	,,	50.36
12.	अमगुड़ी–तुली	,,	17.07
13.	लालाघाट–भैराबी	,,	18.77
14.	भदराचल–मानगुरु	द० म०	52.00

III. पिछड़े क्षेत्रों की नई लाइनों के लिए किए गए सर्बेक्षण जिन पर निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया गया।

			कि० मी०
1.	रतलाम–बागवाड़ा–डूंगरपुर	प० रे०	78.76
2.	रोहा–दासगांव–रतनागिरी–मंगलूर	म०/द० म०/द०	828.76
3.	रोहा–मूरुदस(जंजीरा)	म० रे०	34.35
4.	मंदार हिल–दुमका	पू० रे०	64.00
5.	दुमका–सैंथिया	,,	56.00
6.	दुमका–वैद्यनाथधाम	,,	63.00
7.	हजारीबाग टाउन–हजारीबाग रोड	,,	78.00
8.	हजारीबाग रोड–गिरडोह	,,	56.00
9.	मधुपुर–दुमका	,,	59.00
10.	दुमका–रामपुरहाट	,,	54.00
11.	हजारीबाग टाउन–रांची रोड	,,	40.00
12.	खलीलाबाद–बलरामपुर	पूर्वी	145.23
13.	मुजफ्फरपुर–दरभंगा	,,	65.54
14.	काजीपैट–हसनपती रोड करीमगंज–जगतिमाल–निजामाबाद	द० म०	204.00

15.	कौरबा–लोहारडागा–रांची	द० पू०	381.50
16.	ढल्ली–राजहरा–जगदलपुर	,,	235.00
17.	दांतेवाड़ा–सुकमा–नरसापटनम	,,	177.60

IV. पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनों के सर्वेक्षण जो कि किए जा रहे हैं अथवा पूरे होने वाले हैं।

1.	मंदार हिल–वैद्यनाथ धाम	पू० रे०
2.	बज बज–नामखाना	,,
3.	कोरापुर–पारवती पुरम 1 सालूर रायगाडा	द० पू०
4.	वरवाडीह–करोंजी	,,
5.	सम्बलपुर–तालवैर	,,
6.	ललितपुर–सिंगरौली	म० रे०
7.	कौंच–जालौन	म० रे०

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति फिलहाल नई रेल लाइनों, जिनमें लाभप्रद लाइनें और देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित रेल लाइनें भी शामिल हैं, के निर्माण के लिए एक युक्तिसंगत नीति तैयार करने की आवश्यकता और उनके लिए धन जुटाने के बारे में विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों में सहकारी समितियो को दिये गये ठेके

1330. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों में सहकारी समतियों को दिये गये कार्य/ठेके क्या हैं और यह कितने समय के लिये और कब से दिये गये हैं;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने पूरी तरह से सहकारी क्षेत्र के लिये इन कार्यों/ठेकों को आरक्षित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) अनुबन्ध के रूप में एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) माल, पार्सलों की सम्हलाई, कोयला और सिंडर की उठाई, बिक्री और खानपान के लिए ठेकों के आवंटन में वास्तविक कामगारों को सदाशयी सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्तें कि वे कुछ शर्तों को पूरा करती हों।

विवरण

दिल्ली, नयी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों में सहकारिता समतियों को स्वीकृत सौंपे गये कामों/दिये गये ठेकों का ब्यौरा।

स्टेशन	ठेकों का ब्यौरा	अवधि
दिल्ली	कोयले की सम्हलाई,	11-5-1977 से 24-1-1978
	सिंडर उठाई और राख की	22-3-78 से अब तक जारी है।
	सम्हलाई	1-1-1977 से 24-1-1978 तक
		6-7-1978 से 5-7-1979 तक
नयी दिल्ली	माल की सम्हलाई	1-2-1977 से 3 वर्ष के लिए
निजामुद्दीन	निजामुद्दीन स्टेशन सहित जोन	16-12-1977 से 3 वर्ष के लिए।
नं० 1	के लिए माल सम्हलाई	16-12-1977 से 3 वर्ष के लिए :

एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति के लिये नियम

1331. **श्री निहाल सिह** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डाक्टरों की नियुक्ति के नियम एक समान हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लिए स्वीकृत एलोपैथिक डाक्टरों के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित हैं और उन पर ये नियम लागू होते हैं। यह सेवा केवल एलोपैथिक पद्धति के अर्हताप्राप्त डाक्टरों के लिए बनाई गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए अपने भर्ती नियम अलग से हैं।

उनके संबंधित भर्ती नियमों में जो वेतनमान शामिल किए गये हैं वे तीसरे बेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है।

यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री की यात्रा

1332. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के बिदेश मंत्री ने फरवरी, 1980 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्हांसह राव) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्री के साथ औपचारिक वातचीत में द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की

गई और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। इस यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त प्रेस वक्तव्य की प्रति विवरण के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

विवरण

यूगोस्लाविया के विदेश मन्त्री श्री जोसिप व्रोवेक की यात्रा पर जारी प्रेस वक्तव्य।

भारत सरकार के निमंत्रण पर यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के वैदेशिक मामलों के संघीय मंत्री श्री जोसिप व्रोवेक ने 24 से 26 फरवरी, 1980 तक भारत की राजकीय यात्रा की।

अपने दिल्ली प्रवास के दौरान श्री जोसिप व्रोवेक ने भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी से तथा भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम० हिदायतुल्ला से भेंट की।

श्री जोसिप व्रोवेक ने भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जोसिप व्रोज टीटो की ओर से एक संदेश दिया। उन्होंने श्रीमती गांधी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी किया।

श्री व्रोवेक ने विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव के साथ औपचारिक बातचीत की। आपसी विश्वास और मित्रता के वातावरण में हुई इस बातचीत से भारत और यूगोस्लाविया के बीच परम्परागत निकट सम्बन्ध और सद्भाव प्रकट हुआ तथा इसमें दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों की समानता भी परिलक्षित हुई।

दोनों मंत्रियों ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर व्यापक विचार-विमर्श किया जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया की घटनाएं तथा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसले भी शामिल हैं।

दोनों मंत्रियों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मुख उपस्थित विभिन्न मसलों पर भी बिचार-विनिमय किया और गुट-निरपेक्ष देशों की एकता को मजबूत करने और इसके सिद्धान्त की पुनः पुष्टि करने के संकल्प पर बल दिया।

आपसी हितों के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने रहने पर सहमति हुई।

दोनों मंत्रियों ने भारत-यूगोस्लाविया सम्बन्धों की निरन्तर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनीतिक आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना तथा दूसरे क्षेत्रों में वर्तमान संबंधों को और अधिक मजबूत करके द्विपक्षीय सहयोग को विकसित करने की अपनी-अपनी सरकारों के दृढ़ निश्चय की पुनः पुष्टि की।

यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के वैदेशिक मामलों के संघीय मंत्री श्री व्रोवेक ने भारत-प्रवास के दौरान स्वयं उनके लिए और उनके प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों के लिए हार्दिक आदर-सत्कार किए जाने के लिए भारत के विदेश मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव को यूगोस्लाविया की राजकीय यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया।

अंकलेश्वर-राजपीपला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1333. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेल के बडोदरा मंडल पर छोटी उदयपुर और प्रताप नगर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए पश्चिमी रेलवे ने प्रारम्भिक "इंजीनियरिंग-कम-ट्रैफिक" सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रेल बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया; और

(घ) क्या सरकार इस बारे में जल्दी ही निर्णय करेगी ?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) : 1970 में प्रतापनगर-छोटा उदयपुर-टंखाला छोटी लाइन (137 कि० मी०) को मीटर लाइन में बदलने के लिए केवल एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला था कि आमान-परिवर्तन का औचित्य नहीं है। 1978 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंच निर्णय की घोषणा किये जाने पर गुजरात सरकार ने इस लाइन के आमान परिवर्तन और अंकलेश्वर-राजपीपला छोटी लाइन (63) कि० मी०) को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है क्योंकि ये लाइनें नर्मदा परियोजना के लिए सामग्री की ढुलाई के काम आयेगी राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि इसे निक्षेप सर्वेक्षण के रूप में प्रारम्भ किया जा सकता है जिसकी राज्य सरकार को प्रभाव होगी।

जनसंख्या नियंत्रण पर विधायकों को शिक्षित करने का प्रस्ताव

1334. **श्री के मालन्ना :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि बिधायकों को भी जनसंख्या निबंत्रण के बारे में शिक्षित किया जाये;

(घ) यदि हां, तो इस संबध में, सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 'भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिये साधन के रूप में कानून पर दिल्ली में फरवरी, 1980 में आयोजित एक गोष्ठी में इस बारे में दिये गये सुझाव की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) विधायकों को जनसंख्या नियंत्रण की शिक्षा देने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गोष्ठी में जो सुझाव दिए गए थे उनकी मुख्य-मुख्य बातें गोष्ठी के अन्त में इस

परियोजना के निदेशक द्वारा 11-2-80 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में दी गई हैं। प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न विवरण के रूप में है।

(घ) सरकार को गोष्ठी के आयोजकों से अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। जहां सारे उपयोगी सुझावों पर पूरा-पूरा विचार किया जाएगा वहां सरकार का यह निश्चित मत है कि परिवार नियोजन को हमारे लोगों के बीच केवल शिक्षा और प्रेरणा के जरिये ही बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में जिन सेवाओं की मांग आएगी, उनकी पूर्ति सेवा वितरण प्रणाली का समुचित विस्तार करके की जाएगी।

विवरण

प्रेस विज्ञप्ति

भारत में कानून जनसंख्या अध्ययन पर संयुक्त राष्ट्र परियोजना भारत में जनसंख्या नियंत्रण के रूप में कानून के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी।

भारत में कानून और जनसंख्या अध्ययन संबंधी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तत्वावधान में हुई भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में कानून के बारे में तीन दिन की गोष्ठी 11 फरवरी, 1980 को समाप्त हो गयी। यह एक बहु विषयक गोष्ठी थी जिसमें पूरे देश में स्थित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के कानूनी शिक्षकों के अलावा प्रतिष्ठित डेमोग्राफरों, समाज-शास्त्रियों, चिकित्सकों, प्रशासकों और जाने-माने सांसदों ने भाग लिया। न्यायमूर्ति बी० आर० अय्यर और न्यायमूर्ति आर० एस० पटनक और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने इन तीनों कार्यसत्रों की अध्यक्षता की। चौथे कार्यसत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक डा० आर० के० सान्याल ने की। इस गोष्ठी का उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष डा० नगेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी, 1980 को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में किया और इसकी अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० यू० एन० सिंह ने की। समापन सत्र की अध्यक्षता विधि के प्रोफेसर तथा दिल्ली विश्वविद्यायय के साउथ कैम्पस के निदेशक प्रो० के० बी० रोहतगी ने की। गोष्ठी निदेशक दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डा० पी० एस० संगल थे जोकि संयुक्त राष्ट्र परियोजना के निदेशक भी हैं। जनसंख्या नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गोष्ठी में विधि के माध्यम से विस्तृत रूप से विचार किया गया। सारांश में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया वे हैं प्रजनन विनियम, परिवार कानून, बाल और शिशु कल्याण, दण्ड, अपराध तथा दण्डविज्ञान, जन कल्याण, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति तथा आर्थिक तथ्य।

इस गोष्ठी में भाग लेने वालों ने वीस पेपर प्रस्तुत किये।

निम्नलिखित मुद्दों पर मतैक्य अथवा नजदीकी मतैक्य था :—

1. जनसंख्या नियंत्रण के लिये कानून को वर्धमान उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये। अन्य वातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा जन-संख्या योजनाओं को लागू करने में मनमानी न हो। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में स्वैच्छिक

कार्रवाई के लिये कानून का प्रेरक के रूप में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिये।

2. भारत के संविधान में जनसंख्या नियंत्रण का अधिक सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। इस संबंध में जिन विभिन्न सुझावों पर बहस हुई वे इस प्रकार हैं :–

(क) भारत के संविवान में जनसंख्या नियंत्रण को एक निर्देशक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करना।

(ख) भारत के संविधान में परिवार नियोजन को मूल कर्त्तव्यों के अध्याय में प्रस्तुत करना।

(ग) संविधान में इसे महिलाओं के मूल अधिकार के रूप में प्रस्तुत करना। इस सिफारिश का सारांश यह है कि प्रत्येक परिवार के घर के नजदीक परिवार नियोजन के लिये आवश्यक उपायों की व्यवस्था करने हेतु सरकारी तंत्र पर जोर डाला जाना चाहिये।

3. विवाह को अनिवार्य पंजीकृत किया जाना चाहिये।

4. जन्म और मरण का अनिवार्य पंजीकरण करने के बारे में कानून को, विशेषकर गांव में उचित ढ़ंग से लागू किया जाना चाहिये।

5. जहां तक सम्भव हो राज्य को सामाजिक सुरक्षा के बारे में उपाय करने चाहिये ताकि माता-पिता यह न समझें कि अधिक बच्चे ही सामाजिक सुरक्षा है।

6. जिन दत्तक ग्रहण विधेयक को जिसे पहले अधिनियमित किया जाना था, शिथिल किया जाना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर अधिनियमित किया जाना चाहिये।

7. यह महसूस किया गया कि महिलाओं का स्तर तथा प्रजननता के बीच अति महत्व-पूर्ण संबंध है। इसलिये महिलाओं का स्तर न केवल कानून की नजर में चढ़ाया जाना चाहिये बल्कि उसे वास्तविक रूप भी दिया जाना चाहिये।

8. शिक्षा के सभी स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा को शुरू करने पर बहुत जोर दिया जाना चाहिये।

9. चिकित्सा से गर्भ समापन की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

10. भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि अधिक बच्चों पर यह सीमा बढ़ न जाये और इस प्रकार ये बड़े परिवार के लियें पुरष्कार न बन जाये।

11. छोटे परिवार के सिद्धान्त को बढ़ावा देने के लिए कर लगाने के कानूनों का भी उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

12. परिवार नियोजन की अत्याधिक आवश्यकता तथा इस संबंध में कानून क्या भूमिका निभा सकता है इस बारे में विधायकों और प्रशासकों को शिक्षित किया जाना चाहिये।

न्यूयार्क में तटस्थ देशों की ठबैक

1335. **श्री के. पी सिंह देव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान की समस्या पर विचार करने के लिए हाल ही में न्यूयार्क में तटस्थ देशों द्वारा कोई बैठक की गई थी ;

(ख) क्या इस बैठक में भारत ने भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रश्न पर भारत का क्या रुख था और विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ;

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) . (क) गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के छठे सम्मेलन (जो कि सितम्बर, 1979 में हवाना में हुआ था) के निर्णयों और सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों के ग्रुप की 20 फरवरी, 1980 से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधियों के स्तर पर न्यूयार्क में बैठक हो रही है, जिसमें कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने दूसरे मसलों के साथ अफगानिस्तान से सम्बद्ध घटनाओं पर भी प्रश्न उठाया था।

(ख) जी हां।

(ग) इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं के संबंध में सरकार की नीति को दोहराया। उनके वक्तव्य की प्रति विवरण के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है। न्यूयार्क में गुटनिरपेक्ष देशों की यह बैठक अभी तक अनिर्णीत रही है।

विवरण

22-2-1980 को न्यूयार्क में गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के वक्तव्य का पाठ

अध्यक्ष महोदय,

आज पूर्वाह्न में हम लोग कार्यसूची की मद संख्या-2 के अन्तर्गत हवाना घोषणा को कार्यान्वित करने के सिबसिले में गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार करते रहे हैं और इन्हीं क्रियाकलापों में से हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की हाल की घटनाओं के सन्दर्भ में हस्तक्षेप अथवा दखलन्दाजी को अस्वीकार करने से सम्बद्ध एक घोषणा के सिलसिले में किये गये काम पर विचार किया है। इस सिलसिले में हमें विभिन्न प्रकार के विचारों को सुनने का मौका मिला है जिनसे संसार के विशिष्ट क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों की राय तथा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उनके प्रभाव की जानकारी मिली।

जहां तक हमारे इस भूभाग की घटनाओं का प्रश्न है, इनकी ओर मेरी सरकार गम्भीर रूप से ध्यान देती रही है। इस क्षेत्र की सरकार और लोगों के साथ भारत के निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हम अपने पड़ोसी और पुराने मित्र देशों की सुरक्षा, स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता के प्रति गम्भीर रूप से चिन्तित हैं और उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं और

हमें यह उम्मीद है कि वे अपनी आन्तरिक समस्याएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हल कर लेंगे।

हमारे क्षेत्र के सभी देश गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं और गुटनिरपेक्ष के सिद्धान्तों के अनुरूप हम यह आशा करते हैं कि हमारा यह समूचा क्षेत्र तनाव से मुक्त होगा। विगत वर्षों में हमें अपेक्षाकृत राहत का समय देखने को मिला है जबकि बड़ी शक्तियों में पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता कुछ कम थी और जिससे इस क्षेत्र के राज्यों को पारस्परिकता तथा आपसी काम पर आधारित सम्बन्धों की दिशा में आगे बढ़ने का और अपनी अनसुलझी समस्याओं को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए विश्वास जागृत करने का मौका मिला था। हाल की घटनाओं से इस वातावरण में व्यवधान पैदा हो गया है -- खासतौर से हमारे क्षेत्र में हथियार आने के परिणाम स्वरूप इसकी बड़ी शक्तियों की मुठभेड़ और संघर्ष का एक मंच बन जाने की आशंका को लेकर। विगत सप्ताहों में भारत सरकार इस महाद्वीप के देशों के साथ और दूसरे देशों के साथ भी इस बात पर जोर देने के लिए सम्पर्क बनाये रहा है कि कोई भी ऐसी कार्यवाही न की जाए जिनसे ये खतरे और अधिक भड़क सकते हों और मुठभेड़ का वातावरण और अधिक तेज हो सकता हो। मैं इस सिलसिले में फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत की हाल की यात्रा के दौरान जारी की गई संयुक्त घोषणा से एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें कि बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से चिन्तित और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सार्वभौम रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को आधारित करने की आवश्यकता की ओर से आश्वस्त तथा वर्तमान गम्भीर समय में सम्बद्ध दोनों देशों के विशिष्ट दायित्वों की ओर से सजग, जो कि उन पर अपनी-अपनी तनाव-शैथिल्य और गुटनिरपेक्षता की नीतियों के कारण आये हैं, दोनों नेताओं ने निष्ठापूर्वक यह घोषणा की है, जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :

1. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बल प्रयोग के कारण और किसी प्रभुसत्ता प्राप्त राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप अथवा दखलन्दाजी के कारण उत्पन्न कोई भी स्थिति अस्वीकार्य होगी।

2. यह स्थिति और अधिक न भड़क पाए इसके लिए सभी राज्यों को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि बड़े राष्ट्र के बीच प्रतिद्वान्दता बढ़े और शीत युद्ध पुनः शुरू हो जाए, खासतौर पर हथियारों के खतरनाक जमाव के माध्यम से, जो कि सम्वेदनशील क्षेत्रों में शान्ति और स्थायित्व के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

3. ऐसी परिस्थितियां स्थापित करना आवश्यक है जिनमें सभी राज्यों की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा हो सके और उनके लोगों को अपनी नियति स्वंय, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार सुनिश्चित हो।

4. इन सिद्धान्तों का सम्मान करने और इन पर अमल करने से किसी राज्य का अपने हितों की वैद्य सुरक्षा के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि वस्तुतः यह बहुत हद तक उनकी सुरक्षा में सहायक होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत के विदेश सचिव की हाल की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में, जो कि बहुत अरसे से तनाव से मुक्त रहा है, सामान्य स्थायित्व कायम करने में अपनी गहरी वचनवद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति कि हुई इस क्षेत्र में "हथियार मांगना" यहां की शान्ति और स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा परिवार नियोजन का सर्वेक्षण

1336. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यू० एन० एफ० पी० ए० ने हाल में तीसरे विश्व के देशों में परिवार नियोजन और उसकी उपलब्धियों के बारे में सर्वेक्षण किया था;

(ख) क्या इस एजेंसी ने भारत में भी सर्वेक्षण किया था;

(ग) क्या इस एजेंसी ने यह नोट किया कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पिछड़ गया है और यदि हां, तो उन्होंने इसके क्या कारण बताए हैं; और

(घ) जनसंख्या की वृद्धि को उचित नियंत्रण में रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) : भारत सरकार को यू० एन० एफ० पी० ए० अथवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है। वैसे 1974 में विश्व जनसंख्या सम्मेलन से उत्पन्न मामलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें उन्होंने बहुत से देशों को लिया है और जिसका शीर्षक विश्व जनसंख्या प्रकृतियां एवं नीतियां (वर्ल्ड पांपुलेशन ट्रेन्डस एण्ड पालिसीज) है। यू. एन. एफ. पी. ए. के कार्यकारी निदेशक ने एक दस्तावेज में इस रिपोर्ट का उल्लेख किया है जिसका नाम "दि स्टेट आफ वर्ल्ड पापुलेशन 1979" है जिसमें उन्होंने भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के पिछड़ने का तो जिक्र किया है परन्तु इसके लिए कोई कारण नहीं बताए हैं।

(घ) सरकार, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देती है और समुचित प्रेरणा कार्य और पात्र-दम्पत्तियों को जानकारी देने के माध्यम से इसका प्रचार करती है ताकि वे लोग स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सेवाओं का खुलकर लाभ उठा सकें।

के. के. एक्सप्रेस में बैठने के स्थानों को प्राप्त करने में कठिनाई

1337. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी में बंगलौर से बैठने के स्थानों को प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गाड़ी द्वारा अधिक चक्कर लगाये जाने तथा बंगलौर से अतिरिक्त सवारी डिब्बों को लगाये जाने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ) : (क) केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण की मांग, विशेषकर भीड़-भाड़ के दिनों में सामान्य उपलब्धता से अधिक रहती है ।

(ख) मार्गवर्ती खंडों पर लाइन की तंगी के अतिरिक्त सप्ताह में दो बार चलने वाली 125 । 126 केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस की बारम्बारता को बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है क्योंकि सप्ताह के अन्य 5 दिनों में, सप्ताह में तीन बार चलने वाली 121/122 तमिलनाडु एक्कप्रेस और सप्ताह मैं दो बार चलने वाली 123 । 124 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस गाड़ियां नयी दिल्ली और बल्हारशाह के बीच उसी समय पर चलती हैं । इस गाड़ी के साथ अतिरिक्त डिब्बे लगाना भी परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि यह पहले से अधिकतम डिब्बों के साथ चलायी जा रही है । तथापि इस गाड़ी के साथ दो इंजन लगाकार डिब्बों में वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कुष्ठ रोग का आक्रमण

1338. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में कुछ रोग बढ़ रहा है; और

(ख) कष्ठ रोग के प्रभाव को न्यूनतम करने और इस रोग के उपचार का एवं इसके रोगियों के पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, नहीं । इन राज्यों में यह रोग बढ़ नहीं रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन इस रोग की घटनाओं को कम से कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं । इसके लिए रोग का आरम्भ में पता लगाया जाता है । उनमें से भर्ती होने योग्य बीमारों को अस्पताल में भर्ती करके और शेष का बाह्य रोगी के रूप में नियमित इलाज किया जाता है । साथ ही संक्रामक किस्म के रोगियों के सम्पर्क में रहने वाले बच्चों का रोग रोधक उपचार किया जाता है ।

कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास में सुविधा रहे इसके लिए उनकी शारीरिक विरूपताओं को ठीक करने के अभिप्राय से उनकी भौतिक चिकित्सा और पुनर्रचना शल्य-चिकित्सा की जाती है ।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मिलावट

1339 **श्री टी. आर. शमन्ना : क्या स्वास्थ्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं, जैसे काफी का पाउडर दूध, मक्खन, ताड़ी और ऐरक में मिलावट बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो बड़ी मात्रा में मिलावट करने पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) ऐसी कोई वृद्धि सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) सरकार को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी है और उसने राज्य सरकारों को, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की क्रियान्विति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, सलाह दी है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिये अपनी खाद्य अपमिश्रण निवारक मशीनरी को सुदृढ़ करें ।

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल मार्ग

1340. **श्री विरदी चन्द शर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच आजकल रेल-मार्ग चालू है;

(ख) मुनावा रेलवे स्टेशन (भारत) से खोखरीपार रेलवे स्टेशन (पाकिस्तान) के बीच का मार्ग कब बन्द किया गया था और उस समय किन कारणों से यह बन्द करना पड़ा था;

(ग) क्या उपरोक्त मार्ग के बन्द को जाने के कारण, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को पंजाब से होकर पाकिस्तान की ओर यात्रा करने में अधिक खर्च करना पड़ता है और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार का पाकिस्तान की सरकार के परामर्श से कथित रेल मार्ग पुनः खोलने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच रेल मार्ग अटारी हो कर खुला हुआ है ।

(ख) मुनबा के रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच रेल मार्ग दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाने पर सितम्बर, 1965 में बन्द कर दिया गया था ।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसी किसी समस्या को जानकारी नहीं है । इस सन्बन्ध में इस मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(घ) रेल मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

चीन-भारत सम्बन्ध

1341. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-चीन संबंधों को 1962 पूर्व स्तर पर लाने के लिए देश द्वारा 10 जनवरी, 1980 के पश्चात क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :

राष्ट्रपति ने संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में सरकार की नीति निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की है :

"चीन के साथ सीमा-विवाद सहित अन्य सभी मामलों पर विचार करने के लिए भारत अब भी इच्छुक है ताकि समानता पर आधारित कोई शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके। हम आशा करते हैं कि द्विपक्षीय आदान प्रदान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे ।"

सरकार का इरादा है कि उपपुक्त नीति का अनुसरण किया जाय, जो वस्तुतः 1976 में ही बनायी गयी थी। हमने इस बात पर गौर किया है कि चीन लोक गणराज्य की सरकार ने भी संबंधों में सुधार लाने की इच्छा व्यक्त की है ।

चीन-भारत सीमा

1342. **श्री मतीं प्रमिला दण्डवते : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा, भूटान, नेपाल और वर्मा पर चीन के पर्याप्त खतरे के बारे में प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चींन सरकार के विरोध के समाचार पर सरकार ने ध्यान दिया है ;

(ख) क्या चीन से दावा किया है भारत और चीन के बीच सीमा का रेखांकन नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी नरसिंह राव :)

(क) सरकार ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समाचार पत्र पीपुल्स दैनिक में प्रकाशित प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य पर "आश्चर्य और खेद" संबंधी खबर को देखा है, लेकिन जैसा कि बाद में प्रधान मंत्री ने स्वयं स्पष्ट किया है, इस समाचार पत्र ने उनकी टिप्पणीं को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने निरंतर यही कहा है चीन-भारत सीमा को परम्परा और प्रथा तथा प्रभावी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का समर्थन प्राप्त रहा है और अधिकांश भागों में इसे विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय करारों की संस्वीकृति प्राप्त है ।

स्थानीय भाषा जानने वाले कर्मचारी

1343. **श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टिकट कलक्टर, स्टेशन मास्टर, बुकिंग कलर्क आदि जैसे रेलवे कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो उन राज्यों में जहां मुख्य रूप से स्थानीय भाषा बोली जाति है, वहां की भाषा जानते हों ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल सेवा आयोग ऐसे कर्मचरियों की नियुक्ति करते समय इस बात को ध्यान में रखता है ?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : टिकट कलक्टर, स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, आदि पदों पर भर्ती रेल सेवा आयोगों के माध्यम से क्षेत्रीय

रेलों के आधार पर की जाती है। लेकिन, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे दो या दो से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। स्थानीय उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए, रेल सेवा आयोग सम्बन्धित क्षेत्र में आम तौर पर पढ़े जाने वाले समाचार-पत्रों में इन कोटियों की रिक्तियों के सम्बन्ध में विज्ञापन देते हैं। अतः स्थानीय उम्मीसवार ही बड़ी संख्या में रेल सेवाओं के लिए चुने जाते हैं।

इसके अलावा, इलाहावाद, बम्वई और मुज्फ्फरपुर में रेल सेवा आयोग, जो हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं, उम्मीदवारों को लिखित परिक्षा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में देने का विकल्प भी देते हैं।

अफगान की स्थिति के समाधान के लिए गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन का आयोजन

1344 **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानी संकट के समाधान के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के आयोजन के लिए भारतीय नेताओं और यूगोस्लाविया के नेताओं के बीच कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) युगोस्लाविया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान यूगोस्लाविया तथा भारत के विदेश मंत्रियों के बीच हुई सरकारी स्तर की वातचीत के समय अफगानिस्तान की स्थिति का उल्लेख किया गया था लेकिन इस बारे में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाने से संबंधित किन्हीं ठोस प्रस्तावों पर विचार विमर्श नहीं किया गया।

रेल कर्मचारीयों को सबसे कम वेतन का मिलना

1345. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगो के संगठित सेक्टर में रेलवे कर्मचारियों को सबसे कम वेतन मिलता है ;

(ख) क्या अन्य उद्योगों में ऐसे ही कार्य करने वालों या इससे कम कार्य करने वालों को रेलवे कर्मचारियों से बहुत अधिक वेतन मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों में व्याप्त होने वाले असंतोष को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति, रेल कर्मचारियों का वेतन विभिन्न कोटियों के पदों की

ड्यूटियों और जिम्मेदारियों तथा भर्ती सम्बन्धी अर्हताओं, सरकार की वित्तीय स्थिति, आदि को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। इस मूलभूत स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रेलवे और केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों तथा गैर कर्मचारियों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, के वेतन की तुलना करना उचित न होगा। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी के 185 रुपये के न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन में जिसको तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी, 1-1-73 से संशोधन करके उसे 196 रुपये प्रति माह कर दिया गया था।

गौमती एक्सप्रेस में डाका

1346. **श्री के. लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही डाकुओं ने गोमती-एक्सप्रेस को लूटा है ;

(ख) यदि हां, तो सवारियों के जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सवारियों के जान और माल की रक्षा के लिए गाड़ियों में कोई सशस्त्र गार्ड तैनात नहीं किया जाता ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सभी गड़ियों में स्थायी आधार पर सशस्त्र गार्डों की तैनाती पर विचार करेगी ; और

(ङ.) चलती गाड़ियों में लूट-पाट, चोरी आदि के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) कोई जन-हानि नहीं हुई। चुरायी गयी सम्पत्ति का मूल्य लगभग डेड़ लाख रुपये है।

(ग) और (घ) : राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती हैं, मेद्य खण्डों पर प्रभावित गाड़ियों में सशस्त्र शस्त्रहीन गार्डों की व्यवस्था की जाती है।

(ङ.) पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सककारों का विषय होने का कारण यात्रियों को संरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा की जिम्मेंदारी राजकीय रेलवे पुलिस, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती है, की है। रेलें सभी स्तरों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती हैं और जहां कहीं अपेक्षित हो, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। रेलवे सुरक्षा बल रेल सम्पति की सुरक्षा के लिए है। लेकिन अपराधियों को डराने एवं यात्रियों के बीच विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 2,000 कर्मचारिमों को मार्ग में रक्षा करने के लिए सवारी गाड़ियों में तैनात किया गया है। कुल मिलाकर 353 गाड़ियों में केवल रेलवे सुरक्षा बल के मार्ग रक्षी, 314 गाड़ियों संयुक्त रूप से रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षी तथा 519 गाड़ियों में केवल राजकीय रेलवे पुलिस

के मार्ग रक्षी रहते हैं। 22.00 बजे से 06.00 बजे तक सरकारी गाड़ियों के गलियारों के दरवाजों में ताला लगा दिया जाता है। चल टिकट परिक्षा में / परिस्चरों / कंडक्टरों को अनुदेश किये गए हैं कि सवारी डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए वे सावधान रहें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री पटनायक।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, हम प्याज उत्पादकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शान्त; कृपया मेरी बात सुनें। मैंने प्याज···के बारे में कल के लिये एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गृहीत किया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने उसके लिये स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हांजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीन जगहों पर हरिजनों की हत्यायें की गई हैं। विहार में हत्या हुई है, नागपुर में हत्या हुई है, बिहार में एक जगह जहां श्री ललित नारायण मिश्र का गांव है, वहां हरिजनों के घर जलाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रतिवेदन पर 9 घंटे की चर्चा करेंगे।

श्रीराम विलास पासवान : रिपोर्ट डिस्कस करने से क्या होगा, यहां तो रोज हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही चर्चाधीन है।

(व्यवधान)

सभापटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, मानोरा कोयला खान में घातक 'दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट, विलम्ब के कारणों का विवरण, खान सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद्, धनवाद के वर्ष 1978 और केन्द्रीय कोयला खान बचाब स्टेशन समिति, धनबाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदनों की समीक्षा।

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी•–569/80)

(2) मैसर्स ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की भानोरा कोयला खान के भानोरा एकक में 9 अक्तूबर, 1979 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.–570/80)

(3) (एक) खान सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्, धनबाद का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी.–571/80)

(4) (एक) केन्द्रीय कोयलाखान बचाव स्टेशन समिति, धनबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी.–572/80)

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 9 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 175 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 573/80)

(6) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखा

वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 574/80)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड-हार्बर) : महोदय, हम आपका सहयोग चाहते हैं। आसाम के प्रश्न के बारे में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी मैंने अनुमति दी है। श्री समर मुखर्जी की सूचना को नियम 377 के अधीन गृहीत किया गया है। (व्यवधान) नियम 377 के अधीन मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, सत्तारूढ़ दल के लोग गृह युद्ध के हालात पैदा कर रहे हैं। यह 377 का कोई मामला नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कर दिया है।

(व्यवधान)

मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमने देश की एकता बनाये रखने की शपथ ली हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी पहले ही अनुमति दे दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। देश में गृह युद्ध के हालात विद्यमान हैं। (व्यवधान) ऐसा हम कब तक कर सकते हैं?

(व्यवधान)

पारपत्र अधिनियम, 1966 के अधीन अधिसूचना
और विलम्ब के कारणों का एक विवरण

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (आठवां संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 376 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कार बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 575/80)

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 की प्रति, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के प्रमाणी कृत लेखे, विलम्ब के कारणों का विवरण, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मंडल, आगरा के वर्ष 1978-79 के प्रमाणीकृत लेखे और विलम्ब के कारणों का विवरण।

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत 4 दिसम्बर, 1979 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 8) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 576/80)

(2) (एक) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखों (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति।

(दो) लेखों के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 577/80)

(3) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 578/80)

(4) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) लेखों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 579/80)

*लेखों का अंग्रेजी संस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(5) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 580/80)

(6) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 580/80)

दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1978-79 के वार्षिकलेखे तथा उनकी समीक्षा और विलम्ब के कारणों का विवरण ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष, 1978-79 के वार्षिक लेखों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) लेखों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 581/80)

आंन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड हैदराबाद की 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर की वर्ष 1977-78, हरियाणा कृषि उद्योग लिमिटेड, चण्डीगढ़ की वर्ष 1975-76. केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम की वर्ष 1976-77 की समीक्षाएं तथा वार्षिक रिपोर्टें, विलम्व के विवरण, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड चण्डीगढ की वर्ष 1975-76 आदि की रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने संबंधी विवरण ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री श्री वीरेद्र सिंह राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनिम 1956 की धारा 619क की उप-धारा (एक) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :–

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम्र लिमिटेड, हैदराबाद के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदरावाद का 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वाषिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल. टी. संख्या 582/80)

(ख) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय मे रखे गये। दखिये एल. टी. संख्या 583/80)

(ग) (एक) हरियाणा कृपि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1975–76 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल टी संख्या 584/80)

(घ) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ,त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1976–77 के कार्य–करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में लखे गए देखिये एल.टी. संख्या 585/80)

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक–महालेखापरींक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्व के कारण बताने वाले चार विवरण।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल. टी. संख्या 585/80)

(3) हरियाणा कृपि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1975–76 के वार्षिक

प्रतिवेदन के साथ हिन्दी संस्करण न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये एल. टी. संख्या 586/80)

(4) मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत 22 दिसम्बर, 1979 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित मध्य प्रदेश सहकारी समितियां (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 9) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिये एल. टी. संख्या 507/90)

(5) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत, 29 दिसम्बर, 1979 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बम्बई भूमि अधिग्रहण (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 9) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये एल. टी. संख्या 588/80)

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय अधिनियम 1970 के अधीन जारी की गयी अधिसूचनाएं, विलम्ब का विवरण खाद्य अपमिश्रण विवरण अधिनियम, 1954 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना

स्वास्थय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) निगम, 1979 जो दिनांक 6 अक्तूवर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1241 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 1242 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम. 1979 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1243 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1281में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये एल. टी. संख्या 589/80)

(2) (एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनिगम,1970 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 532 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल. टी. संख्या 590/80)

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल. टी. संख्या 590/80)

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधार, (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 19 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखीगई। देखिए एल. टी. संख्या 591/80)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन), अध्यादेश, 1980 की प्रति तथा अध्यादेश जारी करके तुरन्त कानून बनाने की परिस्थितियां बताने वाला विवरण।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत, 6 मार्च, 1980 को उत्तर के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समितियां (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 2) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिनके कारण उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाया जाना आवश्यक था।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल. टी. संख्या 592/80)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। जब अध्यक्ष खड़ा हो आपको बैठ जाना चाहिए। कृपा कर बैठ जाएं (व्यवधान) सज्जनों ! आप लोग कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात नहीं सुन सकते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका यह रवैया रहा तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : देश में गृह युद्ध की सी स्थिति पाई जाती है। यदि आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देना चाहते तो कृपा कर एक चर्चा की ही अनुमति दे दें···

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस अध्यक्ष महोदय हम आश्वासन चाहते हैं, हमने भारत की एकता तथा संविधान को बनाए रखने के लिए शपथ ली हुई है। ऐसे लोग हैं

(व्यवधान) ऐसे लोग हैं जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं :

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको उस पर चर्चा की इजाजत देनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमोगाओ) : नहीं, नहीं

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कल इस मामले को लेकर कलकत्ता में एक घटना घटित हुई है । इस विषय पर आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं। कृपा कर एक चर्चा की अनुमति दे दें। कुछ भी हो आप संविधान के रक्षक हैं ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सज्जनों सुनों ! यदि आप अपने स्थानों पर नहीं बैठेंगे तो में कैसे बोल सकूंगा ?···

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। कृपया बैठ जाइये। आप फिर बोलने लगे। क्या इस तरह हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि यह संभव है तो आप खुशी से ऐसा कर सकते हैं। यदि इससे हमारी समस्या हल होती है तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं । आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। किन्तु मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के किसी निर्णय पर पहुंचना हममें से किसी के लिए भी व्यवहार्य होगा। मै एक व्यक्ति की बात सुन सकता हूं मैं दो व्यक्तियों की बात सुन सकता हूं। लेकिन एक साथ 500 लोगों की बात सुनने की कल्पना नही की जा सकती। जब मेरी अनुमति के बिना कोई बोलता है तो उसकी बात सुनना संभव

नहीं होगा। (व्यवधान) मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा (व्यवधान) अब आप सब लोग बैठ जाइये। यदि किसी को कुछ कहना होगा तो मैं उसको अनुमति दूंगा। किन्तु मेरे सामने कुछ चीजें हैं और मुझे इस सिलसिले में नियमों के अनुसार चलना होगा।

मैं जानता हूं कि आप लोग आन्दोलित हैं। में लोगों की मनोभावना समझता हूं। मैं जानता हूं कुछ ऐसी गंभीर स्थितियां होती हैं जिन पर हमें चर्चा करनी होती है लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि उन पर हमें चर्चा की जाये ? यही समस्या है। हमें यह कार्य संयत होकर व्यवस्थित ढ़ंग से करना चाहिए। मैं पहले ही चर्चा की अनुमति दे चुका हूं। मैं कल ही यह अनुमति देना चहता था, किन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने प्याज के बारे में यह प्रस्ताव कल सुबह के लिए स्वीकार किया है

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस संबंध में चेतावनी देता रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप सब लोग कृपया मेरी बात सुनें मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं। मुझे पता है कि पुलिस की गोली से एक आदमी मारा गया। यह तो बहुत ज्यादती है मैं इसको सहन नहीं कर सकता। किन्तु फिर भी (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए आपस में बातचीत नहीं। आपको मेरी बात सुननी है या मुझे आपकी बात सुननी है। (व्यवधान) इधर सुनिए। कृपया मेरी बात सुनिए। अब आप फिर बातचीत कर रहे हैं। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं नियम का पालन करुँ, परन्तु आप स्वयं नियम का पालन नहीं करते। आप इकतरफा नियम का पालन नहीं करा सकते। नियम का पालन दोनों ओर से होना चाहिए। दोनों ओर से नियम का पालन हो, तो आपकी चर्चा में विचारों का बेहतर ढंग से आदान प्रदान हो सकता है। इस हत्या को पर आप इसे कुछ भी कहें, हमें इस पर अवश्य ही चर्चा करनी चाहिये। कल के लिए मैंने कार्य सूची में एक ध्यानाकर्षणा प्रस्ताव रखा है और मैंने उसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है (व्यवधान) एक बार में एक आदमी ही बोले। कृपया मेरी बात तो सुनिए। धीरज रखिए। एक हरिजनों के बारे में है। इस पर चर्चा के लिए हमने 9 घन्टे का समय नियत किया है। (व्यवधान) आप फिर बात कर रहे हैं आप पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनते। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप पहले मेरी बात नहीं सुनेंगे ? मैंने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है। (व्यवधान) आप यह सब नहीं कर सकते। प्रधान मन्त्री का वक्तव्य आपने पढ़ा होगा। (व्यवधान) पहले मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। यह तरीका नहीं है। यह सभा आपकी है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। (व्यवधान) मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। कृपया बैठ जाइए। मुझे सभा का मार्गदर्शन चाहिए और अगर यह सभा सहमत है। (व्यवधान) अगर आप इस तरह समय विताना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे आपको ही नुकसान होगा, इससे राष्ट्र को ही क्षति होगी। आपको तरीका

निकालना होगा । यह आपका देश है । हममें से प्रत्येक व्यक्ति का इस राष्ट्र के प्रति दायित्व है । आप जो कुछ कर रहे हैं, उसे आप महसूस नहीं कर रहे । अगर आप इसी प्रकार बात करने का प्रयास करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे । (व्यवधान) आप सुनते क्यों नहीं ? आप सब क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं आसाम समस्या का उल्लेख कर रहा हूं । मुझे कुछ प्रस्ताव आज मिले हैं । मैंने इसके बारे में श्री समर मुखर्जी का प्रस्ताव चर्चा के लिए मन्जूर कर लिया है ।

व्यवधान

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर सुनिए । प्रधान मन्त्री ने इस समस्या के बारे में कल वक्तव्य दिया है । उन्होंने उस बारे में कुछ कहा है । (व्यवधान) आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं कहने देते ? कृपया बैठ जाइए । और अगर उसके बाद कोई बात रह जाती है और सरकार वक्तव्य देन नहीं जा रही, तो हम उस पर विचार करेंगे । यह बहुत आसान बात है । अगर किसी को कोई बात कहनी है, तो मैं एक-एक करके आपकी बात सुनूंगा । (व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइए । मुझे अपनी बात कहने दीजिए । यह बहुत आसान बात है ।

एक माननीय सदस्य : आप ऐक-एक करके हमसे अपनी वात कहने के लिए नाम पुकारिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हमें कृपया एक मिनट का समय दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक पार्टी में से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा । मैं आपकी बात सुनूंगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमोगाओ) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 31 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : नियम 31 के अन्तर्गत ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कार्यवाही का संचालन । इसमें यह उपबन्ध है कि सभा की कार्यवाही का कार्यसूची में उल्लेख होना चाहिए और ऐसी किसी कार्यवाही को चर्चा के लिए नहीं लिया जाना चाहिए जिसका कार्यसूची में उल्लेख न हो । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । मैं इस सभा के संचालन के बारे में इसे उठा रहा हूं । अब श्रीमान् जी ······(व्यवधान) क्या मैं अपनी बात जारी रखूं ? नियम 31 यह कहता है । "दिन के लिए कार्य-सूची !"

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष की अनुमति के बिना············

श्री एडुआर्डो फैलीरो : नियमों के मामले में, एक सामान्य रूप में, हम यह पाते हैं कि जो कार्यवाही इसमें शामिल नहीं है ············(व्यवधान) मैं इस बारे में विनिर्णय चाहता

हूं। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे ? आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे सामने रोजाना ही ऐसी कार्यवाही आती है, जो इसमें शामिल नहीं है ············(व्यवधान) आप इस पर ध्यान दीजिए कि रोजाना ही आपकी अनुमति के बगैर मामले उठाये जा रहे हैं। (व्यवधान) मेरा संक्षेप में यह निवेदन है। कृपया मेरी बात सुनिए। इन भद्र पुरुषों के शासन काल के दौरान पिछली-लोक सभा में अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था कि कोई भी समय शून्यकाल नहीं होता है। हम वहां बैठते थे। तथाकथित शून्यकाल के दौरान हमें कोई भी मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्या आप उस निर्णय को बदल रहे हैं अथवा उसका पालन कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मैं आपकी समस्या को जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं संक्षिप्त निवेदन कर सकता हूं ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है············

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस मामले पर व्यग्र हैं, क्योंकि इस सभा में कल प्रधानमंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए एक वक्तव्य दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने (अर्थात् सरकार) ने ऐसी किसी बात को मंजूरी नहीं दी है जिससे आसाम के इस मसले में तनाव में और वृद्धि हो।

अब, प्रधानमन्त्री द्वारा यह वक्तव्य दिये जाने के बावजूद, जिसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, हम यह देखते हैं कि कलकत्ता में कल पुनः कुछ बहुत गंभीर घटनायें हुई हैं, जो सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित हैं। इसलिए हम व्यग्र हैं। श्रीमान् जी, आपसे हमारा आदरपूर्वक यह निवेदन है कि अगर आप किसी अन्य रूप में इसे उठाने की अनुमति नहीं दे सकते, तो कम से कम श्रीमान् जी आप सभा की ओर से प्रधान मन्त्री से पुनः अनुरोध करें कि वह यहां पर आयें और वक्तव्य दें और जो घटनायें हो रही हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण दें। देश में उनका आदेश चलता है या नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उल्लंघन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देना है। मैंने आपकी बात समझ ली है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं केवल एक बात चाहता हूं············

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आने पर मैं आपका नाम पुकारूंगा उससे पहले नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम चिन्तित हैं, क्योंकि अगर ये घटनायें कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में जारी रहती हैं, तो आसाम में काफी संख्या में ऐसे पागल आदमी हैं, जो आसाम के वर्तमान आन्दोलन के पीछे हैं, और वे लोग इस स्थिति का लाभ उठायेंगे और वहां रह रहे बंगालियों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधिक आक्रामक रुख अपनाकर बदला लेंगे। इसलिए यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। और जब उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने इसकी स्वीकृति नही दी है, तो फिर यह कैसे है कि उनकी अपनी पार्टी के आदमी ही इस बात का उल्लेखन कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है। बसु जी, आप केवल संक्षेप में बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कल स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मुद्दा यह है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) पार्टी है और हम उन्हें पृथक इकाई नहीं समझते, क्योंकि सम्पूर्णपन के वे भी एक अंग हैं। उन्होंने रेलवे लाइनों को उखाड़ने और आसाम तथा कलकत्ता के बीच यात्रा करने वाले विमान यात्रियों को रोकने की योजना बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते क्या हैं ? कृपया व्यवस्था रखिए। मैं सुन रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, वहां श्री सुब्रोतो मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह यहां आये और गृहमंत्री से मिले हैं एक तीर से दो शिकार करने की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री ज्योयिर्मय बसु : श्रीमान्, वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अराजकता पैदा करना तथा सरकार को गिराना है········· (व्यवधान) मैं इस विषय पर चर्चा चाहता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है (व्यवधान) मैंने आपसे आपके चैम्बर में भी भेंट की थी और मैंने आपसे आश्वासन चाहा था ·· ···· (व्यवधान)। अब मैं इस विषय पर चर्चा चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। श्री पांडेय, आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा।

(व्यवधान) *

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान्, मेरा अनुरोध है कि हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में ऐसी स्थिति पैंदा हो गई है जिससे देश के उस भाग में गृह युद्ध भड़क सकता है। यदि हम यहां चर्चा नहीं कर पाते हैं ······ तो मैं सरकार की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है, विशेषतया जब प्रधान मंत्री अपने दल के लोगों से कुछ न करने के लिये कहती हैं उनके दल के लोग कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं। हम इस विषय पर कहां जाकर चर्चा करें? क्या हमें भी इसे सड़कों पर ले जाना होगा या सभा में चर्चा की अनुमति दी जायेगी?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे एक-एक करके बोलने के लिए कहा है। बोलने के लिए आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिये।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों का अध्याय नौ स्थगन प्रस्ताव के बारे में है। नियम 58 (पांच) में कहा गया है कि :

"(पांच) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नही की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो"।

कल प्रधानमंत्री महोदय ने चल रहे वाद विवाद में स्वयं हस्तक्षेप करते हुये सदन को आश्वासन दिया था कि वे किसी ऐसी बात का समर्थन नहीं करेंगे जिससे तनाव बढ़ता हो। अब यह मामला किस नियम के अधीन उठाया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान्, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हुआ है अर्थात् आसाम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, अब अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है। अब आसाम में राष्ट्रपति शासन है और डीजल आदि जैसे पैट्रोलियम उत्पाद वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं और रेलवे तथा अन्य परिवहन सुविधाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने से खाद्य पदार्थ भी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा था कि दल के नेता, जो प्रधानमंत्री जी हैं, के वक्तव्य के बावजूद भी वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी जा रही है। अतः इस मामले पर तुरन्त ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : खड़े हुये·········

अध्यक्ष महोदय : श्री बरोट बोल चुके हैं। वह आप ही के दल के हैं किसी अन्य दल के नहीं।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : मैं यह तथा सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, जो लोग केन्द्र में सत्ता रूढ़ हैं पहली बार उनके साथियों ने आर्थिक नाकेबन्दी करने तथा स्थिति को पूरी तरह अस्त-वयस्त करने की धमकी दी है। यह वास्तव में गृह युद्ध का आह्वान है और यह आह्वान केन्द्र में सत्ता रूढ़ दल द्वारा किया गया है।

(व्यवधान)

श्री चित्तवसु (बारसाट) : मैंने ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी······(व्यवधान) मैंने आपको लिखा था ·····

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। मैंने सब कुछ सुना है। मैंने इन सभी बात पर विचार किया है। श्री बसु मुझसे मेरे कक्ष में मिले थे और विचार करने के पश्चात मैंने निर्णय किया है ·········(व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। जब मैं खड़ा हुआ हूं तब तो आपको बैठे रहना चाहिये।

मैं स्थिति की गम्भीरता और सभा की भावनाओं को समझता हूं। प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था (व्यवधान)। आप इसे जो चाहे कहें, प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया और आपको उसे ध्यान में रखना चाहिए। केवल इसी पहलू पर वक्तव्य देने के लिए मैंने नियम-377 के अन्तर्गत श्री समरमुखर्जी को अनुमति दी है····· (व्यवधान) आप धैर्य क्यों नहीं रखते? आप दूसरों के धैर्य की परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? मैंने केवल इस उद्देश्य से इसकी अनुमनित दी है कि यदि वह वक्तव्य देते हैं तब इसे प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझेंगी तो उत्तर देंगी। यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त भी चाहते हैं। बड़ी साधारण सी बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तीन सूचनाओं में से मैंने श्री समरमुखर्जी को अनुमति देने का विचार किया था। वह एक दल के नेता हैं। अब वह नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य देंगे तो उस पर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया जायेगा?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियम 377 के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्य का उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है उस पर वह अपने आप ही वक्तव्य देंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने अभिमत के अन्तिम भाग पर अटल हूं··· ··

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप तो राई का पहाड़ बना रहे हैं······वह वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं हैं ···· नियम को पढ़िये······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता है। मैं उसका संदर्भ नहीं दे रहा हूं। मुझे इस बात का पता है कि नियम 377 के अन्तर्गत दिये गए वक्तव्य का उत्तर देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। परन्तु जैसी स्थिति है उसे देखते हुए सरकार इसका उत्तर दे सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है, तब आप इसे उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप प्रधान मंत्री से उत्तर देने के लिये क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री यहाँ बैठी हुई हैं। यदि सरकार कुछ नहीं कहती तब हम इस पर विचार करेंगे·········

श्री जार्ज फर्नान्डीस : स्थगन प्रस्ताव या चर्चा, दोनों में एक की अनुमति दी जानी चाहिये ।

प्रो. मधु दंडवते : आप किस चीच की अनुमति देना चाहते हैं। न आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं न चर्चा की ।

अध्यक्ष महोदय : पहले नियम 377 के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्य का परिणाम देखिए .

(व्यवधान)

— ----

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है ।

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त विधेयक, जो लोकसभा द्वारा 14 मार्च 1980 को पास किया गया था तथा सिफारिश करने के लिए राज्य सभा को भेजा गया था, तथा यह कहने का निर्देश मिला है कि उक्त विधेयक के बारे में इस सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी हैं"।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक, 1980 जो लोक सभा द्वारा 14 मार्च को पास किया गया था तथा सिफारिशों के लिये राज्य सभा को भेजा गया था, लौटाने तथा यह कहने का निर्देश मिला है कि उक्त विधेयक के वारे में इस सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे आसाम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980, जो लोकसभा द्वारा 15 मई, 1980 की अपनी बैठक में पास किया गया था तथा सिफारिशों के लिये राज्य सभा को भेजा गया था, लौटाने तथा यह कहने का निर्देश मिला है कि उक्त विधेयक के वारे में इस सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है"

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे आसाम विनियोग विधेयक, 1980, जो लोकसभा द्वारा 15 मार्च 1980 को अपनी बैठक में पास किया गया तथा सिफारिशों के लिए राज्य सभा को भेजा गया था, लौटाने तथा यह करने का निर्देश मिला है कि उक्त विधेयक पर इस सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी हैं"।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा परमाणु ईंधन की सप्लाई

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तवय दें :

"अमरीका द्वारा तारापुर के लिए परमाणु इंधन की सप्लाई में नई पेचिदगियों"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। उसी विषय पर फिर चर्चा नहीं की जा सकती। दुबारा कोइ भी चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसा करना सदन के समय की बरबादी होगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाय। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है, यदि आप चर्चा में भाग लेना चाहें तो कृपया········ श्री राव शुरू करें।

(व्यवथान)**

श्री ज्योमिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था की प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत, कृपया बतायें ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 (1), (2), (3), (4), (5), और (6) के अन्तर्गत। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। आपके निर्देशन के अन्तर्गत, हमने आसाम के मसले पर अनुरोध किया था। सबने एकमत से अनुरोध किया था और उस पर चर्चा की मांग की थी। हम केवल इस बारे में स्पष्ट विनिर्णय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

** कार्यवाही वृतांन्त में सम्मिलित नही किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ नहीं करना है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति दे बिना कोई भी न बोलें।

(व्यवधान)**

विवरण

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : सम्बद्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा तारापुर के परमाणु बिजली घर के ईंधन की सप्लाई में पैदा होने वाली कथित नई पेचीदगियों की बात कही गई है। वस्तुस्थिति यह है कि अमरीका की सरकार ने हालांकि अभी तक तारापुर केन्द्र के लिए ईंधन की सप्लाई उपलब्ध कराने से इंकार नहीं किया है लेकिन विगत चार वर्ष से ईंधन की सप्लाई में बराबर विलम्ब होता रहा है। तारापुर के परमाणु बिजलीघर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए समृद्ध यूरेनियम के उन्नीस दशमलव आठ-आठ टन के दो निर्यात लाईसेंस आवेदन पत्र इस समय अमरीकी प्राधिकारियों के सामने प्रस्तुत हैं। इनमें से एक आवेदन पत्र प्रायः डेढ़ वर्ष पूर्व बीस सितम्बर, 1978 को पेश किया गया था और इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत माल की सप्लाई मार्च और अगस्त, 1979 के बीच की जानी थी। दूसरा आवेदन पत्र 20 अगस्त, 1979 को प्रस्तुत किया गया था और इसके अन्तर्गत सप्लाई पिछले महीने शुरू हो जानी चाहिए थी।

भारत की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच अक्तूबर, 19 3 से लागू सहयोग करार का सार तत्व यह है कि अमरीका की सरकार तारापुर के परमाणु बिजलीघर के लिए हमेशा जब भी जरूरत होगी ईंधन सप्लाई करेगी और इस करार की यह अवधि अक्तूबर, 1993 तक इस समझौते के आधार पर सीमित की गई है कि तारापुर की भट्ठियां सिर्फ संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उपलब्ध कराये गये ईंधन से ही चलाई जाएंगी।

तारापुर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई 1976 के प्रारम्भ तक प्रायः नियमित रूप से होती रही थी। तब से इसे भेजने में काफी विलम्ब होता आ रहा है।

हमने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार पर अपनी यह गंभीर चिंता बार-बार व्यक्त की है कि तारापुर के लिए ईंधन की सप्लाई की स्वीकृति देने में निरंतर अतिशय विलम्ब होता आ रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सहयोग करार की शर्तें, जो कि दोनों देशों में सभी कानूनी और संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद 1963 में लागू हुई थीं, किसी भी पक्ष द्वारा इकतरफा तरीके से नहीं बदली जा सकतीं। हमने इस करार का इसके भाव और

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भाषा के अनुरूप पालन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार भी अपने दायित्व निभायेगी ।

विगत तीन वर्षों में अमरीका की सरकार सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार से विभिन्न अतिरिक्त आश्वासनों की मांग करती रही है । इनका सारांश यही है कि हम अपनी सभी नाभिकीय सुविधाओं पर पूरे पैमाने की सुरक्षाओं को स्वीकार करें । भारत सरकार ने इस संबंध में बराबर यही जवाब दिया है कि वह इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती । पिछली बार सात मार्च, 1980 को शेष दो खेपों के सिलसिले में विशिष्ट आश्वासनों की मांग के उत्तर में अमरीकी राजदूत को यह बताया गया था कि हम वर्तमान सभी करारों और दायित्वों को पूरा करेंगे और उन्हें यह भी बताया गया था कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय प्रयोग की हमारी नीति 30 जनवरी, 1980 को संसद में प्रधान मंत्री द्वारा पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है । इस तरह हम यह देखेंगे कि यह अनुरोध वास्तव में अमरीकी प्रशासन के पुराने अनुरोधों की पुनरावृत्ति भर है जिन्हें हमने कभी स्वीकार नहीं किया है, किसी तरह की कोई नई पेचीदगी नहीं ।

हम संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ इस उद्देश्य से बराबर संपर्क किये हुए हैं कि इस करार की पूरी अवधि के दौरान यानी 1993 तक ईंधन की सप्लाई नियमित रूप से और समय पर, दोनों सरकारों के बीच विद्यमान सहयोग करार के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप, होती रहेगी ।

हमें अब भी यह आशा है कि अमरीकी सरकार अपने वचन निभायेगी जैसाकि हमने हमेशा किया है । फिर भी, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि ईंधन की यह सप्लाई न होने से पैदा होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० राम गोपाल रेड्डी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कृपया ग्रुपों के नेताओं की एक बैठक बुलाएं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हर बात की एक सीमा होती है । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये । मैं इसे देख चुका हूं । कुछ ऐसी बातें होती हैं जब वे सीमा का अतिक्रमण करते हैं तब यह आपत्तिजनक हो जाती हैं । अब मैं बहुत सुन चुका हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें । आप किसी कायदा-कानून का पालन नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इधर देखें। जब मैं बोल रहा हूं··· (व्यवधान) आप चाहते हैं कि मैं नियमों का पालन करूं और आप स्वयं नियमों का पालन नहीं करते। (व्यवधान) मैं नहीं जानता।

एक माननीय सदस्य : श्री मंडल, जिनके हाथों से खून के धब्बे अभी साफ नहीं हुए हैं, वे हरिजनों पर हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं अब बहुत सुन चुका हूं।

(व्यवधान)

मैं अकेला आदमी हूं और यहां हर समय सैकड़ों आवाजें आती रहती हैं। मैं चाहूंगा कि सारा देश इस तमाशे को देखे जो आप पेश कर रहे हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। श्री रामविलास, इस सदन का प्रत्येक सदस्य (व्यवधान)···क्या आप बैठेंगे? इस सदन का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी को जानता है। सदन का प्रत्येक सदस्य यह भी महसूस करता है कि जो भी कोई उंगली उठाता है वह उसे छूता भी है। मैं इसे जानता हूं, इस सदन का कोई भी सदस्य मुझे एक ऐसा सदस्य बताए जो यह नहीं जानता। (व्यवधान) आप फिर खड़े हो रहे हैं।

हम इस विशेष विषय पर चर्चा कर चुके हैं। इसी सदन में हमने चार दिन पहले इस विषय पर चर्चा की थी। (व्यवधान) नहीं, वह घटना भी वैसी ही है। (व्यवधान) अब कृपया सुनें। आप हमेशा एक साथ बोलने लगते हैं। कहीं भी धैर्य या नियंत्रण है? देश ने सारी बातें हमारे हाथों में सौंप दी हैं। आप क्या समझते हैं, हम क्या हैं। हम जो कुछ यहां करते हैं हम उसके लिए उत्तरदायी है। यह एक गंभीर मामला है। हमने एक बार में एक चीज पर चर्चा की है, दूसरी रिपोर्ट चर्चा के लिए शेष है जिस पर चर्चा में हमें भाग लेना है। उसके अतिरिक्त श्री यादव ने सुझाव रखा है उसे मैं यहां चर्चा के लिए रखता हूं। अतः हमें मामले पर आगे चर्चा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप सभी दलों की एक बैठक बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव रखा गया है। मैं इस पर बातचीत करूंगा। मैं आदेश नहीं दे सकता लेकिन किसी बात की पहल कर सकता हूं। मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। यही मुझे कहना है। श्री फर्नान्डीस, इस प्रकार हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। हम जिस रूप में बातचीत कर रहे हैं, उसी रूप में किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। अतः हमें इस विषय पर आम चर्चा करनी चाहिए और मैं इस मामले में कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान) कृपया शान्ति बनाये रखिए। श्री एम० रामगोपाल रेड्डी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यूरेनियम की सप्लाई के लिए अमरीका बराबर आश्वासन देता रहा है । परन्तु अपने सांविदिक वचन को करने में असफल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में अब कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा । (व्यवधान) मैं यहां सभी को समान समझता हूं । मैं कोई भेदभाव नहीं करता । (व्यवधान) यह सब ठीक है (व्यवधान) जो हम दूसरों से कहते हैं । हमें स्वयं भी उसका पालन करना चाहिए ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमारा देश एक जिम्मेदार देश है । अमरीका इस बात को जानता है । पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान के 7000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था । युद्ध के तुरन्त पश्चात हमने स्वयं ही उस क्षेत्र को उन्हें लौटा दिया । हमने एक लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बन्दी बनाया था । युद्ध और बातचीत के तुरन्त पश्चात हमने उन्हें तुरन्त छोड़ दिया ।

अमरीका को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है । अमरीका एक प्रजातांत्रिक देश है तथा हमारा देश भी प्रजातांत्रिक देश है । दुर्भाग्यवश, अमरीका पाकिस्तान की सहायता कर रहा हैं । यही तो कठिनाई है । अब वे हमारे देश के विकास को रोकना चाहते हैं । हम तारापुर के लिए यूरेनियम चाहते हैं, न कि परमाणु बम अथवा ऐसी ही किसी अन्य कार्य के लिए । हमारी प्रधान मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों तथा सृजनात्मक कार्यों जैसे झीलों का निर्माण, सुरंग खोदने तथा दवाओं आदि के लिए कर रहे हैं । श्रीमती गांधी बार-बार विश्व को बता रही हैं कि भारत की धारणा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने की है । दुर्भाग्यवश, अमरीका हमारी कठिनाइयों को नहीं समझ रहा है तथा यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब कर रहा है । दुर्भाग्यवश एक वार श्री मोरारजी देसाई इस मुद्दे पर अपनी बात से हट गए तथा हमारी संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए सहमत हो गए थे । किंतु बाद में उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया । श्री वाजपेयी भी वहां उपस्थित थे । मैं जानना चाहता हू कि क्या श्री देसाई अपनी ही वजह से अथवा अपने सिद्धांतों के बावजूद हमारी संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए सहमत हो गए थे । श्री वाजपेयी से हमें इस प्रकार की कार्यवाही की कभी आशा न थी । मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तारापुर के लिए इस महत्वपूर्ण मद का पुनर्उपयोग होने जा रहा है तथा क्या सरकार मिश्रित आक्साइड ईंधन का उपयोग यूरेनियम के विकल्प के रूप में करने जा रही है । उन्होंने 20 टन का वायदा किया था तथा पहले ही दो प्रस्ताव समाप्त हो चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तारापुर संयंत्र को चलाया जाएगा अथवा इसे यूरेनियम के कारण बन्द कर दिया जाएगा । मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे फ्रांस तथा सोवियत संघ से यूरेनियम मिलने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं । हमें केवल एक ही देश पर निर्भर नहीं करना चाहिए । यदि हम केवल एक ही देश पर निर्भर करते हैं, यदि वे अचानक यूरेनियम की सप्लाई बन्द कर दें, तो हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाऐं बन्द हो जाएंगी । इन मुद्दों पर मैं मंत्री महोदय से एक विस्तृत उत्तर चाहता हूं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तारापुर में उपयोग के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई 1976 के आरम्भ तक नियमित रूप से हुई है। किंतु उसके बाद इसकी सप्लाई में काफी विलम्ब हुआ है।

(व्यवधान)

हम जानते हैं कि इसके वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं, किंतु हम अभी एक ऐसी अवस्था में हैं जब हमने इस अनुबंध को समाप्त करने तथा अन्य विकल्पों के बारे में कार्यवाही करने का निर्णय नहीं लिया है। हमें अब भी आशा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से उसके दायित्व को पूरा करवा सकेंगे और उनसे यूरेनियम मंगवा सकेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डिस (मुजफ्फरपुर) : भारत में अमरीकी राजदूत द्वारा परसों दिए गए एक वक्तव्य के फलस्वरूप यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया गया है। यह वक्तव्य बहुत विशिष्ट था। इसमें कहा गया है कि नई जटिलतायें उत्पन्न हुई हैं। मंत्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखे गए विवरण में बताया गया है :

"यह देखा गया हैं कि यह संयुक्त राज्य प्रशासन द्वारा दोहराया गया मात्र पुराना अनुरोध है, जिसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, अपितु इससे नई जटिलतायें उत्पन्न हो गई हैं।"

विवरण में यह भी कहा गया है :—

> "पिछली बार 7 मार्च, 1980 को" दूसरे शब्दों में, अमरीकी राजदूत द्वारा यह वक्तव्य देने से 11 दिन पूर्व, में यह कहना चाहूंगा, यह विवादास्पद विवरण दिया गया था :—
>
> "दो बकाया लदानों के संबंध में निश्चित आश्वासनों के उत्तर में, अमरीकी राजदूत को सूचित किया गया था कि हम वर्तमान सभी समझौतों को .....पूरा करेंगे" आदि।

इस विवरण से तथा मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से भी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि अमरीकी सरकार की नीति उनके द्वारा किए गए करार के अनुकूल नहीं है। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि अमरीका ने एसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया क्योंकि मेरी स्वयं की यह धारणा है कि यह केवल अमरीका ही नहीं है, अपितु अन्य देश भी हैं, जिनके पास परमाणु तकनीक है तथा जो हमारी इंधन संबंधी आवश्यकतायें पूरी कर सकते हैं, उन सबका समान दृष्टिकोण है, अतः इन देशों के समान दृष्टिकोण के समक्ष हमें हमेशा इस कठिनाई का सामना करना होगा।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई करार है जिसे दोनों देश मानने के लिए बाध्य हैं जिसे उन्होंने यहाँ दोहराया है तथा जिसके बारे में उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी पक्ष द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है जिसके माध्यम से आप इस करार को कार्यान्वित करा सकते हों ? हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है। आप उस न्यायालय का उपयोग क्यों नहीं करते, अथवा आप गुट-निरपेक्ष देशों को शामिल क्यों नहीं करते ? उदाहरण के लिए कुछ सप्ताह पूर्व जब यहां 'युनिओ' का सम्मेलन हुआ था, तब

हमें औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों तथा उत्तरी देशों के रवैये का पता चला था। वे परमाणु तकनीकी तथा उन वायदों की जो उन्होंने तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए किए थे, की तो बात क्या, साधारण तकनीकी के मामलों में भी किसी प्रकार की रियायत देने को तैयार नहीं थे। सरकार कौन से अन्तर्राष्ट्रीय दवाव डालना चाहती है, क्योंकि वक्तव्य निराशाजनक है? हमने कई बार अपनी चिन्ता व्यक्त की है; हमने कई वार उन्हें समझाया है। हम अनुरोध करते आ रहे हैं। हमें आशा है कि अमरीका की सरकार अपने दायित्व को पूरा करेगी···' अब आप स्वयं कहते हैं कि चार साल से आप यह वार-वार निवेदन करते रहे हैं और आशा करते रहे हैं ···

श्री भागवत झा आजाद ···· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अच्छा यह बात है। श्री भागवत झा आजाद मैं मानता हूं कि आपकी सरकार उत्तराधिकारी सरकार है। मुझें आशा है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं।

श्री भगवत झा आजाद : हां, आपके इस कथन पर मुझे आश्चर्य हुआ है। यह तर्क भारतीय पक्ष में नहीं है। मुझे एसा कहने में खेद है। क्या आप चाहते है कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जायें ·····

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आशा है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं: यदि हम असफल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सफल हों। मैं नहीं चाहता कि आप असफल हों।

अध्यक्ष महोदय : आपस में बातचीत नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: हमें आपकी असफलतायें विरासत में मिली। हमने उन्हें आपको वापस लौटा दिया है जिससे आप उन्हें सफल बनाये आप आगे कार्यवाही करिये। अधिक से अधिक आप यही कह सकते हैं कि हमने उन्हें आपको लौटा दिया है आप उन्हें सफल बनाये।

श्री भागवत झा आजाद : यह तो आश्चर्यजनक बात है······(व्यवधान) श्री मोरार जी देसाई ··· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यहां चीखने से क्या होता है? इससे पहले आप अध्यक्ष महोदय पर चीखे, अब आप मुझ पर चीख रहे हैं। आप बहार जाकर क्यों नहीं चीखते है? यदि आप चींखने के लिए विवश हैं तो आप बहार जाकर क्यों नहीं चीखते हैं? महोदय, पहले वह आप पर चीखे और अब वह मुझ पर चीख रहे हैं। आज सुवह विस्तर से उठते ही आपने कोई खराब चीज देखी होगी परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वह यहां हम पर चीखें। यदि आप चीखने के लिए मजबूर हैं तो बाहर जायें। बाहर जाकर खूब चीख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांत! शांत!

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री आजाद मेरे एक अच्छे मित्र हैं परन्तु इससे पसले वह आज आप पर चीखते रहें। अब वह मुझ पर चीख रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : हम अच्छे मित्र हैं। परन्तु हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैं देश के लिए विचार व्यक्त करता हूं। श्री फर्नान्डीस··· (व्यवधान) सभा में।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री उत्तर देगें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे कौन से अन्तर्राष्ट्रीय दबाव हैं जिन्हें सरकार अमरीकी सरकार पर डालना चाहती है ? दूसरे अब आप यहां कहते हैं "तथापि मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि ईंधन की सप्लाई न होने से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, वह वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?" क्या हम आज इस स्थिति में हैं कि हम अमरीका से यह कह सकें 'सुनी दोस्तो हमारे पास आपसे ज्यादा ईंधन है, हमें आपका ईंधन नही चाहिये, जहन्नुम में जाओ।' यदि आप ऐसा कहने की स्थिति में हैं, एक बार तथा हमेंशा के लिए ऐसा कह देना चाहिए तथा हमें इसके लिए अनुरोध नहीं करना चाहिये। साधारण तौर पर अनुरोध करने की बजाय क्या किसी अन्य देश के साथ वैकल्पिक प्रयास किया गया है ? मैं मत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमें विश्वास में लें तथा इन तीन अथवा चार बातों का उत्तर दें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अभी बताया है कि सभी वैकल्पिक उपाय सरकार को मालूम हैं। मैंने केवल यह बताया है कि सरकार के अनुसार वैकल्पिक उपाय के सम्बन्ध में निर्णय करने तथा आगे कार्यवाही करने का समय अभी नहीं आया है, वैकल्पिक उपाय हमें मालूम हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप दवाव क्यों नहीं डालते ?

श्री पी० वी० नर सिंह राव : दबाव डालने की आवश्यकता नही है। यहां एक करार है। हम इससे मुकर नहीं सकते, वे भी इससे मुकर नहीं सकते। इसका स्पष्ट रूप से खण्डन सम्भव है मैंने जो कहा है, उसके अनुसार इस प्रकार की कार्यवाही करने का समय अभी नहीं आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : चार वर्ष से अधिक अवधि से अमरीका अपनी चाल चल रहा है। मंत्री महोदय की राय में, वह कौन सा समय आयेगा जब अन्तिम निर्णय लिया जायेगा हमें अब इस बारे में निर्णय लेना चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री पी० वी० नर सिंह राव : हमारे पास पर्याप्त यूरेनियम है यह कहने का समय अभी नहीं आया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या यह केवल 1985 में आयेगा ?

श्री अर्जुन सेठी : (भद्रक) मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि यह एक सर्वविदित थ्य है कि हमारे तारापुर संयंत्र के लिए परमाणु ईधन की सप्लाई में असाधारण विलम्ब हुआ है मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या परमाणु ईधन की सप्लाई में इस असाधारण विलम्ब

से यूरेनिगम के कम उपयोग से तारापुर संयंत्र में नुकसान हो रहा है तथा क्या यह भी सच है कि अमरीका सरकार हमारे ईंधन के पुन: पारष्करण रोकने का प्रयास कर रही है ?

श्री पी० वी० नर सिंह राव : पुन: परिष्करण करने का प्रश्न करार का एक भाग है। प्रश्न के शेष भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
तीसरा प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 19 मार्च 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है" ।

श्री ए० के० राय : (धनबाद) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 290 के अधीन मैं आज की कार्य-सूची के मद 11 में यथा अन्त: स्थापित कार्य मत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में निम्नलिखित संशोधन देना चाहता हूं :

"कि प्रतिवेदन को निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव देते हुये समिति को वापस किया जाए :

(क) पैरा 2 के इस मद (4) में "महिलाओं के साथ बलात्कार" के स्थान पर "महि-,, लाओं पर अत्याचार" प्रतिस्थापित किए जायें

(ख) पैरा (2) के मद (5) का लोप किया जाये तथा इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये :

"जनता पर पुलिस के अत्याचारों के बारम्बार समाचार पर बहस तथा समाज के प्रति पुलिस के रवैये में परिवर्तन करने की आवश्यकता"

(ग) पैरा 3 का जिसमें बैठक का समय बटाने की मांग की गई है, लोप किया जाये ।"

मैं उनमें से प्रत्येक पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं । जहां तक महिलाओं के साथ बलात्कार का संबंध है हमारे देश की महिलायें········ की शिकार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही अपना संशोधन का प्रस्तुत कर चुके हैं ।

श्री ए० के० राय : इस बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं । मैं यह कहता हूं कि जब हम महिलाओं के भाग्य अथवा महिलाओं की दशाओं पर बहस करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां 'बलात्कार' उन यातनाओं का एक छोटा अंश है जिनकी हमारे देश की महिलाएं शिकार हैं तथा इसलिये हम कहते हैं कि 'अत्याचार' एक सामान्य शब्द है क्योंकि हमें इसकी जानकारी उससे है जिसको हम नारायनपुर अथवा पारसबीधा अथवा दाहिया अथवा पिपरा तथा अपनी

कोयला खानों में भी देख चुके है कि हमारे देश की महिलाओं की दशा उससे विपरीत है जिसको हम यह मानते हैं। वे सभी प्रकार के जघन्य अत्याचारों की शिकार हैं तथा बलात्कार तो उसका केवल एक अंश है हालांकि यह अत्यधिक जघन्य हो सकता है। इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जब हम हरिजनों तथा आदिवासियों आदि पर अत्याचारों पर बहस कर रहे हैं तो इस सभा को महिलाओं के ऊपर अत्याचारों पर बहस करनी चाहिए। चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सभी प्रकार के अत्यचार तथा दमन क्यों न हों जिनकी हमारे देश में महिलायें शिकार है। इसलिए अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं के साथ बलात्कार के बजाय हम महिलाओं पर अत्याचार पर बहस करें जिसका बलात्कार एक अंश होगा, जो एक महत्वपूर्ण अश हो सकता है। यद्यपि मैं जानता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध मुथरा मामले में सारी बात स्पष्ट हो गई है। परन्तु मैं कहता हूं कि हम इस प्रकार से बहसकरके महिलाओं के लिए बेहतर न्याय कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जनता सरकार के दौरान इन्दिरा गांधी पर बहस करने में लगभग ढाई वर्ष लगाये। हम अगले ढाई वर्षों को बहस करके कार्य को दोहराना नहीं चाहते है मैं नहीं जानता हूं कि वे यहाँ कितने वर्षों तक रहेगे— मैं कांग्रेस शासन के दौरान मोरारजी देसाई पर बहस करते हुए। हम राजनीतिज्ञ न तो पुरातत्वविद् है न हीं मानव विज्ञानी है। हमें जीवावशेषों का अध्ययन करने में रूचि नहीं है, हमे जीवित वस्तुओं में रुचि है इसलिये मैं कहता हूं कि वैद्यालिगम समिति की रिपोर्ट खत्म की जानी चाहिए अथवा उसी अवस्था में रहने दिया जाए जिसमें वह है। हमें अत्याधिक महत्वपूर्ण भाग' पुलिस के अत्याचारों तथा पुलिस की यातनाओं पर बहस करनी चाहिये। प्रतिदिन आप सुनगें कि हिरासत में कुछ कैदी मारे गए हैं, कुछ लोगों पर लाठी प्रहार किया गया था, पुलिस नियम-पुस्तिका में परिवर्तन किया जाना है. प्रधान मंत्री बहुत चिन्ताजनक पत्र तथा सभी इस प्रकार की बाते लिख रहे है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपराध तथा पुलिस के बारे में यह विषय अत्याधिक महत्वपूर्ण विषय है। अतः वैंद्यालिगम समिति की रिपोर्ट पर चर्चा अभी सथगित की जा सकती और अपराध तथा पुलिस पर बहस की जाए।

तीसरे हमें 6 बजे से ढाई घंटे और अधिक बैठाए रखना दंड देने के समान है। हम उस दंड के पात्र नहीं है। वल्कि हम कहते है कि हमे दूसरे ढग से समय दिया जाना चाहिए ताकि इन सभी महत्वपूर्ण मदों पर हमारी सुविधा के अनुसार बहस की जा सकती है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं समझता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में असम में विद्यमान स्थिति को शामिल नहीं किया गया है। असम में स्थिति अत्याधिक खराब है और प्रत्येक के लिये चिन्ता का कारण बनी हुई है। असम में नाकेबन्दी आंन्दोलन को शुरू करने के कांग्रेस (आई) के निर्णय के कारण स्थिति और खराब हो गई है। इसकी असम तथा असम के बाहर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। इस विषय पर प्रस्ताव है। मैं माननीय ससदीय कार्य मंत्री से असम में खतरनाक तथा बिगड़ती हुई स्थिति पर बहस को शामिल करने के लिए समय निकालने का निवेदन करता हूं। श्री मान जी, 26 मार्च को असम बन्द करने के असम छात्र सघ तथा गण संग्राम परिषद के निर्णय के कारण स्थिति एक दम गम्भीर हो गई है। इसका प्रतिकूल प्रभाव

होगा और तनाव पैदा हो जाएगा। मैं एक अन्य मुद्दा भी शामिल करना चाहता हूं और वह शाह आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही है। आज स्टेट्समेन में एक समाचार है जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार ने शाह आयोग की रिपोर्ट के तीन खण्डों की बिक्री तथा वितरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। आपकी अनुमति से मैं परिपत्र का संगत भाग पढ़ सकता हूं तो आज स्टैट्समैन में प्रकाशित हो चुका है :

"भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित शाह आयोग रिपोर्टों के 3 खण्डों को आगे वितरण तथा बिक्री तुरन्त रोक दी जाए। इसलिए आपसे उक्त प्रकाशन की बिक्री तथा वितरण तुरन्त रोकने तथा उपलब्ध स्टाक इस विमान को तुरन्त वापस करने का अनुरोध है।"

परिपत्र पर श्री आर० ए० गौड़, उप-नियंत्रक के हस्ताक्षर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बहुत संक्षित में कहें तभी यह मधुर भी होगा।

श्री चित्त बसु : इससे मामले में एक नई बात पैदा हो गई है। मैं महसूस करता हूं कि सभा को शाह आयोग की समस्त रिपोर्ट तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर बहस करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधिक महत्व के कुछ मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन पर बहस करने की आवश्यकता है। एक तो विद्युत ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा देने में दामोदर घाटी निगम की पूर्ण असफलता का प्रश्न है। उसके परिणाम स्वरूप कोयला खान क्षेत्रों, इस्पात मिलों तथा विशेष रूप से कलकत्ता विद्युत पूर्ति मे प्रभावित हुआ है। दामोदर घाटी निगम कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की 95 मेगावाट की पूर्ति करने के लिये बाध्य है। वे इसमें पूर्ण रूप से विफल रहे है तथा प्रतिदिन पूर्ति 30 व 35 मेगावाट से अधिक नहीं है जो उनकी सबसे अच्छी पूर्ति मानी गई है। हमने इस पर एक प्रस्ताव दिया है तथा यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि नये मंत्री महोदय केवल बात ही कर रहे है और उन्होंने अपनी बातों को क्रियान्वित नहीं किया है। इसलिए यह अत्याधिक गम्भीर मामला जिसकी जांच तुरन्त की जानी चाहिए। अतः हमें बहस अवश्य करनी चाहिए।

दूसरी बात पूर्वी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य को मिट्टी के तेल तथा डीजल की नियमित तथा समान पूर्ति की व्यवस्था करने में भारत सरकार की विफलता है जो वहाँ कृषि उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। परिवहन का चलना रुक गया है। वहाँ न केवल अनियमित तथा अपर्याप्त सप्लाई है बल्कि जब अन्य भागों को अधिक सप्लाई हो रही है। जहाँ तक पूर्वी राज्यों का संबंध है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस पर तुरन्त कार्यवाही करने कीआवश्यकता है।

असम का प्रश्न ही अन्तिम नहीं है। हमें इस पर तुरन्त पूरी बहस करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री को अभी-असम जाने का समय नहीं मिला है। जब तक इस प्रश्न का समाधान नहीं हो जाता है हम वैसी ही घटनाएं अधिकाधिक देखेगें जो कलकत्ता में कल घटीं थी।

केन्द्र में सत्तारूढ़दल का एक भाग वहाँ उत्तेजना पैदा कर रहा है तथा हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। इसके फलस्वरूप कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है। सारा उद्देश्य अपने ढंग से वहाँ राज्य सरकार के साथ कार्यवाही करने के लिये कुछ दोष निकालना है।

इसलिए ये वे मामले हैं जिनसे जनता के बहुत परेशान है। उन पर इस सभा में बहस की जानी चाहिए। मैं श्री राम से इस बात पर सहमत हूं कि कुछ व्यक्तियों संबंधी रिपोर्टों जैसी पुरानी बातों को ऐसे महत्वपूर्ण मद्दों की तुलना में महत्व नहीं देना चाहिए।

श्री निरेन घोष (दम दम) : समाचार-पत्रों में यह समाचार कि कुछ राज्यपालों को पद-भाग करने के लिए कहा गया था। इस बात से इंकार किया गया है परन्तु यह सच है कि कुछ राज्यपालों के तबादले किये गए है। तत्पश्चात मैंने दूसरी सभा के अपने अनुभव से, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में गुप्त रिपोर्ट रखी है -वह दूसरी सभा के सदस्य थे—मैं जानता हूं कि वह एक निष्पक्ष व्यक्ति है। वह निष्पक्ष व्यक्ति है तथा इसलिए उन्हें बदलने तथा कहीं दूरसी जगह उनका तबादला करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यदि वे तबादले के मामले में राज्य-पालों से अधिकारियों के समान व्यवहार करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता की मैं क्या कहूं। खतरनाक परम्परायें डाली जा रही हैं और पूरी बात पर वहस करने की आवश्यकता है।

मैं भी असम का मामला उठा रहा हूं क्योंकि इसका महत्व अन्य दो माननीय सदस्यों द्वारा ऊपर बताये गये महत्व से कहीं अधिक है। केन्द्र में सतारूढ़ दल इस को प्रोत्साहन दे रहा है, असम में छात्र आन्दोलन कर रहे हैं और यहाँ हालांकि प्रधान मंत्री महोदया ने इंकार किया है तथा वक्तब्य दिया है, कि वे कैसे असम के तेल उत्पादों की सप्लाई की नाके बन्दी कर सकते है? एक की अन्ध-देश भक्ति का दूसरे द्वारा खंडन किया जा रहा है तथा यह वहुत खतरनाक है क्योंकि इस के परिणाम स्वरूप देश का विघटन होगा। इसके अतिरिक्त असम से तेल उत्पादों को रोकना बहुत खतरनाक बात है। दो महीने से सरकार निष्क्रिय बैठी हुई है।

सरकार को शाह आयोग की रिपोर्ट को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह सारे देश में सन्देह उत्पन्न कर देगा क्योंकि वह जांच आयोग ······· नियुक्त किया गया था।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : यह कैसे तत्संगत है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री घोष आप यह कहते हैं कि जो आप जोड़ना तथा हटाना चाहते हैं वह उचित होगा।

श्री निरेन घोष : यदि जांच आयोग की रिपोर्ट को, जिसका गठग वैधानिक रूप से हुआ है वापस लिया जाता है तो यह आयोग की अवमानना होगी और इससे सन्देह उत्पन्न होते है कि यह सरकार न्याय करना नहीं चाहती है। यह प्रतीत होता है कि न्याय को पूरी तरह से दवाया जा रहा है।

हम स्थगन प्रस्ताव से कम अन्य किसी बात से स्नतुष्ट नहीं होंगे तथा असम स्थिति पर पूरी बहस की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बातें कार्य-सूची में शामिल की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय वसु,

श्री पी० वेंकट सुब्बया : वह कार्य मंत्रण समिति के सदस्य हैं। समिति ने जो भी निर्णय लिये हैं वे भी उनमें शामिल हैं। मेरा विचार यह नहीं है कि माननीय सदस्य इस सम्बंध में यहां बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस सम्बंध में आपका क्या जबाब है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) मैं जबाब दे सकता हूं लेकिन इससे उन्हें कठिनाई होगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह व्यवस्था का प्रश्न मात्री दर्शन के लिये उठा रहा हूं

संसद की समिति के सदस्य या इस प्रकार के मामलों में राज्य विधान सभा के सदस्य समिति के निर्णयों में शामिल होते हैं तथा सहमत न होने पर भी निर्णयों में भाग लेने के लिये पूर्ण स्वतंत्रता है। यह एक अज्ञात प्रथा रही है कि चाहे वह कार्य मंत्रणा समिति अथवा विशेषाधिकार समिति हो अथवा अन्य कोई समिति हो उनके प्रतिवेदनों के विरुद्ध मामलों को संसदीय समिति के सदस्य या विधान सभा के सदस्य सभा में उठा सकते हैं। इस मामले में विशेषाधिकार समिति में सम्बंध में अनेक निर्णय हैं जिनकी मुझे जानकारी है। पिछली बार जब विशेषाधिकार समिति के सभापति, श्री समर गुहा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में बोलना चाहते थे तो उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गयी थी तथा वे नहीं बोलेगें मैं इस सम्बंध में उस प्रक्रिया को जानना चाहूंगा जिसे आप अपनायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु विवाद में संसद के सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य के रूप में नहीं। संसद सदस्य के रूप में वह भाग ले सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कहना चाहते हैं उसे हमें सुनना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक अपीलीय निकाय है। आप अपीलीय निकाय के अध्यक्ष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा विचार है कि ऐसा पहले भी हुआ है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : यदि आप श्री ज्योतिर्मय बसु को खुश करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : आपका विनिर्णय कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों पर लागू होगा। हम भी संसद सदस्य हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे बड़ा दुख है और मैं श्री पी० वेंकट सुब्बया तथा कार्य मंत्रणा समिति के उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों पर सभा पटल पर प्रतिवेदन के सभा पटल रखे जाने से पहले प्रेस को इसकी जानकारी देने और सभी समाचार पत्रों को यह जानकारी देने का आरोप लगाता हूं कि वैद्यालिगम आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होने जा रही है। मैं यह आरोप लगा रहा

हूं और मैं श्री पी० वेंकट सुब्बया तथा अन्य व्यक्तियों के, जिन्होंने प्रेस को इसकी जानकारी दी, विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखूंगा। मेंने मारुति रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग की थी। लेकिन मैं उस रामले को नहीं उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बया : कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेंदन कल सांय सभा पटल पर रखा गया था। विशेशाधिकार प्रस्ताव कैसे उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्तावों के बारे में बातचीत कर रहा हूं। प्रस्तावों के वारे में यह परिपाटी रही है कि जब तक प्रस्ताव स्वीकृत और प्रकाशित नहीं होता है इसे प्रेस को नहीं दिया जा सकता है। इसे प्रेस को दिया गया है। इस वारे में मैं प्रेस के अपने सम्मानीय मित्रों को बधाई देता हूं। उन्होंने अपना कार्य किया है। वे काम करने के लिये हैं। पूरी कहानी प्रेस को क्यों नहीं दी गयी ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : यह एक व्यंग है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। प्रस्ताव कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ था।

श्री पी० वेकट सुब्बया : यदि वे प्रेस दीर्घा का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे व्यंग कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन कल ही सभा पटल पर रखा गया था। वे मुझे इसके लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह बुलेटिन में भी आ चुका है। (म्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे वर्षों से जानते हैं।

श्री पी० वेकट सुब्बया : सभा के समक्ष को कार्य हैं उसे हमें पूरा करना है। वह कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। मेरा कहना यह है कि पूरीं कहानी प्रेस को क्यों नहीं दी गयी। और क्या मारुति रिपोर्ट पर चर्चा करने की स्वीकृति देने में कार्य मंत्रणा समिति पर दबाव भी था। उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ? केवल वैद्यालिंगम आयोग की रिपोर्ट का ही उल्लेख क्यों किया गया ? मारुति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : देश ने मारुति को उचित ढ़ंग से जवाब दे दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जी,

श्री पी० वेन्कट सुब्बया : उन्होंने भी भाग लिया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : "भाग लेने से" आपका क्या अभिप्राय है ?

यदि उसके बाद कोई घटना घटती है तो क्या मुझे कुछ करने का अधिकार नहीं हैं। यह बहुत अन्याय है। मैं केवल इसलिये गया था कि मुझे भाग लेने के लिये अध्यक्ष महोदय ने बुलाया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बाद यदि कोई आवश्यक घटना घटती है तो मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है।

श्री पी० वेन्कट सुब्बया : आपको उस पर विनिर्णय देना होगा। उन्हें अध्यक्ष महोदय ने कार्य मंत्रणा समिति में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया था। समिति में कुछ निर्णय लिये गये थे। अब उनका कहना है कि समिति में आमंत्रित होने के नाते उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर बोलने का अधिकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के पश्चात यदि कोई नयी घटना घटती है तो उन्हें उसे अब क्यों नहीं उठाना चाहिए ?

श्री पी० वेन्कट सुब्बया : यह उचित समय नहीं है।

श्री चन्द्र जीत यादव : यदि इसके पश्चात कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो मैं इसे उठा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री मगन भाई बरोट : हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। यदि आप हमारी पार्टियों के माननीय नेताओं को आमंत्रित करने की कृपा करते हैं और कोई निश्चय किया जाता है तो वे अपने-अपने मुद्दों पर जोर दे सकते हैं कि कौन सा मुद्दा लाभप्रद है और किस मुद्दे के बारे में सोच सकते हैं। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशे कैसे क्रियान्वित की जायेगी ? हमें इस बारे में कहीं भेद करना चाहिए। यदि सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका आदर करना चाहिए या किसी को अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति को किसी बात पर जोर देना चाहिए और इसे .... करा

(व्यवधान)

मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिए तथा दूसरे के विचार सुनने चाहिये। कोई वस्तु दी जाती है और कोई वस्तु ली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य परिपाटी यह है कि जो सदस्य अपनी-अपनी पार्टियों की ओर से भाग लेते हैं वे चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। यह परिपाटी है। मैं यह चाहूंगा कि प्रत्येक पार्टी का प्रत्येक सदस्य इस परिपाटी का पालन करेगा। अन्यथा वे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखेंगे और यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो यह बात यहां भी उठायेंगे।

श्री चन्द्र जीत यादव : मुझे अपनी बात कहने दीजियें आप मेरा नाम पुकार चूके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल अन्य बातों को उठा सकते हैं। मैं आपको दो मिनट का समय देता हूं।

श्री मगन भाई बरोट : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य अपनी बात पर जोर दे रहे हैं। मैं दबाव में नहीं आ रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह दबाव में नहीं आ रहे हैं उन्हें बोलने दीजिये। मैं अपना सामान्य विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक गलत परम्परा है। मुझे आप बोलने की अनुमति दे चुके हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि बाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हमने असम के प्रश्न को इसलिये नहीं उठाया था क्योंकि प्रधान मंत्री ने इस संबंध में पहल की थी तथा अध्यक्ष महोदय भी इस संबंध में काफी विनम्र थे क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या थी। यह राष्ट्रीय महत्व की समस्या है। यह एक संवेदनाशील मामला है। उस मामले पर सारा देश उत्तेजित था तथा सभी विरोधी दलों के नेता इस बात पर सहमत थे कि वे इसको राजनैतिक रंग नहीं देंगे क्योंकि इस मामले को बातचीत तथा सलाह मशविरा करके हल किया जाना चाहिये था। लेकिन इसके पश्चात्, बैठक के बाद आकाशवाणी से सुना ....(व्यवधान)कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य .... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कहते हैं कि ऐसा बैठक के पश्चात् हो रहा है। तब आप इसे ध्यानाकर्षण या अन्य किसी प्रस्ताव के रूप में उठा सकते हैं। यह शामिल नहीं किया जा सकता है.........।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मामला नहीं है। क्या आप यह सोचते हैं कि असम का मामला, ध्यानाकर्षण का मामला है? (व्यवधान) यह एक गम्भीर राष्ट्रीय मामला है, इसका जवाब एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में नहीं दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना विचार प्रकट कर दिया है (व्यवधान) वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री मगन भाई बरोट : इस संबंध में माननीय उपाध्यक्ष का विनिर्णय चाहता हूं। जब कभी कार्य मंत्रणा समिति अपने सदस्यों अथवा आमंत्रितों के साथ किसी बात पर चर्चा करती है तथा कुछ चर्चा होती है तो सभा की यह परम्परा है ....तथा मैं सोचता हूं कि इस संबंध में माननीय सदस्य, मेरा समर्थन करेंगे........

(व्यवधान)

मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। मुझे अधिकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सभा की परिपाटी यह है कि जिन सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा में भाग लिया है वे इस चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे यह ध्यान में रखें कि इस परिपाटी को तोड़ा न जाये। मैं सभों सदस्यों से इस बारे में अनुरोध करूंगा। श्री यादव, आप ही केवल इस विषय को क्यों उठाते हैं आपकी पार्टी का कोई अन्य सदस्य इस विषय को क्यों नहीं उठाता ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे खेद है·········(व्यवधान) तब मैं व्यवस्था का दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। मान लीजिए कार्य मंत्रणा समिति बैठक प्रातः 10 बजे होती है और 10 बजे के बाद देश में कोई घटना घट जाती है जिस पर सदन में तत्काल चर्चा करने की आवश्यकता है ···········

श्री पी० वेंकट सुब्बया : आप इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा अल्प सूचना प्रश्न के रूप में इसे उठा सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं रखते ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सत्तारूढ़ दल के सदस्यगणों को विरोधी दलों के सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये। वे किसी को भी अपना प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय आप या तो स्वयं सभा पर नियंत्रण करें अथवा यदि इस प्रकार व्यवहार किया जाता है तो हम भी सभा को कार्यवाही को चलाने नहीं देंगे।

श्री वेंकट सुब्बया : लेकिन आपको तत्संगत मामला ही उठाना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वे यह नहीं चाहते कि सदस्य अपनी बात पूरी कह सकें।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : व्यवस्था का प्रश्न—किस बात पर ? प्रतिवेदन पर या विचाराधीन मामले पर ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि इस परिपाटी को तोड़ा नहीं जाना चाहिये। मैं यह नहीं चाहूंगा कि कोई इस परिपाटी को तोड़े तथा मैं श्री यादव से भी आग्रह करूँगा कि वे इस पर जोर न दें।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने मुझसे अपनी बात पूरी करने को कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि इस प्रकार की एक परिपाटी है, आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने मुझसे अपनी बात पूरी करने को कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक बात कहें। आप वही बात कहें जो आप शामिल करवाना चाहते हैं। इसके बाद कोई भी परिपाटी को न तोड़े।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : नहीं श्रीमान् ! व्यवस्था का प्रश्न —किस बात पर ? विचाराधीन मामले पर या प्रतिवेदन पर ? क्या यह प्रतिवेदन के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने कहा था कि मैं अपनी बात को पूरा करूं तथा इसीलिए मुझे बोलने की अनुमति दी गई थी। मंत्री महोदय सारे समय खड़े होकर मुझे बोलने से रोकते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है कि कोई माननीय सदस्य प्रचलित परिपाटी को नहीं तोड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मुझे यह विनम्र निवेदन करना है, कि मैं भी कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। मैं आमंत्रित सदस्य नहीं बल्कि नियमित सदस्य हूं। अतः मंत्री महोदय को बात भ्रम पैदा करने की अनुमति न दी जाय। ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कोई कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को चुनौती दे रहा हो। प्रतिवेदन को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। इसके अतिरिक्त, श्री यादव को कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु इस विषय में परिपाटी क्या है ? तब क्यों इस मद पर प्रत्येक शुक्रवार को चर्चा छेड़ी जाती है ? जब यहां पर कार्य प्रभारी मंत्री द्वारा अगले सप्ताह के कार्य की घोषणा की जाती है, बहुत से सदस्यों को, जिन्होंने पहले ही लिखित में सूचना दी होती है, बोलने दिया जाता है। इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है ? क्या यह प्रतिवेदन को चुनौती देना है ? जी नहीं । वे सुझाव देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अगले सप्ताह के कार्य में, अमुक-अमुक मदों को भी, जिनको कि वे महत्वपूर्ण समझते हैं, यदि सम्भव हो तो कुछ समय दिया जाय। इसी संदर्भ में श्री यादव यह कह रहे हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक के पश्चात् —कोई भी प्रतिवेदन को चुनौती नहीं देता, तथा श्री यादव ने चुनौती दी है तब मैं उनका भी विरोध करूंगा —वे यह कह रहे हैं कि आसाम की इस समस्या को लेकर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। अत: वे यह सुझाव देना चाहते होंगे —मैं समझता हूं कि वे यह सुझाव देना चाहते हैं कि अगले सप्ताह के कार्य में—यह अन्तिम सप्ताह है तथा इसके बाद सदन एक लम्बी अवधि के लिए स्थगित हो जायगा इस मद को शामिल करने के लिए कुछ समय निकाला जा सकता है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जो कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के पश्चात् उत्पन्न हुई है।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : वे इसकी सूचना दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य कल देने वाले हैं। श्री यादव, अब कृपया एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के बाद सदन की इस सत्र में अगली बैठक नहीं होगी। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जब लोग एक राज्य की जनता को दूसरे राज्य की जनता के विरुद्ध भड़का रहे हैं, वहां गम्भीर संघर्ष अनिवार्य है। यह किसी आन्दोलन विशेष का प्रश्न नहीं है। इससे राष्ट्रीय एकता को गम्भीर हानि होगी। इसलिए, मैं इसको

उठा रहा हूं क्योंकि यह अन्तिम सप्ताह है तथा इसके बाद सदन स्थगित हो जायगा। अब मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस पर नेताओं द्वारा एक कमरे के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती। संसद को, जो कि राष्ट्र का सर्वोच्च मंच है, आसाम में होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। तथा इसका समाधान खोजना चाहिए। अन्यथा, शासक दल के सदस्यों द्वारा नाकेबन्दी के आह्वान पर गम्भीर स्थिति के उत्पन्न होने की हालत में देश के उस भाग में रहने वाले लोग कहेंगे कि यदि आप आवश्यक वस्तुओं को हमारे पास नहीं पहुंचने देते तो हमें इस देश से कोई मतलब नहीं है। क्या आप देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं? इसलिए, मेरा यह कहना है कि यह एक गम्भीर मसला है तथा सदन को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए तथा इसलिए इसको अगले सप्ताह की कार्यसूची में अवश्य रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजन।

श्री मगन भाई बरोट : श्रीमान्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब बजट सत्र चल रहा है। हमने राज्यों के बारे में चर्चा की; हमने कानून और व्यवस्था की स्थिति की चर्चा की।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : ये किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय मैंने देना है कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं। इनको बोलने दिया जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : ये समय बर्बाद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय मैंने देना है कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं।

श्री मगन भाई बरोट : हमने कलकत्ता की इसी खबर के बारे में कल ही सुना था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सम्बोधित न करें। कृपया मुझे सम्बोधित करें।

श्री मगनभाई बरोट : कल जब इस प्रश्न को उठाया गया था तब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वेच्छा से उत्तर दिया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने पूरक प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान बरोट, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री मगनभाई बरोट : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। जहां तक सरकार के व्यवहार का प्रश्न है, इसका दृष्टिकोण, नीतियां तथा निर्णय इस सदन को ज्ञात हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री राजन।

श्री के० ए० राजन : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर

में अपने सुझाव देना चाहूंगा। इस चर्चा में शामिल करने के लिए मेरे पास दो महत्वपूर्ण मदें हैं। एक तो आसाम स्थिति से संबधित है तथा दूसरी उस स्थिति से उत्पन्न होने वाली स्थिति से है अर्थात कलकत्ता की स्थिति तथा अस्वस्थ प्रवृति। यह राष्ट्र की अखंडता तथा एकता के विरुद्ध कार्य कर रही है तथा इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। तीसरी मद, जिसके बारे में कहना चाहूगा, वह बिजली की उपलभ्यता के बारे में उत्पन्न खतरनाक स्थिति के बारे में है। प्रत्येक स्थान से हमें बिजली की कमी - बिजली की कटौती—के परिणामस्वरूप उद्योगों के बंद होने की खबरें मिलती हैं। इससे उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। इस पर भी विचार करना होगा। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय अपनी बात कहें।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्तुत संकल्प के शब्दों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सदन के समक्ष महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है।

श्रीमान, हमने कार्य मंत्रणा समिति में श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा पेश संकलप को शामिल करना स्वीकार कर लिया है। श्रीमान, उसे उसी रूप में शामिल कर लिया गया है। परन्तु यदि उसके शब्दों को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जाना है, तब अवश्य कुछ करना होगा। पहले मैं संकल्प पढूंगा :

> "कि यह सभा देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर, विशेषकर निहित स्वार्थ वाले लोगों के किराये के समाज-विरोधी तत्वों और कभी-कभी पुलिस द्वारा भी, बलात्कार की आंतकपूर्ण घटनओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इन्हें रोकने के लिये कारगर कदम उठाये।"

इसकी शब्दावली इस प्रकार है।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कहने दें।

श्रीं पी० वेंकट सुब्बया : आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि के वारे में हुई चर्चा के संबंध में सदस्यों ने सुझाव दिये हैं इन सब मामलों पर विचार किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संशोधन नहीं करना है। यह सब कुछ यहां उपलब्ध है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई है तथा श्री कल्याण राय यह सुझाब देते रहें हैं कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ये श्री कल्याण राय नहीं बल्कि श्री ए. के. राय हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मुझे खेद है। यह श्री ए. के. राय हैं। ठीक हैं, ये भेद श्री ए.के. राय ही हैं।

श्रीमान, जहां तक आसाम की चर्चा का प्रश्न है, यह एक ऐसा मामला है जिसपर इस सत्र के प्रारम्भ से ही विविध चर्चाएं होती रही हैं।

(व्यवधान)

मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। वहां की नवीनतम घटना, जिसका कि माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है, बंगाल में लोगों का आंदोलन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विरोधी आन्दोलन।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : प्रधान मंत्री ने स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह ठीक है कि उन्होंने वक्तव्य दिया है, परन्तु कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : कृपया मेरी बात सुनिये। सदस्यों ने कलकत्ता की नवीनतम स्थिति का उल्लेख किया है। मैं सदस्यों की भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दूगां...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम आसाम के आन्दोलन पर विभिन्न तरीकों से चर्चाएं करते आये हैं परन्तु अब वहां पर विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है जो कि एक नवीन घटना है।

(व्यवधान)

श्री पी. वेंकट सुब्बया : कृपया मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया वैद्यलिंगम प्रतिवेदन पर चर्चा के समय में कटौती करके इस विरोधी आन्दोलन पर चर्चा के लिए समय दिया जाय।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई चिन्ता को ध्यान में रखा जाएगा। इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे है ? श्री राय, क्या आप इसे वापस ले रहें है ?

श्री ए०के०राय : इनके कथन को ध्यान में रखते हुये मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। मैं अपना संशोधन वापस करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इनको अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

(संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन को सभा की अनुमति से वापस लिया जाता है।

अब हम मुख्य प्रस्ताव विचार करेंगे जो कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 19 मार्च, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जाफर शरीफ बोलेंगे। उन्हें एक वक्तव्य देना है।

——

पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे पर बारक वैली एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : अत्यन्त खेदपूर्वक मैं सदन को यह सूचित कर रहा हूं कि 20.3.1980 को लगभग 04.30 बजे जब 11 डाउन बारक वैली एक्सप्रेस पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के लमडिंग-बदरपुर हिल खंड पर दिहाखो और मूपा स्टेशनों के बीच चल रही थी, तब इंजन के साथ के चार सवारी डिब्बे पटरी से उत्तर गये और उनमें से एक डिब्बा उलट गया । अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की आशंका है, 11 व्यक्तियों को गम्भीर और 13 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी हैं ।

सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद चिकित्सा राहतयान को दुर्घटना-स्थल पर भेज दिया गया जिनमें चिकित्सा अधीक्षक, डाक्टर, मंडल रेल प्रबन्धक और अन्य रेलवे अधिकारी हैं । अनुग्रह राहत की व्यवस्था कर दी गयी है ।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और सदस्य इंजीनियरी हवाई जहाज द्वारा दुर्घटना-स्थल को रवाना हो गये हैं ।

मूझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में सदन भी मेरे साथ है ।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी ।

(एक) पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस और छात्र परिषद द्वारा कथित आन्दोलन जिससे आसाम को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई है ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): प्रात: ही बहुत जोर-शोर से बहस हुई थी, और अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि नियम 377 के इस मामले के बारे में प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगी, किन्तु दुर्भाग्यवंश वे अनुपस्थित हैं । सभा में अनेक सदस्यों ने विशेष चर्चा किए जाने की मांग की थी, और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की माँग के हमारे अधिकार को छोड़े बिना ही मैं नियम 377 के अंतर्गत इस वक्तव्य को पढ़ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी आपने अभी कहा है, उसमें से कुछ भी नियम 377 के अंतर्गत इस लिखित वक्तव्य में नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : इस नियम 377 के मामले में प्रात : अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा व्यतव्य की थी कि प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ।

श्री चंद्रजीत यादव : इसे पढ़ने से पहले वे इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री समर मुखर्जी : यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रधान मंत्री इसका उत्तर देंगी, किन्तु इसके लिए वे बाध्य नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिपोर्ट में ही लिखा जाएगा ।

श्री समर मुखर्जी : मैं यह जानता हूं । किन्तु अध्यक्ष महोदय ने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी, उनकी उपस्थिति में अध्यक्ष महोदय ने कहा था 'हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री इस के बारे में वक्तव्य देंगी ।'

श्री इंद्रजीत गुप्त : उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि वे वक्तव्य देंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी आप नियम जानते हैं । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, और नियम जानते हैं ।

श्री समर मुखर्जी : मैं नियम जानता हूं । मैं केवल तथ्यों को स्पष्ट कर रहा हूं । कांग्रेस (आई.), उसके युवा विगं-युवा कांग्रेस और छात्र विंग-छात्र परिषद् ने घोषण की है कि इस संगठन से संबंधित स्वयंसेवक 24 मार्च 1980 को आसाम में बंगालियों पर की गयी ज्यादतियों के खिलाफ सिलिगुड़ी-आसाम-राजमार्ग की नाकेबंदी करेंगे और सभी वाहनों की आवाजाही रोक देंगे, जिससे आसाम को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति किए जाने में बाधा उत्पन्न हो सके ।

इन चेष्टाओं के कारण देश में उग्र प्रांतीयतावाद को बल मिलेगा और आसाम में स्थिति और बदतर होती जाएगी, परिणामतः राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाएगा । यह आशंका भी की जाती है कि ये प्रयास बंगालियों के अधिकारों की रक्षा करने के नाम पर पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चे की सरकार को हटाने के लिए किए जा रहे हैं ।

(दो) बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाले विनाश को रोकने के उपाय

श्री राम स्वरूप राम (गया) : बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ से आवर्णनीय धन और जन की क्षति होती है । इनको रोकने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है । वर्षा ऋतु का आरंभ जून के अन्त में हो जाता है । बाढ़ की विनाशकारी लीला को रोकने के लिए यह निश्चित किया गया था कि नदियों पर बांध बनाये जाएं जिससे पानी पर नियंत्रण किया जा सके । इस वर्ष में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और कार्य भी आरंभ नहीं किए गए हैं । अतः यह आवश्यक है कि वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले इस कार्य को पूरा किया जाए ।

(तीन) केरल में रेल सवारी डिब्बा बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करना

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : यह माना जाता है कि केन्द्रीय रेलवे मंत्रालय में एक रेलवे कोच फैक्टरी के निर्माण का प्रस्ताव रखा है इसलिए मामले की जांच करने तथा फैक्टरी के स्थान के बारे में रेलवे मंत्रालय को समुचित सिफारिश करने के लिए महा प्रबन्क, इंटेग्रल कोच फैक्टरी, के पैराम्बूर पूर्णतः अधीन एक समिति गठित की गई है ।

यह मालूम हुआ है कि इस परियोजना में मात्र स्थापना के लिए काफी पूंजी लगानी पड़ेगी और इसमें लगभग 7000 से 8000 तक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त इससे अनेक आनुषंगिक उद्योगों के निर्माण की संभावना बढ़ेगी और इसीलिए यह राज्य में औद्योगिक उन्नति के लिए वास्तव में उत्प्रेरक का काम करेगी।

केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने पहले ही दिनांक 11-7-1979 को रेलवे मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने हमारे राज्य में नयी रेलवे कोच फैक्टरी के निर्माण के लिए राज्य आवश्यकता और दावे पर बल दिया है। पत्र में अन्य बातो के साथ ही यह मुद्दा भी उठाया गया है कि यद्यपि राज्य में अपेक्षित दक्ष और अदक्ष श्रम बल, वर्ष भर में बिजली की पर्याप्त पूर्ति तथा अन्य आवश्यकताएं तथा वर्ष भर जल पूर्ति जैसी सम्भाव्यताओं की भाति बुनियादी सुविधाएं है तथापि यहां वास्तव में रेल संबंधी कोई भी विशेष उद्योग स्थापित नहीं किया गया है तमिलनाडु में 5, कर्नाटक में 2 तथा आंध्र प्रदेश में 2 वर्कशाप स्थापित किये गये हैं। जबकि केरल में एक भी वर्कशाप नहीं है।

केरल सरकार अपने राज्य में फैक्टरी के निर्माण के लिए सभी प्रकार की सुख-सुविधाएं देने को तैयार है। भारत सरकार ने उत्तर दिया है कि प्रस्तावित कोच निर्माण फैक्टरी के लिए स्थान के चयन के समय उक्त प्रस्ताव पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह प्रस्तावित रेलवे कोच फैक्टरी को केरल में स्थापित करने के हमारे दावे पर गंभीरता से विचार करें।

(चार) कोंयम्बटूर स्थित केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के बन्द किये जाने का समाचार

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) :मैं नियम 377 के अन्तर्गत कोयम्बटूर में वर्तमान केन्द्रीय भूगत जल वोर्ड कार्यालय के तुरन्त बन्द होने के कारण कोयम्बटूर जिलों नागरिकों द्वारा उठाई जा रही है कठिनाइयों के बारे में कहना चाहता हूं।

स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी की सहायता से केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड, भारत सरकार ने कोयम्बटूर के कुछ भागों तमिलनाडु के पालघाट जिले तथा केरल राज्य में एक बहु प्रयोजनीय भूगत जलस्रोत्र मूल्यांकन परियोजना शुरू की थी क्योंकि इन क्षेत्रों में सिचाई के लिए भूगत जल ही मुख्य स्रोत है। परियोजना 1975 में शुरू की गई थी ओर उसका मुख्यालय कोयंबटूर में था और इसे 31-3-1980 में पूरा किया जाना था इस परियोजना ने कठोर चट्टानों में रहने वाले भूगत जल स्रोतों, जो देश के दो तिहाई हिस्से में हैं की सम्भावनाओं और उसके मूल्यांकन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की। जिन गांवों में पानी की वहुत कमी थी वहां नलकूप खुदवा कर इस परियोजना ने पेय जल की स्मस्या का काफी हद तक समाधान किया। सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग ने अक्टूवर 1979 में परियोजना का दौरा किया और उनका मत था कि कोयंबटूर क्षेत्र में भूगत जल के समग्र विकास के लिए परियोजना के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्य करने के लिए कोयंबटूर में ही वोर्ड केन्द्रीय भूगत जल का स्थायी क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने इस सुझाव का स्वागत किया और विश्वविद्यालय क्षेत्र में

क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के लिए आवश्यक आवास आदि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड के मुख्य जल भूवैज्ञानिक ने इस विचार का समर्थन किया तथा 14.12.1979 को केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड के चेयरमैन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप से स्वीकृति प्राप्त होनी बाकी है। इस दौरान कोयंबटूर में कार्यालय बन्द करने के विचार से परियोजना स्थल से अधिकारियों और कर्मचारियों को दूर-दूर के स्थानों पर स्थानान्तरित किया जा रहा है और स्वीडिश सरकार द्वारा प्रदान किए गये ड्रिलिंग रिग को भी कोयंबटूर से अन्यत्र अंतरित किया जा रहा है। एक बार इसके बन्द हो जाने के बाद केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड का कोयंबटूर में दुबारा खोला जाना संभव नहीं होगा। इसके बाद इस क्षेत्र के लोग जो सिंचाई और पेय जल के लिए भूगत जल पर मुख्यत: आश्रित हैं उन के लिए भूगत जल विकास से संबंधित समस्याओं के लिए निर्देशन और सलाह लेने के लिए नजदीक में कोई कार्यालय न होगा। इससे रुकावट उत्पन्न होगी और परियोजना के निष्कर्षों पर पर्याप्त रूप से अनुवर्ती कार्य नहीं हो पायेगा। इसके अलावा 200 से अधिक ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को कोयंबटूर से बाहर जाना पड़ेगा जो कि वहां बस गए हैं, परिणामतः सरकार को काफी धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी।

इसीलिए जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरण आदेश दिए गए हैं किंतु वे कोयंबटूर से बाहर नहीं गए हैं उनके स्थानांतरण आदेश रद्द करने तथा कोयंबटूर में स्थायी क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए तुरंत ही आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(पांच) चार समाचार एजेन्सियों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का समाचार

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय स्तर की समाचार एजेंसियां कल अपनी रिपोर्टें नहीं भेज पाई, क्योंकि पालेकर न्यायाधिकरण के मजूरी प्रस्तावों को उन पर लागू न किये जाने के कारण देश की चार समाचार एजेंसियों यू. एन. आई., पी. टी. आई., समाचार तथा समाचार भारती के कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की थी। इस हड़ताल का विदेशी समाचार एजेंसियों—रायटर, ए. पी., टास तथा तानजिंग पर भी कुप्रभाव पड़ा, क्योंकि यू. एन. आई. और पी टी. आई. की जिन पारेषण लाइनों के माध्यम से वे समाचार वितरण की व्यवस्था करती थीं वे कार्य नहीं कर रही थीं। सबसे ज्यादा बुरा असर उन छोटे-छोटे समाचार-पत्रों पर पड़ा, जो कि पूरी तरह इन समाचार एजेंसियों पर ही निर्भर थे। और समाचार-पत्र के पूरे देश के पाठक भी कल के समाचारों से वंचित रहे। इस हड़ताल का कारण था पालेकर न्यायाधिकरण के प्रस्तावों के अन्तर्गत इन एजेंसियों का न शामिल किया जाना। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में वह एक वक्तव्य दे और विशेष रूप से इन समाचार एजेंसियों को भी पालेकर न्यायाधिकरण में निहित प्रस्तावों के क्षेत्र में लाया जाये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 19 मार्च, 1980 को श्री योगेन्द्र मकवाणा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1977-78 के 25 वें प्रतिवेदन पर, जो 1 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1977-78 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर जबकि हम चर्चा कर रहें है यहां सबंधित मंत्री सभा में उपस्थित ही नहीं हैं।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : मैं उपस्थित हूं।

श्री गिरिधर गोमांगो : तो, मैं आशा करता हूं, कि आप वे सभी मुद्दे नोट कर लेंगे जो मैं अब उठाऊंगा।

कल, अनेक माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के बारे में अनेक मामले उठाये और उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग सें मंत्रालय के गठन का सुझाव भी दिया था।

एक बात को लेकर माननीय सदस्य से मेरा मतभेद है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विकास का दायित्व केन्द्रीय मंत्रालयों ने अपने ऊपर लिया है। यदि एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, तो दूसरे मंत्रालय उस पर अपना दायित्व छोड़ देंगे, और यह अकेला मंत्रालय उनके कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकेगा।

इन लोगों की समस्याओं पर अनेक बार विचार-विमर्श किया गया है और आयुक्त की जिस रिपोर्ट पर हम विचार कर रहें हैं, वह उसकी 25 वीं रिपोर्ट है। यह खेद की बात है कि मौजूदा रिपोर्ट के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना कार्य किया जा चुका है, और भविष्य में कितना कार्य किया जाना है हम केवल इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिला रहे हैं कि भविष्य में क्या किमा जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन लोगों के लिए, विशेषकर जनजातीय-क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की गयी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जाकर नया मानक अपना गया और नयी योजना बनायी गयी।

मंत्री महोदय ने श्रीमती इंदिरा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने जन जातियों के लिए एक नयी योजना की शुरूआत की है। इस पर बहुत वड़ा विवाद किया गया और

यहां पूछा गया कि उनके नाम का उल्लेख क्यों किया जाता है। लेकिन इन लोगों और इन क्षेत्रों के विकास के मामले में नेता के दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही आबंटन की नयी प्रणाली और नयी योजना बनायी गयी। फिर उनके नाम का उल्लेख करना क्यों गलत माना जाता है। अनवरत योजना के अन्तर्गत इन उपयोजनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। लेकिन विभिन्न स्तरों पर जो विचार-विमर्श चल रहा था, वह पूरा हो गया है। इसलिए मैं इस बारे में कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूं।

जहाँ तक ज्यादतियों का सम्बन्ध है, केवल उन ज्यादतियों पर विचार किया गया है जिनके बारे में समाचार छपे हैं। लेकिन वनों में जनजातियों पर ऐसी ज्यादतियां की जा रही हैं; जिनके बारे में कोई समाचार नहीं दिया जाता। इन घटनाओं पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है, क्योंकि समाचार पत्रों में इनके बारे में खबरें नही छपी हैं। जनजातियों पर ज्यादतियों की सभी घटनाओं के बारे में समाचार छापना बहुत मुश्किल है। वनों में जन जातियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। लोगों द्वारा इन ज्यादतियों के जारी रहने के कारण जनजातियों के लोगों के प्रति पक्ष-पात की भावना पनप रही है और उनमें असंतोष है। इस असंतोष के क्या कारण हैं? संविधान विशेषकर उसकी पांचवी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों अर्थात केन्द्र तथा राज्यों को बहुत से दायित्व सौंपे गये हैं। इनका क्या बना? इनके क्रियान्वयन का कार्य बहुत पिछड़ रहा है। समुचित प्रशासन नहीं है जो इन लोगों को लाभ पहुंचा सके।

आप चाहे जितनी धनराशि आबंटित कर दें, जनजातियों के विकास के लिए चाहे जो रवैया अपना लें, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में यदि परिवर्तन नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार पर और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर दायित्व छोड़ देती हैं। इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई केन्द्रीय कानून होना चाहिए।

योजना-नियतन में वृद्धि कर दी गयी है और सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए एक निश्चित धन राशि नियत करने का निश्चय किया है। लेकिन यदि आप बजट को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जनजातियों के विकास के लिए पर्याप्त धन राशि निर्धारित नहीं की गयी है। राज्यों के बजट को देखने से पता चलेगा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए और अधिक धन राशि नियत की गयी है, लेकिन यदि बजट को आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि धन उन बड़ी परियोजनाओं के लिए दिया गया है, जो जनजातियों के लिए नहीं हैं। जनजातियों के लिए यदि पर्याप्त धन राशि नहीं दी गयी, तो इससे उनके विकास और उत्थान पर असर पड़ेगा। जन-जातियों के विकास के बारे में प्रधानमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकारों को पत्र लिखा है।

केन्द्रीय मंत्रालयों ने अभी तक जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को नहीं समझा है। उन्होंने उनके विकास के लिए धन भी आबंटित नहीं किया है। उनके विकास के लिए यदि धन आबंटित

नहीं किया गया, तो राज्य सरकारें यह मान लेंगी कि भारत सरकार राज्य सरकारों को केवल निर्देश दे रही है। इस क्षेत्र के बारे में जो निर्णय किया गया है, वे उसका पालन नहीं कर रही हैं।

कार्मिक-नीति, उत्पाद शुल्क नीति और वन-नीति की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए और गलत नीतियों के कारण जनजातियों का जो शोषण हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि वह विभिन्न राज्यों के जनजातीय संसद-सदस्यों की बैठक बुलायें जिसमें विस्तृत रूप विचार-विमर्श किया जाये, ताकि प्रत्येक को अपना दृष्टिकोण सामने रखने का अवसर मिल सके और जनजातियों की समस्याओं का हल खोजा जा सके। गृह मंत्रालय को उनकी समयाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ एक बैठक आयोजित करनी चाहिए, क्योंकि संसद सदस्यों को इस सभा में इन सभी मामलों पर विचार करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान देंगे और जनजातियों के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनायेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : यह बात तय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसलिए मुसीबतें और ज्यादतियां झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि वर्ण-व्यवस्था में वे सबसे नीचे हैं। प्रारम्भ से ही उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें मुसीबतें उठानी पड़ीं और आजादी के तीस वर्ष बाद भी यही हो रहा है। संविधान में मौलिक अधिकारों तथा नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रता की गारंटी दी गयी है। संविधान में यह गारंटी भी दी गयी है कि हर दृष्टि से और प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ देश के अन्य नागरिकों के समान व्यवहार किया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक का अनुभव यही बताता है कि अभी तक उन्हें लगभग उतनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, जो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान झेली थीं। यह सही है कि आजादी के बाद उनकी शिक्षा, उनके आर्थिक उत्थान, उनको रोजगार दिलाने आदि पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। उन्हें जमीन तथा नौकरियां तथा विधान सभाओं और संसद में प्रतिनिधित्व देने के प्रयास भी किये गये। इन सुरक्षोपायों से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कुछ राहत अवश्य मिली है, लेकिन निर्धन वर्गों के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्या वजह है कि आजादी के 30 वर्ष बाद भी, संविधान में दिये गये सुरक्षोपायों, और केन्द्र तथा राज्यों के माननीय मंत्रियों के प्रयासों के बावजूद, उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। इसका कारण है हिन्दूधर्म की वर्ण-व्यवस्था संविधान के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त हो गयी हैं लेकित वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं हो पायी है। संविधान में जाति-उन्मूलन की व्यवस्था यदि कर दी जाये, तो भी सवर्ण हिन्दू जन्म से लेकर मरने तक इसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था प्रत्येक सवर्ण हिन्दू के रक्त में समा गयी है। इसका कारण यह है कि वर्ण-व्यवस्था में प्रत्येक जाति दूसरी से ऊंचा होने का दावा करती है। यहां तक अनुसूचित जातियों में भी कुछ ऊंची जातियां स्वयं कुछ नीची जातियों से अपने को ऊंचा समझती हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति

एक ऐसे स्थान पर बना रहना चाहता है, जहां से वह अपने से नीचे वाले लोगों को प्रताड़ित कर सके, भले ही वह अपने से ऊंचे लोगों से प्रताड़ित होता हो। अतः वर्ण-व्यवस्था संभवतः कभी समाप्त नहीं होगी।

मैं यह कह रहा था कि सुरक्षोपायों और केन्द्र तथा राज्यों के प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जातियों को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। केन्द्र से सचिवालय को और राज्य सरकार से सचिवालय को जो निर्देश और आदेश जाते हैं, उन पर नौकरशाह कार्यवाही करते हैं। वे जातीय मानसिकता से दूषित हैं। यही कारण है कि अनुसूचित जनजातियों और नौकरशाहों, जो मुख्यतः सवर्ण हिन्दू होते हैं, के हितों के बीच टकराव होता है और केन्द्रीय सरकार राज्य के मंत्री, राज्य सरकार जब आदेशों के क्रियान्वयन का निर्देश देती है, तो वे उनका वैसा क्रियान्वयन नहीं करते, जैसाकि उन्हें करना चाहिए। अनुसूचित जातियों के व्यक्ति का यदि कोई कार्य हो, यदि उन्हें कुछ भूमि दी जानी हो या अनुसूचित जातियों के लोगों को कोई संवैधानिक लाभ देना हो, तो नौकरशाह, जिसे यह कार्य करना है, अनुसूचित जातियों के व्यक्ति को पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। वह हमेशा यह सोचता है और योजना बनाता है कि यह उसे नहीं दिया जाना चाहिए ; इसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा सवर्ण हिन्दू को दिया जाना चाहिए। उसमें यह पूर्वाग्रह पूरी तरह से रहता है। यही कारण है कि अनुसूचित जातियों को जीवन के हर क्षेत्र में मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं हिंसा और अपराधों का मामला ही लीजिए। दूर-दराज के किसी गांव में यदि हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ मारपीट की घटना हो जाये, तो वे पुलिस की सहायता के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वे निर्धन और निरीह हैं। पुलिस तक जाने का साहस यदि उसने जुटा भी लिया, तो पुलिस कर्मचारी यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, तो उसकी शिकायत दर्ज कर लेगा, यदि वह सवर्ण व्यक्ति है और कथित दोषी व्यक्ति सवर्ण हिन्दू हैं, तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा।

गावों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और निर्धन कृषकों के साथ हिंसा की हजारों घटनाएं होती हैं किन्तु उनकी रिपोर्ट या तो दर्ज नहीं की जाती है और यदि की जाती है तो इस प्रकार की जाती है कि उससे अभियुक्त को मदद मिले। दुर्भाग्यवश यह जातिगत पक्षपात का मामला है। यही बात साक्ष्य इकट्ठा करते समय भी होती है। साक्ष्य सवर्ण हिन्दू लोगों द्वारा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साक्ष्य अनुसूचित जातियों के गवाहों द्वारा दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के लोग अल्पसंख्यक हैं। उन्हें धमकाकर कहा जाता है कि सवर्ण हिन्दू के अभियुक्तों के खिलाफ गवाही न दें। सवर्ण हिन्दू साक्षी अभियुक्तों की मदद नहीं करते जिससे अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराध की उचित सजा नहीं मिल पाती। सविधान द्वारा सरक्षण प्रदान किए जाने तथा केन्द्रीय राज्य सरकारों की सद्भावना के बावजूद इन परित्रणों को क्रियान्वयन नहीं हो पाता क्योंकि अधिकारी वर्ग का रवैया लाभान्वित होन वाले अनुसूचित जातियों के प्रति जातिगत भावनाओं से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण रहता है।

आयुक्त की रिपोर्ट में इन लोगों पर किए गए अत्याचार और उत्पीड़ना के कई

उदाहरण हैं तथा इसमें महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में हुई उपद्रवों का भी जिक्र है। उन्होंने दक्षिणी अर्काट जिले में विल्लुपुरम में हुई हिंसक घटनाओं का भी उल्लेख किया है। 1978 में आगरा के कई क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने का भी रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। बिहार राज्य के गांव धर्मपुर तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या का भी आयुक्त ने उल्लेख किया है। यह है इन निर्धन लोगों की दुर्दशा।

रिपोर्ट में कई अच्छी बातें भी हैं। मैं जानता हूं कि सरकार काफी कुछ करने का प्रयत्न करेगी तथा रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को भी कार्यान्वित करेगी; परन्तु अधिकारी-वर्ग ऐसा नहीं होने देगा। अतः सरकार को ऐसे अधिकारी वर्ग की भर्ती करनी चाहिए जिसका कमजोर वर्गों के प्रति उचित रवैया हो। इसके लिए सरकारी सेवाओं तथा अन्यत्र कमजोर वर्गों के लोगों की अधिक भर्ती करनी होगी। यदि ऐसा किया गया तो, काफी हद तक उन्हें सफलता मिलेगी। मैं एक और तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने एक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग की भी स्थापना की है। पर अभी तो उसकी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। पिछली सरकार द्वारा एक विधेयक संविधान छयालीसवां संशोधन विधेयक—पेश किया गया था, परन्तु दुर्भाग्यवश वह पारित नहीं हुआ। यदि हमारी सरकार उस विधेयक को पारित करके अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के आयोग को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हो सके तो बेहतर है। यह आवश्यक है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हू कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया।

यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग की पच्चीसवीं रिपोर्ट है। इसी सभा में आयोग की चौबीस रिपोर्टों पर चर्चा हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक रिपोर्ट में उसी प्रकार की घटनाओं, सिफारिशों तथा उन्ही उपबंधों का उल्लेख किया जाता है, परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा, स्थिति वही रहती है लेकिन अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया है।

इस आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया था, इसलिए इसे सांविधिक प्राधिकार प्राप्त हैं। परन्तु आयोग को सरकारी उद्यम ब्यूरो और राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों ने इस आयोग जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुसार हुआ है - के समक्ष कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत की है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। इस आयोग का काम कोई मामूली काम नहीं है। वह एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए, वह व्यक्ति या अधिकारीगण जो अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के खिलाफ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमारा देश एक लोकतन्त्रीय देश है। लोकतन्त्र में दो बातें होती हैं एक तो स्वतन्त्रता और दूसरी समानता। दोनों में से किसी एक के न होने पर लोकतन्त्र नहीं चल सकता और न ही उसका कोई अर्थ रह जाता है। समाज में समानता तो वस्तुतः नहीं के बराबर है, हालांकि हम इस समाज को लोकतान्त्रिक कहते हैं।

मैं डाक्टर अम्बेदकर के वक्तव्य का एक अंश उद्धृत करूंगा जिसमें उन्होंने स्वतन्त्रता और समानता के विचार व्यक्त किए हैं :—

> "सामाजिक लोकतन्त्र को आधार बनाए बिना राजनीतिक लोकतन्त्र नहीं चल सकता। सामाजिक लोकतन्त्र से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, तथा जिन्हें इस त्रयी में किसी को भी अलग वस्तु नहीं समझा जाता हो। इन तीनों का ऐसा मेल है कि इनमें से एक से दूसरे को अलग करने में लोकतन्त्र का सारा अर्थ ही समाप्त हो जाता हैं।"

अतः मेरा अभिप्राय है कि समानता के अभाव में लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता फिर भी इस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। यदि वस्तुतः हम इस प्रणाली को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समानता को किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाये। उदाहरण के तौर पर डाक्टर राधाकृष्णन ने कहा है :—

"निर्धन व्यक्ति यों ही घूमते रहते हैं ; उन्हें कोई काम कोई मजूरी नहीं मिलती, वे भूखे रहते हैं। वे अब भी भयंकर कष्ट और घोर गरीबी में जी रहे हैं। उन्हें संविधान पर या उसके कानूनों पर कोई गर्व नहीं हो सकता। यह है निर्धन व्यक्तियों की दशा।"

मैं हरिजनों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। उनकी दशा देयनीय और अवर्णनीय है। गांवों में उनकी दशा पशुओं से भी बदतर है। वे दूर-दराज के गांवों में रहते हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिलता। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में रहने वाले कुछ हरिजन तो केवल दस से बीस रुपये मासिक ही कमा पाते हैं। इस छोटी सी रकम से उन्हें अपनी जरूरत का सभी सामान खरीदना होता है। स्वतंत्रता के तीस वर्षों के बाद भी उन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। कही पर तो हरिजन परिवार अपने पूरे सप्ताह भर का खाना (तथाकथित) पकाते हैं, पर मैं उसे खाना नहीं कह सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें अधिक मात्रा में चावल या खाने का सामान मिल रहा है। वह यह सब नहीं जुटा सकता। भोजन के लिए वे तरसते हैं। उनकी यह दशा है। एक न एक दिन यह ज्वालामुखी जरूर फटेगा और तब यह लोकतंत्र के आधार के लिये खतरा बन जायेगा।

वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तरी राज्यों में हरिजनों पर अत्याचार इसलिए किये जाते हैं। क्योंकि वहां कोई पेरियर नहीं है। वस्तुतः सामाजिक सुधार अच्छा है। लेकिन हम राजनीतिज्ञ इस पर चलते नहीं हैं। चुनाव के दौरान हम लम्बे चौड़े वायदे करते हैं, जिनका कार्यान्वयन नहीं होता। पता नहीं वर्तमान सरकार इस रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत है या नहीं, पर हम सभी दलों के राजनीतिज्ञ हम चुनाव मंच पर, खासतौर पर गांवों

की हरिजन बस्तियों में जाकर खूब वायदे करतें हैं, पर सत्ता में आते ही हम इन वायदों को कार्यान्वित करने में असफल रहते हैं। हमारे समाज में ऐसी शोचनीय दशा है।

योजना आयोग ने भी निम्न टिप्पणी दी है:—

"वर्षों से चली आ रही निर्धनता व असमानता को हमारे सभाज के सबसे पिछड़े वर्गों—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन में स्पष्टत: देखा जा सकता है ऐसा हमेशा ही होता रहा है।" ऐसे ही भाव कई बार, शायद योजना अयोग की सभी रिपोर्टों में अभिव्यक्त किये जाते हैं। पर इन सब क्षेत्रों में हमने अब तक किया क्या है? उदाहरण के तौर पर, भोजन को हो ले लीजिए। भोजन का न मिलना एक चीज है। यदि उन्हें भोजन मिल भी जाता है तो वह पौष्टिक नहीं होता। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि वच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी वुद्धि का विकास नही होगा और उनका विकास औसत से कम होगा। यह वैज्ञानिकों का दृष्टि कोण है। यहां यह दृष्टव्य है कि हरिजनों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 1974-78 में 83 करोड़ रुपये तथा 1978-83 में 115.5 करोड़ रुपये आंवटित किये गए। मैं सरकार से फूछना चाहता हूं कि : क्या सरकार अथवा सरकार का कोई अधिकारी कह सकता है कि हरिजनों या आदिवासियों के लाभ के लिए कोई अलग स्वास्थ्य केन्द्र चलाया जा रहा है? यदि वे कुछ करना भी चाहते हैं, तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में चलती-फिरती गाड़िया भेज रहे हैं। पृथक यूनिट नहीं है। पृथक अस्पताल नही हैं विशेष रोगों के लिए कुछ अस्पताल हैं पर सामान्य अस्पताल नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब पैसा कहां गया। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये।

दूसरे, साक्षरता और योग्यता के संबंध प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी बात करने का हक है। बड़े लोग और बड़ी पत्रिकाएं भी इस विपय में लिख रही हैं। यदि आप गांवों में जाएं तो आप देखेंगे कि वच्चे प्राथमिक पाठशालाओं में जाते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाला लड़का एक ही कमरे के एक कोने में बैठा होगा और दूसरे कोने में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला लड़का है, वैठा होगा। इसी प्रकार तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं के लड़के उसी कमरे में बैठते हैं। सारी कक्षाएं एक ही कमरे में चलाई जाती हैं। जब अध्यापक पांचवी कक्षा के लड़के को पढ़ाता है तो पहली कक्षा के बच्चे को बाधा होगी। इसी प्रकार जब अध्यापक पहली कक्षा के लड़के को पढ़ाएगा तो पांचवी कक्षा के लड़के को सुनाई देगा। इस तरह वे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। यदि वे कुछ सीखते भी हैं तो वह नहीं के बराबर होता है इस स्थिति में उन्की शिक्षा का संचालन होता है। पर, साथ ही, धनाढय व्यक्ति—मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता—अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं तथा सौ, दो सौ, तीनसौ या पांच सौ रुपये प्रति महा भी खर्च करते हैं।

अत: जैसा कि मैंने बताया है उनकी तुलना हम गांवों में, उन परिस्थितियों में पढ़ने वाले बच्चों से कैसे कर सकते हैं? इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिये जिम्मेदार भगवान है अथवा शासक वर्ग? मुझे कुछ नहीं मालूम कि कौन जिम्मेदार है। अगर

अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का पुत्र बड़ी कक्षा में पहुंचता है तो वह अपना भोजन तक नहीं जुटा पाता वह रोज पूरा भोजन प्राप्त नहीं करपाता। इसलिए वह अपने माँ-बाप की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर एक बालक स्कूल जाता है, और उसके माता-पिता अनुसूचित जाति के है, उन की मासिक आय केवल 20 रु० है। अब इन 20 रुपयों में ही उन्हें उस बालक के लिए रोटी, कपड़े और पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी होती हैं। हम कहते हैं कि हम मुफ्त किताबें बांटते हैं, भोजन और अन्य वहुत सी वस्तुएं मुफ्त उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सब बातें कागजों की हैं, सभी राज्यों में ठीक प्रकार से वितरण नहीं हो पाता। अगर कुछ दिया भी जाता है तो केवल नाम मात्र के लिये और उस की मात्रा इतनी होती है कि उस वेचारे बालक का भी गुजारा नहीं हो पाता। स्थिति यह है। इसीलिए वह उच्च शिक्षा नहीं ले सकता है, अतः मां बाप बच्चे से पढ़ाई छोड़कर 5 रु० मासिक मजदूरी करने के लिए कहेंगे। इससे घर की आमदनी तो बढ़ेगी और यही बजह है कि मां-वाप पढ़ाई छोड़ देने के लिए कहते हैं। अगर कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती वह जहां कही भी नौकरी के लिए जाएगा उसे अपमानित होना पड़ेगा। मां-बाप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं श्रौर इसलिए वे अपने बच्चों को पढ़ाई न करने के लिए कहते हैं। अतः इस सब में परिवर्तन लाना ही होगा। सरकार वश्व-विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्ष के लिए क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इस बारे में विचार रिपोर्ट के पृष्ठ 16 पर दिए गए हैं, मेरे विचार में :

> "यह संतोषदायी बात है कि अधिकांश शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों ने, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलौजी तथा चिकित्सा संस्थाएं भी शामिल हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्नातक स्तर तक स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है। फिर भी, स्नानकोत्तर स्तर पर इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। अधिकांश राज्य सरकारों / संघ शासित प्रषासनों ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने से इंकार कर दिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि वह स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्कमों में इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए किसी आरक्षण या छूट देने के पक्ष में नहीं है। उसने तर्क दिया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा सेवाएं चिकित्सा विज्ञान की किसी विशेष शाखा में विशिष्ट प्रशिक्षण है और चिकित्सा संबंधी देख भाल में इसकी प्रमुख भूमिका है, इसलिए उस के स्तर में कमी करना उचित नहीं होगा।"

स्नातकोत्तर छात्रों का चयन कैसे किया जाता है ? केवल सिफारिश के आधार पर / अंक किस आधार पर दिये जाते हें ? अगर किसी डाक्टर से मेरी जान पहचान है, तो मुझे अधिक मिलेंगे। एक विद्यार्थी अपनी सभी कक्षाओं में औसत अंक प्राप्त करता है और अन्तिम परीक्षा में उसे अचानक 80 अथवा 85 प्रतिशत अंक मिल जाते हैं। उसे स्वर्ण पदक और स्नातकोत्तर

कक्षा में प्रवेश मिलता है । क्या आप बता सकते हैं कि समस्त भारत में कितने अधिस्नातक, विशेषज्ञ और डाक्टर योग्यदक्ष और समाज के लिए उपयोगी हैं ? बहुत ही कम । अतः मैं कहूंगा कि स्नातकोत्तर प्रवेश में किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिए ।

छात्रवृतियां भी ठीक तरह से नहीं दी जातीं । उदाहरण के लिए मेरे शहर कोयम्बतूर में 'गवर्नमेंट कालेज ऑफ टेकर्नालाजी' है । वहां के प्रधानाचार्य ऐसे हैं कि छात्रवृत्तियां दबाए रखते हैं, किसी को देते नहीं । छात्र भूख हड़ताल करते हैं और धरना देते हैं तो हमेशा ही स्थानीय जिलाधीश को हस्तक्षेप करना पड़ता है ।

यह भी निर्धारित किया गया है कि एक परिवार के केवल दो ही बच्चों को छात्रवृति मिल सकती है । अगर किसी हरिजन के चार-पांच बच्चे हैं । तो बाकी बच्चों का क्या होगा ? इस बारे में तुरन्त विचार किया जाये ।

पदोन्नति कोटे को आगे लेजाने की समस्या है जिस पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि अभी राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाना है ।

रिपोर्ट में न्यायधीशों के बारे में प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि देश में उच्च न्यायालयों के 350 न्यायधीशों में से केवल चार न्यायाधीष अनुसूचित जातियों के हैं और अनुसूचित जन जाति का एक भी नहीं है । बातें तो धारा 335 और प्रशासन में कुशलता की जाती हैं । अनेक न्यायधीशों की कार्य कुशलता का हमें पता है । मैं यहां यह नहीं बताना चाहता न्यायालयों का संचालन कैसे किया जा रहा है । समाचार पत्रों में हम पढ़ते ही हैं कि अनेक न्यायधीशों पर रिश्वत के अरोप में मुकदमा चलाया गया । निस्संदेह ये अनुसूचित जाति के तो नहीं हैं । अत: इस सब के लिये एक अलग से कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कणगम सरकार ने 'तमिल नाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त न्यास अधिनियम 1959 में अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास और अस्प्रश्यता सम्वन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन प्रस्तुत किया था । इसी विषय पर स्वर्गीय सर रामस्वामी अय्यर ने प्रस्ताव रखा था । डा० राम स्वामी अय्यर जब हिन्दू रिलीजियस एंडोवमेंट कमीशन (1960-62) के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि इस दिशा में सुधार की महती आवश्यकता हैं क्योंकि अर्चकों की नियुक्ति पैतृक आधार पर करने से कदाचार होते थे जिससे विभिन्न धार्मिक संस्थानों में पूजा की पवित्रता नष्ट होती थी । यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया । एक महिला ने राज्य सरकार के खिलाफ मामला दायर किया । इस विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति, भी न केवल अनुसूचित जाति का ही, किसी मंदिर विशेष में अर्चक बन सकता है लेकिन उन्होंने पृष्ठ भूमि बनाई । यह पृष्ठ भूमि क्या थी ? वर्ष 1969 में अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास और अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था की हिन्दू समाज से वंशगत पुरोहिती समाप्त की जानी चाहिये और इसके स्थान पर पुरोहित संस्था हो जिस में अपेक्षित योग्यताओं से युक्त किसी भी व्यक्ति को मान्य संस्थानों में पुजारी का प्रशिक्षण दिया जाये जिसमें जाति, धर्म और वंश आदि का भेद

भाव न बरता जाये। न्यायपीठ में पांच न्यायाधीश थे श्री सीकरी, मुख्य न्यायाधीश, श्री ए. एन. ग्रोवर, श्री ए०एन०रे, श्री डी. जी. पालेकर और श्री एम. एच. बेग। इन्होंने मामले की जांच की और पाया कि यह आगमों में निर्धारित सिद्धान्तों के विपरीत है। मुकदमें में जो कुछ कहा गया मैं उसे उद्‌धृत करना चाहूंगा, यह सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट खंड तीन, 1972 के पृष्ट 826 में हैं:

"डा० काणे ने पुन: प्रतिष्ठान (मंदिर में मूर्तियों की पुन : प्रतिष्ठा) बारे में धर्मशास्त्र का इतिहास के पृष्ठ 904 में ब्रह्म पुराण को उद्‌धृत किया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अगर कोई प्रतिमा खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए ,स्थान से हठाई जाए, अपमानित की जाये, पूजा न की जाए पशु जैसे कि गधे आदि द्वारा स्पर्श की जाये अथवा अपवित्र स्थान पर गिर जाये या अन्य देवी-देवाओं के मंत्रों द्वारा उसकी आराधना की जाये अथवा कोई जाति से बाहर उसे छूकर अपवित्र कर दे ....."

इसका अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को इसे नहीं छूना चाहिये। मैं एक संशय दूर कर देना चाहता हूं। जहां तक द्रमुक का संबंध है ; हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नही, हमारा विरोध व्यवस्था से है जहां तक मेरा सवाल है मैं किसी विशेष समुदाय अथवा व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। मैं तो सभी से प्रेम करता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा। कि यह विधेयक किसो व्यक्ति को किसी कार्य से हटाने और उनके स्थान दूसरे व्यक्ति को लाने के उद्‌देश्य से नहीं है। द्रमुक भी दलितों के उत्थान के लिये कार्य कर रहा है।उन दिनों द्रविड़ कणगम के आतम गौरव आंदोलन को जिसका समारंभ ई.वी.आर पेरियार द्वारा तमिल नाडु में आरम्भ किया गया था ; कोई व्यक्ति इसके बारे में नही जानता था। अगर आप हमें परया और पाल दल का कहें तो लोग जान जायेंगे। अनुसूचित जाति के अनेक पाल और परया द्रमुक में हैं।

लेकिन साथ ही प्रमुख सरकार और हमारे आन्दोलन के प्रवर्तक अनुसूचित जातियों के हितों के लिए लड़े। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों के लोगों को हरिजन कह कर पुकारा। हमारे दल, हमारे पूर्वजों ने मद्रास राज्य विधान सभा में 1924 में एक प्रस्ताव प्रारित किया जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के सभी लोग, परया और पाल—छः जांतियां—द्रविड़ कहलाएंगे। वह अब भी इसी नाम से पुकारे जाते हैं। उन्होंने यह किया।

मैं इस के बारे में इस लिए कह रहा हूं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आगम और उस के सिद्धान्तों को उद्‌धृत कर के यह कानून रद्द किया गया था। मैं आगमों का ···· बड़ा ज्ञाता नहीं हूं। उन्हें तो मन्दिरों में जाकर पूजा करने की अनुमति होनी चाहिये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आप कृपया उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदाहरण देंगे ?

श्री सी० टी० दंडपाणी : हां मैं दूंगा।

छः महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु के हमारे शंकराचार्य ने कन्याकुमारी जिले के 13 विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। इन 13 विद्यार्थियों में से 3 लड़के अनुसूचित जातियों के थे उनको प्रशिक्षण दिया गया है। जब ये 10 विद्यार्थी मंदिर में जा सकते हैं पूजा-पाठ कर सकते हैं तो बाकी 3क्यों नहीं जा सकते अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में कुछ करें।

तमिलनाडु में द्रमुक शासन काल में हमने मन्दिर के ट्रस्टी नियुक्त किए थे। प्रत्येक मंदिर के 5 ट्रस्टी नियुक्त किए गए। 5 ट्रस्टियों में से हम 1 ट्रस्टी अनुसूचित जाति का नियुक्त करते हैं। हमने इने अनिवार्य घोषित किया। इसी प्रकार हरिजन आवास निगम के बारे में, द्रमुक सरकार के डा० करूणानिधि ने योजना आरंभ की और अपने राजकोष से हमने 13 करोड़ रु० खर्च करके 35,000 घर बनाए और उन्हें हरिजनों को मुक्त बांट दिया।

अन्तर जातीय विवाहों के बारे में कुछ कहा गया है। इस बारे में मैं यहां सुझाव देना चाहता हूं। जो लोग दूसरी जाति में विवाह करते हैं, उन के लिए केन्द्रीय कानून होना चाहिए। जब एक लड़का हरिजन लड़की से विवाह करता है अथवा लड़की किसी हरिजन लड़के से विवाह करती है, तो उन्हें कुछ प्रधानता दी जानी चाहिए, कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। द्रमुक शासन काल में, उन को $1\frac{1}{2}$ तोले वजन का एक बढ़िया स्वर्ण पदक और कुछ नकदी इनाम दिया गया था। उन्हें 15,000 रु० बिना ब्याज के दिए गए जिससे कि वे कुछ काम-धन्धा आरंभ कर सकें।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। राज्य विधान सभाओं के भंग किये जाने की चर्चा की सरकार ने विभिन्न कारणों से नौ राज्य विधान सभाएं भंग की थीं। हमारी प्रधान मंत्री एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में बहुत चिंतित थीं और वह था संविधान का पैंतालिसवां संशोधन विधेयक। इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और पारित किया गया। देश की 11 विधान सभाओं ने इस का अनुसमर्थन करना है। जब यह विधेयक तमिलनाडु विधान सभा में समर्थन के लिये भेजा गया, उस समय तमिलनाडु विधान सभा का सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री स्वयं पैंतालिसवें संविधान संशोधन विधेयक को अनुसमर्थन देने के लिये उसे पुरस्थापित करने और परित कराने में असमर्थ रहे। कार्य की अधिकता के कारण हो सकता है वह भूल गये हों पता नहीं वह सोते भी हैं या नहीं उन्हें और भी बहुत से काम देखने होते हैं। कांग्रेस और द्रमुख के सदस्यों ने पैंतालिसवें संविधान संशोधन विधेंयक का विषय विधान सभा में उठाया। पैंतालिसवें संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने के स्थान पर श्री एम. जी रामचन्द्रन ने विधान सभा सदस्यों को अधिक धन राशि दिये जाने और वेतन तथा पेंशन में वृद्धि और अन्य सुविधाएं दिये जाने संबंधी एक और विधेयक प्रस्तुत कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सी० टी० दण्डपाणी (पोल्लाची) : पिछले चुनावों में हरिजनों को मतदान भी नहीं

करने दिया गया। बहुत से गांवों में, यहां तक कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अन्नाद्रमुक और संबद्ध राजनीतिक दलों तथा हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने भी हरिजनों को मतदान नहीं करने दिया। यह है स्थिति।

अब, केन्द्रीय सरकार, जो कि राज्य सरकार को प्रभारी है, कुछ कर सकती है। पिछली सरकार –एम० जी० आर० सरकार–ने धन बिना खर्च किये वापिस कर दिया था। पिछले वर्ष 1½ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार को लौटाए गये जबकि यह राशि हरिजन विकास और कल्याणकारी कार्यों पर खर्च की जानी थी।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कुछ अन्य समुदायों के लोगों ने, जो कि हमारे यहां सबसे ज्यादा पिछड़े लोग कहलाते हैं, अपने आप को अनुसूचित जातियों में शामिल किए जाने की मांग की है। ये हैं वोया, कुदुम्बर, नाई, धोबी, वेट्टुवेन और कुछ अन्य जातियां। जो हरिजन धर्म बदल कर इसाई हो गये हैं, उन्हें भी ये सुविधाएं दी जाएं, यह बात संविधान में शामिल की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री द्वारा संसद के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि मानदन्डों को उदार बना कर अन्य समुदायों को भी शामिल किया जायेगा। जहां तक मुझे याद है उन्होंने सभा में भी व्यक्तिगत रूप से इसका आश्वासन दिया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में कानून बनाये।

मैं उन कार्यक्रमों के जिन्हें निकट भविष्य में क्रियान्वित किया जाता है, के मामले में सरकार की भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

* **श्री अनादि चरण दास (जाजपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पच्चीसवीं रिपोर्ट हमारे सामने है। मैंने इस रिपोर्ट को बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ा है। रिपोर्ट से मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने हमारे समाज के अन्य वर्गों के समान प्रगति नहीं की है। हम सभी मनुष्य हैं और जन्म से बराबर हैं किन्तु मैं यह समझ नहीं पाता कि ईश्वर ने हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में क्यों पैदा किया। मानव समाज विभिन्न वर्गों या जातियों में विभाजित है। यदि हम स्वतन्त्रता पूर्व के भारत की ओर देखें तो हमें कुछ ऐसे महापुरुषों का पता चलता है जिन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिये प्रशंसनीय सेवा की थी। महात्मा गांधी उनमें से एक थे जिन्होंने हमारे समाज के इस उपेक्षित वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किन्तु स्वातन्त्र्योत्तर भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी ही ऐसी नेता हैं जिन्होंने

* उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अनुमूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सार्थक सेवा की है। वह हमारे समाज के इस वर्ग से जातिवाद, छूआछूत तथा निरक्षरता दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही हैं। यह उनकी हार्दिक इच्छा है कि इन जातियों के लोग सभी क्षेत्रों में प्रगति करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वे प्रयास करती रहीं तो यह उपेक्षित वर्ग निश्चय ही उन्नति करेगा और हमें उनमें पूरा विश्वास है और आशा है कि वे ये प्रयास जारी रखेंगी।

महोदय, मैंने यहां दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के बहुत से भाषण सुने हैं। हमारे एक मित्र ने कहा है कि यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग स्वयं प्रयास करें तो वे अपनी दशा सुधार सकते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। वे इतने पिछड़े हैं कि वे अपनी दशा स्वयं नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए में धनी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को सहारा दें।

महोदय, हम उपेक्षित, दलित तथा उत्पीड़ित हैं तथा सवर्ण-हिन्दुओं द्वारा हमारा शोषण किया गया है। अशिक्षित तथा गरीब होने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई है। हमारे प्रगति के मार्ग में अनेक बाधायें हैं। किन्तु यह एक तथ्य है कि सारा विकास और प्रगति हमारे ही कारण हुई है। हम तो श्रमिक हैं। सड़कें हम बनाते हैं भवन हम बनाते हैं यहां तक कि संसद भवन भी हम लोगों ने बनाया है। हमारे ही कठोर परिश्रम से आलीशान भवन बन रहे हैं। किन्तु हम गरीब ही बने रहे हैं। जो हमारे परिवारों में जन्म लेते हैं वे पिछड़े ही रहते हैं जबकि वैसे ही मानव जो उच्च जातियों में जन्म लेते हैं अपनी जीवन दशा में सुधार कर लेते हैं ऐसी है हमारी सामाजिक व्यवस्था। यह बहुत पुरानी व्यवस्था है। इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये। हमें एक वर्गहीन समाज बनाना चाहिये। कांग्रेस (आई) ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने समाज में नये परिवर्तन लाने के लिये पहल की है। अन्य दल केवल दिखावा करते हैं। उनके पास न कोई योजना तथा कार्यक्रम है अथवा न ही कोई नीति है।

मैं विपक्षी दल के अपने मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों की समस्याओं की जांच करने के लिये अपने को वचनबद्ध क्यों नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के सम्बन्ध में योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देने के लिये विशेष व्यवस्था की है। हम उसके लिये वचनबद्ध हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी वास्तव में हमारे कल्याण के लिये कार्य कर रही हैं।

महोदय, मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में विस्तार से कहना चाहता हूं। मैं पाँचवी लोक सभा का सदस्य था। मैं अपने अनुभव से कह सकता हुं कि कांग्रेस को छोड़कर कोई और पार्टी ने हमारे लोगों के उत्थान के लिये विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी से लागू नहीं किया है। इसके लिये हम अपने इन लोगों के प्रति राजनीतिक रूप से वचनबद्ध हैं। किन्तु योजनाओं को सरकारी कर्म-चारी क्रियान्वित करते हैं। वे इन लोगों के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं। इसलिये वे योजनाओं को क्रियान्वयन के लिये ईमानदारी से प्रयास नहीं करते हैं। ये अफसरशाही चलाने वाले इन उपेक्षित

लोगों की प्रगति में मुख्य रूप से बाधक हैं। किन्तु वे प्रचार विभाग का बड़ी समझदारी से संचालन करते हैं। हम रेडियो तथा दूरदर्शन से सुनते रहते हैं कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों के लिये इतनी अधिक मात्रा में धन राशि व्यय करती है। मैं यह पूछता हूं कि यदि सरकार इतनी अधिक मात्रा में धन राशि व्यय करती है तो हम अभी भी पिछड़े हुये क्यों हैं? हम अशिक्षित क्यों हैं ? कारण स्पष्ट है। सरकार धन राशि का नियतन तो काफी मात्रा में करती है किन्तु उचित प्रेरणा तथा सत्यनिष्ठा के अभाव में आदिवासियों तथा हरिजनों की विभिन्न योजनाओं को उचित प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि हम उसी हालत में हैं जिस हालत में पहले थे।

महोदय, मैं इन दो वर्गों के लोगों के उत्थान के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे लोग प्रायः श्रमिक हैं। उनमें से अधिकतर खेतीहर मजदूर हैं और वे भूमिहीन हैं। जीवन भर वे मुश्किल से अपने लिये भोजन जुटा पाते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ छोटे किसान हैं किन्तु वे गरीब हैं। इसलिए उन्हें अपनीं भूमि में सुधार करने के लिए पर्याप्त धन राशि प्राप्त नहीं हो पातीं है। इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि वह अपने समाज के इन दलित वर्गों के लोगों को सब प्रकार का सहारा दें। इन भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि दी जानी चाहिए। उन्हें उर्वरक, बीज, पर्याप्त धन राशि तथा कृषि उपकरण दिए जाने चाहिए। उन्हें आवास के लिए भूमि भी दी जानी चाहिए। केवल नियतन कर देना ही काफी नहीं है। इस क्रियान्वयन कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पृथक अनुभाग होना चाहिए।

महोदय, हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि "जुताई करने वाला भूमि का स्वामी हो।" किन्तु यह बात वास्तविकता का रूप नहीं ले सकी है। हरिजन कृषक श्रमिक पिछले अनेक वर्षों से भूमि की जुताई करते रहे हैं। यह उनका व्यवसाय है। किन्तु अभी वे भूमि के स्वामी नहीं बने हैं। कांग्रेस सरकार को छोड़कर किसी अन्य सरकार ने हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वर्ग के लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रावधान हैं। जब वे सत्ता में थीं तब हरिजनों और आदिवासियों को भूमि बांटी गई थी। इससे उन लोगों को लाभ हुआ था और उनमें आशा और आकांक्षा जागृत हुई थी कि जो भूमि उन्हें बांटी गई है उससे वे अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। किन्तु यह लोगों का दुर्भाग्य था कि सरकार बदल गई। जनता सरकार और लोक दल सरकार अपेक्षाकृत अच्छी और स्थायी प्रशासन न दे सकीं। वे अफसरशाही के हाथ की कठपुतली बन गई थीं।

(श्री सोमनाथ चटर्जी-पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय : आपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है। अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अनादि चरण दास : मैं उस सरकार को दुष्ट सरकार कहूंगा। उनके शासन में

उच्च जाति के लोगों द्वारा हरिजनों की भूमि छीन ली गई। आदिवासियों और हरिजनों को सामाजिक न्याय से वंचित कर दिया गया। सवर्ण हिन्दुओं ने न्यायालयों में केस (मामले) चलाकर उनका दमन किया और उनका उत्पीड़न कियां उन्होंने इसके लिये धन देकर तथा पुलिस की सहायता से अत्याचार शुरू कर दिया। महोदय, न्यायालयों में मामलों से निबटने के लिये हरिजनों के पास पैसा कहां। सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों के मकान जला दिये। उनकी हत्या कर दी। वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाये। उनके सारे सपने टूट गये। और वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गये। अच्छा हुआ कि अपने दुष्कर्मों के कारण लोक दल की और जनता सरकार को शासन से हटा दिया गया। हमारे लोगों ने इसका कड़ा प्रतिकार किया। मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी भारी बहुमत से दुबारा शासन में आ गई हैं। मुझे विश्वास है कि हरिजन और आदिवासी, जो बहुत समय से उपेक्षित रहे हैं, अब उनको लाभ होगा। महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के हरिजनों के एक वर्ग की बुरी दशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वे जाति से 'मंकाड़िया' हैं। वे उड़ीसा के जाजपुर और सुकिन्दा क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी संख्या 2000 से 3000 है। वें वन्दरों को मारकर उनका मांस खाते हैं। जब वे किसी क्षेत्र में बन्दरों को समाप्त कर देते हैं तो वे अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। वे ऐसा घोर गरीबी के कारण करते हैं।

जब मैं पांचवीं लोक सभा का सदस्य था तब मैंने उनकी दशा में सुधार करने के लिये इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। उनकी दशा में सुधार करने के लिये अब मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इसके लिये कुछ योजनायें बनाये। उन्हें भूमि, मकान, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये। उनके पुनर्वास का स्थायी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

महोदय, मैं हरिजनों पर हुये अत्याचारों के कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। सवर्ण-हिन्दुओं द्वारा वर्षों से उनका शोषण किया गया है निरन्तर दबाये जाने के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत से लोग ईसाई बन गये हैं। हमारे सभाज में हरिजनों पर अत्याचार अभी भी जारी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'कालन' नामक एक गांव है। यह धर्मशाला पुलिस थाना के अन्तर्गत है। यहां अनुसूचित जातियां तथा सवर्ण हिन्दू दोनों ही रहते हैं। एक दिन अनुसूचित जातियों के एक वर्ग के लोग ईश्वर का भजन करते हुये एक जलूस (मंडली) के रूप में जा रहे थे। अचानक सवर्ण-हिन्दुओं ने हरिजनों को यह कह कर रोका कि "तुम हरिजन हो तुम धार्मिक गीत कैसे गा रहे हो।' उन्हें इस प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हरिजनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें।

आर्थिक दृष्टि से उनकी बुरी दशा के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कि वे बेरोजगार हरिजन युवकों को नौकरी दिलाने के लिये तत्काल कुछ उपाय करें। अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि विभिन्न सेवाओं में हरिजनों को पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जब मैंने इसके बारे में

पूछताछ की तो मुझे उत्तर मिला कि वे उन पदों के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी योजनायें बनाई जायें जिसके अन्तर्गत वे शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा विभिन्न सेवाओं की योग्यता के लिये उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

महोदय, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में भरती के लिये तथा विभिन्न सेवाओं में नौकरी के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी के लिये कुल पदों के 10 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। यह बिल्कुल अपर्याप्त है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अनादि चरण दास : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं .... रक्षा और पुलिस सेवाओं में भी इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उनमें और वीरता का भाव भरने के लिए रक्षा और पुलिस सेवाओं में इस जाति के लोगों को बड़ी संख्या में भरती किया जाना चाहिये। इन लोगों को सर्वाधिक वरीयता दी जानी चाहिये। इसके साथ-साथ इन जातियों के बेरोजगार युवकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये।

सभापति महोदय : श्री दास कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री अनादि चरण दास : महोदय, केवल एक मिनट और।

महोदय ! अन्त में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उड़ीसा में अनुसूचित जाति विकास निगम के कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दें। यह निगम कांग्रेस सरकार के शासन काल में स्थापित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है।

सभापयि महोदय : श्री दास अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये। आपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया।

श्री अनादि चरण दास : महोदय केवल एक मिनट और .... आदिवासियों की शिकायतों की जाच करने के लिये अनुसूचित जनजाति विकास निगम नामक इसी प्रकार का संगठन बनाया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि हमारी सरकार दीर्घकाल से उपेक्षित इन समुदाओं के उत्थान को सर्वाधिक वरीयता देगी।

श्री सुन्दर सिह (फिल्लौर) : मैं जानना चाहता हूं कि कितने बोलने वाले सदस्यों के नाम बाकी हैं और कितना समय बाकी है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सभापति से अपेक्षित नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : सभापति जी, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और अपने विचारों को 10 मिनट के अन्दर ही व्यक्त कर देना उचित समझता हूं।

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के लगभग 33 साल के बाद भी आज हमारे देश के विभिन्न भागों में कहीं साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, कहीं हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, कहीं दबे हुए लोगों पर अत्याचार होते हैं और कहीं पिछड़े हुए लोगों पर अत्याचार होते हैं। वास्तव में यह जो प्रवृति हमारे देश के अन्दर दिखाई दे रही है, इसका उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जमाने से और उस जमाने से जब इस देश को आजाद कराने वाले महान् नेताओं ने तमाम तरह की कुर्बानी देकर, इस देश के लोगों की तरक्की के लिए संघर्ष किया और इस देश को आजाद कराया। उस समय से लेकर आज तक लगातार इस बात के प्रयास किये गये कि लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और मानवता के महानतम सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, उन सिद्धान्तों को अंगीकार करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए अपने आप को लोग मानसिक रूप से तैयार करें लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। लोगों के विचारों के अन्दर जो कुत्सित भावनाएं हैं, उनके उभर जाने की वजह से हमारे देश के अन्दर इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं और इनको रोक पाने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। यह दुखद बात है कि आर्थिक विपन्नता के कारण आज भी अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार होते हैं। वहीं पर आज चुनावों के अन्दर जिस तरीके से लोग जातिगत भावनाओं को फैलाने की कोशिश करते हैं, उसी के परिणामस्वरूप इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न भागों में होती हैं।

चुनावों में अमुसूचित जातियों के लोगों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, किस तरीके से उनको वोट देने से रोका जाता है, ये सारी चीजें देश जानता है। जो लोग इन चीजों को करते हैं, उन्हें भी इन ब्रातों का अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में, खास कर उसके पश्चिमी भाग में हरिजनों को वोट नहीं देने दिया गया। भारत एक गणतात्रिक देश है और इस गणतांत्रिक देश में हर आदमी की आवाज का महत्व है क्योंकि हर आदमी की आवाज पर यहां सरकार बनाने की जरूरत समझी जाती है। लेकिन उसी गरीब आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पिछले चुनावों के समय उत्तर प्रदेश में लोकदल की सरकार कायम थी और उसके नेता हैं चौधरी चरणसिंह जो कि उस समय देश के प्रधान मंत्री भी थे। इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके क्षेत्र में तमाम हरिजनों को वोट नहीं देने दिया गया।

आप बिहार की घटनाओं को देखिये। बेलछी काण्ड, पिपरा काण्ड और पारसबीघा काण्ड को देखिए। इन क्षेत्रों में जिस तरीके से तरह तरह की घटनाएँ हो रही हैं उनमें कौन लोग भाग ले रहे हैं ? वे लोग एक विशेष दल से सम्बन्धित लोग हैं और देश में ज्यादातर धारणा इस बात की है कि वे लोक दल से सम्बन्धित लोग हैं। एक तरफ अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की बात कही जाती है, एक तरफ उनका जीवन बेहतर बनाने की बात की जाती है लेकिन दूसरी तरफ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक लोग इन घटनाओं में भाग लेते हैं और कराते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि जो लोग इन घटनाओं को करते हैं वे पूरे देश के मुंह पर कालिख

लगाते हैं। ऐसे राजनीतिक लोग क्या हिन्दुस्तान को चला सकते हैं ? अब देश की जनता इन घटनाओं को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। (व्यवधान) इन बातों से आपको नाराजगी जरूर है लेकिन आपको और हमें अपने चेहरों को देखना पड़ेगा और पूरी सफाई के साथ आप देखिये कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या वह देशहित में है ? इन चीजों को हम सभी को रोकना पड़ेगा क्योंकि हिन्दुस्तान अब इनको बर्दाश्त करने वाला नहीं है।

मंत्री जी ने कहा है अनुसूचित जाति के 66 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 18 प्रतिशत लोग बन्धुआ मजदूरी करते हैं।

आज इतने साल की आजादी के बाद भी उनकी यह स्थिति है। आज भी इतने लोग बोन्डेड लेबर के रूप में इतने सालों तक काम करते रहे हैं यद्यपि बोण्डेड लेबर की परम्परा समाप्त की गई है और कानूनी तरीके से समाप्त की गई है। लेकिन अभी भी यह देखने की जरूरत है कि क्या सचमुच में वह समाप्त हो गयी है। जो लोग आज भी बोण्डेड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं उनके बारे में सरकार तत्परता से ध्यान दे और इस स्थिति को समाप्त करे। सरकार यह देखे कि किन कारणों से अभी भी यह स्थिति बनी हुई है। चूंकि हमारे अनूसूचित जातियों के भाइयों का जीवन स्तर नीचा रह गया है, हम उनके जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाये हैं इसलिए सरकार को उनकी आर्थिक कठिनाइयों को भी देखना है। मैंने उनकी सामाजिक कठिनाइयों का अभी जिक्र किया है और यह भी बताया है कि इन सामाजिक कठिनाइयों के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं। यह ठीक है कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से भी उन पर अत्याचार होते हैं। उनको आर्थिक रूप से भी अधिक बेहतर बनाना होगा, उन्हें अधिक पुष्ट करना होगा।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लेण्ड रिफार्म्स का सवाल है। लेण्ड रिफार्म्स की बात बहुत की जाती है। लेकिन जो भी जमीन सीलिंग में से निकाल कर उनको दी गई थी उसको भी हरिजनों से छीनने की कोशिश की जाती है। उनकी उस जमीन पर लोग जोर-जबर्दस्ती से कब्जा कर रहे हैं। बहुत सी घटनाएं जो हरिजनों पर अत्यांचार की होती हैं उनके पीछे उनकी भूमि पर कब्जा करना भी एक कारण है। इस भूमि के सवाल को सरकर को सख्ती से निपटाना चाहिए, जो लोग हरिजनों पर अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके साथ सख्ती की जाये। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में उनकी रक्षा करने के लिए हमें वकील नियुक्त करने की जरूरत है ताकि न्यायालयों में उनकी वकालत हो सके। सरकार को यह भी चाहिए कि जहां पर इस तरह के अत्याचार होते हैं वहां पर सामूहिक रूप से जुर्माना करे। स्पेशल कोर्ट का जो कानून है, वह प्रोविजन कायम रखा जाना चाहिए और उस प्रोविजन के तहत उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए ताकि अनूसूचित जातियों और जनजातियों पर जो लोग अत्याचार करते हैं उनको जल्दी से सजा मिल सके। इस दिशा में हमारे समाज सुधारकों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी कार्य करने की जरूरत है ताकि इस बिगड़ी हुई प्रवृति का

उन्मूलन किया जा सके और अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को सुरक्षा दी जा सके।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एन. ई. होरो (खुन्टी): सभापति महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के उपवंध द्वारा राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जतजातियों के आर्थिक हितों की उन्नति विशेप सावधानी से करेगा। राज्य को यह भी निदेश दिये गए हैं कि शैक्षिक और वह सामाजिक अन्याय तथा सत्र प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत राज्य का अर्थ भारत सरकार व भारत की संसद, राज्यों की सरकारें तथा राज्य विधान मंडल और भारत की क्षेत्रीय सीमा में अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय शासन अथवा अन्य प्राधिकरण आते हैं। वर्ष 1977-78 के लिए आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त के तीन दशक बाद भी सरकार यह सब करने में असमर्थ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनके विकास तथा संरक्षण सम्बन्धी दोनो चुनौतियां पूरी नहीं की जा सकी हैं। दूसरी ओर अपराधियों ने उन पर संगठित रूप से आक्रमण करने का रुख अपनाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह एक प्रकार का वर्ग संघर्ष बनता जा रहा है।

योजना आयोग की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी इस का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जो निर्धनता व असमानता व्याप्त है वह अनेक वर्षों से बिल्कुल नहीं बदली है।

अब क्या स्थिति है? मैं यह समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है।

पिछले 32 वर्षों में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को केवल यही निदेश या सलाह दी है कि इन लोगों की देखभाल का जाए। लेकिन इस संबंध में सरकार का भी कुछ उत्तरदायित्व है। यदि आप रिपोर्ट पढ़ें तो आपको यह ज्ञात होगा कि केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों – विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व अन्य मंत्रालयों– ने कई प्रकार की कठिनाइयां और अवरोध पैदा किए हैं और उन्होंने इस संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं होने दी है। मैं यह महसूस करता हूं कि केन्द्रीय सरकार ही इन सब बातों के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें प्रशासनिक गोलमाल है। हम जानते हैं कि नौकरशाही में कुछ अन्तर्निहित अवरोध हैं।

मैं समझता हूं कि यह विचार कुछ सीमा तक उचित ही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों की देखरेख के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए तथा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का समुचित रूप से कार्यान्वयन

हो। ऐसी व्यवस्था इसलिए आवश्यक है ताकि क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पर्यवीक्षा और उनका मूल्यांकन किया जा सके।

आयुक्त की रिपोर्ट में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई है कि आयुक्त का कार्यालय सक्षम नहीं रहा है तथा उसे सुदृढ़ करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि इस संगठन को फिर से वही सुविधाएं तथा अधिकार दिए जाने चाहिए जो इसे कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त थे ताकि यह इन लोगों के हितों की देखभाल कर सके अन्यथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया गया सारा धन व्यर्थ जाएगा, जैसा कि पिछले 32 वर्षों में हुआ है।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को कारगर ढ़ग से लागू किया जाना चाहिए राज्य स्तर पर काश्तकारी कानून अद्यतन किया जाना चाहिए। इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उत्पादक स्रोतों का स्वामित्व अधिकार दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संसाधनों से वेदखल करने की प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन आदेश 1976 की पुन:रीक्षा की जानी चाहिए और उसमें तथाकथित आसाम चाय बागान जनजातियाँ और अन्य समुदायों को भी शामिल किया जाए तथा उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी जाए। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं। उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह भी कहूंगा कि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त किया जाना चाहिए ताकि एक क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति सम्पूर्ण देश की जनजाति मानी जाए। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में मैं विशेषकर यह कहना चाहूंगा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को न्यायाधीश के यहां पर पदोन्नत करने से इन्कार कर दिया है। रिपोर्ट में इस मामले का भी उल्लेख किया गया है।

चिकित्सा संस्थानों अथवा तकनीकी संस्थानों जैसे अनेक संस्थानों में प्रवेश के मामले में इस पहलू का गहराई से अध्ययन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन लोगों को ऐसे संस्थानों में दाखिला मिले।

अन्त में संविधान में ऐसा उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य में विशेषतया उन राज्यों में जहां आदिवासी क्षेत्र हैं वहां अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद् होगी। बिहार में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद नहीं है और रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां केवल दो बैठकें, एक 1975 में और दूसरी 1976 में हुई थी। उस के बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। अत: इस संवैधानिक उपबंध को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन संवैधानिक उपबंधों को पूरी इमानदारी से लागू किया जाए।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त की जो 25 वीं रिपोर्ट पेश हुई है, उस पर मुझे आपने अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

इस 25 वीं रिपोर्ट से पहले भी हर साल इस सदन में पिछले 24 सालों में रिपोर्ट पेश होती रही हैं। मैंने इस रिपोर्ट को देखा है, इसमें लगभग 155 संस्तुतियां और सुझाव दिये गये हैं। इससे पहले की 3,4 रिपोर्टें भी मुझे देखने का अवसर मिला, उनमें भी लगातार संस्तुतियां और सुझाव दिये जाते रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इन रिपोर्टों में जो संस्तुतियां और सुझाव दिये जाते हैं, अगली रिपोर्ट जब पेश हो तो सरकार को इस बात के लिये उत्तरदायी होना चाहिये कि पिछली रिपोर्ट की संस्तुतियों और सुझावों पर कितना अमल किया गया है और कितना शेष रह गया है। यह बात अगर की जायेगी तो निश्चित रूप से जो बार-बार एक ही चीज दोहरायी जाती है, उससे छुटकारा मिलेगा।

मैंने यह देखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हरिजनों पर होने वाले अत्याचार रोकने, कृषि-विकास, रोजगार दिलाने आदि-आदि के सुझाव जो आज की इस रिपोर्ट में हैं, इससे पहले की रिपोर्ट में भी बराबर इन्हीं मामलों पर सुझाव दिये जाते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब हरिजन हैं, अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, उनके बच्चों को समुचित रूप से सहायता और छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। इसमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी अर्थाभाव के कारण हाई स्कूल से पहले ही बीच में शिक्षा रुक जाती है और वह घर बैठ जाते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बीच में उनकी पढ़ाई न रुके।

जहां तक सर्विसिज में आरक्षण का सम्बन्ध है, किसी भी विभाग में आरक्षित क्वोटा पूरा नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में उसके लिए कई सुझाव दिये गये हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि जब तक किसी विभाग में हरिजनों तथा आदिवासियों का क्वोटा पूरा न हो, तब तक नई नियुक्तियों में उन्हें 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाये। आज किसी प्रदेश में 12 प्रतिशत है, किसी में 18 प्रतिशत है। जितना क्वोटा निर्धारित किया गया है, जब उतना ही पूरा नहीं होता है, तो 50 प्रतिशत कैसे पूरा होगा कौन करेगा ? सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

कभी कभी मैं ने अधिकारियों के साथ बैठ कर उनकी बातों को सुना है। वे बहुत जोश-खरोश के साथ कहते हैं कि आप सर्विसिज में आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में गांव-स्तर से लेकर केन्द्र तक जो प्रजातांत्रिक इकाइयां बनी हुई है, क्या उन सब में आपने आरक्षण करवा रखा है। यह सही है कि विधान परिषदों में शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को 18फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया है। यह भी सही है कि जिला परिषदों और विकास-खंडों में आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल विकास-खंडों में से लखीमपुर-खीरी के केवल एक विकास-

खंड में एक हरिजन चुना गया। अगर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होता, तो बहुत से लोग चुने जा सकते थे।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि जिन गांव सभाओं में 30,35 प्रतिशत आबादी हरिजन-आदिवासियों की है, उनमें इन वर्गों के लिए आरक्षण किया जाये, ताकि गांव सभाओं के प्रधान और ब्लाक समिति के प्रमुख के पदों पर भी हरिजन चुने जा सकें।

अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की सूची में सुधार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत आती हैं, लेकिन वही जातियां केरल, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं आती हैं। उदाहरण के लिए पासी जाति उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जातियों में है। मध्य प्रदेश में भी वह शामिल की गई है। लेकिन आन्ध्र प्रदेश में वह शामिल नहीं है। हैदराबाद जैसे बड़े नगर में हजारों व्यक्ति एक मुहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं हैं। इस जातिया विषमता को दूर करने के लिए एक जाति को राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति को सूची में शामिल किया जाना चाहिए, तभी उस जाति का विकास हो सकेगा और राष्ट्रीय स्तर पर लगाव पैदा हो सकेगा।

सदन में मैंने कल भी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में जब श्री बहुगुणाजी मुख्य मंत्री बने, तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को सहायता देने के लिये एक निगम की स्थापना किया था, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यवसाय और रोजगार के सम्बन्ध में सहायता की व्यवस्था की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने उसमें अवरोध उत्पन्न किया, जिससे लोगों को सहायता नहीं दी जा सकी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि केन्द्र से निगम को अधिक से अधिक सहायता दी जाये, ताकि उसके माध्यम से प्रदेश के गरीब और सर्वहारा लोगों को सहायता की जा सके।

जहां तक आवास समस्या का प्रश्न है, पिछली कांग्रेस सरकार ने युद्ध स्तर पर इस समस्या को हल करने का प्रयास किया था। हर ब्लाक क्षेत्र में एक-एक गांव चुन कर उसमें तीन चार मकान बनाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन उन मकानों को गांव से बिल्कुल बाहर बनाया गया। मैंने अनेक गांवों में स्वयं भी देखा है कि आज भी वे मकान खाली पड़े हैं। इस लिए यह जरूरी है कि मकान इस ढ़ंग के बनाये जायें कि एक परिवार उन में ठीक तरह से रह सके। तथा आबादी के मेल में हो। एक कमरे का घर बना कर के आप किसी परिवार को दें जिस में उस की बीबी जवान बच्चे, लड़की सभी लोग रहें, यह शोभा नही देता। एक के बजाय कम से कम दो तीन कमरों का मकान दें जिस में लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था हो, कुछ आंगन हो, कुछ उन के दरवाजे पर स्थान हो जिस में वे कुछ छोटे बड़े जानवर पाल सकें, तभी जाकर उन का भला हो सकेगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होने अनुसूचित जाति और जन-जाति आयोग के आयुक्त की रिपोर्ट को इतनी तत्परता के साथ इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। यह तथ्य इस बात को जाहिर करता है कि माननीय इंदिरा जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिए कुछ ठोस कार्य करने के लिरे तत्पर है। छुआछूत के रोग की बात यहां पर सदन के सामने आई। यह एक ऐसा घाव है हमारे समाज के ऊपर जो सदियों से चली आ रही है। जब तक यह घाव नहीं भरेगा हमारा समाज और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस के विषय में हमें अपने राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना चाहिये। इस को किसी दल विशेष का मामला बना कर सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह सारे समाज का मामला है। मैं तो अपने साथियों से अभी कह रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि जो स्वर्ण मानासिकता है, सवर्णों में जो एक सवर्णपन की मानसिकता विकसित हुई है उस को समाप्त किया जाय। जब तक आप सवर्णों के मन में इस मानसिकता के खिलाफ एक जद्दोजहद नहीं पैदा करेंगे तब तक आप लाख छुआछूत की बात को कहिए यह समाप्त नहीं होगी। इसमें सवर्णों को आगे आना चाहिए, यह राष्ट्र के और समाज के हित में है। जब तक समाज के सीने में इस तरह के छोटे-छोटे फफोले पलते रहेंगे तब तक सामज में एका नहीं हो सकता।

छुआछूत की समस्या वर्ण-व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। इस का इतिहास इतना ही पुराना है जितना पुराना वर्ण-व्यवस्था का इतिहास है और यह वर्ण व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है। आज भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के भाई इस शोपण के शिकार हो रहे हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ उन के मन में एक आक्रोश है, एक ज्वाला है। इस को हमें समझना चाहिए। अगर हम समय रहते इसे दूर करने की कोशिश नही करेंगे और इस के लिए कुछ ठोस और रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर एक विस्फोटक स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को उन के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। जमीन का मामला है। हरिजनों को जमीन देने की बात बहुत बार कही गई और कांग्रेस सरकार ने ईमानदारी के साथ कुछ इस ओर प्रयास भी किए। लेकिन दुख की बात है कि हमारे ग्रामीण अंचल में एक ऐसा नया आर्थिक वर्ग जो कृषक है, समृद्ध है, वह पनप रहा है। वह वर्ग न केवल आज गांवों में पनप रहा है बल्कि उस ने एक राजनैतिक पार्टी भी बना ली है और आज उस वर्ग के लोग सदन में भी आ गए हैं। लोक दल के रूप में तो कैसे हरिजनों के हितों का संरक्षण होगा, इस सवाल पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बांडेड लेबर को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के जरिए समाप्त किया। उन के ऊपर एक जो सदियों से बन्धन था उस से उन को मुक्त तो कर दिया, लेकिन कोई बैकल्पिक व्यवस्था देने की बात नहीं सुझाई गई जिस से उन की रोजी रोटी का इन्तजाम हो सके। बैंकों से कहा जाता है कि हरिजनों को ऋण दें। लेकिन बैंक उन से गारन्टर मांगता है। अब वह लोग गारन्टर कहां

से लाएं। उस अकिंचन के पास गारन्टर कहां से हो सकता है ? इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए।

आज हरिजनों के मूल उद्योग उन से छीन लिए गए। बड़े-बड़े उद्योग आज उन कामों को करने लगे हैं जिन को हरिजन और गिरिजन पहले करते थे। जूता बनाने का उद्योग हरिजनों का पुराना उद्योग था। इस से वह अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन आज बाटा ने जूते बनाने और जूते की मरम्मत का काम अख्त्यार कर लिया। तो कैसे क्या होगा, इस के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो हरिजनों के मूल उद्योग हैं उन को सरकार संरक्षण दे, उन को मदद दे उन उद्योगधन्धो को पनपाने में।

आज हरिजनों का शोषण केवल सवर्णों के द्वारा ही नहीं हो रहा है। हरिजनों का शोषण हरिजनों के द्वारा भी हो रही है। हरिजनों में भी एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जो हरिजनों को मिलने वाली सुविधा के नाम पर बहुत बड़ा अंश उस का हड़प जाता है। मंत्री भी उसी वर्ग का होता है, कलेक्टर भी उसी वर्ग का होता है, उस का भतीजा पुलिस आफिसर भी उसी वर्ग का होता है और एयर होस्टेस भी उसी वर्ग की लड़की होती है। उन लोगों के मन में हरिजनों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा निवेदन है अपनी सरकार से कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को आरक्षण की सुविधा दी जाय हरिजनों में जब तक कि सारे हरिजनों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हो जाती।

मैं आयोग के कमिश्नर महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से कई सवालों और पहलुओं पर इन वर्गों के हितार्थ सोचा है और उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सुझावों पर तत्परता से अमल किया जाय और इन पर अमल करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाय। प्रान्तीय स्तर पर भी इसे देखा जाय। आज एक ऐसी मशीनरी डेवलप करने की जरूरत है जो ईमानदारी के साथ इन चीजों पर जो सरकार की अंशा हो कार्यान्वित करे। उनको अमल में लाये।

मैंने आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे यह देखकर बड़ा खेद हुआ कि देश में करीब 175 पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं लेकिन उनमें किसी भी बड़े पद पर कोई हरिजन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की अण्डरटेकिंग्ज में भी किसी बड़े पद पर कोई हरिजन नही है। जब सरकारी और गैर-सरकारी बड़े पदों पर कोई हरिजन हैं ही नहीं तो फिर उनके हितों को कौन देखेगा ? जिस पुलिस पर हरिजनों की रक्षा का भार है उसमें कांसटेबल से लेकर बड़े अधिकारियों के पदों पर बहुत कम हरिजन हैं यदि कोई हरिजन वर्ग के लोग हैं भी तो वे सवर्ण मानसिकता के शिकार हैं, वे अपने को हरिजन समझना ही नहीं चाहते हैं।

हरिकेश जी ने यहां पर ठीक कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय तनाव है, जातीयता के नाम पर लोकसभा के चुनावों में संविधान द्वारा प्रदत्त वोट डालने का अधिकार का उपयोग हरिजनों को नहीं करने दिया गया। मेरा निवेदन है कि ऐसे तत्वों को रोकने के लिए तथा हरिजनों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करने देने के

लिए एक विशेष पुलिस दस्ते का निर्माण किया जाए। वह पुलिस दस्ता या पुलिस चौकी उन इलाकों में तब तक कायम रखी जाए जब तक कि इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों को बिल्कुल कुचल न दिया जाए अन्यथा हरिजनों में आत्म विश्वास जग नहीं पायेगा।

अब मैं थोड़ी सी बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जनजाति कुथलिया बोरा, पिठौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट ब्लाक में है, उनके रिश्ते, शादी-व्याह जनजातियों के साथ होते हैं लेकिन उनको जनजाति के रूप में मान्यता नहीं मिली हुई है। मेरा आग्रह है कि इस जाति को भी जनजाति की मान्यता दिलाई जाए।

हमारे सीमान्तों पर, इसमें मैं अपने पूर्वांचल के सीमान्तों को भी डालता हूं, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो समान कंडीशन्स में रहती हैं लेकिन उनको जनजाति की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके कारण उनमें बड़ा असंतोष है। मेरी प्रार्थना है कि इस असंतोष को समाप्त करने की शीघ्र कोशिश की जाए।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भोटिया और नान-भोटिया रहते हैं लेकिन वे एक ही प्रकार की कंडीशन्स में रहते हैं। मेरा निवेदन है कि भोटिया लोगों को, जो जनजाति में आते हैं, उनको जो सुविधायें दी जाती हैं वही सुविधायें दूसरे लोगों को भी दी जायें। इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये भोटिया में जो लोग ईसाई हो गए हैं उनको भी भोटिया जनजाति की सुविधायें प्रदान की जायें।

हमारे यहां पिठौरागढ़ में बनरावत नाम की जाति है जिसको जनजाति की मान्यता मिली हुई है लेकिन वह जाति समाप्त हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार की तरफ से किया जा रहा है बल्कि आधुनिकता का फैशन चल गया है और ड्रग्ज बगैरह की जानकारी जो उनको होती थीं उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अतः धीरे-धीरे आर्थिक विषमता के कारण वह जाति समाप्त हो रही है। सरकार उसको संरक्षण देकर समाप्त होने से बचावे।

जौंसार बाबर क्षेत्र में, जोकि ट्राइबल एरिया है, वहां पर जो जाति रहती हैं उनकी महिलायें बहुत सुन्दर होती हैं। इधर के कुछ लोग उन सुन्दर महिलाओं को लाकर लखनऊ और कानपुर में बेचने का धंधा करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाए जायें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी तत्परता के साथ इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और मुझे विश्वास है कि जिस तत्परता के साथ उन्होने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है उसी तत्परता के साथ इस रिपोर्ट के सुझावों पर भी अमल करेंगे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के सम्बन्ध में इस पच्चीसवीं रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं इस हाउस का एक-एक मेम्बर महसूस करता होगा कि 33 साल की आजादी के बाद इस पच्चीसवीं रिपोर्ट में भी वही कंडीशन्ज

लाई गई हैं जोकि आज से 30 साल पहले थीं। सन् 1930 में डा० अम्बेडकर ने राउन्ड टेबल कांफ्रेन्स में लन्दन में कहा था कि अंग्रेजों को हिन्दुस्तान को तब तक आजाद नहीं होने देना चाहिए जबतक ब्रिटिशर्श शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को यह गारन्टी न दे सकें कि आजाद हिन्दुस्तान में हरिजनों एवं आदिवासियों को भी सामाजिक और आर्थिक आजादी मिल जायेगी। डा० अम्बेडकर ने सन् 1930 में राउन्ड टेबल कांफ्रेंस के अन्दर यह सवाल उठाया था और हमारे श्री भोला पासवान जी की 25 वीं रिपोर्ट में जो मैमोरेंडम दिया गया है कि हरिजनों पर अत्याचार और दमन हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है—मिनिमम वेज एक्ट ...जिसके अनुसार जब हरिजन अपने मिनिमम वेज के लिए मांग करता है तो वह पूंजीपति लोग उन हरिजनों की मांग को बर्दास्त नहीं करते हैं और उनको घास और फूस की तरह रोंद देते हैं।

अनटचेबिलिटी एक्ट जो सन् 1955 में बनाया गया था, बाद में उसको नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्दर बदल दिया गया था, उसमें ऐसे प्रावधान रखें गए थे कि हरिजनों के लिए ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिएं, जिससे कोई भी दमनकारी हरिजनों पर अत्याचार न कर पाए, लेकिन आज उसके बावजूद भी हिन्दुस्तान के हरिजनों पर अत्याचार होते हैं—यह बड़े शर्म की बात है। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि इसको पार्टीबाजी या किसी नेता के इन्टरेस्ट का सवाल बनाकर उठाया जाता है। मैं खास तौर से अपनी पार्टी की तरफ से नहीं कहना चाहता, लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नारायण पुर काण्ड के सिलसिले में खुद कहा था कि नारायण पुर के काण्ड के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह सत्ता में रहे। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गाँधी अकेली सब समस्याओं को हल कर देंगी, लेकिन आज जब आप के शासन काल में पिपरा और दूसरे काण्ड हो रहे हैं, तो मौरली श्रीमती इंदिरा गांधी को भी प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिये था। यह नहीं होना चाहिये था कि दूसरी पार्टियों की सरकारों को दोष दे कर गिरा दिया जाय, जब कि आप की अपनी कुर्सी के नीचे पिपरा काण्ड में 14 बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। मैं खास तौर से श्रीमती इंदिरा गांधी से कहना चाहूंगा कि उस काण्ड में भी एक बच्चे का नाम संजय था, जिस को जला दिया गया, शायद उस की मां भी यह सोचती होगी कि कभी मेरा लड़का भी इस देश का प्रधान मंत्री हो सकता है। जब हम ने इस सवाल को यहां पर उठाया तो श्रीमती इंदिरा गांधी बगैर जवाब दिये इस सदन से उठ कर चली गई। आज इस हाउस की एटेण्डेन्स आप के सामने है, वह इस बात का प्रमाण है कि यह समस्या कितनी गम्भीर समस्या है और हमारे मुल्क की एक-तिहाई आबादी का मसला है। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस भयानक समस्या पर विचार करने के लिये इस समय हम लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है, दूसरे लोगों की अपेक्षा। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि जो आग आज हरिजनों में पैदा हो रही है, इस मुल्क के चाहे आदिवासी हों, नागा हों, मीजो हों, वह पूरी बेल्ट हरिजनों और गिरिजनों की यह महसूस करती है कि इस मुल्क में हमारे लिये कुछ नहीं है। आप इस तरह से देखिये—मजदूरी मांगने पर उन को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है उनकी झोपड़ियों को फूंक दिया जाता है और हमारी प्रधान मंत्री जी ने जब पिपरा का काण्ड हुआ तो यह कहा कि इस प्रेजेन्ट सिचुएशन में मैं सदन

को आश्वासन देती हूं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी लेकिन परिणाम क्या निकला ? हम ने उस वक्त भी कहा था कि इस देश की प्रधान मन्त्री को इस प्रकार का गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेन्ट नही देना चाहिए था।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : आप बेलछी के समय कहां थे ?

श्री जगपाल सिंह : यह समस्या एक साल की नहीं है, हमारी प्रधान मन्त्री ने बयान दिया था, इस लिये हम यहाँ पर बोल रहे हैं।

एक बात मैं इस अवसर पर खास तौर से कहना चाहता हूं कि 1975 में जब एमर्जेन्सी लगी थी, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुलिस को हुकम दिया था कि जहां भी तार काटने वाली घटनायें हों, तार चोरों को शूट-एट-साइट किया जाय। इस मुल्क का हरिजन फूंक दिया जाता है और अत्याचार और कत्ल करने वाले लोग खुले आम घूमते रहते हैं, उन को शूट नहीं किया जाता।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सजग हो जाय, अन्यथा आप को 1967 की नक्सलाइट मूवमेन्ट को याद रखना चाहिये। उस नक्सलाइट मूवमेन्ट में 75 प्रतिशत लोग शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के थे। आज भी उत्तर प्रदेश की जेलों में जो 40-50 नक्सलाइट्स बन्द हैं उनमें 30-32 लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। मैं नहीं चाहता कि हरिजन नक्सलाइट्स के रास्तों पर चलें, अगर उन की समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो हिन्दुस्तान के हरिजनों को बाध्य हो कर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, पहली लोकसभा में जिन समस्याओं पर विचार किया गया था, आज 7वीं लोक सभा में भी उन्हीं समस्याओं पर विचार हो रहा है—यह हमारे लिये कितने शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं कि उन के उत्थान के लिये एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जाय। खास कर मैं स्पेशल कोर्ट्स का उल्लेख करना चाहता हूं, तहसील लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्पेशल कोर्टस बनाई जायें जो हमारे हरिजनों पर होने वाली एट्रासिटीज के मामलों पर विचार करें। मैं यह भी मांग करता हूं कि इन केसेज के डिफेण्ड करने के लिये जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाय, चाहे डी० जी० हो, ए० पी० पी० हो या दूसरे अधिकारी हों, उनको शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों में से लिया जाय, जो ईमान्दारी से उन मुकदमों पर कार्यवाही करें। मैं यह भी चाहता हूं कि जो अधिकारी शेडयूल्ड कास्ट्स के कातिलों को सजा न दिलवा पायें, उन के खिलाफ डिस्प्लिनरी एक्शन लिया जाय, उनको सस्पेण्ड किया जाय या उनकी सर्विसिज को टर्मिनेट किया जाय। जब तक इस तरह का अहसास पैदा नहीं किया जायगा कि हर कीमत पर इन अत्याचारियों को सजा दी जायगी और यदि हम उन कातिलों को सजा नहीं दिला सके तो हमारी नौकरी नहीं रहेगी, तब तक यह काम होने वाला नहीं है। इस तरह का आतंक हमें अपने अधिकारियों के मन में पैदा करना होगा, यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो मुल्क में जितनी बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें हैं, शहर और कारखाने हैं—सब उन के आक्रोश का शिकार होंगे, कोई भी बच नहीं सकेगा। मैं आज इस हाउस में हर पार्टी को यह चेतावनी देना

चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हर पार्टी के नेता को भुगतना पड़ेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : ये कांग्रेस वाले मारे जायेंगे। ये गांधी टोपीवाले चुन-चुन कर मारे जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : 32 साल तक तुमने हरिजनों को दबा कर रखा, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इसीलिये मैंने यह चेतावनी दी है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद कर रहे हैं। सभा में प्रधानमंत्री या गृहमंत्री, किसी एक को उपस्थित होना चाहिए था। श्री जैल सिंह को उपस्थित होना चाहिए था। जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद हो रहा है तो संबंधित मंत्री के स्थान पर किसी और को नहीं बोलना चाहिए।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। परन्तु, मझे पूर्ण विश्वास है मंत्री महोदय माननीय सदस्य की भावनाओं को आदर देंगे। श्री राम प्यारे पानिका।

श्री हरिकृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हरिजनों पर अत्याचारों का यही कारण है। आज जब उनकी समस्या पर विचार हो रहा है, तो संबंधित मंत्री जी ही यहां से गायब हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर बैठ जाए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। पर मुझे विश्वास है कि सदस्यों की भावनाओं का आदर किया जाएगा और गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे। श्री राम प्यारे पानिका बहस जारी रखेंगे।

श्री राम प्यारे पानिका (राबर्ट्स गंज) : सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कमिश्नर की जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने कल से अपने बहुत से साथियों के विचार सुने और कमिश्नर महोदय ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसको भी पढ़ा। मैं सर्व प्रथम आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं, जिनके लिये एक बिल –शेडयूल्ड कास्टस एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स आर्डर अमेण्डमेन्ट बिल, 1976 -पेश किया गया था, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह अधूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सन् 1967 में उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में प्रैसीडेंट साहब ने एक स्पेशल नोटीफिकेशन निकाला था और उसमें केवल 5 जन-जातियां घोषित की गई थीं। श्री के० सी० पंत उस समय होम मिनिस्टर थे और उनकी कांस्टीटुयेन्सी में वे थी और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स मान लिया गया था

लेकिन यह जो प्रस्तावित बिल है, इसमें भी उन जातियों को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो जन-जातियां हैं, जिनको वहां की सरकार ने तथा यहां की विभिन्न समितियों ने अध्ययन करके, उनकी एक लिस्ट तैयार की थी लेकिन वे इसमें नहीं हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो नया संशोधन बिल लाया जाए, उसमें उनको शामिल कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में जन-जातियों के मामले में अनोमलीज हैं, असंगतियां हैं और मैं चाहूंगा कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे कि कौन सी जातियां छूट गई हैं और जो छूट गई हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लिस्ट में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जोकि एक प्रदेश में जनजाति हैं लेकिन दूसरे में नहीं। बियार मध्य प्रदेश में जनजाति है लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, जहां 50 हजार आदिवासी रहते हैं, उनको न जनजाति की लिस्ट में रखा है, न अनुसूचित जाति की लिस्ट में रखा है और न ही बैकवर्ड क्लास में रखा गया है। इस तरह से बहुत सी जनजातियां छूट गई हैं।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। हमारे यहां एक निषाद जाति है, जिसको कहीं पर केवट कहते हैं, कहीं पर मल्लाह कहते हैं, कहीं पर बिंद कहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा जी बहकर बंगाल में जाती हैं, इसके किनारे वे बसे हुए हैं और वे नावें चलाकर और मछली मारकर अपना उद्योग-धंधा चलाते हैं लेकिन आज स्वतन्त्रता के बाद यह स्थिति हो गई है कि आवागमन के बढ़ जाने के बाद उनका वह धंधा प्रायः समाप्त हो गया है। फरक्का बांध बन जाने से जो मछलियां समुद्र से आती हैं, वे भी आना बन्द हो गई हैं। ये जो मल्लाह हैं, ये अन्य प्रदेशों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको इनमें शामिल नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश के तीन भागों में ऐसी स्थिति है।

अभी रावत जी बोल रहे थे। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें कोलटा, थार, भोखसा, जांसारी और भोटिया ऐसी जातियां हैं जो लिस्ट में नहीं हैं। लोहार और इस तरह से 19 जातियां हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने ही नहीं बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल कमेटी ने जाकर वेरीफाई किया है कि वे जनजातियों और अनुसूचित जातियों में आती हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि जो एमेंडमेंट बिल प्रस्तावित किया गया था, इसमें उनका नाम नहीं दिया गया है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि वे शीघ्र से शीघ्र इस सदन में एक ऐमेंडमेंट बिल लावें और नये सिरे से जो पिछले 30, 32 वर्षों से सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम हों। उत्तर प्रदेश के तीनों क्षेत्रों में आदिवासी हैं और मैं आप से कहना चाहता हुं कि उनकी हालत बहुत खराब है। हमारे यहां जो जानसौर क्षेत्र है वहां पर जो जानसारी लोग रहते हैं, वे दबे हुए हैं लेकिन ब्राह्मण और ठाकुर सारी फैसीलिटीज उठा ले जाते हैं और जो हरिजन थे, दे आर डिनाइड आल दि फैसीलिटीज। कोलटा और लोहार आदि भी ऐसी जातियां हैं, जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिएं और मैं यह कहना

चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस लिस्ट को ठीक करें और जो हरिजन और आदिवासी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको ऊपर उठावें। यह अच्छी बात है कि मंत्री जी ने फैक्ट्स को छिपाया नहीं है और सही बात कही है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत हरिजन और 5 प्रतिशत आदिवासी हैं। उनके लिए जो फंड्स का एलोकेशन होता है वह नाममात्र को होता है। गोंड, वेगा, खरवार, पनिका, चेरी, पठारी, भील, कोल, सहरिया, घसिया, अगरिया कुछ ऐसी जातियां हैं, जिनको मध्य प्रदेश में और विहार में तो जनजाति स्वीकार किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको स्वीकार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इनको जनजाति उत्तर प्रदेश में स्वीकार करना चाहिए।

(व्यवधान)

मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। मैं आपसे और इस सारे हाऊस से अपील करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने यह आवजरवेशन किया था कि बजट के अनुसार देश और प्रदेशों में जो इनकी आवादी है, उसके हिसाब से पैसा इनको नहीं मिल रहा है। अगर उनको सुविधाएं सुलभ हो जाएं और उनकी आबादी के प्रतिशत के अनुसार उनको धन आवंटित किया जाए, तो इनका समान रूप से विकास हो सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि यह देखा जाए कि कृषि के बजट में से, उद्योग के बजट मे से आदिवासियों के हिस्से में कितना आया, उनको कितना मिला ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो कोटे और परमिट देती है, उनमें से निश्चित तौर पर और निश्चित मात्रा में आदिवासियों को भी कोटे और परमिट देने चाहिए। यही नहीं, आज उनकी दशा भी आप देखें। उन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनका कितना शोषण हो रहा है ? इन सबका कारण है जमीन। जमीन का झगड़ा और जाति-पांत का झगड़ा इन दो प्रमुख कारणों से उन पर अत्याचार होते हैं।

1976 में जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं तो साढ़े तीन हजार अत्याचार हरिजनों पर हुए थे लेकिन उसके बाद जनता शासन में साढ़े आठ हजार अत्याचार हरिजनों पर हुए हैं। यह इस रिपोर्ट में है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए, निश्चित तौर पर एक राय होकर हमें आगे बढ़ना है। मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ट्राइवल एरियाज के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनके विकास के लिए जितनी भी योजना बनी थीं उनका कोई लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। वे जिस रूप में पहले रहते थे आज भी उसी रूप में रहते हैं। आपको उनके जीवन को ऊंचा उठाना होगा। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जितने कमीशन विठाये उनकी 155 संस्तुतियां रिपोर्टों में आयी हैं। यह मैं इसलिए जानता हूं कि एक हरिजन के नाते मैं भी एक कमीशन का सदस्य था। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अब तक जितने सुझाव हमारे आयुक्तों ने दिये हैं उन पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विस्तार से हमारी समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जितनी संस्तुतियां इस रिपोर्ट में दी गयी हैं उन सभी को स्वीकार करके वे हरिजन

ओर आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्मक्रमों को अपनाएं तभी हमारी समस्याएं हल होंगी और हमारा जीवन उन्नत होगा।

अभी पिछले सेसन में हम लोगों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। मैं आप से कहता हूं कि हमारा ड्यु शेअर मिलना चाहिए। थोड़े- बहुत घडियाली आंसू बहाने से काम चलने वाला नहीं है । मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप बेशक हमारे लिए रिजर्वेशन हटा दें लेकिन हमें हमारा शेअर दें। आपके रिजर्वेशन हटाने से हमें कम से कम फोर्थ क्लास की नौकरियां तो मिल जायेगी। रिजर्वेशन की वजह से जो बड़े-बड़े अफसर हैं वे हमें चपरासी की नौकरी पर भी नहीं रखते हैं क्योंकि वे हमें हरिजन समझते हैं और हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं। आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में हरिजनों को दूसरों की किचन में खाना नहीं खिलाया जाता है। आज देहात में अगर कोई शेड्युल्ड कास्ट्स का अफसर जाता है तो उसे शीशे के गिलास में पानी पिलाया जाता है और एक ब्राह्मण चपरासी को दूसरे गिलास में पानी पिलाया जाता है । एक भले हरिजन अफसर को भी शीशे के गिलास में पानी पिलाया जाता हैं। तो हमें इस सारे मामले में एक नये सिरे से काम करना पड़ेगा तभी हमारी समस्याएं सुलझ सकेंगी।

*** श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन)** : अध्यक्ष जी मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की 25वीं रिपोर्ट की ओर आर्कषित करना चाहता हूं।

हमारे देश की स्वतन्त्रता के 33 वर्ष बाद अब तक इस आयोग के 25 प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक प्रतिवेदन में कोई 150 पृष्ठ होंगे। इन सब के सारे सुझावों में से प्रति वर्ष एक-एक सुझाव पर केवल 25 सुझावों पर ध्यान देकर उन्हें कार्यान्वित किया गया होता तो देश के हरिजनों और आदिवासियों की आज जो हालत है, वह न होती।

अध्यक्ष जी, हरिजनों की उन्नति क्यों नहीं होती है ? क्यों छूआछूत हटती नहीं है ? उसके कुछ कारण मैं बताता हूं।

सबसे प्रमुख कारण यह है कि पिछले दस वर्षों से पहिले गांवों में रहने वाले लोगों में हरिजनों के प्रति दया की भावना थी। दस वर्षों के बाद इस भावना में परिवर्तन आया है। वे लोग अब हरिजनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष करने लगे हैं। परिणामतः हरिजनों का जो हाल था, उसमें भी परिवर्तन आ गया हैं। आज हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह हमारे लिए शर्मनाक है। उनको रोकने के लिए मैं जो सुझाव दूंगा उसमें से राजनीतिक रंग लाना नहीं चाहूंगा। किन्तु एक बात अवश्य कहूंगा कि आज हमारा समग्र हिन्दू समाज चाहे कोई भी पार्टी हो, सब हरिजनों को ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखता है।

तीन लोगों की एक टोली है। तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक भाई हरिजन की हत्या करता है, एक भाई पुलिस अधिकारी की हैसियत से जांच करता है और तीसरा मजिस्ट्रेट के रूप में मुकदमा चलाकर फैसला देता है। इस हालत में हरिजनों का कल्याण कैसे होगा ?

* गुजराती में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रीमन्, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज भारत में बसने वाला सारा हिन्दू समाज दिल से हरिजनों की उन्नति नहीं चाहता है। यदि ऐसी ही हालत जारी रही, तो सारा हरिजन समाज इस पर विद्रोह करेगा। परिणामतः इससे देश का नुकसान ही होगा। यह स्थिति बनने के पहले सरकार इस पर ध्यान दें।

मैं इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा :

इस देश में कुल आबादी का 21 प्रतिशत भाग हरिजन है। इसलिए इन लोगों की उन्नति के लिए बजट में 21 प्रतिशत राशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

हरिजनों की सुरक्षा के लिए विशेष अदालतों का गठन होना चाहिए।

आज, आजादी के 33 वर्षों के बाद भी कई शहरों में भंगी भाइयों को अपने सिर पर मैला उठाना पड़ता है। जो हमारे लिए शर्मनाक बात है। इस प्रथा को दूर करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। इस कानून में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर फौजदारी अपराध के रूप में कड़ी कार्रवाही करनी चाहिए।

आज हरिजनों पर बहुत अत्याचार, अनाचार हो रहे हैं। उनकी झोंपड़ियां जलाई जाती हैं, पिटाई की जाती है। इस प्रकार के जुल्मों से उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। दंगों के कारण हरिजनों को जो कुछ नुकसान हो, उसकी पूर्ति के लिए सरकार को पूरी-पूरी सहायता देनी चाहिए।

यदि हम ऊंच-नीच के भेदभाव को दूर करना चाहते हैं, तो इस पर मेरा एक सुझाव है कि इस देश में हरेक व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे जाति सूचक शब्दों को लगाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

भूमि सीमा कानून तथा अन्य भूमि कानूनों के द्वारा प्राप्त भूमि को सरकार उसी स्थिति में हरिजनों को बांट देती है। आम तौर पर इस प्रकार प्राप्त हुई ऊसर बंजर जमीन जोतने के योग्य ही नहीं होती। सरकार को चाहिए कि इस जमीन को जोतने योग्य बनाकर फिर बांटे।

छूआ-छूत का मूल कारण आर्थिक असमानता है। हरिजनों की आर्थिक हालत यदि सुधारनी है तो हमें हरिजनों को लघु उद्योगों में लगाना होगा। उद्योग के लिए 85 प्रतिशत ऋण और 15 प्रतिशत सहायता देनी होगी। ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ही ब्याज लिया जाय। तभी हरिजनों का आर्थिक हाल सुधरेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी 4 प्रतिशत की दर से ऋण मिलना चाहिए।

आज सरकारी नौकरियों में हरिजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की सुविधा है। किन्तु उसका पालन नहीं होता। परिणामतः नियमानुसार नियुक्तियां नहीं होती। इसमें मेरा एक सुझाव है कि जो उम्मीदवार सिलैक्शन में अच्छे नम्बर लाये उसे जनरल कैटेगरी में ले लिया जाये और जो उससे कम हो उसे आरक्षण कोटे में ले लिया जाये।

अस्पृश्यता पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं :

धर्मान्ध हिन्दू समाज के मंदिर हमारे पसीने से बने हैं। दीवारें हमने बनाई हैं, अन्दर बैठा हुआ पत्थर का भगवान हमारे शिल्पियों ने बनाया है। उस भगवान् को जगाने के लिए कच्चे चमड़े की ढोलक हमने बनाई है। इस ढोलक की आवाज सुनकर ही भगवान जागता है। यह ढोंग नहीं है तो क्या है। हरिजनों का नुकसान करने के लिए बुरे इरादे से ही छुआ-छूत की जाती है। इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

हरिजन विद्यार्थियों के लिए 1952 में छात्रवृत्ति की जो राशि मुकर्रर की गई थी, वही आज भी दी जा रही है। उस समय 20 किलो बाजरे का मूल्य केवल तीन रुपये ही था, आज तीस रुपया हो गया है। महंगाई दस गुनी बढ़ी है, फिर भी छात्रवृत्ति की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई। मैं निवेदन करता है कि इस राशि को तत्काल बढ़ाया जाय।

आखिर में मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि कमीशन की रिपोर्ट के सुझाव पर कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए केवल चर्चा से कुछ नहीं हो सकेगा।

यहां तक आने के बाद भी यदि हमारीं उन्नति ही नहीं होगी। किन्तु रोना ही होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। पिछले डेड़ दो महीने से सदन में हरिजनों के प्रश्नों को लेकर काफी हंगामा होता रहा है यदि उस पर अमल नहीं होगा तो उसे केवल घड़ियाल के आंसू ही समझा जायेगा। इस प्रकार का नाटक अब बंद होना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : सभापति महोदय, यह जो शड्यूल्ड कास्टस और शडूयल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की 25 वीं रिपोर्ट पेश की गई है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

25वीं रिपोर्ट आई है और 26 वी रिपोर्ट बनने जा रही है।

जो कमजोर वर्ग के हैं, उन पर अत्याचार होना विल्कुल स्वाभाविक हो गया है, अत्याचार न होना ही अस्वाभाविक है, हम लोगों ने देखा है कि 25 दफा रिपोर्ट आने के बाद भी समस्या जिस जगह पर थी, उसी जगह पर आज भी है।

अब ज्यादा ज्यादतियां कमजोर वर्ग पर होती जा रही हैं। इसका मूल कारण हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि आर्थिक है। मेरे ख्याल से वह दो नम्बर पर आता है। पहला नम्बर राजनीतिक होगा। राजनीतिक परिभाषा ही इसका मूल कारण है।

हमारे देश में जिस समय आजादी आने वाली थी, उस समय भी सारे हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाई लड़ी जाती थी। उस समय मुसलमान भाइयों ने सोचा था कि मुसलमान भाई अलग राष्ट्र बना लेंगे तो उनकी समस्या हल हो जायेगी और वह शांति से आवास कर सकेंगे, ज्यादा उन्नति कर सकेंगे, । इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों ने अपना राज्य बनाया, किन्तु उस मुसिलम राष्ट्र में भी गरीब मुसमानों का उतना ही शोषण हो रहा है जितना इस हिन्दुस्तान में कमजोर वर्ग के गरीवों का हो रहा है।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

सभापति जी, यह सवाल हरिजनों और आदिम जातियों का नहीं है, यह समाज दो भागों में बट चुका है- गरीबों और धनवानों में। गरीबों और शड्यूल्डकास्ट्स लोगों पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं, उनमें इस पूंजीवादी समाज का पूरा हाथ है। वह नहीं चाहते हैं कि जो सवर्ण कहाने वाले हैं, वह उनका कुछ दिन तक साथ दें। जब तक हम लोग अनेक जातियों, धर्म और भाषा के रूप में बटकर रहेंगे, तो वह ज्यादा दिन तक राज्य कर सकेंगे। इन सब समस्याओं का राजनीतिक कारण यही है।

आज जितने भी हमारे शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग यहां पर प्रतिनिधि के रूप में आये हैं, सभी दोष दे रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार का पूरा दोष है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप सरकार से बाहर हैं ?

आप भी तो उस सरकार में शामिल है। आपने भी उसको सत्ता में लाने के लिये हाथ बटाया है, आज भी बटा रहे हैं और आगे भी बटाने के लिये तैयार हैं।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में ऐसा कोई दल नही है, जो पूंजीवादी समाज-व्यवस्था का अन्त कर के हर एक मनुष्य को समान अवसर देने के लिये तैयार हो। ऐसा दल है। हिन्दुस्तान में पहली दफ़ा केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ इन्सानों का सा व्यवहार किया जा रहा है ओर उन्हें आगे बढ़ने के पूरे अवसर दिये जा रहे हैं। हमारे देश में जितने बूर्जवा दल हैं, कांग्रेस (आई.), कांग्रेस (अर्स), जनता पार्टी और लोकदल आदि, उनकी नीति तो यह रही है कि कमजोर वर्गों को अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये एक्सप्लायट किया जाये। इन प्रदेशों से उन दलाल दलों का एक नुमाइंदा इस हाउस में नहीं आ सका है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को, जिनके लिये हम सारा रोना रो रहे हैं, यह विचार करना पड़ेगा कि कौन सा दल उनके लिये लाभदायक होगा, जो उन्हें सुख-सुविधाएं पहुंचाने के लिये कोशिश करेगा।

इस दल के लोग जब उत्तर प्रदेश और बिहार में मार्क्सज्म-लेनिनज्म के प्रचार के लिये जाते हैं, तो बूर्जवा दल उन्हें नक्सलाइट्स कहते हैं। उन्हें गोली का शिकार बनाया जाता है और जेल में उन पर अत्याचार किये जाते हैं। बूर्जवा दल मेहनतकश जनता में जाति, धर्म और भाषा के भेद पैदा कर के उसका एक्सप्लायटेशन करते हैं।

मंत्री महोदय यह स्वीकार कर चुके हैं कि इस सम्बन्ध में यदि कुछ काम किया गया है, तो वह मिशनरियों ने किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन में उनको याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन-काल में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, और जनता पार्टी के शासन-काल में अरुणाचल प्रदेश में, ऐन्टी-कन्वर्शन कानून पास कर के लागू किये गये है। मिशनरी लोग इन वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देते हैं और आदमी बनने के रास्ते में उन्हें आगे ले जाने में मदद करते हैं। इससे बूर्जबा पार्टियों और उनके नुमाइंदों को तक्लीफ होती है। वे सोचते हैं कि अगर ये लोग शिक्षित हो कर अपने हकों के लिये लड़ने लगे, तो फिर हमारे लिए जगह नहीं होगी।

आज इन वर्गों पर जो अत्याचार होते हैं और उनके गांव के गांव जला दिये जाते हैं, आज की स्थिति में यह स्वाभाविक ही है। काली माँ के सामने मेमने की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन आज तक किही पंडित ने यह नहीं कहा है कि काली माँ बहुत शक्तिशाली है, इस लिये उसके सामने मेमने के बजाये वाघ या सिंह जैसे बलशाली जानवर की बलि चढ़ाई जाये। आज की धनवादी व्यवस्था में पच्चीस क्या पचास रिपोर्टों से भी इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। बल्कि आगे चल कर यह समस्या और भी गंभीर हो जायेगी।

बिहार में मिशनरी केरल से आये और उन्होंने वहां पर हरिजनों के लिए स्कूल खोले।

मैं हाल ही में पिपरा गया हुआ था, सासाराम गया था, वहां पर मैंने देखा, वहां हरिजनों के वच्चों को पढ़ाने के लिए जो सिस्टर अपना घर बार त्याग कर के गई हुई थी तीन तीन सौ, चार चार सौ बच्चे जिन के स्कूलों में पढ़ते थे उन सिस्टर्स के स्कूलों पर धावा बोल दिया गया, उन को पीटा गया और उनके सामान की चोरी भी की गई। फादर मैथ्यू को मार दिया गया। इसी तरह मिशनरियों को मध्य प्रदेश में फ्री मूवमेंट की छूट नही है, उड़ीसा में नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। वहां ऐंटी कन्वर्शन ऐक्ट लागू किया हुआ है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि आदिवासियों को, हरिजनो को, बैकवर्ड क्लासेज़ को और दूसरी जितनी गरीब जनता है उसको ज्यादा दिन तक अन्धकार में रखा जाय और ये पूंजीपति वर्ग बढ़ते जायें और ज्यादा से ज्यादा उन का शोषण करते रहें। इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। मेरा यह कहना है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिये हमारे आदिवासियों को, शेड्यूल्ड कास्ट्स को और जो शोपित जनता के लोग हैं उन को एक हो जाना चाहिये, तभी इस अन्याय और अत्याचार को एक जुट हो कर हम समाप्त कर पाएंगे। उसमें हमारी सभी गरीब जनता एक साथ रहेगी। जो उच्च वर्ग के कहलाने वाले हैं, जिन का केवल नाम उच्च वर्ग है लेकिन जिनका स्थान हमारे साथ है, गरीब लोगों के साथ है, वें भी हमारे साथ होंगे। अभी पश्चिमी बंगाल में एक बहुत बड़ा काम इस तरह से हुआ है जिस में बिना वर्ण, बिना वर्ग, बिना धर्म और बिना किसी प्रकार के निषेध के सभी जातियों के लोग एक हो कर आगे बढ़ रहे हैं। सभी शोपित जनता एक साथ चल रही है जो शोषण करने वाले हैं उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिये। ऐसा जब हम करेंगे तभी यह जाति और समाज जो है, जो यह हरिजन आदिवासी इत्यादि इत्यादि के नाम से टुकड़े टुकड़े कर के इन को विचार के लिये लाया गया है इन की समस्या का समाधान होगा।

वेकारों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है ट्राइबल में वह मैं बताना चाहता हूं। 1956 में 7 लाख 58 हजार वेकार थे और 1977 में 1 करोड़ 9 लाख 28 हजार वेकार बन गये। यह संख्या में जो कमजोर वर्ग के आदमी हैं उन की बता रहा हूं उन में कितनों को काम मिला यह आप देखें, उन की परसेंटेज इस प्रकार है - 1956 में 25.07 परसेंट, 1960 में 19.05, 1965 में 22.05, 1970 में 10.16, 1971 में 9.92, 1973 में 6.32, 1974 में 4.71, 1975 में 4.33, 1976 में 5.08 और 1977 में 8.23 परसेंट। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वेकारों की

मंडली बराबर बढ़ती जा रही है । हम जो यहां पर उन के लिये बहस कर रहे हैं और अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं वह ऐसे ही है जैसे चीन देश में कोई आदमी मर जाता है और उसके पीछे कोई रोने के लिये नहीं होता है तो कुछ पैसे दे कर रोने के लिये कुछ आदमी रख लिये जाते हैं । इस तरह पैसे लेकर कुछ आदमी उस के पीछे पीछे रोने के लिये हो जाते हैं । इसी तरह यहां पर जो शोषित जनता है और मेहनतकश जनता है उस के लिए रोने के लिये पार्लियामेंट एक अच्छी जगह है जहां हर वर्ष कम से कम एक बार उस शोषित जनता के लिए आंसू बहाए जाते हैं इस तरह से कि आगे चल कर फिर दूसरे वर्ष रोने के लिये ज्यादा से ज्यादा एट्रासिटीज़ उन के ऊपर हों जिस से और ज्यादा से ज्यादा रोया जा सके । यह अवस्था आज है । इसलिये मेरा कहना यह है कि इस सामाजिक व्यवस्था को ही पलट देने के लिये हमारे जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और दूसरे इस तरह के लोग हैं उन को एक हो जाना चाहिये । सरकार को अगर इतनी ही हमदर्दी उन से है तो कम से कम यह सुविधा दे दें, मंत्री महोदय नोट कर लें, बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं, एक ही काम वह कर दें कि राइट टु वर्क फार आल दि शेड्यूल्ड कास्टस ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ पीपल एंड राइट टु लाइफ का प्राविज़न फंडामेंटल राइट्स में कर दें । फिर वह देखेंगे कि इन की समस्या एक ही महीने में 80 प्रतिशत हल हो जायगी । अगर आप इन का भला चाहते हैं तो यह आप कीजिये । अधिक बोलने के लिये चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, आज जो गिरिजन हरिजन आयोग की 25वीं रिपोर्ट पर बहस हो रही है उसमें मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं । पिछले 33 वर्षों में हम सभी लोगों ने महसूस किया कि गिरिजन हरिजन लोगों की जो तरक्की हम करना चाहते थे वह नहीं हो पाई । 25 बार इस चीज को हम दोहरा चुके हैं और इस बार छठे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी आया है कि इन लोगों की गुर्बत और सामाजिक विषमता अभी तक कम नहीं हुई है । एक तरफ तो सभी लोग मंजूर करते हैं कि यह लोग पिछड़े हुये हैं, इनको जल्दी ऊपर उठाना चाहिये लेकिन दूसरी ओर एक चित्र हमने यह भी देखा है, मिसाल के लिये कुछ दिनों पहले एक कालेज में मुझे जाने का मौका मिला, कालेज में जैसा आप जानते हैं छात्र सवाल जवाब करते हैं तो वहां सवर्ण हिन्दू बच्चों ने मुझ से पूछा कि क्या वजह है जो आपने हरिजनों और गिरिजनों को अपना दामाद बनाना सोचा है । तो आप याद रखिए कि धीरे-धीरे दीगर कौम के लोगों में यह भावना फैलती जा रही है कि हरिजनों और गिरिजनों को कुछ ज्यादा चीजें दी जा रही हैं । एक तरफ तो हम 33 साल में इन लोगों की कोई तरक्की नहीं कर पाये और दूसरी तरफ इन वर्गों के लिये हमने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिससे कि दीगर कौम के लोगों ने इनको अपना दुश्मन शुरू कर दिया है । मैं चाहता हूं यह सदन इस चीज़ पर गौर से सोचे और इसका निराकरण करे । अगर हम इस भावना को नष्ट करना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है और वह यह है कि जैसा गृह मंत्री, ज्ञानी ज़ैल सिंह ने यहां पर बताया था कि हम संविधान संशोधन के द्वारा जो दस साल का समय बढ़ाना चाहते हैं पिछड़ी हुई जातियों को दीगर कौमों के बराबर 10 साल में लाये । अगर उनके इस कथन में सच्चाई है और दिल से वे

इस बात को चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, वे आने बाले दस सालों में इन कौमों को इतना आगे लायें कि वे दूसरे लोगों के साथ हो जायें। अगर वे इसमें नाकामयाब हुए तो याद रखें दीगर कौमें उनके खिलाफ हो जायेंगी। और आज जो जातीय तनाव पैदा हो गया है वह आगे और वढ़ने वाला है।

मैं यहां पर एक आदिवासी क्षेत्र से आया हूं इसलिए मेरे भी कुछ सुझाव हैं। अनुसूचित जातियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन आदिवासियों के बारे में भी हमारे लिए कुछ करना जरूरी है। आप जानते हैं यह लोग जंगलों में रहते हैं। मैं महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूं, और स्टेट्स में भी यह होगा, फारेस्ट डिपार्टमेन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे उद्योग शुरू किये जायें, फारेस्ट बेस्ड, जिनसे वहां पर लोगों को कुछ काम मिल सके। यह बात बिल्कुल सही है और इसको करना बहुत जरूरी है लेकिन में ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखा है, वहां पर मुझे कोई कारखाना नहीं मिला। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीस से पूछा क्या यह सही है कि आपने अपनी मिनिस्ट्रीशिप के टाइम में महाराष्ट्र के आदिवासी पिछड़े इलाके को वचन दिया था कि मराठवाड़ा इलाके में एक मिनी सीमेन्ट प्लान्ट डाला जायेगा तो उन्होंने कहा कि हां, मैंने यह वचन दिया था। मैंने पूछा यह क्यों नहीं हो रहा है, दो साल तक तो आप भी मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सीमेन्ट की लाबी इतनी बड़ी है कि वे मिनी सीमेन्ट प्लान्ट आदिवासी क्षेत्र में खोलने के लिए तैयार नहीं हैं गवर्नमेन्ट को चाहिए कि इन चीज़ों को रोके और पूरे बल के साथ रोके ताकि पिछड़े हुए इलाकों में उद्योग शुरू हो सकें और उनसे लाभ उठाकर वहां के लोग आगे बढ़ सकें।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें कही हैं। रिज़र्वेशन आफ सीट्स जो है वह गवर्नमेन्ट सर्विसेज में और कार्पोरेशन्स में पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वाल्व करना चाहिये। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें अगर हम पिछड़ी कौमों को प्रापर नुमाइन्दगी नहीं देंगे तो इनकी उन्नति नहीं हो सकेगी हमारा कर्तव्य है कि प्राइवेट सेक्टर को हम मजबूर करें कि वे भी कुछ तादाद में इन जातियों के लोगो को अपने यहां भर्ती करें।

कमीशन ने इस बात को भी कहा है कि प्रापर रिज़र्वेशन आफ सीट्स हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिये जितना स्टाफ चाहिये वह भी नहीं दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि 25 साल हो चुके हैं इतने सर्कुलर निकाले गए, इतने आश्वासन दिए गए लेकिन इस बात को पूरा नहीं किया गया।

लेकिन इन सब को देखने के लिए जो एक मशीनरी होनी चाहिए वह आज भी गायब है। मैं आपसे मांग करूंगा कि एक मशीनरी बनाकर कमीशन को दे दें, ताकि वह उस पर कार्यवाही कर सके। मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूं कि यह जो कमीशन का निर्माण होता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर गवर्नमेंट आफ इंडिया से होता है। आपने देखा, जब ब्यूरो आफ पब्लिक

अण्डरटेकिंग से उन्होंने पूछा कि आपके यहां कितने हरिजन बच्चे भर्ती किए गए उन लोगों को इस प्रश्न का जवाव देना मुश्किल हो गया है। अगर आपकीं कारपोरेशन इस तरह का रुख अख्तियार करता है, गवर्नमेंट विभाग और राज्य सरकारों से भी पूछने पर इन बातों को अमल में नही लाता है, तो यह बहुत ही दुःख की बात है। इस लिए मैं मकवाना जी से गुजारिश करूंगा कि वे एक बिल लायें इस तरह का बिल पिछले वक्त लाया गया था, जिसमें हमने यह सोचा था कि इसको कान्स्टीट्यूशंनली एक स्टेचूटरी वाडी हम बनायेंगे, ताकि जब वह गवर्नमेंट से या कारपोरेशन से पूछें कि कितने बच्चे भर्ती किए गए तो उनके लिए यह जवाब देना लाजमी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहां हरिजन और गिरिजन के नुमाइन्दे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां पर यानि संसद में और एसेम्बलियों में जगहें आरक्षित हैं, लेकिन एक ऐसा ही पिछड़ा समुदाय है, जिसको वीकर-सैक्शन कह सकते हैं, अदर वैकवर्ड क्लासेस कह सकते हैं, इन लोगों के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए हैं। यह बड़े दुःख की बात है। मैं माननीय मकवाना जी से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आयोग का निर्माण किया है उस आयोग से कहें कि वह जल्दी से जल्दी सिफारिशें पेश करें, ताकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट पर जो उन्होंने जिम्मेदारी डाली है उसमें वे पूरा सहयोग दे सकें।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में जो स्कीमें मन्जूर की जाती है, उन स्कीमों के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं होता है और पैसा मिलने के बाद भी यह देखा गया है कि सरकार की या पार्टी के लोगों की नीतियां ऐसी होती हैं कि वह काम, वह स्कीम सफल नहीं हो सकती या शुरू नहीं हो सकती। मैं अपने यहां की स्कीम के बारे में माननीय मकवाना जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे ताल्लुके में 133 मवाजियात हैं, जहां पर आदिवासी रहते हैं। वहां दो साल पहले किनवर्ट में एक काटेज–हास्पिटल तीस बैड वाला बनाने की बात थी और उसके लिए कुछ रकम भी रखी गई थी। हमारे बुजुर्ग, जो कि किसी समय में हमारे नेता भी रहे थे, उनको लगा कि किनवर्ट के पास यह काटेज हास्पिटल नहीं होना चाहिए और उन्होंने कोशिश कर के यह सवाल डी. पी. सी. सी. में उठाया और वह काटेज हास्पिटल आज तक नहीं बना। मुझे याद है, ढाई साल का अर्सा हो चुका है, मकवाना जी ध्यान दें—जो आदिवासियों को काटेज हास्पिटल से लाभ नहीं मिल रहा है वह लाभ बराबर मिले और वहाँ के लोगों की तन्दरुस्ती की ओर ख्याल रखें।

मैं आपके माध्यम से फिर एक बार दोहराते हुए कि एक स्टेचूटरी वाडी बनाइए, ताकि कुछ काम हो सकें–नहीं तो बुढ़िया कहती है, सुनता कौन है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हूं, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सागर जिले से चुन कर आई हूं, वैसे में पहले भी तीन

दफा इस सदन में चुन कर आ चुकी हूं और इस बार चौथी दफा चुन कर आई हूं। हमारे सागर ज़िले की सीट हरिजन सीट है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर पिछले दिनों पानी नहीं बरसा जिससे वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। हरिजनों के लिये वहां कुछ भी नहीं बचा है, न उन के पास कोई मजदूरी है, न कोई धन्धा है, दोनों वक्त की रोटी भी उन को मिलनी मुश्किल हो गई है। पिछले दिनों जब मैं उन के पास गई, तो वे लोग मुझ से कहने लगे, ''बाई, ढाई साल में जनता पार्टी ने हमें बड़ा परेशान किया है। हमारे लिये कुछ नहीं किया। जो कुछ हमारे पास था सब लूट कर ले गये। हमारे लिये काम-धन्धें का कोई इन्तजाम नहीं किया, कोई भी मेम्बर हमारे पास पूछने नहीं आया।'' मैंने कहा कि मैं आप के पास आई हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुन कर आई हूं, इस लिये मैं अवश्य तुम्हारी सेवा करूंगी।

सभापति महोदय, पिछले ढाई सालों में इस देश को उजाड़ कर रख दिया, कुछ भी नहीं बचा है। इस लिये में आप से प्रार्थना करती हूं कि हमारे हरिजन और आदिवासियों के लिये कुछ ऐसे काम धन्धे खोले जांय, जिस से वे लोग काम में लग सकें और अपना गुजारा कर सकें।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे सागर जिले में बीड़ी बनाने का काम काफी जोरों से होता था, जिस में हमारी महिलायें भी काम करती थीं। लेकिन अब वह काम बहुत कम हो गया है, पहले उन को हफ्ते में चार दिन का काम मिल जाता था, लेकिन अब दो दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। वहां पर यह काम ज्यादातर गुजराती भाइयों के हाथ में है। मैंने उन से कहा कि उन को यह काम दिया जाना चाहिये, लेकिन उस तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चूंकि इस साल पानी नहीं बरसा है, पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से काम नहीं मिल रहा है, जिस से उसके सामने बहुत कठिनाई पैदा हो गई है। इस लिये मैंने निवेदन किया है कि वहां कोई ऐसा कारखाना लगाया जाय जिस से उन को काम मिल सके, अन्यथा वहां विद्रोह होने वाला है। बड़े लोग, जो धनी हैं, वह तो अपनी गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब कहां जांय?

पिछले दिनों वहां पानी न बरसने के कारण पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। जब इन्दिरा जी हमारे उस क्षेत्र में गई, उसी वक्त वहां पानी बरसा। हम ने कहा—इन्दिरा जी आई, पानी ले आई। इन्दिरा जी के जाने से उन को बहुत तसल्ली हुई और यह उम्मीद पैदा हुई कि अब उन के लिये कुछ होगा।

हमारे हरिजनों को हम ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन जो जमीन दी थी, जनता पार्टी ने उन के पट्टों को कैन्सिल कर दिया, वह जमीन उन से छीन ली गई और खुद उस जमीन को खा गये। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि उन को जो जमीन दी गई थी, वह उन्हें वापस दी जाय, उस के पट्टे उन्हें वापस किये जांय। जिस से वे उन जमीनों में फिर से अपना काम आरम्भ कर सकें।

हमारे यहां जो जंगल का ड़िपार्टमेंन्ट है, जिस को वन-विभाग कहते है, उस के अधीन जो जंगल हैं उन में हमारी आदिवासी महिलायें लड़की लेने जाती हैं, उन को पकड़ लिया जाता है। मैं चाहती हूं कि उन को लकड़ी ले जाने की छूट दी जाय। वे अपने मूड़ पर लकड़ी उठा कर ले जाती हैं उन को अधिकार हो कि वे उस लकड़ी को लेजाकर वेच सकें और अपनी गुजर-बसर कर सकें। इस साल अकाल पड़ा है, इस लिये कम से कम यह सुविधा उन को इस साल अवश्य दी जानी चाहिये।

मैं इस बात को फिर से कहना चाहती हूं कि हमारे सागर जिले की दमोह तहसील और शाहगढ़ में हालत बहुत खराब है। हमारे यहां लोहे का भण्डार निकला है। मैं चाहती हूं कि वहां लोहे का एक बड़ा कारखाना खोला जाय, जिस से वहां की जनता को उस कारखाने में काम मिल सके।

मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत से साथियों ने यहां पर उन बातों को रख दिया है। मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूं कि वे यहां पर ही न बैठे रहें, पार्लियमेन्ट के इस अधिवेशन के बाद वे हमारे इलाके का दौरा करें और स्वयं देखें कि वहां पर क्या हालत है। वे यहां पर बैठ कर गरमा-गरम भोजन करें और हमारे आदिवासियों को कुछ भी न मिले, यह ठीक नहीं है। जब आप उस क्षेत्र का दौरा करेंगे तब आप को पता चलेगा कि हरिजनों पर वहां क्या बीत रही है। किस तरह से उन को मारा जाता है, सताया जाता है, जलाया जाता है।

जब पहले हमारी कांग्रेस पार्टी का राज्य था, तो हमारे हरिजनों की अच्छी तरक्की हुई लेकिन जब जनता पार्टी का राज्य आया, तो उन के राज्य में हरिजनों को लूटा गया। श्री जगजीवन राम जी ने भी हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया और वे प्रधान मंत्री बने नहीं, जबकि वे प्रधान मंत्री बनना चाहते थे। इस तरह से जब उन के राज्य में हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो हरिजनों का नाश हो गया। उधर जब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपना दुखड़ा फैलाया और सिवाय जाटों के दूसरों को नहीं लिया। उन्होंने जाटों के लिए ही सब कुछ किया और हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस तरह से दोनों ने देश को मिटा दिया और जब देश मिट गया और कुछ नहीं बचा, तो हमारा सब सोना खजाने से ले गये, हमारा सारा गल्ला ले गये और अमेरिका से जो पैसा आया वह भी ले गये और सब कुछ ले कर चले गये और जब शासन नहीं चला तो छोड़ कर भाग गये। अगर इन्दिरा जी न होती, तो यह देश नहीं बचता यह देश मिट गया होता और दूसरे लोग चढ़ गये होते। चाहे हरिजन हो, आदिवासी हो, गिरीजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रीय हो या वैश्य हो, इस देश में सब को एक हो कर सुधार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। हरिजन जो हैं, वे तो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं। वे आप के यहां हल जोतते हैं, मजदूरी करते हैं, आप की गाय बकरी हांकते हैं और हमारे यहां की औरते, गोबर पाथती हैं। हमारे हरिजन तो आप के ये सब काम करते हैं और आप लोग मौज मारते हैं। हमारे आदिवासी, हरिजन लोग खेतों में काम करते हैं

और वहां से अनाज लाकर आप के घरों में रखते हैं। उस वक्त छुआछूत नहीं मानते लेकिन वैसे छुआछूत मानते हैं। जब घर पर काम पड़ता है, तो कहते हैं कि बहन जी, हमारे यहां जा कर गोबर पाथ दो और यह काम कर दो और वह काम कर दो। इस तरह से सब काम करवा लेते हैं लेकिन वैसे अगर उन से छू जांए, तो जा कर नदी में स्नान करते हैं, वैसे छुआछूत को मानते हैं। इस तरह से हरिजनों का उत्थान नहीं होने वाला है।

हरिजनों को नाना प्रकार की गाली देते हैं, नाना प्रकार की तकलीफें देते हैं। अगर आप ने हमारी बातों को नहीं समझा, तो कहीं ऐसा न हो कि हम भी एक खंड अलग से बना लें। जैसे ईसाइयों ने बना लिया है, मुसलमानों ने बना लिया है, ऐसे ही अगर हरिजनों का काम नहीं हुआ, तो वे न बना लें। आज एक हिन्दु मुसलमान हो जाता है, तो उसके साथ रोटी खा लेते हैं, आदिवासी के साथ रोटी खा लेते हैं लेकिन अगर कोई चमार है या भंगी है, मेहतर है, तो उसके साथ रोटी नहीं खा सकते। जब काम का समय आता है, तो गले लगा लेगें लेकिन वैसे छुआछात बरतते हैं और अगर कहीं उन से छू जाएं, तो नदी में जाकर स्नान करते हैं। जब तक हरिजनों के साथ ऐसी बातें चलेंगी, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। हमारे पास न जमीन है, न कपड़ा है, न मकान है और न भेड़ बकरी है और न ही हमारे लोगो को नोकरी मिलती है। बडे-बड़े अफसर बनते हैं, तो आप लोग बनते हैं, मिनिस्टर बनते हो, कलकटर, डी॰ आई॰ जी॰, एस॰ पी॰ और सब कुछ बनते हो लेकिन अगर कोई हरिजन पढ़ लिख जाए, तो उसको भी मौका दीजिए। आज तो उनको मौका नहीं दिया जाता है। उनको अच्छी नोकरी भी नहीं है। नौकरी के साधन उनके लिए नहीं हैं लेकिन अगर कोइ हरिजन अफसर बन जाता है, तो नौकरशाही नाक में दम कर देती है और वह हम से जलती है और कहती है कि यह चमार हमारे ऊपर चढ़ कर अफसर बन गया। इस तरह की बाते नही होनी चाहिए। सभापति महोदय आप इस पर गौर करिये, आप इन को समझाइए कि हरिजन और दूसरे सब लोगो को मिल कर चलना चाहिए। आप तो पढ़े-लिखे हैं। जब तक सब मिल कर साथ नहीं चलेंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा और देश पीछे रह जाएगा। देश का सुधार करना है, तो सब को मिल कर काम करना चाहिए, नहीं तो अगर आपस में लड़ते रहे, तो कहीं दुश्मन चढ़ न जाए। इसलिए देश को आगे ले जाने के लिए उनको समझाइए। अगर आप चार रोटी खाते हैं, तो एक रोटी उनको भी खाने के लिए दीजिए। आज तो रोजी रोटी के लिए वे मारे-मार फिरते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती। हर एक प्रदेश में और जिले में यही हालत है। इसलिए मैं आप से अपील करती हूं, पार्लियामेंट के मेम्बरों से अपील करती हूं और सभापति महोदय आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वे ऐसा कानून बनाएं जिससे हरिजन आगे बढ़ें और देश उन्नति करे और यहां पर विदेशी न आने पावे। आप हमारे प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों को मदद दीजिए। हम आपकी सेवा करेंगे। अपने देश के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जब कभी देश पर खतरा आता है, तो आप लोग छोड़ कर भाग जाते हैं लेकिन हम में शक्ति है, जितनी शक्ति हरिजनों में है, उतनी आप में नहीं है। अगर हरिजन न होते, तो देश आगे नहीं

बढ़ता। हरिजनों ने सारे देश को बचाया है। इसलिए हम लोगों को उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए।

मैंने जो टूटी-फूटी भाषा में अपने विचार रखें हैं, उन पर मंत्री जी ध्यान दें। आप इनको समझाइए और तभी स्थिति सुधर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे पहली बार इस सदन में कुछ कहने का मौका मिला है। मान्यवर, राज्य मंत्री श्री मकवाना साहब ने कल इस सदन में अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक रूप से हरिजनों को समृद्ध बना दिया जाए तो संभवतः इस मुल्क के हरिजनों का कल्याण हो जाएगा। महोदय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया है कि 66 परसेंट बन्धुआ मजदूर हरिजनों में हैं और 18 परसेंट अनुसूचित जन-जातियों में हैं। किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इन बन्धुआ मजदूरों के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि इस बन्धुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म किया जा सके ?

महोदय, दो दिन से, या यह कहा जाए कि जब से यह सत्र प्रारंभ हुआ है तब से रोज एक-न-एक हरिजनों पर हुये अत्याचार की घटना की इस सदन में चर्चा की जाती है। कभी पिपरा काण्ड की, कभी पारसबीघा काण्ड की, कभी अलीगढ़ काण्ड की और कभी किसी और काण्ड की। लेकिन इन सब काण्डों में आज तक केवल एक-दो लोगों की धरपकड़ की गयी। हमारी प्रधान मंत्री जी ने, जिन्होंने कि पिछले दिनों यह वायदा किया था कि यदि मेरी सरकार होगी तो हम हरिजनों को सुरक्षा की पूरी गारन्टी देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया।

बम्बई के फ्रीप्रेस जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 3,609 हत्याएं, 2,305 बलात्कार 1,35,200 चोरियां, 5,795 लूट और 1,324 डकैती की घटनाएं केवल दो वर्षों में हरिजनों के साथ मध्यप्रदेश में हुईं। यह एमर्जेंसी और उसके बाद का काल था। महोदय, बाप के सामने बेटी के साथ बलात्कार किया गया, भाई के सामने बहिन के साथ बलात्कार होता रहा लेकिन बाप और भाई विवश होकर देखते रहे। हरिजनों के सम्बन्ध में यह हमारे मुल्क की अवस्था रही है। इसके बावजुद भी हमारा देश और हमारी सरकार खामोश रही और इसलिए यह सरकार खामोश रही क्योंकि वे अत्याचारी नान हरिजन थे। आज हरिजनों के लिए तमाम उपाय बताये जा रहे हैं और यह रिपोर्ट भी प्रकाशित की गयी है। समझ में नहीं आता कि इस बर्बादी और बलात्कार की समाप्ति क्या ऐसी रिपोर्ट मात्र छाप देने से हो जायेगी ?

महोदय, जहां तक हम समझते हैं कि इस हाउस में दो दिन की चर्चा के दरम्यान तीन बातें हरिजनों की तरक्की के लिए कही गयी है। एक तो सबसे पहले उनकी आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की कही गयी है। दूसरी बात राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की बात कही गयी और तीसरी बात सामाजिक शक्ति प्राप्त करने की कही गयी है। हमारे मंत्री जी ने जिन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया उन्होंने आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की बात कही और

कुछ माननीय सदस्यों ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कही। लेकिनमैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल आर्थिक और राजनीतिशक्ति प्राप्त करने से ही हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। जब कि सब से पहले जरूरी है कि उन्हें सामाजिक शक्ति प्राप्त हो।

आज मुझे दो साल पहले की एक बात याद आ रही है जब कि हमारे बाबू जगजीवन राम जी इस देश के रक्षा मंत्री थे तो वे बनारस गये थे। यह बात मैं एक नजीर के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके पास देश की सबसे बड़ी शक्ति की ताकत थी और आर्थिक रूप से भी एक रिक्शा चलाने वाले अथवा एक मजदूर के रूप में काम करने वाले हरिजन से कहीं बहुत ही ऊंचे थे। यह दोनों अधिकार उन्हें प्राप्त थे। उन्हें आर्थिक शक्ति भी प्राप्त थी और राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त थी। लेकिन जब वे बनारस गये, मैं नहीं जानता कि इस हाउस में मुझे यह बात कहनी चाहिए, या नहीं तो उनसे यह कहा गया कि "जग्गू चमार वापस जाओं, वापस जाओ। दिल्ली से चमरा लाया संदेश, भैंस चराये राम नरेश जूता पालिश कौन करेगा– चमार करेगा, चमार करेगा। यह वहां के तथाकथित ब्राह्मणों ने कहा था और माननीय कमलापति त्रिपाठी के जो घर के लोग हैं उन्होंने कहा था। यह शब्द इसलिये कहे गये क्योंकि उनके पास सामाजिक शक्ति नहीं थी। अगर सामाजिक शक्ति होती तो उनके लिये यह शब्द न कहे जाते।

हरिजनों और दबे हुए लोगों को दबाने और जलाने में धर्म और वर्ण व्यवस्था का हाथ है। सबसे पहले हमें धार्मिक ग्रन्थों पर विचार करना होगा। मैत्रियानी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, आपस्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णु स्मृति में अत्यन्त आपत्तिजनक श्लोक हैं। इन्हें तुरन्त निकाल देना चाहिये। जब तक इन स्मृतियों में से हरिजनों के लिये प्रयुक्त अपमानजनक शब्द नहीं निकाले जाते तब तक हरिजनों पर अत्याचार निरंतर होता रहेगा। कुछ धर्म ग्रन्थों के उदाहरण मैं यहां देना चाहता हूं, बहुत से विद्वान सदस्य यहां बैठे हुए हैं वह लोग सम्भवतः उन शब्दों को जानते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी सम्भवतः न जानते हों, क्योंकि उन्होंने कल अपने भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। मनुस्मृति अध्याय 8 (267-268) में लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य को गाली दे तो उसको प्राण दंड देना चाहिये। 31/156 के अनुसार शूद्र शिष्य को पितृ कार्य में न बुलाये। अध्याय 4, श्लोक 78-81 के अनुसार शूद्र को शिक्षा देने वाला व्यक्ति असंवृत नामक नर्क में गिरता है। सम्पत्ति के बारे में मनु का निर्देश है कि ब्राह्मण शूद्र की सम्पत्ति निःसंकोच ले ले। अध्याय 8/417 के अनुसार शूद्र की सम्पत्ति देख कर ब्राह्मण को जलन होती है। अध्याय 10/129 के अनुसार शूद्र न्याय न करे। यदि करता है तो देश में अकाल पड़ेगा। 8/20 में है कि शूद्र का एक धर्म है मात्र सेवा करना। श्लोक 2/31 के अनुसार ब्राह्मण चार, क्षत्री तीन, वैश्य दो और शूद्र एक औरत रख सकता है। 3/13 के अनुसार शूद्र के राज्य में निवास करने पर नरक मिलता है। इसी प्रकार एक जगह यह कहा गया है कि दस कसाई बराबर 1 तेली, 10 तेली बराबर एक कलवार, 10 कलवार बराबर एक बहरुपिया या वैश्या का नौकर नीच है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) **:** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य ।

सभापति, श्री चन्द्रजीत यादव : क्या माननीय सोनकर जी, आप बैठ रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जी नहीं ।

सभापति : माननीय सदस्या जी, वह यील्ड नहीं कर रहे हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी वर्ण व्यवस्था की खराबी के कारण ही यह सब बुराइयां हैं और अगर हमारे धार्मिक ग्रन्थों से इस प्रकार की चीजें नहीं निकलती हैं तो हरिजनों पर रोज अत्याचार होते रहेंगे, उनके घर जलाये जायेंगे, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार होते रहेंगे । यदि वह हरिजन है तो उसको सुनकर दर्द तथा शर्म ही आयेगी इसलिये कि उसको सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती ।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हरिजनों की रक्षा के लिये, उनमें आत्म विश्वास पैदा करने के लिये, हरिजनों के आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिये सब से पहले रोटी बेटी की समस्या को आप हल करें । उच्च सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिये नियम हो कि वही व्यक्ति उच्च सरकारी सेवा में पहुंच सकते हैं जिसके परिवार का कोई सदस्य या वह उसने स्वयं हरिजन महिला से शादी की हो ।

व्यवसाय के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्दा काम हरिजन भाई प्रायः हाथ से करता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के काम के लिए बहुत से यंत्र विदेशों में मिलते हैं, उनको यहां पर मंगवाया जाये और यहां भी गन्दा काम उन यन्त्रों के द्वारा कराया जाए । साथ ही यदि इन गन्दे कामों के लिये यन्त्रों की सुविधा प्रदान की जाती है तो उस काम को करने वालों के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन की स्वीकृति दी जानी चाहिये जिससे ऊंचे वर्ण का व्यक्ति भी उस काम को आकर कर सके और इससे हरिजनों की आत्म-हीनता दूर हो सके ।

मेरा यह भी सुझाव है कि धार्मिक ग्रंथों में संशोधन किया जाये । इसके अलावा हरिजनों के लिए समाज-कल्याण मंत्रालय बना हुआ है और हरिजनों के लिए वित्त निगम भी बना हुआ है । माननीय मंत्री जी ने उसकी बहुत काफी चर्चा की है और यह भी बताया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जब 1975 के पहले प्रधान मंत्री थीं, तो उन्होंने ऐसे निगमों की स्थापना की थी । मैं यह देख रहा हूं कि जितने इस प्रकार के निगम बने हुए हैं, उनके अधिकारी सभी ब्राह्मण व उच्च वर्णों के लोग हैं । इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं :

'जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई । वह कभी भी इस प्रकार की बातों को जान नहीं सकते और वहां आये दिन अन्याय होते रहते हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उस पर ध्यान देकर, हरिजनों के कल्याण के लिए जो संस्थाए बनाई गई हैं, उनमें उच्च अधिकारियों के पद पर हरिजन भाइयों को ही नियुक्त करेंगे ।

मैं यह भी सुझाव देता हूं कि प्रचलन में हरिजन शब्द को न लाया जाये । हमारे संविधान में कहीं भी हरिजन शब्द नहीं लिखा है । हर जगह अनुसूचित जाति शब्द लिखा गया है । हम लोग

अपने आये दिन के व्यवहार में हरिजन-हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं यह नहीं समझ पाता कि यदि कुछ लोग हरि के जन यानि भगवान की औलाद हैं तो वाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं ?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हू कि वह तत्काल कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हरिजन शब्द पर पाबन्दी लगा दी जाए और हरिजन न कहकर अनुसूचित जाति अथवा शेड्यूल्ड कास्ट शब्द कहा जाये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि उन्नति का सब को समान अवसर दिया जाए। पदोन्नति में हरिजनों को आगे लाने के लिए विशेष कोटे निर्धारित किये जायें जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार किया था। सेवा–नियमों आदि में परिवर्तन किया जाए।

इस मुल्क में साढ़े 3 करोड़ खटीक जाति के लोग रहते हैं और यह देश में चारों ओर पाये जाते हैं। मैंने अनुसुचित जातियों से संबंधित फिगरों में देखा है कि महाराष्ट्र, बिहार आसाम व कुछ हरियाणा के भागो में खटीक जाति के लोग शेड्यूल्ड कास्टस में नहीं हैं। मैं यह मांग करता हूं कि जहां यह डेढ़ करोड़ के लगभग खटीक जाति के लोग शेड्यूल्ड कास्टस में नहीं हैं, कम-से-कम उन लोगों को शेड्यूल्ड काल्टस में शामिल किया जाये।

आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

श्री दलबीर सिह (शहडौल) : माननीय सभापति जी, आयुक्त द्वारा जो 25वीं रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है, उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए में खड़ा हुआ हूं।

आज हमारे भारत की 50 फीसदी जनता गरीब है और गरीबी की सीमा के नीचे अपना जीवन बसर कर रही है। वे गरीब लोग आदिवासी और हरिजन है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने और कुछ विरोधी भाइयों ने कहा और बार-बार वह इस सदन में लाये हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी पिपरा कांड को देखने नहीं गई। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि 1977 में मध्यप्रदेश में वस्तर में आदिवासियों के 13 लोगों को गोली से मार दिया गया था तो क्या उस समय श्री मोरारजी भाई वहां उन्हें देखने के लिए गये थे ? दीवाली के दिन रतलाम के पास कनाड़िया में हरिजनों पर अत्याचार किया गया। क्या श्री मोरारजी देसाई वहां गये थे ? इन बातों से यह मसला हल नहीं होगा। हरिजनों और आदिवासियों पर जो दिन-प्रति-दिन अत्याचार हो रहे हैं, हम सब को राग-द्वेष के ऊपर उठ कर उनके बारे में विचार करना होगा।

मैंने इस रिपोर्ट में देखा है कि केन्द्रीय शासन में हरिजनों का क्वोटा 15 प्रतिशत और आदिवासियों का 7.5 प्रतिशत रखा गया है। लेकिन क्या वास्तव में हरिजनों और आदिवासियों को उतने स्थानों पर रखा गया है ? किसी भी मंत्रालय में सब से ज्यादा नियुक्तियां 12.67 पर-सेंट हैं। यह भी बहुत कम है। 13 मंत्रालयों और दफतरों में नियुक्तियों का क्वोटा आधे से भी कम है। 8 मंत्रालयों और दफतरों में हरिजनों और आदिवासियों का क्वोटा केवल 1 प्रतिशत है।

उनके नाम इस प्रकार हैं : कैबिनेट सचिवालय, संसदीय कार्य, इलैक्ट्रानिक्स आयोग, उपराष्ट्रपति कार्यालय, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, अन्तरिक्ष और अणु ऊर्जा, पेट्रोलियम विभाग । इस तरह हरिजनों और आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है । 34 मंत्रालयों और दफतरों में वास्तविक नियुक्त का प्रतिशत 3 से 7.5 प्रतिशत के बीच है ।

इस रिपोर्ट में हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्तियों का जो प्रतिशत दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है । यह भी देखना चाहिए कि उनका जो क्योटा दिखाया गया है, क्या उतने हरिजन तथा आदिवासी उन जगहों पर हैं ।

इस रिपोर्ट में रोजगार कार्यालय की 1977 की एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि हरिजनों को 55 प्रतिशत और आदिवासियों को 35 प्रतिशत नौकरियां दी गई हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रोजगार कार्यालय द्वारा ये जो आंकड़े दिये गये हैं, क्या वे सही हैं ।

हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की आबादी 40 प्रतिशत है । पहले वहां पर 33 सब-प्लान बनाये गये थे और अब 50 सब-प्लान चल रहे हैं । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सामान्य बजट में हरिजनों और आदिवासियों के लिए पहले 22 प्रतिशत और अब 33 प्रतिशत रखा जाता है, लेकिन इस वर्ष, 1980 में, उसमें से 25 करोड़ रुपया लैप्स होने जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कागजों पर धन राशि दिखा देने से ही हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा । यह आवश्यक है कि किसी फिनांशल यीअर में उन लोगों के लिए जो धन राशि निर्धारित की जाये. वह लैप्स न होने पाये और उसको उसी मद में खर्च किया जाये । यह नहीं होना चाहिए कि हरिजनों और आदिवासियों के सब-प्लान के लिए रखा गया पैसा दूसरी मदों में डाल दिया जाये ।

मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों को छोटे उद्योग-धंधे शुरू करने के लिए कितने लाइसेंस दिये गये हैं । जब तक उन लोगों की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा जायेगा, तब तक उनकी उन्नति नहीं हो सकती है । आज वर्गभेद की बातें क्यों होती हैं, ऊँचे लोग क्यों और ऊँचे जा रहे हैं और निचले तबके क्यों और नीचे जा रहे हैं ? जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, वहां 56 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं । वहां मवेशी तक मार कर लोग खा गए हैं और शासन वहा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । आज जो आदिवासी ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, अगर उनको स्लोगन लगाना नहीं आता, नारेबाजी करना नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी तरफ ध्यान न दिया जाय । वहां पर हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि जिस व्यक्ति के पास गल्ला नहीं है, खाने को नहीं है उसको मदद पहुचाएँ । आज जो बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कल-कारखाने हैं, आदिवासी और हरिजन इसीलिए वहां दौड़े आते हैं कि शायद हमें एक समय का भोजन मिल जाय । तो यह आपको और हमको खास करके देखना चाहिए ।

आप देखें अस्पृश्यता निवारण के लिए एक आयोग 1969 में बना। उसने सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया, रिपोर्ट दी कि कानून से, संविधान से हम इसका अंत करेंगे और हमारे यहां छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। यह क्यों बनी हुई है, इसके ऊपर हमको और आपको सबको गहराई से विचार करना होगा। हिन्दुस्तान में करोड़ों हरिजन और आदिवासी हैं जो सीमांत किसान हैं। मैं प्रधान मंत्री जी की सराहना करता हूं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम को फिर से लागू किया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में एम. पी. लैंड रेवेन्यू एक्ट को संशोधित कर कुछ नियम ऐसे बनाए गए थे जिनके अनुसार 1959 में जितने भी बड़े लोगों ने छोटे व गरीब हरिजनों की जमीन ले ली थी या जिनकी जमीन सेल डीड मोर्टगेज थी, उनको निरस्त करके फिर वह जमीन उनको वापस की जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि और भी दूसरे प्रान्तों में ऐसा कानून न हो तो वहां भी वह बनाया जाय। लेकिन इस कानून में एक चीज यह होनी चाहिए कि इसके प्रचार और प्रसार के लिए कुछ और राशि हो ताकि हम ग्रामीण अंचलों में इसका प्रचार और प्रसार करें तभी हरिजनों और गिरिजनों को इसका फायदा होगा। इससे उनको पता चल सकेगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या कानून बनाया है और हम किस तरह आगे चलकर अपने राइट्स को ले सकते हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं।

एक बात सिचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सिंचाई का प्रबन्ध हिन्दुस्तान में अभी केवल 25 प्रतिशत हुआ है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जिन ग्रामीण अंचलों में आदिवासी रहते हैं वहां जो पेरेनियल नदियां और नाले हैं जो माइनर इर्रीगेशन के तहत आते हैं, उनके द्वारा सिंचाई का प्रतिशत उठाकर देखें तो एक प्रतिशत केवल आता है। इसी तरह मैंने पहले भी इस सदन के समक्ष यह बात रखी थी कि जिस तरह से रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है उसी तरह से एक रूरल रोड़वेज कारपोरेशन बनाना चाहिए ताकि मीन्स आफ कम्युनिकेशंस अच्छे हों, तभी आदिवासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और उससे उनके आचार विचार और संस्कृति में बदलाहट आ सकती है।

हमारे यहां नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। खासकर मध्य प्रदेश में इतना जंगल भरा पड़ा है, कोयला है, पानी है, बिजली है सब कुछ है, लेकिन वहां जो 40 प्रतिशत आदिवासी बसते हैं उनका जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है और वे और भी नीचे दबते चले जा रहे हैं। उनके लिए मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे वीकर सेक्शन्स को, बैकवर्ड क्लासेज को और आदिवासियों को छोटे छोटे उद्योगों के लाइसेंस दिए जायं जिससे उनकी आर्थिक दशा सुधरे और हमारा समाज एक अच्छा समाज बने। जिला स्तर और प्रान्तीय स्तर ही नहीं, तमाम हिन्दुस्तान में एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो। ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से भी हमें कानून और व्यवस्था को देखना होगा। इस आयोग के माध्यम से बहुत अच्छी बातें कही गई हैं लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं यह हमको और आपको देखना होगा। केवल आंकड़े बता देने से काम नहीं चलने वाला है कि आदिवासियों और हरिजनों को

इतनी धन राशि हमने दी । मैं इतना ही कहना चाहता हूं । आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के आयोग की 25वीं रिपोर्ट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया । मैंने इस रिपोर्ट को आदि से अंत तक पढ़ा और मैंने देखा कि स्थिति का जो आकलन उसमें हुआ है वह बहुत ही सुन्दर चित्रण किया गया है । इस माननीय सदन में भी माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव आए हैं उनको भी मैंने सुना । इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने यह देखा कि आज भारत की जनसंख्या का पचास प्रतिशत गरीवी की सीमा रेखा से नीचे है । अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उसमें सवसे पिछड़ी हुई हैं । इनकी दशा बड़ी दयनीय है । हिन्दुस्तान में इन जातियों के 16 करोड़ लोग हैं, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी इनकी दशा दयनीय अवस्था में है ।

इस रिपोर्ट में अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए चार मुद्दे रखे गए हैं—आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक । यह चार सोपान हैं, इन पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं, इनको मापक मानते हैं तो मैं आशा करता हूं इन जातियों का उत्थान भविष्य में हो सकता है लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 33 वर्षों में इनके विकास की जो गति रही है वह बहुत धीमी है । भविष्य के आंकड़ों के आधार पर 1982-83 में 20 प्रतिशत लोग गरीवी की सीमा रेखा से आगे बढ़ सकते हैं और 1987-88 में यदि यही गति रही तो 12 प्रतिशत और लोग गरीवी की सीमा रेखा से आगे बढ़ सकते हैं । यदि इस गति के आधार पर 30 प्रतिशत लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से आगे लाना चाहते हैं तो एक दशक का समय और लगेगा । इतना समय तो तब लगेगा जब योजना के आधार पर जो समुचित व्यवस्था की गई है उसको लागू करते हुए सुधार करेंगे और तभी वह आगे बढ़ सकते हैं ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की जो आर्थिक अवस्था है वह बड़ी दयनीय है । मैं भारत के अन्य क्षेत्रों के बारे में तो अधिक नहीं बता सकता लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आज तक हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के लिए कुओं की व्यवस्था नहीं है । पोखरे और तालावों से ही उनको पानी लेना पड़ता है । उत्तर प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से व्यवस्था की गई थी कि हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के लिए कुओं का निर्माण किया जाये । लेकिन बीच में जब जनता या लोकदल की सरकार आई तो उस योजना को समाप्त कर दिया गया । मेरा अनुरोध है कि उस योजना को पुन: चालू किया जाए ताकि हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो सके ।

एक और बड़े शर्म की बात है —मैं भारतवर्ष के अन्य भागों की बात नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में कहना चाहता हूं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी वहां के हरिजन गोवर से अनाज निकालते हैं, जिसको आप गोबरहा कहते हैं और उसको खाते हैं । मैं सरकार तथा इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मनोवैज्ञानिक

विश्लेषण करना होगा तभी हम इनकी आर्थिक अवस्था में सुधार कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी होगी ताकि गरीबी की सीमा-रेखा के नीचे जो लोग दबे हुए हैं शोषित हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। इस प्रकार से जब हम देहातों में जाते हैं तो देखते हैं कि रिपोर्ट के आधार पर 37 लाख लोगों को आवासीय भू-खण्ड दिए गए हैं। तब हमने यह निवेदन किया कि ये आवासीय भू-खण्ड हमें मकान बनाने के लिए निःशुल्क दिए जायें। मेरा आपसे निवेदन है कि एक योजना आवासीय निर्माण के लिए चलाइए और उस योजना में जो भी अनुदान दिया जाए, वह अनुदान 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में उनको मकान निर्मा० के लिए उस योजना में व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय चकबन्दी की व्यवस्था चल रही थी, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे मेरी बातों पर गौर करें, जब मैं उत्तर प्रदेश में विधायक था, उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने तीन-तीन डिसमिल जमीनें दी थी, उन पर मकान बनाने के लिए और भूमिहीनों के लिए जमीन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। उन हरिजनों से आवासीय जमीनें छीन ली गई हैं। तकलीफ की बात यह है और सभी लोग महसूस करेंगे कि जहां पर हरिजन आबादियां है, माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें, वे हरिजन जो दूसरों की जमीनों पर बसे हुए हैं, वे कहते हैं कि यह हमारी जमीन है, उस जमीन को सी० एच० चकबन्दी में लिखा लिया है और जब चाहते हैं, कह देते हैं कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है, इसको खाली करो, ये जमीनें हमारे नाम से हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि जिन जमीनों पर सी० एच० लिखा हुआ है, लेकिन उन जमीनों का मालिक कोई दूसरा ही व्यक्ति है, लैण्ड-ला में एसी व्यवस्था करके आप उसको खत्म कराइए, यदि आप उनको सही रूप में उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं।

इसके बाद मैं पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। क्या यह हमारे समाज में हमारे लिए और इस सदन के लिए कलंक की बात नहीं है, कि हमारी आजादी को आज 33 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हरिजन अपने सिर पर मैल ढोता है। मान्यवर, सन् 1961 की जनगणना के आधार पर और इस रिपोर्ट के आधार पर करीब 10,40,193 ऐसे लोग थे जो पाखाना ढोने वाले थे और जिसमें से 82,336 ऐसे व्यक्ति थे जो सिर पर मैल ढोने और झाड़ू लगाने का काम करते थे। इस संबंध में मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं, वह सुझाव यह है कि नगर-पालिकाओं द्वारा यह सिर पर मैल ढोने की परंपरा को समाप्त कराया जाए। मैं चाहता हूं कि वे अस्वच्छ और सूखे शौचालय जलयुक्त-शौचालय बनाये जायं। ताकि जो गन्दगी है, वह समाप्त हो जाय।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को आपके माध्यम से सुझाव दिया जाय कि वे विशेष निगमों की स्थापना करके शहरों में जो नगरपालिकायें हैं, टाउन एरिया कमेटीज हैं उनको सहायता दें ताकि वे संस्थायें इस परम्परा को समाप्त कर सकें।

आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय आयुक्त श्री शिशिर कुमार जी ने अपनी रिपोर्ट में वहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। उनके वक्तव्य के आधार पर इस माननीय सदन के वहुत से सदस्यों ने भी आरक्षण के सम्बन्ध में वहुत सी बातें कही हैं। आरक्षण अवश्य है, हमारे संविधान में भी अंकित है, लेकिन प्रश्न यह है कि आरक्षण के आधार पर कितने प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है। 1975-76 में जब मैं उत्तर प्रदेश की असेम्वली का मेम्वर था—मैं उस समय का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं गोरखपुर जिले के वासगांव निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, मैंने उस समय गोरखपुर जिले के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि गोरखपुर जिले में कितने विभाग हैं और उनमें कितने लोग नियुक्त हैं तथा उन नियुक्तियों में हरिजनों का कोटा कितना है। उस प्रश्न का उत्तर साल भर के बाद आया और मुझे वताया गया कि वहां 71 विभाग काम करते हैं जिनमें से केवल 17 विभागों की रिपोर्ट आई है। केवल एक विभाग–हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में 16 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ था, लेकिन अन्य विभागों में किसी में ढाई प्रतिशत, किसी में 2 प्रतिशत, एक में ·8 प्रतिशत और एक में ·6 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के आधार पर आरक्षण की जो सुविधा आपने दी है वह अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप एक ऐसा "सेल" बनायें और उसके द्वारा आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, प्रत्येक विभाग से उसकी रिपोर्ट मंगायें। आप यह देखें कि वह रिपोर्ट आप के पास अविलम्व आती है या नहीं, यदि सही रिपोर्ट अविलम्ब न आये, तो उनको नौकरी से बरखास्त कर दें।

आरक्षण के प्रति इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि "संविधान में नौकरियों के आरक्षण के प्रेरणा-स्रोत के अनुसार क्या यह अपेक्षित नहीं है कि लोक सभा में आरक्षण सम्बन्धी एक विधेयक पारित कर दिया जाये और राज्यों को अपने यहां कानून वनाते समय उसे माडल के रूप में स्वीकार करने के लिये कहा जाय ताकि आरक्षण नीति समरूप हो सके।"

मेरा सुझाव है कि इस पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाय।

आरक्षण के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं - आप ने सार्वजनिक सैक्टर में आरक्षण कर दिया है, लेकिन प्राइवेट सैक्टर में अभी भी हरिजनों को नौकरी में नहीं रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि प्राइवेट सैक्टर में चाहे कोई कारखाना हो, उद्योग-धन्धा हो, स्कूल-कालिज हो, सबके लिये आप निश्चित करें, केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उनको आदेश दें कि वे भी अपने यहां सुनियोजित ढंग से आरक्षण का पालन करें।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं—यदि हम वास्तव में हरिजनों और गिरिजनों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, तो इस हाउस को, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों

को आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा और उस आत्म-निरीक्षण के बाद ही उनके विकास का काम हो पायेगा, वरना इस काम में विकास होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रगति की गति बहुत धीमी है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में हम एक ज्वलंत उदाहरण देकर इन हरिजन जातियों को आगे बढ़ाने का काम करें ।

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं :

आज जो हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में कमिश्नर, शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्डट्राइव्स ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह 25 वीं रिपोर्ट है और उसमें 155 सिफारिशें हैं। मैं वर्णान्तक ढंग से इन सिफारिशों के बारे में या जो दूसरी रिपोर्टों में सिफारिशें थीं, उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं । गृह मंत्रालय से केवल यही बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, कि आज तक जितनी भी रिपोर्टें पेश हुई हैं, उन रिपोर्टों की जितनी सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों पर कार्यान्वियन हुआ है। मैं यह जानता हू कि ये सिफारिशें राज्य सरकारों से भी सम्बन्धित हैं, केन्द्रीय सरकार से भी सम्वन्धित हैं, आटोनामस वोडीज और कुछ जो दूसरे आर्गेनाइजेशन्स हैं, उनसे भी सम्वन्धित हैं लेकिन क्या मैं गृह मंत्रालय से यह जान सकूंगा कि इस सम्बन्ध में आज तक कितनी सिफारिशें की गई और उनका क्या निचोड़ था और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसमें 10 प्रतिशत सिफारिशें भी कार्यान्वित होतीं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह 25वीं रिपोर्ट पेश होना भी जरूरी न होता । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 1950 में संविधान लागू किया गया और आज संविधान को लागू हुए 33 वर्ष हो गये हैं लेकिन यह 25वीं रिपोर्ट है, ऐसा क्यों हैं ?

यहां पर इस सदन में हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, उनके बारे में काफी चर्चा होती है। फिर भी हर साल कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं, जो हमारे देश के लिए शर्मनाक हैं और देश के माथे पर कलंक का टीका है। क्या उन्हें रोकने का तरीका, कारगर तरीका गृह मंत्रालय या राज्य की प्रादेशिक सरकारें निकाल सकती हैं और इस बारे में कुछ कर सकती हैं, यह भी मैं जानना चाहूंगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, उनके बारे में काफी कहा है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों, आदिवासियों और इतरजनों में भी, कहीं-कहीं अन्तर है। कई मामलों में उनकी एकसी समस्या है । उनमें अशिक्षा है, अज्ञान हैं, अनभिज्ञता है और गरीबी है परन्तु इसके अलावा कुछ ऐसी समस्यायें हैं, जो विशेष रूप से आदिवासियों की समस्यायें हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिद्धांत संविधान में है और जो हमारा व्यवहार है, उसमें बहुत अन्तर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की धारा 15, 16, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 38, 39 (ए), 46, 164, 244, 244 (ए), 275, 320 (4), 330 आदि ये सारी धाराएं

हैं और उनमें हरजनों के बारे में स्पेशल प्रोविजन है। इस ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस समय खासकर दोनों गृह मंत्री विराजमान हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हू कि उन्होंने इस बहस के लिए 9 घंटे का समय निकाला लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बासी रिपोर्ट क्यों पेश की गई। 1977-78 की रिपोर्ट अब पेश हुई है और 1978-79 की रिपोर्ट तो और भी बासी हो जाएगी। पता नहीं वह कब पेश होगी। क्यों नहीं जल्दी संकलित किया जाता है और यहां पर जल्दी पेश की जाए और फिर उस पर कार्यवाही हो। इसमें राज्य सरकारों के अमल की बात भी आती है। 1977-78 की रिपोर्ट सन् 1980 में पेश हो। यह बड़े शर्म की बात है। यह रिपोर्ट विधान सभा में एक साल के बाद जाएगी और उस पर वहां चर्चा फिर होगी। इसका मतलब यह है कि उदासीनता है, सर्वत्र उदासीनता है। अगर उदासीनता न होती, तो आज ऐसी स्थिति पैदा न होती।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं गलती कर सकता हूं, आप गल ती कर सकते हैं, राजनीतिज्ञ गलती कर सकते हैं और समाज के दूसरे लोग गलती कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल भी गलती करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जैसा ऊंचा शासक भी गलती करे तो कैसे काम चलेगा। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि राज्यपाल को यह अधिकार है और इस संविधान में भी प्रावधान है जो कि सविधान के शेड्यूल्ड पांच में है कि राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में हर साल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होगी। यह उनकी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी न केवल राज्यपालों की है बल्कि केन्द्रीय सरकार की भी है कि वे उन से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगे। इस 1977-78 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल आंध्र, मध्यप्रदेश और बिहार इन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है और वे भी 6-6 महीने बाद भेजी हैं। क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी क्या उनसे केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट मांगी हैं ? क्या संविधान के अनुसार गृह मंत्रालय का काम नहीं था कि वह जिन राज्यपालों ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है, उनसे रिपोर्ट मांगता ? इसी तरह से संविधान के इस शेड्युल्ड पांच में यह भी लिखा है कि राज्यपाल शेड्युल्ड एरियाज के लिये सलाहकार समितियां बनायेगा। आदिवासी क्षेत्रों के लिये जहां सलाहकार समितियां नहीं बनी हैं वहां के लिये गृह मंत्रालय ने कोई कदम उठाया है या नहीं, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आदिवासियों के लिये एक नयी दिशा दी। यह दिशा उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिये एक उपयोजना के रूप में दी है। हरिजनों और आदिवासियों की समस्याएं एक समान होते हुए भी कई दृष्टियों से भिन्न हैं। क्योंकि वे एक आइसोलेटिड एरियाज में रहते हैं वे इतने गरीब हैं कि इन्सान की शक्ल देख कर वे भाग जाते हैं। आप तो सभापति महोदय बिहार के सन्थाल परगना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से राजस्थान में अम्वावी डहया क्षेत्र है। ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं जहां आदिवासी इन्सान की शक्ल देख कर भाग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन जातियों का

कैसे सुधार होगा। ये सबह्युमन और सब-स्टेण्डर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से इनके बारे में कार्य पद्धति चलती रही तो कब और कैसे इन जातियों का उत्थान होगा ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आदिवासियों के लिये नई योजनाएं चालू की गयीं लेकिन वे अभी वहीं के वहीं हैं। पता नहीं उन योजनाओं का रुपया कहां गया, खर्च हुआ ? यह तो भगवान ही जाने। आज भी उनकी स्थिति सुधरी नहीं है। राजस्थान में पिछली सरकार ने तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म सा कर दिया था। एम्प्लाएमेंट एक्सचेंज में रोस्टर प्रणाली को राजस्थान सरकार ने खत्म कर दिया। राजस्थान सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों के बारे में बहुत उपेक्षा की नीति बरती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यपालों ने रिपोर्ट नहीं भेजी या जिन राज्यपालों ने सलाहकर समितियां नहीं बनायीं क्या उनसे यह करने के लिए गृह मंत्रालय ने कहा ?

राज्यपाल को, शेड्युल्ड पांच में अनुसूचित जनजतियों के बारे में एक रेगुलेशन बनाने का भी अधिकार दिया गया है जिसको कि किसी राज्यपाल ने नहीं बनाया। बिहार में कुछ रेगुलेशन हुआ है। इस शेड्युल्ड में यह दिया हुआ है कि जो केन्द्र का कानून किसी अनुसूचित जनजाति के लिए हानिकारक हो तो वह कानून को रोकने का भी राज्यपाल को अधिकार है। मैं क्या गृह मंत्रालय से पूछ सकता हूं कि किसी राज्यपाल ने ऐसा किया है ? इस शेड्युल्ड में यह भी दिया है कि वह शेड्युल्ड एरियाज के बारे में राज्यपालों को डायरेक्टिव दे। क्या गृह मंत्रालय ने किसी राज्यपाल को ऐसा कोई डायरेक्टिव दिया है ? चाहे इस पार्टी के गृह मंत्री हों, चाहे उस पार्टी के गृह मंत्री हों, मैं पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सदा उदासीनता बरती गयी है और आज भी हम उदासीनता देख रहे हैं। जितनी इम्पार्टेंस इसको देनी चाहिए थी उतनी न यह सरकार दे रही है और न पहले की सरकार ने दी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें की जाती हैं अगर इनको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भी उनकी आर्थिक समस्या और अन्य समस्याएं काफी हद तक सुलझ सकती हैं। मैं सरकार से अब निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को वह इम्प्लीमेंट करे जिससे उनकी आर्थिक समस्या और दूसरी समस्या सुलझे।

श्री शिव सौरेन (दुमका) : सभापति महोदय, 25वीं आदिवासी और हरिजनों से संबंधित रिपोर्ट पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया इसके लिये में आपको धन्यवाद देता हूं। उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत से साथियों ने अपनी बातें कहीं, मैं थोड़े शब्दों में ही कुछ कहना चाहता हूं। आदिवासी हरिजनों की जहां तक समस्यायें हैं वह आजादी के 30 साल बाद भी वैसी ही हैं, जेसे पहले थीं। हम लोगों ने बिहार, दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर, सन्थाल परगना में महाजनी शोषण के खिलाफ आन्दोलन किया था। इस प्रकार की रिपोर्ट हमेशा आती रही है आदिवासी और हरिजनों के कल्याण के नाम पर, उनकी ज़मीन की सुरक्षा के नाम पर, मगर किसी भी जिले में उनको कोई लाभ नहीं हुआ। हमने अपने अधिकार के लिए लड़ाई की,

हमें हमेशा विद्रोही और नक्सलपंथी कहा गया, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए हमने सरकार को झुकाया और अपनी ज़मीने वापस लीं। हमारी जो अपनी कमजोरी हैं, जो बीमारी है उसको दूर करना पड़ेगा। मैं आदिवासी हूं, आदिवासी के घर में पैदा हुआ हूं हमने देखा है कि हमारी कमजोरी पर सरकार विचार करने के लिए सक्षम नहीं है। हमारा समाज जरजर है, महाजन लोग और ज़मींदार शराब पिला कर हमारी जमीनें ले लेते हैं। इतना ही नहीं उनकी इज्जत भी लूटी गई। जमीन की लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है सरकार ने कानून बनाया है जमीन वापसी का। लेकिन जमीन को छीना जा रहा है। इसलिये इनके लिए ठोस कदम होने चाहियें। हरिजन और आदिवासियों के बीच ऐसे अफसरों को काम करने के लिए भेजना चाहिए जिनकी उनके बीच में काम करने की रूचि हो। हरिजनों की भलाई के लिए जमीन की समस्या सुलझानी चाहिये।

इसके अलावा जहां-जहां हरिजन और आदिवासी लोग रहते हैं, देश के किसी भी कोने में हों, वहां से शरोब की दुकानें उठानी चाहियें। हम जंगल पर निर्भर करते हैं, वहीं पैदा हुए जहां जंगल हैं, वहां रहने वाले हरिजन, आदिवासी और गरीब लोग उसी के सहारे जीते हैं। उन जंगलों को सरकारी नियम से बर्बाद किया गया है। हमारी मांग है कि उन जंगलों को बर्बाद नहीं करना चाहिये, बल्कि उनको बचाना चाहिये। छोटा नागपुर, सन्थाल परगना में 8, 10 साल पहले जमीन के सिलसिले में आन्दोलन किया था जिसको लेकर झूंठे मुकदमे चलाये गये। मैं चाहूंगा कि उन सारे झूंठे मुकदमों को वापस लिया जाय।

हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारी संस्कृति बर्बाद हो जायगी तो हम भी बर्बाद हो जायेंगे। हमने आन्दोलन किया है और मांग की है कि बिहार, छोटा नागपुर, सन्थाल परगना के तमाम आदिवासी लोग बिहार से अलग होकर अपना झारखंड राज्य कायम करना चाहते हैं।

श्री रणजीत सिंह (चतरा) : सभापति महोदय, आज जो 25वीं रिपोर्ट अनुसूचित जाति और जनजातियों की रखी गयी है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान कमीशन ने रखा है। लेकिन मेरा कहना है कि देश की स्वतंत्रता के 32 साल बाद भी आज तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी हरिजनों और आदिवासियों को नहीं मिली है। यह देखने को मिल रहा है कि जंगलों और गांवों में रहने वाले आदिवासियों और हरिजनों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उनको दी गई जमीनों को सभी छीन रहे हैं, उन पर अपना कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान उस पर नहीं है। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं।

बिहार में अनेक काण्ड और अनेक घटनाएं हुई हैं। जिन हरिजन और आदिवासियों को 20-सूत्री इकनामिक प्रोग्राम के अन्तर्गत जमीन दी गई है थी, उन जमीनों को हमारे यहां बिहार में धनी वर्ग के लोगों ने छीन लिया है। यहां पर बीसियों बार इस सदन में रिपोर्ट रखी गई है,

लेकिन रिपोर्ट बनाने से और इस सदन में रखने से इन लोगों की समस्या हल नहीं हो सकती है जब तक कि उसको व्यावहारिक रूप न दिया जाये ।

हिन्दुस्तान में आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 50 फीसदी लोग आर्थिक अवस्था में नीचे हैं, जिन्हें कि खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है उनके लिये रोजी और रोजगार नहीं है । उनमें कम-से-कम 2 करोड़ 90 लाख काम करने वालों की संख्या है जिसमें गरीब आदिवासी और हरिजनों की संख्या 50 लाख है जो गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है । इस तरह से हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं के लिये तरह-तरह के समाधान इस कमेटी ने दिये हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिये कांग्रेसी सरकार ने 1976 में कार्य किया था, लेकिन हमारी सरकार बदलने के बाद हमारी जनता पार्टी के लोग, लोकदल के लोग, जिन भाइयों ने अभी भाषण दिया है, जिसमें माननीय श्री चरण सिंह का पूरा चरित्र-चित्रण दिया है, उन्होंने कहा है कि मनु-स्मृति को याद किया जाये । मालूम पड़ता है कि हमारे भाई अभी पीछे की ओर जा रहे हैं । जब कि सारी दुनिया बदल गई, हिन्दुस्तान भी बदल रहा है, यहां के बहुत लोग पड़-लिख गये हैं, ऐसी अवस्था में मनु-स्मृति की याद दिलाना, धर्म की याद दिलाना उनका एक ही सिद्धान्त है कि दंगा करायेंगे, भेदभाव करेंगे जिससे समाज में भेदभाव हो जाये ।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे हरिजनों और आदिवासियों की बेरोजगारी की समस्या इसलिये बढ़ गई है क्योंकि कागज पर हम लोग बेरोजगारी की समस्या के हल करने के लिये आरक्षण लगाये हुए हैं, लेकिन उसे हम व्यावहारिक रूप नहीं दे रहे हैं और उस तरफ देख नहीं रहे हैं । इस तरह से कहा जाता है कि क्योंकि हरिजन आदिवासी पढ़े-लिखे नहीं है, इसलिये उन लोगों को कोई भी अच्छे-अच्छे औहदों पर बैठाया नहीं जा सकता है । इस तरह से किसी भी परिस्थिति में उनके आरक्षण को पूरा नहीं किया जा रहा है ।

मेरा यह सुझाव है कि आदिवासियों के इलाके में तरह-तरह के स्कूल खोले जायें, उन लोगों की संस्कृति को डैवलप करने के लिये स्कूली शिक्षा घर-घर में देनी चाहिये । हमारे क्षेत्र चतरा में लोगों को जाने का कहीं रास्ता नहीं है । हमारे बिहार में पालामऊ आदि कई हरिजनों के और आदिवासियों के क्षेत्र में लेकिन वहां पर कोई रास्ता नहीं है । उनके पढ़ने के लिये और शिक्षा के लिये कोई स्कूल नहीं है । उनके रोजगार के लिये कोई फैक्ट्री नहीं खोली जा रही है । ऐसी जगह पर जहां बड़े-वड़े लोग रह रहे हैं, उनके निवास स्थान हैं वहां सब काम हो रहे हैं, इस तरह से हमारे क्षेत्र में कोई भी हरिजन और आदिवासी आगे नहीं बढ़ सकता है । हमारे हरिजन भाइयों पर अत्याचार इसलिये बढ़ रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, व्यापार में सहयोग नहीं दे रही है, नौकरी में प्रोत्साहन नहीं दे रही है । इसी वजह से हमारे हरिजनों की जो भूमि है वह भी हड़प ली जाती है । इसी कारण किसी भी हरिजन और आदिवासी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है ।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस धार्मिक और कानूनी व्यवस्था को

तोड़ना चाहिये। हरिजनों को नौकरियों में बेरोजगारी हटाने के लिये उद्योग में तथा तरह-तरह की नियुक्तियों को देने में विशेष ध्यान देना चाहिये।

धन्यवाद।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूं। अनटचेबिलिटी एक शोशल स्टिगमा भी है और सोशल प्राबलम भी है। इस लिए हमारी गवर्नमेंट ने हरिजनों को बहुत से प्रिविलेज और फैसिलिटीज दी हैं और उनके लिए कोई वैलफेयर प्रोग्राम चलाये हैं। हरिजन और ट्राइबल में यह फर्क है कि हरिजन पर अस्पृश्यता का सोशल स्टिगमा भी होता है, इसलिए हमें उन लोगों को ज्यादा मदद देनी चाहिए।

इस प्राबलम के दो एसपेक्ट्स हैं : सोशल और इकोनामिक। जहां तक शोशल एसपेक्ट का सम्बन्ध है, अनटचेबिलिटी सिर्फ हिन्दू रिलिजन में होती है। यह सोशल स्टिग्मा कैसे दूर किया जाये, उसके लिए इन्टर-कास्ट मैरिजिज, इन्टर-डाईनिंग, मिक्स्ड हार्उसिंग कालोनी और मिक्स्ढ होस्टल को प्रोत्साहन देना चाहिए।

हमारे देश में अगर कोई इन्टर-कास्ट मैरिज करता है, तो उसे कुछ मानिटरी बेनिफिट दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में अगर इन्टर-कास्ट मैरिज करने वालों में से एक हरिजन है, तो उन्हें एक हजार रुपया दिया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे समाज में हरिजन लोगों पर सोशल स्टिग्मा है, इस लिए यह एक हजार रुपये की रकम काफी नहीं है। जो व्यक्ति किसी अछूतसे मैरिज करता है, उसको समाज से वहिष्कृत किया जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जाब या सेल्फ-एम्पलायमैंट की सुविधायें देनी चाहिए और उनके लिए सोशल सिक्युरिटी मेजर्ज लेने चाहिए।

अनटचेबिलिटी न सिर्फ हमारे समाज में है, बल्कि स्वयं अछूत लोगों में भी अनटचेबिलिटी है। इन्टर-डाईनिंग प्रोग्राम से लोगों के विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है और इस तरह अनटचेबिलिटी को मिटाया जा सकता है।

लोगों के सोशल एटीच्यूड को चेंज करने के लिए मिक्स्ड हार्उसिंग कालोनीज को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे लोगों की लिविंग हैबिट्स भी बदल जायेंगी। इससे भी अनटचेबिलिटी को खत्म करने में सहायता मिलेगी। आज-कल गवर्नमेंट हाउस या प्लाट कास्ट के आधार पर एलाट करती है। हरिजनों और ट्राइबल लोगों को अलग-अलग जगह एलाटमेंट की जाती है। इससे कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हो सकता है। कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए एलाटमेंट में लाटरी सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया जाये, ताकि सब कास्ट्स के लोगों को एक ही जगह रहने का अवसर मिले। इस तरह हम सोसायटी को चेंज कर सकते हैं और अस्पृश्यता को खत्म कर सकते हैं।

जब हम हाउसेज उन को देते हैं तो ऐसा होता है कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज उन को नहीं देते। मेरा यह कहना है कि हार्उसिंग प्लाट देते समय ही उन को ड्रिंकिंग वाटर भी देना

चाहिए, उसी समय उन को एलेक्ट्रिसिटी और रोड फैसिलिटीज भी देनी चाहिएं। नहीं तो मेरे अनुभव में यह आया है कि जब उन को पीने का पानी नहीं होता है तो वे उन हाउसेज में नहीं रहते हैं। इसलिए पीने का पानी, एलेक्ट्रिसिटी और रोड फैसिलिटीज उन को अवश्य उसी समय देनी चाहिए।

गवर्नमेंट को रेजीडेंशियल स्कूल्स इंट्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है जिस में उन की जो हैबिट्स हैं उन को बदला जा सके। जब रेजीडेंशियल स्कूल होता है तो उस में सब लोग मिल कर रहते हैं और उस से उन की हैबिट्स निकल जाती हैं और उन का माइन्ड भी चेंज हो जाता है। (There is a Change in the minds of the children also.) बच्चों के विचारों में भी परिवर्तन हो गया है।

इस के लिए मिक्सड हास्टेल्स होने चाहिए और ब्वायज और गर्ल्स के अलग-अलग होने चाहिए। (It is essential to change the mind of the society also.) समाज के विचारों में परिवर्तन होना चाहिए।

एजूकेशन जो होती है उस में वोकेशनल एजूकेशन ज्यादा उन लोगों को देनी चाहिये। वोकेशनल एजूकेशन से उन के बच्चों को तुरंत काम मिलता है। इसलिए वोकेशनल एजूकेशन उन को देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

प्रोडेक्शन-कम-ट्रेनिंग सेंटर भी उन के लिए रखने चाहिए। उस में उन की मार्केटिंग की जो प्राबलम होती है उस को गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेना चाहिये, नहीं तो वे मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, यह मैंने अनुभव किया है।

इन लोगों से कास्ट सर्टिफिकेट हर साल मांगते हैं। यह हर साल नहीं मांगना चाहिए। एक बार जब वह एग्जामिनेशन देते हैं उस वक्त उन से वह ले सकते हैं। हर साल नहीं लेना चाहिए।

लोन सिस्टम हमारे यहां ऐसा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स फारवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जब लोन देते हैं शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को तो रेट आफ इन्टरेस्ट कम होता है और फारवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जब उन को लोन देते हैं तो वह ज्यादा इन्टरेस्ट पर देते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि ये हरिजन और ट्राइबल्स जहां जहां भी रहते हैं वह तो सब बैकवर्ड ही होते हैं। फारवर्ड जिले में रहें या बैकवर्ड जिले में रहें उन का ऐटीच्यूड तो बैकवर्ड ही रहता है, इसलिए दोनों जगहों में जो इंटरेस्ट के रेट में अन्तर होता है उस को निकालना चाहिए क्यों कि ज्यादा इन्टरेस्ट लगाते हैं तो वे पे नहीं कर सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों या विकसित क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को समान ब्याज दर पर ऋण देने के लिए कोई सामान्य नीति होनी चाहिए इन्टरेस्ट फ्री लोन्स भी उन को ज्यादा दिया जाना चाहिए। इससे उन को काफी फाइनेशियल एड मिल जाती है। वह जो उन को सब्सिडी देते हैं, ज्यादा इन्टरेस्ट उस पर रखते हैं तो उसका कोई उपयोग उन के लिए नहीं होता है।

यह जो कास्ट सिस्टम है इस को हम एवालिश करना चाहते हैं। अनटचेबिलिटी एक सोशल स्टिग्मा है, यह समाज के डेबलपमेंट में एक हिंड्रेंस है, इस को हमें निकालना है।

शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन ने 25 रिपोर्टें अब तक दी हैं। उन पर हाउस के फ्लोर पर बहुत डिस्कशन भी हुआ है मगर जब भी कमीशन से रिपोर्ट रेकमेंड होती है तो उस पर पूरी तरह ऐक्शन नहीं होता है।

मेरी निजी राय है कि आयोग के प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव मात्र सिफारिशों के रूप में न होकर आदेशात्मक होने चाहिए वह जो अभी रेकमंड करते हैं उसे मैंडेटरी करना है। मैंडेटरी न होने से रिपोर्ट आती है, लोग पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन हो जाता है और बाकी कुछ हम उस का उपयोग नहीं करते हैं। उस को फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नही होना चाहिए और उनपर अमल करना चाहिये। इन्टर-कास्ट मैरिजेज में स्पेशल ट्रीटमेन्ट होना चाहिये और जो बच्चे हों उनके लिये भी स्पेशल ट्रीटमेन्ट होना चाहिए। समाज में जो शोशल स्टिगमा है उसको निकालना चाहिए। तभी हम समाज से अनटचेबिलिटी को मिटा सकते हैं। समाज में जो कास्ट सिस्टम है उसको मिटाना होगा। हमारा एम यही हो कि हमें समाज से अनटचेबिलिटी को निकालना है। गांधी जी और सरकार का ध्येय था समाज से अनटचेबिलिटी को निकालना। केवल एकोनामिक अपलिफ्मेन्ट करना ही हमारा ध्येय नहीं है। पहले समाज से अनटचेबिलिटी को निकालना है। वे सभी मानव है—यह आइडिया उनमें आना चाहिये और समाज में भी यह आइडिया पैदा होना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम इस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं, हमें खुद अपने से ही आदिवासी और हरिजन भाई, बहनों के संबंध में यह प्रश्न पूछना चाहिए। हमारा इतिहास और हमारे देश की परम्पराएं इस बात की साक्षी हैं। तभी सेइस देश के आदिवासी अपने शोषण का मूल्य चुका पाते आ रहे हैं, और उन्हें कष्ट सहने पड़ रहे हैं। महान कवि बाल्मीकि ने एक आदिवासी को एक पक्षी को मारते देखते ही एक श्लोक रच दिया :

मा निषाद प्रतिष्ठाम मम् श्वासाम समा: येन क्रौंच, मिथुनान।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : आप रामनवमी के दिन बोल रहे हैं।

श्री मगन भाई बरोट : मैं अपने दोस्त का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया है कि मैं रामनवमी के अवसर पर बोल रहा हूं।

श्लोक में कहा गया है 'हे आदिवासी, हे निषाद, युगों तक तुम्हें सम्मान प्राप्त न हों। ऐसा लगता है कि हजारों-हजारों साल बीत जाने के लाद भी हमारे इन भाइयों को, जिनके लिए आज सभा में इतनी उत्तेजना है, सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इस सभा के माननीय सदस्य से यही अनुरोध करूंगा कि वे डा० आम्बेदकर की 'दि अनटचएबल्स, हाऊ एण्ड व्हेन दे

बीकेम' नामक पुस्तक का अध्ययन करने के लिए समय निकालने की कृपा करें।

श्रीमन, क्या हमने कभी अपने से यह सवाल किया है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वह वर्ग व्यवस्था वाला समाज है और मानव समान रंग रूप वाला है और सभी के एक जैसा ही रक्त संचार करता है लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है जैसा कि जर्मनी में यहूदियों के साथ कियां जाता था। क्या हम कभी अपने आपसे यह पूछते हैं कि हरिजनों को गांव के दूसरे कोने में रहने को क्यों कहा जाता है ? मैं, माननीय मंत्री जी श्री योगेन्द्र मकवाना और श्री रामविलास से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें। क्या हमने कभी अपने आपसे पूछा है कि आप भी मृत पशुओं को जिन्दा हरिजन क्यों उठाते हैं ? क्या हम इस समस्या का समाधान कर पाए हैं ? क्या हम एक जिन्दा आदमी द्वारा एक मृत पशु का खींचा जाना बंद कर पाए हैं ? हम ऐसा क्यों होने देते हैं ? तब हमें मात्र समाज सुधार की बात करने का क्या हक है। हमें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होने पर जब तक हम गांवों में रहने वाले अपने हरिजन और आदिवासी भाई-बहनों के लिए इतना मामूली सा मानवीय काम नहीं कर पाते तब तक सामाजिक आन्दोलन की बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि, इससे पहले की आयोग की इस रिपोर्ट पर बहस हो, सरकार को निर्णय लेना चाहिए हम गांवों में ट्रेक्टर बांटते हैं। हम गांवों में किसानों को अन्य सुविधाएं देते हैं। हम बैंकों से ऋण देते हैं। क्या हम यह शर्त नहीं लगा सकते कि जिस व्यक्ति को ट्रेक्टर दिया जाएगा तो वह यदि गांव में कोई पशु मर जाये तो उस मृत पशु को किसान के घर से खेत तक ढोने के लिए ट्रेक्टर देगा। मेरा अनुरोध है कि हमें इस विषय पर अत्याधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए और न ही बहुत ऊंचा सोचना चाहिए। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। यदि मुझे कहने दिया जाए तो बहुत विनीत शब्दों में कहूंगा कि इस देश में एक महान पुरुष पैदा हुआ था। उसका नाम डा० अम्बेदकर था। वही हरिजनों का सच्चा नेता था जिसने उनके दिमाग में विद्रोह की भावना भरी थी परन्तु यह उस महापुरुष का दुर्भाग्य था कि उसका जन्म उस समय हुआ था कि जब गांधी रूपी वट-वृक्ष के नीचे अम्बेदकर रूपी पौधा नहीं पनप सका। और वह आन्दोलन समाप्त हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में हमने वचन दिया था कि हम हरिजनों को समान दर्जा देंगे। हम यह भूल चुके हैं। हमने गांधी जी को मृत्यु के बाद उनके द्वारा हरिजनों को दिए गए वचन को भी भूल गए हैं। अब इस बचन का पालन करने का समय आ गया है।

मुझे एक घटना याद आती है। यह गुजरात विधान सभा की बात है। हम भूमि की सीमा निश्चित की बात कर रहे थे। और प्रश्न यह था कि इस सीमा में भूमि का न्यूनतम क्षेत्र और आर्थिक 'इकोनोमिक' क्षेत्र क्या हो। हमारे एक आदिवासी मित्र, श्री उत्तम राव पाटिल, अब सभा के एक माननीय सदस्य भी हैं, ने यह प्रश्न उठाया था। "आपकी इस नदी घाटी परियोजना के लिए किनकी भूमि ली जा रही है ? यह सारी भूमि उन आदिवासियों की है जो जंगलों में रह रहे हैं। आप उन्हें बेघर कर अपनी नदी-घाटी परियोजना के लिए भूमि ले

लेते हैं और आपकी नदी-घाटी परियोजना का लाभ इस देश के कुलक जमींदारों को होता है।" क्या हमारे पास इसका कोई उत्तर है? उत्तर..............मैं जानता हूं। मैं एक वकील हूं। मैंने कई हरिजन मित्रों के मुकदमें लड़े हैं। मैंने एक हरिजन युवक, जिसने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किया था, का मूकदमा लड़ा है। मुझे अपना अनुभव बताने दें। मुझे न्यायालय में यह बताना पड़ा था कि लड़की अगवा नहीं की अपितु उसने स्वयं उस लड़के से विवाह किया और उसे न्यायालय में, जहां मुकदमा चला था उचित न्याय नहीं मिला। मैंने आवेदन किया और उच्च न्यायालय ने एक सैशन कोर्ट से दूसरे सैशन कॉट से मुकदमा स्थानांतरित कर दिया। समाज की स्थिति यह है कि एक नव युवक एक युवती से विवाह करता है जबरन विवाह नहीं, लड़की की मर्जी से, तो उस पर मुकदमा होता है कि उसने लड़की को अगवा किया है और फिर उसे हमारी अदालतों में भी उचित न्याय नहीं मिलता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं। यह प्रश्न सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक है। अतः कृपया कुछ बातों पर विचार करें। मेरे अपने शहर, राजकोट, में नित्य प्रतिदिन यही होता है कि हमारे भंगी भाई मृत पशुओं को अपने सिर पर उठा कर ले जाते हैं। इसे बन्द किया जाए। हमने गांधी शताब्दी मनाई है। मृत पशुओं का सिर पर ढोना बन्द किया जाना चाहिए। यदि आयोग की रिपोर्ट को महत्व देना है तो कम से कम इसी से आरम्भ किया जाए। मेरा सविनय निवेदन है समाज का मूलाधार होना चाहिए। मैं एक वकील हूं मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं मैं अपने शहर, अहमदाबाद में शैडयूल्ड कास्टस वर्कर्स यूनियन का सलाहकार हूं। मैं जानता हूं कि नगर निगम में रोस्टर प्रणाली कभी आरम्भ ही नहीं की गई। मैं सरकार से पूछता हूं कि कितने हरिजन न्यायधीश हैं? कितने हरिजन बड़े वकिल या बड़े इंजीनियर हैं? कितने हरिजन या आदिवासी ऊंचे पदों पर आसीन हैं? लेकिन ऐसा कोई नहीं है

एक मामला मेरी जानकारी में है जो मैं सभा के समक्ष रखता हूं। मैं शिक्षा मंत्री था। मेरी सभा में एक मामला आया था। एक आदिवासी अध्यापक घूस देकर प्रिंसीपल बन गया था क्या हुआ? उसे 20 वर्ष का अनुभव था। परन्तु प्रशासन के लोग उसे पद्दोन्नत नहीं करना चाहते थे। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? उन्होंने यह अरोप लगाया कि इस आदमी का चरित्र ठीक नहीं है अतः यह प्रिंसीपल बनने योग्य नहीं है। यदि किसी हरिजन या आदिवासी भी पद्दोन्नति का सवाल सुनता है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र उसके लिए बुरे–चरित्र का प्रमाणपत्र बन जाता है। मैं यह ऐसे नहीं कर रहा हूं। मैंने विभागीय जांच कराई थी और पाया था कि पूरे मामले में झूठी बाते कहीं गई थी। अतः हमें पूरी जाति और सम्प्रदाय से इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए केवल बातें ही नहीं करनी चाहिए। हमें एक काम करना चाहिए कि हमें मानव को मानव ही समझना चाहिये।

मैं श्री मकवाना से अनुरोध करता हूं कि मैं उन्हीं के माध्यम से अनुरोध कर सकता हूं--- और मैं अपनी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी से जिनपर इस पूरी जाति का विश्वास है और

देश का विश्वास है, अनुरोध करता हूं कि इससे पहले कि आयोग की इस रिपोर्ट पर कार्यान्वयन हो कृपया मृत पशुओं का जिन्दा आदमियों द्वारा ढोया जाना बन्द करा दें ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

6.02 म० प० तत्पश्चात लोक सभा अथवा 21 मार्च 1980/1 चैत्र 1901 (शक) के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई :

——

सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-110006